

भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

पुलिस बल के आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण
पर निष्पादन लेखापरीक्षा

उत्तर प्रदेश शासन

प्रतिवेदन संख्या 03, वर्ष 2017

विषय सूची

विवरण	संदर्भ	
	प्रस्तर संख्या	पृष्ठ
प्राक्कथन	-	v
कार्यकारी सार	-	vii
अध्याय—1 प्रस्तावना		
प्रस्तावना	1.1	1
संगठनात्मक ढांचा	1.2	2
लेखापरीक्षा उद्देश्य	1.3	2
लेखापरीक्षा के मापदण्ड	1.4	3
सम्प्रेक्षा कार्यक्षेत्र एवं प्रणाली	1.5	3
अभिस्वीकृति	1.6	4
अध्याय—2 नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन		
प्रस्तावना	2.1	5
नियोजन	2.2	5
वित्तीय प्रबन्धन	2.3	6
राज्य बजट से आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण	2.4	10
अध्याय—3 अस्त्र—शस्त्रों का आधुनिकीकरण		
प्रस्तावना	3.1	13
वित्तीय प्रावधान	3.2	13
शस्त्र नीति के संशोधन मे विलम्ब	3.3	15
हथियारों की उपलब्धता	3.4	15
अप्रचलित हथियारों से सुसज्जित	3.5	16
अप्रयुक्त पड़ी अमोघ रायफल	3.6	16
गोलाबारूद की कमी	3.7	17
केन्द्रीय भण्डार	3.8	17
अध्याय—4 संचार प्रणाली का आधुनिकीकरण		
प्रस्तावना	4.1	23
विभाग द्वारा उपयोग में लाये जाने वाली संचार प्रणालियाँ	4.2	23
संचार उपकरण की प्राप्ति	4.3	24
हैण्ड हेल्ड सेटों की कमी	4.4	26
आयु पूरी कर चुके संचार सेटों की सूची	4.5	26
स्पेक्ट्रम (तरंग)ग्रामार पर ₹ 57.66 करोड़ का परिहार्य व्यय	4.6	27
बिना अनुज्ञापत्र बेतार सेटों का उपयोग।	4.7	28
उपयोगी जीवन काल पूरा कर चुके उपकरणों की प्रतिस्थापना	4.8	29
पुलिस दूरसंचार संजाल (पोलनेट)	4.9	29

आधुनिक तकनीक अपनाने में विलम्ब	4.10	30
आधे से अधिक जिलों में जीपीएस प्रणाली का कार्य न करना	4.11	30
एक तिहाई से अधिक सीसीटीवी कैमरों का अक्रियाशील रहना	4.12	31
अक्रियाशील आधुनिक नियंत्रण कक्ष कानपुर	4.13	31
मानव शक्ति की कमी	4.14	32
नेटवर्क बुनियादी ढांचा एवं निष्पादन	4.15	33
मूल सेवाओं के लिये कोर एप्लीकेशन साफ्टवेयर का परिचालन एवं उपयोग	4.16	34

अध्याय—5 पुलिस मोबिलिटी में सुधार

प्रस्तावना	5.1	35
वाहनों की उपलब्धता	5.2	35
जनपदों में वाहनों की अतार्किक तैनाती	5.3	36
पुलिस स्टेशनों पर वाहनों की कम तैनाती	5.4	36
वाहनों का क्रय न करना तथा बजट का समर्पण	5.5	36
निष्प्रयोज्य वाहनों के प्रतिस्थापन के सापेक्ष वाहनों का अनियमित क्रय	5.6	37
निष्प्रयोज्य वाहनों के सापेक्ष वाहनों का क्रय न करना	5.7	37
विभाग द्वारा वाहनों की आयु पूरी होने के बाद उनका उपयोग किया जाना	5.8	38
वाहनों का विशिष्ट महानुभावों को उपलब्ध कराना एवं पीओएल पर व्यय किया जाना	5.9	38
मोटर वाहन कार्यशाला पर अलाभकारी व्यय	5.10	39

अध्याय—6 विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण

प्रस्तावना	6.1	41
नियोजन	6.2	41
उपकरणों की खरीद / प्राप्ति	6.3	43
उपकरणों का अभाव	6.4	44
तकनीकी मानवशक्ति की कमी	6.5	45
परीक्षण में विलम्ब के कारण विशाल मात्रा में नमूनों का लम्बित होना	6.6	45
जिला क्षेत्रीय इकाइयों में मानवशक्ति, प्रयोगशालाओं एवं किट्स की कमी के कारण साक्ष्यों का असंगत एकत्रीकरण	6.7	46
साइबर अपराध क्षेत्रीय प्रयोगशाला की पूर्णतः अवस्थापना न हो पाना	6.8	47
अनुसंधान सहायक इकाइयों को उपलब्ध न कराया जाना	6.9	48
अभिलेखों का रख—रखाव न किया जाना	6.10	48

अध्याय—7 प्रशिक्षण स्थापना का आधुनिकीकरण एवं संवर्धन

प्रस्तावना	7.1	49
उपकरणों की खरीद न किया जाना	7.2	49
प्रशिक्षण केन्द्रों की अपर्याप्त क्षमता	7.3	50
प्रशिक्षण अनुदेशकों की कमी	7.4	51
आन्तरिक प्रशिक्षण	7.5	52
वाह्य प्रशिक्षण	7.6	53
प्रशिक्षण संस्थानों में अत्यधिक बोझ	7.7	53
प्रशिक्षुओं के लिए अपर्याप्त आवासीय सुविधा	7.8	54

आग्नेयास्त्र सिम्युलेटर (एफएएस)	7.9	55
साइबर अपराध प्रशिक्षण प्रयोगशाला स्थापित न किया जाना	7.10	56
अध्याय—8 विशेष पुलिस बल का आधुनिकीकरण		
आतंकवाद निरोधी दस्ता	8.1	57
प्रादेशिक सशस्त्र बल	8.2	62
स्पेशल टास्क फोर्स	8.3	64
अध्याय—9 यातायात पुलिस आधुनिकीकरण		
प्रस्तावना	9.1	67
वित्तीय स्रोत तथा उसका उपयोग	9.2	67
कार्यरत कार्मिक	9.3	69
यातायात पुलिस के लिए प्रशिक्षण	9.4	70
सड़क दुर्घटनाएँ	9.5	71
अध्याय 10 पुलिस आवास का निर्माण		
प्रस्तावना	10.1	73
कार्यों का निष्पादन	10.2	73
समय और लागत में वृद्धि	10.3	78
पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रावकलनों का परीक्षण	10.4	79
पुलिस थाना तथा पुलिस चौकियों के लिए प्रशासनिक भवन	10.5	81
बैरकों का निर्माण	10.6	82
आवासीय अवसंरचना	10.7	83
अध्याय 11 अपराध के मामले और पुलिस की तैनाती		
प्रस्तावना	11.1	87
साइबर अपराध	11.2	90
पुलिस बल में जनशक्ति प्रबन्धन	11.3	91
पुलिस विभाग में भर्तियाँ	11.4	92
परिशिष्टियाँ		
परिशिष्ट 1.1	उत्तर प्रदेश पुलिस का संगठनात्मक ढांचा	97
परिशिष्ट 2.1	वार्षिक योजना को प्रस्तुत करने की नियत एवं वास्तविक तिथि	98
परिशिष्ट 2.2	वित्तपोषण प्रक्रिया	99
परिशिष्ट 2.3	2011–16 की अवधि में अनुमोदित उपकरण जो क्य नहीं किये गये	100
परिशिष्ट 3.1	रिवाल्वर/पिस्टल/ग्लाक पिस्टल की आवश्यकता	105
परिशिष्ट 3.2	राईफल की श्रेणी में आवश्यकता	105
परिशिष्ट 3.3	जनपदों में प्रयुक्त हो रही अप्रचलित प्वाइंट 303 राईफल की स्थिति	106
परिशिष्ट 3.4	केन्द्रीय भण्डार सीतापुर में जनशक्ति की स्थिति	106
परिशिष्ट 4.1	2011–16 की अवधि में संचार विंग की लक्ष्य एवं प्राप्ति	107
परिशिष्ट 4.2	नमूना जांच जनपदों में सीसीटीवी कैमरे की स्थापना	109
परिशिष्ट 4.3	अवधि 01.01.2013 से 31.03.2016 में आईआईएफ-1 से 7 की सूचना की स्थिति	109

परिशिष्ट 5.1	जनपदों में वाहनों की आवश्यकता एवं उपलब्धता	110
परिशिष्ट 5.2	पीएसी में वाहनों की आवश्यकता एवं उपलब्धता	110
परिशिष्ट 5.3	वाहनों की अतार्किक तैनाती	111
परिशिष्ट 5.4	बीपीआरएण्डडी मानकों के सापेक्ष पुलिस स्टेशनों पर हल्के वाहनों की कमी	113
परिशिष्ट 5.5	वाहनों के लिये वर्ष 2011–16 की अवधि में बजट आवंटन, व्यय एवं समर्पण	113
परिशिष्ट 5.6	एमपीएफ योजना तथा राज्य बजट के अन्तर्गत वर्ष 2011–16 की अवधि में क्य किये गये वाहनों की संख्या	114
परिशिष्ट 5.7	पूँजीगत शीर्ष के अन्तर्गत वाहनों के प्रतिस्थापन पर किये गये व्यय का विवरण	115
परिशिष्ट 5.8	नमूना जांच जनपदों में मार्च 2016 को आयु पूर्ण कर चुके वाहन	115
परिशिष्ट 5.9	नमूना जांच जनपदों में वाहनों की मरम्मत एवं पीओएल पर व्यय	116
परिशिष्ट 6.1	क्रियाशील विधि विज्ञान प्रयोगशाला के अनुभाग	117
परिशिष्ट 6.2	माह अप्रैल 2017 के अनुसार क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला की प्रगति	117
परिशिष्ट 6.3	प्राप्त न किए गए उपकरणों की सूची	117
परिशिष्ट 6.4	निविदा प्रणाली में विलम्ब (दो वर्षों से) तथा पी एल ए में धन रखने के कारण स्थापित न किए गये मुख्य उपलकरण	118
परिशिष्ट 6.5	उत्तर प्रदेश के विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं में कर्मचारियों की स्थिति	118
परिशिष्ट 6.6	विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं, उत्तर प्रदेश, में लम्बित नमूनों की स्थिति	119
परिशिष्ट 6.7	विधि विज्ञान प्रयोगशाला आगरा में साइबर अपराध क्षेत्रीय प्रयोगशाला के अक्रियाशील उपकरण	119
परिशिष्ट 7.1	नमूना जांच किये गये पांच प्रशिक्षण संस्थानों में शारीरिक व पैदल प्रशिक्षण के अनुदेशकों (पी०टी०आई०/आई०टी०आई०) के पदों में कमी	120
परिशिष्ट 7.2	वर्ष 2011–15 के दौरान नमूना जांच किये गये प्रशिक्षण संस्थानों में वर्षवार प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं का विवरण	120
परिशिष्ट 8.1	आतंकवाद रोधी दस्ता, कमान्डों प्रशिक्षण विद्यालय व विशेष प्रशिक्षण केन्द्र (सी०आई०ए०टी०) हेतु आवश्यक जन शक्ति	121
परिशिष्ट 8.2	ए०टी०एस० में स्वीकृत संख्या के विरुद्ध उपलब्ध पद	123
परिशिष्ट 8.3	शस्त्र सामग्री की आवश्यकता	124
परिशिष्ट 8.4	पीएसी में स्वीकृत संख्या व भरे पद की स्थिति	125
परिशिष्ट 8.5	पी०ए०सी० बल में वाहनों की स्वीकृत संख्या व उपलब्धता	125
परिशिष्ट 8.6	पी०ए०सी० बल में अस्त्रों की कमी	126
परिशिष्ट 8.7	एस०टी०एफ० में जन शक्ति की स्थिति	126
परिशिष्ट 9.1	पर्सपेरिटिव प्लान के अनुरूप उपकरणों के क्य में कमी	127
परिशिष्ट 10.1	वर्ष 2015–16 के अन्त तक कुल स्वीकृत कार्यों, पूर्ण कार्यों और अपूर्ण कार्यों की संख्या का विवरण	129
परिशिष्ट 10.2	सक्षम प्राधिकारी द्वारा एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर दिनांक का विवरण	130
परिशिष्ट 10.3	लागत में वृद्धि के साथ पूर्ण किये गये कार्यों की संख्या का विवरण	133
परिशिष्ट 10.4	अपूर्ण कार्यों पर लागत में वृद्धि की स्वीकृति का विवरण	133
परिशिष्ट 10.5	पुलिस थाना एवं पुलिस चौकियों के प्रशासनिक भवन की प्रगति दर्शाता विवरण	134
परिशिष्ट 10.6	बैरकों की प्रगति दर्शाता विवरण	134
परिशिष्ट 10.7	बैरकों एवं आवासों की आवश्यकता दर्शाता विवरण	135
परिशिष्ट 10.8	नमूना जॉच में चयनित जनपदों में आवासों की उपलब्धता	136
परिशिष्ट 10.9	नमूना जॉच में चयनित पुलिस थानों में आवासों की उपलब्धता	137

प्राक्कथन

‘‘पुलिस बल का आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण’’ पर निष्पादन लेखापरीक्षा के निष्कर्षों को सम्मिलित करते हुए यह प्रतिवेदन संविधान की धारा 151(2) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन में उद्धृत मामले पुलिस विभाग की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान प्रकाश में आये मामलों में से हैं। निष्पादन लेखापरीक्षा में अवधि 2011–12 से 2015–16 को आच्छादित किया गया।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत सम्प्रेक्षा मानकों की अनुकूलता में सम्पादित किया गया है।

कार्यकारी सार

कानून और व्यवस्था बनाये रखने और अपराधों और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों पर प्रभावी जांच/नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए एक कुशल पुलिस बल आवश्यक है। कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है और इसलिए, राज्य पुलिस का आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण, राज्य सरकार का प्राथमिक उत्तरदायित्व है। हालांकि, गृह मंत्रालय ने उपकरण, संसाधनों और प्रौद्योगिकी की उपलब्धता में कमियों की पहचान और इसके लिये राज्य पुलिस को आधुनिक बनाने हेतु राज्य सरकार के प्रयासों को परिपूर्ण करने के लिये पुलिस बल के आधुनिकीकरण (एम०पी०एफ०) की एक योजना शुरू की। पुलिस बल के आधुनिकीकरण योजना को केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा मिल कर सहभागिता के आधार पर वित्त पोषित किया जाता है।

पुलिस बल के आधुनिकीकरण योजना का उद्देश्य गतिशीलता, हथियार, संचार और उपकरण, प्रशिक्षण, विधि विज्ञान प्रयोगशाला और भवनों के संदर्भ में पुलिस बल का आधुनिकीकरण करना है। राज्य पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए 2011–16 की अवधि में पुलिस बल के आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत ₹ 462.87 करोड़ का व्यय किया गया था। पुलिस बल के आधुनिकीकरण योजना के अंतिरिक्त, राज्य सरकार ने अपने बजट से भी 2011–16 की अवधि में अपने पुलिस बल को मजबूत करने के लिए आधारभूत ढांचे के विकास, वाहनों के क्रय, हथियार, गोला-बारूद, उपकरण, प्रशिक्षण आदि के लिए अपने स्वयं के बजट से ₹ 2276.31 करोड़ का व्यय किया।

इसलिये लेखापरीक्षा ने पुलिस बल के आधुनिकीकरण योजना एवं राज्य वित्त द्वारा पोषित पुलिस के आधुनिकीकरण एवं सशक्तीकरण से सम्बंधित गतिविधियों की दक्षता एवं प्रभावशीलता के मूल्यांकन तथा आधुनिकीकरण प्रयासों की कमियों की पहचान तथा राज्य सरकार को सुधारात्मक उपाय करने के लिए उपयुक्त संस्तुतियां देने के लिए इस निष्पादन लेखापरीक्षा को लिया है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए योजना शुरू करने के कई दशकों के बाद भी राज्य पुलिस अभी भी अप्रचलित हथियारों और पुरानी संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। गश्त और अन्य उद्देश्यों के लिए पुलिस बल की गतिशीलता, वाहनों की अत्यधिक कमी और अपने पुराने पड़ चुके वाहनों के कारण गम्भीर रूप से विवश है। आतंकवाद निरोधी अभियानों को संभालने के लिए विशेष कमाण्डो बल और कमाण्डो प्रशिक्षण केन्द्र अभी तक स्थापित नहीं हुए हैं। नमूनों की जांच के लिए अनुरोधों की बढ़ती संख्या को संभालने के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशालाएं पूरी तरह से असुसज्जित हैं। यातायात पुलिस के पास बहुत कम संख्या में अधिकारी हैं और तेजी से बढ़ते यातायात और बढ़ते सड़क संजाल की निगरानी एवं नियंत्रण करने के लिए उपकरणों का अभाव है। राज्य को उन्नत प्रशिक्षण हेतु, पुलिस प्रशिक्षण स्थापना में क्षमता एवं आधुनिक प्रशिक्षण अवस्थापना सम्बन्धी गम्भीर कमियां हैं। पुलिस बल के सभी विभागों में उपकरणों की खरीद में देरी, अक्षमताएं, समय और लागत में गम्भीर वृद्धि परिलक्षित हुई है।

राज्य में अभी भी लगभग आवश्यक संख्या के सापेक्ष मात्र 50 प्रतिशत थाने हैं। पुलिस कर्मियों के लिए आवासीय एवं अनावासीय भवनों की भारी कमी है एवं निर्माण एजेंसियों द्वारा पुलिस परियोजनाओं को पूरा करने में असामान्य देरी हुई है। राज्य पुलिस बल के लिए 50 प्रतिशत से

कम स्वीकृत मानव शक्ति के साथ कानून और व्यवस्था बनाये रखने और अपराधी, माफिया और नक्सली गतिविधियों को नियंत्रित करना राज्य पुलिस बल के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। हाल के वर्षों में आपराधिक तत्वों, नक्सल, आतंकवादियों आदि द्वारा इस्तेमाल की गई अत्याधुनिक तकनीक एवं अपराध की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए, राज्य और केन्द्रीय दोनों के संसाधनों से राज्य पुलिस बल के आधुनिकीकरण की गति को तेज करने की बहुत आवश्यकता है।

हमारे विस्तृत लेखापरीक्षा जांच परिणाम एवं निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

अध्याय 2—नियोजन और वित्तीय प्रबंधन

- केन्द्रीय और राज्य दोनों सरकारों ने पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए केंद्रीय योजना के लिए अपना निर्धारित अंश अवमुक्त नहीं किया। भारत सरकार ने देय अंश का केवल ₹ 496.84 करोड़ (70 प्रतिशत) और उत्तर प्रदेश शासन ने केवल ₹ 162.60 करोड़ (38 प्रतिशत) अवधि 2011–16 में जारी किया।

(प्रस्तर 2.3.1)

- 2011–16 की अवधि में पुलिस बल के आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए आवंटित ₹ 1,165 करोड़ रुपये के 41 प्रतिशत का उपयोग विभाग नहीं कर सका।

(प्रस्तर 2.3.2)

- राज्य सरकार ने 2011–16 के दौरान राज्य पुलिस के आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए अपने बजट से ₹ 3,152.26 करोड़ रुपये जारी किए थे लेकिन पुलिस विभाग केवल ₹ 2,276.31 करोड़ (72 प्रतिशत) का उपयोग कर सका। कार्य के क्रियान्वयन में खामियों एवं उपकरणों की खरीद में देरी के कारण शेष ₹ 875.95 करोड़ (28 प्रतिशत) का समर्पण किया गया।

(प्रस्तर 2.4)

अध्याय 3—अस्त्र—शस्त्रों का आधुनिकीकरण

- पुलिस बल के आधुनिकीकरण योजना के तहत ₹ 69.91 करोड़ की मांग के सापेक्ष, मात्र ₹ 38.31 करोड़ (55 प्रतिशत) आवंटित किये गए और ₹ 32.99 करोड़ (86 प्रतिशत) 2011–16 की अवधि में हथियारों और गोला—बारूद की क्रय पर व्यय किया गया था। इस प्रकार आधुनिक अस्त्र—शस्त्रों की राज्य पुलिस की आवश्यकता पूरी नहीं हो पाई।

(प्रस्तर 3.2.1)

- राज्य पुलिस द्वारा प्रयुक्त हथियारों के अप्रचलित होने तथा आपराधिक तत्वों नक्सल, आतंकवादियों आदि द्वारा उपयोग की जा रही अत्याधुनिक तकनीक के बावजूद पुलिस महानिदेशक ने राज्य पुलिस की शस्त्र नीति के संशोधन के लिए गृह मंत्रालय के 1995 के प्रस्ताव का उत्तर तैयार करने में 17 वर्ष लगा दिए। राज्य सरकार ने गृह मंत्रालय को इसे प्रस्तुत करने में चार साल और लगाया, जिससे पुलिस के आधुनिकीकरण, कानून और व्यवस्था बनाये रखने और नागरिकों की सुरक्षा से संबंधित प्रकरणों को निपटाने में अत्यधिक उदासीन रुख का संकेत मिलता है।

(प्रस्तर 3.3)

- राज्य में लगभग 48 प्रतिशत पुलिस बल अब भी प्लाइन्ट 303, बोर राइफल का उपयोग कर रहा है, जिसे 20 साल से अधिक समय से गृह मंत्रालय द्वारा अप्रचलित घोषित किया जा चुका था।

(प्रस्तर 3.5)

- राज्य पुलिस में स्वचालित पिस्तौल और कार्बाइन्स के 9 मिमी कारतूस एवं गोला बारूद की भारी कमी है, जिसका उपयोग प्रशिक्षण, वीआईपी सुरक्षा के साथ—साथ जिला सशस्त्र पुलिस द्वारा किया जाता है।

(प्रस्तर 3.7)

- केन्द्रीय भण्डार सीतापुर जिसमें राज्य में हथियारों और गोला—बारूद के लिए एकमात्र भंडारण सुविधा उपलब्ध है, में आधुनिकीकरण की कोई भी गतिविधि नहीं हुई है। केन्द्रीय भण्डार में उचित भंडारण भवनों, अग्नि सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी प्रणाली की कमी थी, इसलिए, करोड़ों रुपए के हथियार एवं गोला बारूद क्षति, चोरी, अग्नि आदि के जोखिम में थे।

(प्रस्तर 3.8)

अध्याय 4—संचार प्रणाली का आधुनिकीकरण

- पुलिस बल के आधुनिकीकरण के तहत संचार उपकरणों की खरीद के लिए प्राप्त ₹ 136.51 करोड़ में से, क्रय आदेश का अन्तिमीकरण नहीं होने के कारण विभाग आवंटन का मात्र 41 प्रतिशत उपयोग कर सका।

(प्रस्तर 4.3)

- राज्य पुलिस में हस्तचालित सेटों की अत्यधिक कमी थी। मानदंडों के अनुसार लगभग 48 प्रतिशत पुलिस बल को हस्तचालित सेट प्रदान नहीं किया गया था।

(प्रस्तर 4.4)

- 50,216 की कुल उपलब्धता में, 33,860 सेटों की निर्धारित अवधि समाप्त हो गई थी। इन सेटों को प्रतिस्थापित करने की जरूरत थी लेकिन नए सेटों की खरीद न होने के कारण अब भी उनका उपयोग किया जा रहा है।

(प्रस्तर 4.5)

- समय से स्पेक्ट्रम चार्जेज का भुगतान न किये जाने के कारण, वर्ष 2004–17 के दौरान वायरलेस प्लानिंग सेल द्वारा ₹ 104.47 करोड़ का विलम्ब शुल्क आरोपित किया गया जिसमें से विभाग द्वारा सितम्बर, 2015 में ₹ 57.66 करोड़ का भुगतान किया गया।

(प्रस्तर 4.6)

- पोलनेट एक उपग्रह आधारित संचार व्यवस्था है जिसे प्रदेश के 56 जनपदों में भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2003–04 में स्थापित किया गया था। मात्र 38 (67 प्रतिशत) जनपदों में पोलनेट कार्यरत पाए गए, शेष 18 जनपदों में वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध न होने के कारण पोलनेट कार्यरत नहीं थे।

(प्रस्तर 4.9)

- 15 टेस्ट चेक किए गए जिलों में निगरानी परीक्षण के लिए स्थापित 691 क्लोज सर्किट टेलीविजन कैमरा (सीसीटीवी) में से 39 प्रतिशत तकनीकी दोषों के कारण या वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध (एएमसी) की कमी के कारण क्रियाशील नहीं पाए गए। इतनी बड़ी संख्या में सीसीटीवी कैमरों की असफलता ने आम लोगों के जीवन को खतरे में डाल दिया और महत्वपूर्ण स्थानों की सुरक्षा में भी समझौता किया।

(प्रस्तर 4.12)

- अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम (सीसीटीएनएस) अभी भी पूरी तरह से परिचालित नहीं किया गया है। पुलिस अभी भी अपराध जाँच, खोज और अभियोजन और नागरिक केंद्रित पोर्टल सेवाओं के लिए इस प्रणाली का उपयोग नहीं कर रही है। राज्य में

“अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम” प्रणाली के कार्यान्वयन में काफी देरी हुई है।

(प्रस्तर 4.16)

अध्याय 5—पुलिस मोबिलिटी में सुधार

- राज्य पुलिस के पास पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआर एण्ड डी) के मानकों के विपरीत कुल मिलाकार 27 प्रतिशत पुलिस वाहनों की कमी है। मानकों की तुलना में सिविल पुलिस में मध्यम पुलिस वाहनों की कमी (गश्त के लिए उपयोग की जाने वाली) 68 प्रतिशत और प्रांतीय सशस्त्र दल में 75 प्रतिशत थी। इस प्रकार, विशेष रूप से गश्त कार्यों के लिए पुलिस की पर्याप्त गतिशीलता सुनिश्चित नहीं की गई, जो कानून व्यवस्था बनाये रखने, अपराध को नियंत्रित करने और पीड़ितों को तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए आवश्यक थी।

(प्रस्तर 5.2)

- जनपदों में पुलिस के वाहनों की अविवेकपूर्ण तैनाती थी 43 जिलों में 11 से 46 प्रतिशत तक पुलिस वाहनों की कमी थी, जबकि शेष 32 जिलों में अतिरिक्त वाहन थे या केवल मामूली कमी थी।

(प्रस्तर 5.3)

- 2015–16 के दौरान कुल निष्प्रयोज्य वाहनों का केवल 10 प्रतिशत प्रतिस्थापित किया गया और 1,847 निष्प्रयोज्य वाहनों का 2015–16 के अंत में प्रतिस्थापन किया जाना प्रतीक्षित था।

(प्रस्तर 5.7)

- जनपद पुलिस के वाहनों की गंभीर कमी के बावजूद, विभाग ने ग्यारह जनपदों के 18 निष्प्रयोज्य वाहनों के सापेक्ष माननीय मुख्य मंत्री की सुरक्षा के लिए दस बुलेटप्रूफ टाटा सफारी और आठ सामान्य सफारी वाहनों को क्रय किया, इस प्रकार जिला पुलिस को उनके स्वीकृत वाहनों से वंचित किया गया। सरकार ने पूर्व स्वीकृत लैण्ड क्रूजर के स्थान पर माननीय मुख्यमंत्री की सुरक्षा के लिए अधिक महंगे और विलासमय वाहनों (मर्सिडीज मॉडल एम–गार्ड) के क्रय पर ₹ 3.66 करोड़ का परिहार्य व्यय किया।

(प्रस्तर 5.7.1)

- कार्यशाला द्वारा मरम्मत किये गये वाहनों की संख्या में अत्यधिक कमी के कारण विगत सात वर्षों में पुलिस ऑटोमोटिव कार्यशाला में प्रति वाहन की मरम्मत की लागत आठ गुना बढ़ गई थी, जिससे कार्यशाला का परिचालन आर्थिक रूप से अव्यवहारिक हो गया।

(प्रस्तर 5.11)

अध्याय 6—विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण

- विभाग, परिप्रेक्ष्य/भावी योजना 2011–16 के परिकल्पना के अनुसार विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण करने में विफल रहा। राज्य में केवल 44 प्रतिशत जिलों को मोबाइल फोरेंसिक वैन के साथ सुसज्जित किया जा सका था और 500 में से किसी भी वृत्त में यह सुविधा नहीं प्रदान नहीं की जा सकी थी। योजना के अनुरूप वर्तमान विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं में नये अनुभागों को भी नहीं खोला गया था।

(प्रस्तर 6.2)

- क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं के लिए मूल आधारभूत सुविधाओं के निर्माण के लिए कार्यों की मंजूरी और निष्पादन में अत्यधिक देरी हुई है और इसलिए, पांच में से चार क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं को क्रियाशील नहीं किया जा सका था।

(प्रस्तर 6.2)

- विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं में आधुनिक उपकरणों की कमी थी। हालांकि लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि विभाग प्रयोगशाला उपकरणों की खरीद के लिए आवंटित धन के 55 प्रतिशत का उपयोग करने में विफल रहा क्योंकि निविदाओं को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका था।

(प्रस्तर 6.3)

- वर्तमान चार विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं के पास तकनीकि कर्मचारियों की भारी कमी थी, जिससे प्रयोगशालाओं में नमूनों के फॉरेंसिक परीक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। 2012–13 से 2015–16 के दौरान कर्मचारियों की कमी 47 से बढ़कर 67 प्रतिशत हो गई जिससे लम्बित नमूनों की स्थिति और भी खराब हो गयी।

(प्रस्तर 6.5)

- विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं की सुविधाएं राज्य में अपर्याप्त रही। जनवरी 2011 तक लखनऊ, आगरा और वाराणसी विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं में परीक्षा के लिए 6,617 से अधिक नमूने लंबित थे जो मार्च 2016 तक बढ़कर 15,033 हो गए।

(प्रस्तर 6.6)

अध्याय 7—प्रशिक्षण स्थापना का आधुनिकीकरण और संवर्धन

- 2011–16 के दौरान प्रशिक्षण उपकरणों की खरीद के लिए किए गए धन के कुल आवंटन का 80 प्रतिशत (25.65 करोड़) प्रक्रिया और खरीद को अंतिम रूप देने में विलम्ब कारण समर्पित कर दिए गए थे।

(प्रस्तर 7.2)

- बड़ी संख्या में महत्वपूर्ण उपकरण जैसे इंटरेक्टिव आग्नेयास्त्र सिम्युलेटर, साइबर अपराध प्रयोगशाला उपकरण आदि के लिये निविदा के अंतिमीकरण में विलम्ब के कारण नहीं खरीदे जा सके थे। अग्रेतर, एएमसी की प्रत्याशा में आठ प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण के लिए उपयोग किए गए 10 में से छह आग्नेयास्त्र सिम्युलेटर, वर्ष 2012 से फरवरी 2016 तक काम नहीं कर रहे थे। परिणामस्वरूप, पुलिस बल आधुनिक प्रशिक्षण सहायता सहित प्रशिक्षण के लाभ से वंचित था।

(प्रस्तर 7.2 और 7.9)

- राज्य में वर्तमान प्रशिक्षण केन्द्रों की प्रशिक्षण क्षमता 2011–16 के दौरान 63 से 65 प्रतिशत की कमी के साथ अत्यधिक अपर्याप्त है। ले-आउट प्लान में बदलाव और भवनों के डिजाइन एवं ड्राइंग और काम की धीमी प्रगति के कारण मार्च 2017 तक विभाग कांशीराम नगर, जालौन और सुल्तानपुर में तीन पुलिस प्रशिक्षण विद्यालयों (पीटीएस) को स्थापित करने में विफल रहा।

(प्रस्तर 7.3)

- 2011–16 के दौरान पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों/विद्यालयों/केन्द्रों में 36 से 68 प्रतिशत तक की आन्तरिक अनुदेशकों की भारी कमी थी तथा 2011–14 के दौरान बाह्य अनुदेशक के पद अधिक (19 प्रतिशत) थे। प्रशिक्षण संस्थान की अपर्याप्त क्षमता और आन्तरिक प्रशिक्षण के अनुदेशक पदों में कमी से राज्य में पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था।

(प्रस्तर 7.4)

अध्याय 8—विशेष पुलिस बल का आधुनिकीकरण

विशेष प्रयोजनों और जरूरतों के लिए, उत्तर प्रदेश पुलिस बल के अन्तर्गत कई पुलिस इकाइयां स्थापित की गई हैं। इस निष्पादन लेखापरीक्षा में, तीन विशेष पुलिस बलों अर्थात् आतंकवाद निरोधी दस्ता (एटीएस), प्रांतीय सशस्त्र बल (पीएसी), विशेष कार्य बल (एसटीएफ) के विस्तृत लेखा परीक्षा के लिए चुना गया था। हमारे मुख्य निष्कर्षों का सारांश नीचे दिया गया है:

आतंकवाद निरोधी दस्ता

- देश में विभिन्न आतंकवादी हमलों के बाद, उत्तर प्रदेश पुलिस ने (जून 2009) एटीएस के तहत 2000 कमाण्डो के कमाण्डो यूनिट और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) की तरह चार कमाण्डो केंद्रों की स्थापना के लिए फैसला किया ताकि ऐसी स्थिति से प्रभावी ढंग से निपट सके। 2000 की प्रस्तावित कमाण्डो मानवशक्ति अब भी उ०प्र० शासन द्वारा स्वीकृत नहीं हुई है और यह प्रस्ताव दिसंबर 2009 के बाद से सरकार के पास लंबित है। अन्तर्रिम उपाय के तौर पर, कमाण्डो संचालन के लिए एटीएस के साथ केवल प्रारंभिक कमाण्डो ट्रेनिंग वाले 79 पीएसी कर्मियों को तैनात किया गया है (सितंबर 2016)। इसलिए, कमाण्डो संचालन के लिए इस विशेष पुलिस बल को मजबूत बनाने के लिए पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया है।

(प्रस्तर 8.1.1 और 8.1.3)

- जून 2011 में स्वीकृत कमाण्डो ट्रेनिंग स्कूल (सीटीएस) का निर्माण जमीन की अनुपलब्धता और काम की धीमी गति से निर्धारित समय सीमा के तीन वर्ष पूर्ण होने के पश्चात् भी अभी भी पूरा नहीं हुआ है। परियोजना की लागत में ₹ 12.49 करोड़ वृद्धि हुई है।

राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड्स की तरह पर आगरा, लखनऊ, मेरठ और वाराणसी में चार कमाण्डो केंद्र, जहां कमाण्डो ऑपरेशन के लिए जब और जहां आवश्यक हो कमाण्डो (प्रशिक्षण के उपरान्त) को तैनात किया जा सके जबकि सितंबर 2016 तक स्थापित नहीं किये गये थे। क्योंकि भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया था।

(प्रस्तर 8.1.1)

- उ०प्र० शासन ने जनवरी, 2010 में लखनऊ में एक अस्थायी कमाण्डो प्रशिक्षण विद्यालय प्रारंभ करने का निर्णय लिया। वर्ष 2009–12 के दौरान 228 कार्मिकों को पूर्व प्रवेश पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया गया तथा वर्ष 2012–16 के दौरान कोई प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया। इस प्रकार, योजना के अनुरूप विपरीत परिस्थितियों, यथा आतंकवादी हमलों से प्रभावी ढंग से निबटने के लिए पर्याप्त संख्या में कमाण्डो को प्रशिक्षण नहीं दिया गया।

(प्रस्तर 8.1.2)

- पुलिस बल द्वारा परिचालन गतिविधियों के सफल संचालन के लिए हथियारों और गोला—बारूद की उपलब्धता सबसे महत्वपूर्ण है। शस्त्र जैसे 9 मिमी एमपी 5, 12 बोर पम्प एक्शन गन (पीएजी), स्टन ग्रेनेड और यूबीजीएल को 2013–15 में एटीएस के लिए पहली बार प्रदान किया गया था, लेकिन इन हथियारों के लिए गोला बारूद भी उपलब्ध नहीं कराया गया है।

(प्रस्तर 8.1.5)

प्रादेशिक सशस्त्र बल (पीएसी)

- 2015–16 के अंत में पीएसी में समूह 'ब' राजपत्रित अधिकारियों (उप कमांडेंट, सहायक कमांडेंट) में 61 प्रतिशत की कमी थी। यह पीएसी द्वारा हिंसा, सांप्रदायिक दंगे आदि के अतिशय मामलों से निपटने में अपने कर्तव्यों के प्रभावी निर्वहन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

(प्रस्तर 8.2.1)

- एमपीएफ योजना के अंतर्गत उपकरण की खरीद के लिए 2011–16 के दौरान पीएसी को आवंटित ₹ 43.71 करोड़ में से, केवल ₹ 31.55 करोड़ का उपयोग किया जा सका था क्योंकि क्रय को अंतिम रूप नहीं दिया गया था। फलस्वरूप, बुलेट प्रूफ जैकेट, बुलेट प्रूफ हेलमेट, शिन गार्ड के साथ शरीर रक्षक, पॉलीकार्बोनेट ढाल और लेन सिम्युलेटर जैसे महत्वपूर्ण उपकरण नहीं क्रय किये जा सके और न ही पी.ए.सी. को उपलब्ध कराये जा सके।

(प्रस्तर 8.2.4)

विशेष कार्य बल (एसटीएफ)

- एसटीएफ, जो कि राज्य में संगठित अपराधियों और माफिया को नियंत्रित करने के उद्देश्य से गठित था, में स्वीकृत पदों के 50 प्रतिशत से अधिक पद रिक्त थे।

(प्रस्तर 8.3.1)

अध्याय 9—यातायात पुलिस आधुनिकीकरण

- मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत जुर्माना और अर्थदण्ड लगाने के माध्यम से राज्य पुलिस ने पर्याप्त राजस्व अर्जित करने के लिए पर्याप्त उपाय नहीं किए गये थे। यह मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 2011–16 की अवधि में ₹ 535.56 करोड़ के भावी योजना लक्ष्य के सापेक्ष मात्र ₹ 125.48 करोड़ (23.43 प्रतिशत) संग्रह करने में सफल रहा। इसलिए, यातायात पुलिस के पास आधुनिकीकरण के लिए पर्याप्त निधि नहीं थी।

(प्रस्तर 9.2)

- राज्य में पंजीकृत वाहनों की संख्या में 1985 से 2015 तक 2256 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, परन्तु वर्ष 1985–86 से यातायात पुलिस के स्वीकृत पद संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। स्वीकृत पदों के सापेक्ष यातायात निरीक्षक, उप-निरीक्षक यातायात और आरक्षी यातायात संवर्ग में 71 से 93 प्रतिशत की कमी थी।

(प्रस्तर 9.3)

अध्याय 10—पुलिस आवासीय/गैर आवासीय भवन का निर्माण

राज्य पुलिस बल को बेहतर रहने और काम करने के वातावरण प्रदान करने के लिए सभी बुनियादी सुविधाओं के साथ अच्छी तरह से सुरक्षित आवासीय, प्रशासनिक और अन्य इमारतों का निर्माण पुलिस बल के आधुनिकीकरण की योजना के प्रमुख क्षेत्रों में से एक है।

- पुलिस के लिए आवासीय और अनावासीय भवनों के निर्माण में अत्यधिक विलम्ब हो रहा था। वर्ष 1995 से मार्च 2014 के दौरान स्वीकृत 1048.73 करोड़ रुपये के 616 कार्य मार्च 2016 तक पूरे किये जाने थे, केवल 393 कार्य (64 प्रतिशत) को ₹ 482.15 करोड़ व्यय के साथ पूर्ण किया गया था और शेष 223 कार्य (36 प्रतिशत) अभी तक अपूर्ण थे।

(प्रस्तर 10.2)

- निर्माण एजेंसियों द्वारा काम की धीमी गति से निष्पादन के कारण 2011–16 की अवधि में आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण पर ₹ 712.86 करोड़ (25 प्रतिशत बजट आवंटन) का उपयोग विभाग द्वारा नहीं किया जा सका।

(प्रस्तर 10.2.1)

- उत्तर प्रदेश सरकार ने निविदाओं को आमंत्रित किए बिना नामांकन आधार पर नौ सरकारी निर्माण एजेंसियों को ₹ 2,920.62 करोड़ की लागत वाले 2068 कार्य सौंपे गये थे। प्रतिस्पर्धा के बिना नामांकन के आधार पर ऐसे उच्च मूल्य संविदाओं को सौंपना, प्रभावहीनता,

मनमानापन को प्रोत्साहित करता है एवं गुणवत्ता नियंत्रण में सुधार और लागत नियंत्रण को लागू करने की आवश्यकता की अनदेखी करता है।

(प्रस्तर 10.2.2)

- राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को उनके विगत में खराब प्रदर्शन को नजरअंदाज करते हुए ₹ 983.51 करोड़ (2014–16) के दौरान प्रदान किए गए कार्यों के कुल मूल्य का 54 प्रतिशत) के 12 प्रमुख कार्यों को आवंटित किया। ऐसे 1995 से 2012 के बीच दिए गए कार्यों को 51 प्रतिशत कार्य (मार्च 2017 तक) भी पूरा नहीं कर सकी।

(प्रस्तर 10.2.3)

- भवनों के निर्माण के लिए कार्य सौंपते समय विभाग ने निर्माण एजेंसियों की कार्यभार क्षमता का सत्यापन नहीं किया। परिणामस्वरूप, वर्ष 2015–16 के मध्य चार निर्माण एजेंसियों को ₹ 119.25 करोड़ की लागत वाले 56 कार्य सरकार द्वारा अधिसूचित उनकी अधिकतम क्षमता से अधिक था।

(प्रस्तर 10.2.4)

- विभाग ने निर्माण एजेंसियों को काम के निष्पादन के लिए धन मुहैया कराया तथा समयसीमा, कार्यों की लागत, कार्यान्वयन की शर्तें, भुगतान जारी करने और देरी के मामले में दंड लागू करने, अधोमानक कार्यों के निष्पादन की शर्तों को समाहित करते हुए सहमति ज्ञापन (एम.ओ.यू.) नहीं निष्पादित किया। लेखापरीक्षा द्वारा जांच की गई ₹ 328.84 करोड़ की लागत वाले 27 कार्यों में से, अभी भी ₹ 233.12 करोड़ के 12 कार्यों में एमओयू पर अभी भी हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं।

इस प्रकार बजट पुस्तिका के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया और समय और लागत की वृद्धि के मामलों में तथा निर्माण एजेंसियों द्वारा काम के अधोमानक गुणवत्ता के निष्पादन के सम्बन्ध में सरकार के हितों की सुरक्षा नहीं हो पाई।

(प्रस्तर 10.2.5)

- लोक निर्माण विभाग नियमावली में निर्धारित कार्य को पूर्ण करने में विलम्ब के लिए अर्थदण्ड हेतु 10 प्रतिशत की अधिकतम दर के सापेक्ष विभाग ने विलम्ब के लिए एक प्रतिशत अर्थदण्ड का प्रावधान किया था। पुनः निर्माण अभिकरणों द्वारा लगभग सभी कार्यों में अत्यधिक विलम्ब के बावजूद, दोषी निर्माण अभिकरणों से एक प्रतिशत भी अर्थदण्ड की धनराशि वसूल नहीं की गयी थी। इस प्रकार निर्माण अभिकरणों को ₹ 0 75.71 करोड़ का अनुचित लाभ प्रदान किया गया।

(प्रस्तर 10.2.5)

- राज्य में केवल 1,460 पुलिस थाने हैं और यहाँ 1,115 थानों (44 प्रतिशत) की कमी है, जिसमें से ग्रामीण क्षेत्रों में 41 प्रतिशत, थानों और नगरीय क्षेत्रों में 51 प्रतिशत पुलिस थानों की कमी थी।

(प्रस्तर 10.5.1)

- 2013–14 तक महिला आरक्षी के लिए बैरकों हेतु स्वीकृति नहीं दी गई। 2014–15 तक स्वीकृत 249 बैरकों में से केवल 130 बैरक (52 प्रतिशत) बैरकों को पूर्ण किया गया था जिसमें चार महिला बैरक समिलित थे (मार्च 2016)।

(प्रस्तर 10.6)

- मार्च 2015 तक 1,25,998 आवासों की आवश्यकता के सापेक्ष 59,453 (48 प्रतिशत) की कमी थी तथा 68874 कर्मियों के बैरक की आवश्यकता के सापेक्ष 18,259 (26 प्रतिशत) कर्मियों के लिए बैरक की कमी थी।

(प्रस्तर 10.7.1)

- राज्य सरकार ने 1998–2016 की अवधि में टाइप I, II, & III आवासीय क्वार्टर्स के 59,453 की आवश्यकता के सापेक्ष 5,156 आवास (आवश्यकता का 9 प्रतिशत) को स्वीकृति प्रदान की। पाँच से 18 वर्ष बीतने के पश्चात वर्ष 1998 से 2011 के मध्य स्वीकृत 1,332 आवासी इकाईयों अभी भी अपूर्ण थीं (मार्च 20,156)।

(प्रस्तर 10.7.2)

अध्याय 11—अपराध के मामले एवं पुलिस तैनाती

- भारतीय दण्ड संहिता और एसएलएल श्रेणियों के अन्तर्गत अपराध की घटनाएं 2011–15 में क्रमशः 24 और 35 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी दर्शाती हैं।

(प्रस्तर 11.1)

- प्रत्येक जनपद में एक साइबर अपराध पुलिस स्टेशन की स्थापना के प्रस्ताव (सितंबर 2012) के सापेक्ष, मार्च 2016 तक साइबर अपराधों की जांच के लिए राज्य में मात्र दो (लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर) साइबर अपराध पुलिस स्टेशन (मार्च 2016) स्थापित किए गए थे।

(प्रस्तर 11.2)

- राज्य में 1 अप्रैल 2015 तक 3,77,474 की स्वीकृत संख्या के सापेक्ष मात्र 1,80,649 पुलिस कार्मिक (48 प्रतिशत) उपलब्ध थे। उप निरीक्षकों और आरक्षी के क्रमशः 52 और 55 प्रतिशत पद रिक्त हैं।

(प्रस्तर 11.3 और 11.4.1)

- विभाग में पुलिस कर्मियों की भर्ती के लिए अधियाचन को, पुलिस भर्ती और चयन बोर्ड (बोर्ड) जारी करने में काफी देरी हुई थी और बोर्ड ने आवेदन आमंत्रित करने, परीक्षाओं का आयोजन करने और भर्ती करने में तीन से छह साल का अनावश्यक रूप से लंबा समय लगाया। इससे पुलिस बल में कमी की समस्या में वृद्धि हुई, जिससे कानून और व्यवस्था के बनाये रखने पर गंभीर प्रभाव पड़ा।

(प्रस्तर 11.4.1)

अध्याय १

प्रस्तावना

अध्याय 1

प्रस्तावना

1.1 प्रस्तावना

कानून व्यवस्था की स्थापना एवं अपराध पर प्रभावी रोक के लिए एक दक्ष पुलिस बल आवश्यक है। कानून एवं व्यवस्था एक राज्य विषय है इसलिए पुलिस, सम्बन्धित कार्य एवं विविध पुलिस मामले राज्य सरकार के अधीन आते हैं। राज्य पुलिस की भूमिका एवं कर्तव्य मुख्य रूप से निष्पक्ष ढंग से कानून को लागू करना एवं बनाये रखना एवं जन सदस्यों के जीवन, स्वतंत्रता, सम्पत्ति, मानव अधिकार एवं गरिमा की सुरक्षा करना, आंतरिक सुरक्षा की रक्षा करना, आतंकवादी गतिविधियों को नियंत्रित करना एवं रोकना, अपराध रोकना, उनकी जानकारी में आये संज्ञेय अपराध को पंजीकृत करना एवं जाँचना, मार्गों एवं राजमार्गों के यातायात को नियंत्रित करना एवं व्यवस्थित करना एवं पुलिस कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना, प्रेरित करना एवं उनका कल्याण सुनिश्चित करना है। उत्तर प्रदेश में, राज्य पुलिस 2,43,286 वर्ग किमी के भौगोलिक क्षेत्र में फैली 21 करोड़ से अधिक की आबादी की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है परन्तु स्वीकृत जनशक्ति से 50 प्रतिशत कम की वास्तविक संख्या के साथ अपर्याप्त जनशक्ति से बाधित है। राज्य में अपराध की घटनाओं की संख्या अधिक है, फिर भी राज्य पुलिस अप्रचलित हथियारों जैसे कि लाठी, 303 बोर राइफल आदि एवं पुरानी पड़ चुकी तकनीक उपयोग कर रही थी जबकि पुलिस बल की आधुनिकीकरण योजना प्रारम्भ हुए दशकों व्यतीत हो चुके थे। पुलिस शोध एवं विकास ब्यूरो के मानकों के अंतर्गत, जनपद में 2,615 पुलिस थानों की आवश्यकता के विरुद्ध, सिविल पुलिस थानों की संख्या 1,460 थी।

अपराध की घटनाओं की संख्या अधिक होने एवं अपराधी तत्वों, नक्सली, आतंकवादियों द्वारा हाल के वर्षों में उपयोग की गई परिष्कृत तकनीक को देखते हुए केन्द्रीय एवं राज्य दोनों संसाधनों से राज्य पुलिस के आधुनिकीकरण को बढ़ाने की अधिक आवश्यकता है।

पुलिस बल की आधुनिकीकरण योजना (एम०पी०एफ०) भारत सरकार द्वारा 1969–70 में प्रारम्भ की गई थी जिसकी मार्गदर्शिका फरवरी 2013 में पुनरीक्षित की गई थी एवं समय–समय पर जारी की गयी थी। एमपीएफ योजना का मुख्य उद्देश्य आन्तरिक सुरक्षा एवं शान्ति व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सेना एवं केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों पर राज्य की निर्भरता को कम करना था। योजना का आधुनिक उपकरणों, संसाधनों एवं तकनीक द्वारा राज्य पुलिस को अधिक दक्ष एवं प्रभावी बनाना था। एम०पी०एफ० योजना केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा 2005–12 की अवधि में 75:25 के अनुपात में अंश के आधार पर वित्त पोषित थी जो 2012–13 से 2016–17 के लिए 60:40 के रूप में पुनरीक्षित की गई थी। एम०पी०एफ० योजना के अंतर्गत भारत सरकार से निधियां प्राप्त करने के अतिरिक्त राज्य सरकार पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए अपने बजट से भी निधियाँ नियत करती हैं।



वार्षिक योजना में अनुमोदित निधियों के विरुद्ध 2011–12 से 2015–16 तक एमोपी०एफ० पर व्यय ₹ 462.87 करोड़ था। एमोपी०एफ० योजना में राज्य सरकार अपने अंश के अतिरिक्त, पुलिस बल को सुदृढ़ करने के लिए आधारभूत संरचना के विकास, वाहनों, अस्त्र-शस्त्र, उपकरण प्रशिक्षण की प्राप्ति के लिए अपने सामान्य बजट से भी व्यय कर रही थी। पुलिस आधार भूत संरचना के सुदृढ़ीकरण के लिए अपने बजट से 2011–16 में राज्य सरकार द्वारा किया गया व्यय (एमोपी०एफ० योजना के अतिरिक्त) ₹ 2,276.31 करोड़ था। इस प्रकार पुलिस आधुनिकीकरण पर 2011–16 की अवधि में कुल व्यय ₹ 2,739.19 करोड़ था (₹ 2,276.31 करोड़ + ₹ 462.87 करोड़)।

चूंकि 2011–15 में राज्य में अपराध की घटनाओं की संख्या में 34 प्रतिशत की बड़ी वृद्धि हुई एवं केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा राज्य पुलिस के आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण पर निधियों की महत्वपूर्ण धनराशि निवेशित की गई, योजना के संचालन की दक्षता एवं प्रभावशीलता को सुनिश्चित करने एवं सुधारात्मक उपायों का सुझाव देने हेतु कमियों को चिह्नित करने के लिए हमने निष्पादन लेखापरीक्षा हेतु पुलिस बलों का आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का विषय चयनित किया।

1.2 संगठनात्मक संरचना

शासन स्तर पर, विभाग के शीर्षस्थ अधिकारी प्रमुख सचिव गृह हैं एवं उत्तर प्रदेश पुलिस के सम्पूर्ण कार्य के लिए पुलिस महानिदेशक (डी.जी.पी.) जिम्मेदार हैं। कानून व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से महानिरीक्षक पुलिस के अधीन राज्य को 8 पुलिस जोन (क्षेत्र) में बांटा गया था। इन क्षेत्रों के अतर्गत उपमहानिरीक्षक के अधीन 18 पुलिस रेन्ज थे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक के नियंत्रणाधीन जिले क्षेत्रीय इकाइयों के रूप में थानों एवं चौकियों में विभक्त थे। अपराध रोकने में दक्षता, उनकी पहचान करने के साथ-साथ स्वयं के प्रशासन में सुदृढ़ीकरण हेतु राज्य पुलिस संगठन 19 महत्वपूर्ण इकाइयों में विभाजित है। संगठनात्मक संरचना परिशिष्ट 1.1 में दर्शाया गया है।

1.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि

- योजना: आधुनिकीकरण योजनाएं, आवश्यकता का सावधानी पूर्वक मूल्यांकन करने के पश्चात, वास्तविक रूप से तैयार की गयी थी।
- वित्तीय प्रबन्धन: वित्तीय प्रबन्धन था एवं जारी की गयी निधियाँ निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए उपयोग की गयी थी।

- मानव संसाधन प्रबन्धन: मानव संसाधन प्रबन्धन था एवं विभाग की आवश्यकता के सुसंगत था।
- परिणाम: राज्य में कानून व्यवस्था की चुनौतियों का सामना करने के लिए पुलिस बल पर्याप्त रूप से आधुनिक, सुसज्जित एवं प्रशिक्षित था। एवं
- राज्य पुलिस बल के आधुनिकीकरण की प्रगति प्रभावी ढंग से अनुश्रवित थी।

1.4 लेखापरीक्षा के मापदण्ड

निष्पादन लेखापरीक्षा में अपनायी गयी लेखापरीक्षा मापदण्डों के प्रमुख स्रोत निम्नवत् थे:

- गृह मंत्रालय द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धान्त, अनुवर्ती सुधार, परिपत्र तथा आदेश
- पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के अध्ययन प्रपत्र
- राज्य सरकार की सामरिक योजना, परिप्रेक्ष्य योजना, वार्षिक कार्ययोजना, परिपत्र तथा आदेश
- राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आवधिक प्रतिवेदन तथा विवरण
- भारत सरकार, राज्य सरकार, पुलिस विभाग द्वारा जारी परिपत्र, निर्देश एवं सरकारी आदेश

1.5 लेखापरीक्षा आच्छादन एवं क्रियाविधि

निष्पादन लेखापरीक्षा प्रमुख सचिव गृह के साथ 11 मार्च 2016 को परिचयात्मक बैठक के साथ शुरू हुई, जिसमें पुलिस महानिदेशक तथा अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय) भी उपस्थित थे एवं इसमें सम्प्रेक्षा क्रियाविधि, आच्छादन, उद्देश्य तथा मापदण्ड पर चर्चा की गयी। पुलिस बलों का उत्तर प्रदेश में आधुनिकीकरण की अवधारणा एवं राज्य में यह जिस प्रकार से संचालित हुई का सम्प्रेक्षकों से परिचय कराने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन सम्प्रेक्षा शुरू होने के पहले किया गया था। कार्यशाला में वित्त अधिकारी पुलिस मुख्यालय, अनुभाग अधिकारी/आधुनिक सेल एवं उपमहानिरीक्षक (सेवानिवृत्त) द्वारा सक्षिप्त परिचय कराया गया था।

निष्पादन लेखापरीक्षा के अन्तर्गत पुलिस मुख्यालय सशस्त्र सुरक्षा बल (पी.ए.सी), रेडियो, प्रशिक्षण, आतंकवाद विरोधी स्कवाड (ए टी एस), विशेष पुलिस बल (एस टी एफ), सुरक्षा, कानून व्यवस्था के मुख्यालय, परिवहन, लखनऊ स्थित फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, मुरादाबाद स्थित कालेज एवं विद्यालय, पुलिस प्रशिक्षण कालेज, सीतापुर स्थित आयुध डिपो एवं पुलिस मोटर प्रशिक्षण कार्यशाला के अभिलेखों की संवीक्षा नमूना जांच के आधार पर की गयी थी। इसके अतिरिक्त फील्ड स्तर पर नमूना जांच हेतु, राज्य के 75 जिला¹ पुलिस कार्यालयों में से उचित नमूना विधि² से 15 जिलों तथा 60 पुलिस थानों (चयनित प्रति जिला में चार) का चयन किया गया था। सम्प्रेक्षा क्रियाविधि में अभिलेखों की जांच, ऑकड़ों का संग्रह एवं विश्लेषण, सम्प्रेक्षा प्रश्नावली का निर्गमन, इकाईयों का आडिट प्रश्नावली पर प्रतिक्रिया, संयुक्त भौतिक सत्यापन एवं फोटोग्राफिक साक्ष्य शामिल थे। एक समापन

¹ आगरा, इलाहाबाद, देवरिया, गाजियाबाद, झाँसी, कानपुर, कुशीनगर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, प्रतापगढ़, शाहजहाँपुर, सीतापुर एवं सोनभद्र।

² प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्सनल टू साइज विदाउट रिप्लेशमेन्ट।

गोष्टी का आयोजन किया गया था (मई 2017) जिस में राज्य शासन ने तथ्यों एवं आकड़ों एवं सम्प्रेक्षा की अनुशंसा को स्वीकार किया। समापन गोष्टी के परिणाम रिपोर्ट में उचित स्थानों पर शामिल किए गये हैं।

1.6 अभिस्वीकृति

प्रमुख सचिव गृह, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक— पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद, रेडियो मुख्यालय, परिवहन निदेशालय, फोरेन्सिक विज्ञान प्रयोगशाला, प्रशिक्षण निदेशालय, तकनीकी सेवाएं इकाइयों के प्रमुख एवं नमूना जांच जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों द्वारा दिए गये सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया जाता है।

अध्याय 2

नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन

अध्याय 2

नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन

2.1 प्रस्तावना

किसी भी कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये कुशल नियोजन और विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबन्धन आवश्यक है। अभिलेखों की जाच में पाया गया कि विभाग ने क्षमताओं व आधारभूत संरचनाओं में कमियों की पहचान हेतु न तो कोई दीर्घ अथवा मध्यम अवधि की रणनीतिक योजना तैयार किया और न ही दक्ष एवं समयबद्ध तरीके से राज्य पुलिस के आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु पर्याप्त वित्तीय संसाधन ही आवंटित किया। लेखापरीक्षा निष्कर्षों का उल्लेख आगे दिये गये प्रस्तरों में किया गया है।

2.2 नियोजन

2.2.1 परस्पेक्टिव योजना

आधुनिकीकरण योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (पुलिस ब्यूरो) के मानकों के अनुरूप इस योजना के विभिन्न घटकों में कमियों की पहचान और इनका विश्लेषण करने के लिये एक परस्पेक्टिव योजना तैयार किया जाना और चिन्हित कमियों को दूर किया जाना था।

पंचवर्षीय परस्पेक्टिव योजना के आधार पर भारत सरकार के अनुमोदनार्थ वार्षिक कार्ययोजना तैयार किया जाना था। यद्यपि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2011–16 की अवधि में आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा परस्पेक्टिव योजना तैयार नहीं की गई थी। इस प्रकार, आधुनिकीकरण योजना हेतु भारत सरकार को प्रस्तुत की गई वार्षिक योजनायें किसी दीर्घकालिक योजना पर आधारित नहीं थी।

भारत सरकार की आधुनिकीकरण योजना के अतिरिक्त, राज्य सरकार द्वारा भी पुलिस बल के आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण पर पर्याप्त धनराशि व्यय की गयी। यद्यपि, की लेखापरीक्षा में पाया गया कि भारत सरकार की योजना हेतु वार्षिक योजना तो तैयार की गयी थी लेकिन राज्य के संसाधनों से बुनियादी ढांचे के विकास एवं आधुनिकीकरण/सुदृढ़ीकरण हेतु विभाग द्वारा कोई वार्षिक योजना तैयार नहीं किया गया था।


नियोजन की कमी के कारण, आधुनिकीकरण से संबंधित कई महत्वपूर्ण गतिविधियां या तो विलंबित हुई या हुई ही नहीं जैसा कि आगे के प्रस्तरों में उल्लेख किया गया है।

उत्तर में शासन द्वारा यह स्वीकार किया गया (फरवरी 2017) कि परस्पेक्टिव योजना को तैयार नहीं किया गया। हालांकि, अब पुलिस विभाग के विभिन्न इकाइयों से पूछे गये विवरण के आधार पर इसे तैयार किया जायेगा।

2.2.2 आधुनिकीकरण योजना के वार्षिक कार्ययोजना का विलम्ब से प्रेषित किया जाना

आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत वार्षिक कार्ययोजना को गृह मंत्रालय के उच्चाधिकार समिति द्वारा स्वीकृत किया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय प्राधिकार समिति द्वारा वार्षिक कार्ययोजना को उच्चाधिकार समिति को भेजा जाता है। दिशा-निर्देशों के अनुसार, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ के पूर्व 15 जनवरी तक वार्षिक कार्ययोजना को इसकी समीक्षा एवं

अनुमोदन के लिये उच्चाधिकार प्राप्त समिति को प्रस्तुत किया जाना था जिससे कि समय से धनराशि को अवमुक्त किया जा सके और योजना के तहत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। जांच में हालांकि पाया गया कि वार्षिक कार्ययोजना को लगभग छः महीने के विलम्ब से गृह मंत्रालय को भेजा गया जिससे इसके अनुमोदन, धनराशि के निर्गमन एवं आधुनिकीकरण के कार्यान्वयन में देरी हुई। वार्षिक योजनाओं को प्रेषित करने की समय सारणी एवं उनके अनुमोदन का विवरण नीचे दिये गये चार्ट एवं परिशिष्ट 2.1 में दिया गया है।



(स्रोत: पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद)

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा योजनाओं को देरी से प्रेषित करने के कारण इसके अनुमोदन में विलम्ब हुआ जिसके परिणामस्वरूप धनराशि के निर्गमन एवं उपभोग में देरी हुई और तदनुसार निधियों का कम उपयोग एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन में धीमी प्रगति हुई जैसा कि आगे के प्रस्तरों में उल्लेख किया गया है।

उत्तर में शासन द्वारा बताया गया (फरवरी 2017) कि वार्षिक योजना को समय से प्रेषित करने हेतु प्रयास किया जायेगा। इस प्रकार, शासन द्वारा वार्षिक योजना को देर से प्रेषित किया जाना स्वीकार किया गया।

2.3 वित्तीय प्रबन्धन


राज्य सरकार द्वारा अपने पुलिस बल को पर्याप्त और आधुनिक उपकरण, वाहन, अस्त्र-शस्त्र उपलब्ध कराकर एवं भवनों का निर्माण करके आधुनिकीकरण किया जाना था। पुलिस बल के आधुनिकीकरण का वित्त पोषण राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधनों के साथ-साथ भारत सरकार द्वारा प्रायोजित आधुनिकीकरण योजना द्वारा भी किया जाना था। वित्त ढाँचा परिशिष्ट 2.2 में दिया गया है।

एम.पी.एफ. योजना

एम.पी.एफ. योजना के निर्धारित प्रक्रिया में वार्षिक कार्ययोजना की स्वीकृति के बाद भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को धनावंटन किया जाता है जिसके पश्चात राज्य सरकार को अपना निर्धारित अंश विभागीय प्राधिकारियों को जारी किया जाना होता है। एम.पी.एफ. योजना के तहत व्यय को केन्द्रीय एवं राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2011-12 तक 75:25 के अनुपात में और वर्ष 2012-13 से 60:40 के अनुपात में वहन किया जाना था। अस्त्र-शस्त्रों के क्रय हेतु केन्द्र सरकार द्वारा वार्षिक योजना में अनुमोदित धनराशि को भारत सरकार के नियंत्रणाधीन आयुध निर्माण डिपो को सीधे जारी कर दिया जाता है।

2.3.1 निर्धारित अंश का कम जारी किया जाना

एम.पी.एफ. योजना में अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना के आधार पर वर्ष 2011–12 से 2015–16 की अवधि में भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार की निर्धारित देयता, निधियों का निर्गमन एवं निर्धारित अंश से कम निर्गमनों की स्थिति निम्नानुसार थी:




(स्रोत: पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद)

उपरोक्त चार्ट से स्पष्ट है कि एम.पी.एफ. योजना में केन्द्रीय एवं राज्य सरकार द्वारा अपने देय अंशों को पुलिस बल के आधुनिकीकरण हेतु जारी नहीं किया गया जिसका कारण धीमी गति से निधियों का उपभोग था। वर्ष 2011–16 की अवधि में भारत सरकार द्वारा ₹ 496.84 करोड़ (देय अंश के सापेक्ष 70 प्रतिशत) निर्गत किया गया जबकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मात्र ₹ 162.60 करोड़ (देय अंश के सापेक्ष 38 प्रतिशत) का निर्गमन किया गया।

उत्तर में शासन द्वारा बताया गया (फरवरी 2017) कि उपरोक्त तथ्य पर टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार लेखापरीक्षा की टिप्पणी सही थी जिसे शासन द्वारा खंडन नहीं किया गया।

2.3.2 एम.पी.एफ. निधि का कम उपयोग

एम.पी.एफ. योजना के अंतर्गत वर्षवार बजट आवंटन, व्यय एवं समर्पण का विवरण निम्नानुसार था:



(स्रोत: पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद)

* वित्तीय वर्ष के दौरान बजट आवंटन में पूर्ववर्ती वर्षों की वार्षिक कार्ययोजनाओं में अनुमोदित धनराशि भी सम्मिलित है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

- वर्ष 2011–16 की अवधि में पुलिस बल के आधुनिकीकरण हेतु ₹ 1164.98 करोड़ निर्गत किया गया लेकिन मार्च 2016 तक विभाग द्वारा मात्र ₹ 690.25 करोड़ (59 प्रतिशत) का उपयोग किया गया तथा शेष धनराशि ₹ 474.73 करोड़ (41 प्रतिशत) समर्पित कर दिया गया। वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 में समर्पण का प्रतिशत क्रमशः 65 एवं 63 तक था।
- निधियों के कम उपयोग के कारण आधुनिकीकरण योजना प्रभावित हुई। अग्रेत्तर, वर्ष 2013–14 से 2015–16 के दौरान ₹ 120.67 करोड़ लागत के अनुमोदित 15644 उपकरणों एवं वाहनों का क्रय मार्च 2016 तक नहीं हो पाया था (**परिशिष्ट 2.3**) इस प्रकार, पुलिस बल अपने आधुनिकीकरण के अभिष्ट लाभ से वंचित रहा।

उत्तर में शासन द्वारा बताया गया (फरवरी 2017) कि क्रय पद्धति की जटिलताओं के कारण कुछ उपकरणों का क्रय वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक पूर्ण नहीं हो पाया। इस प्रकार, शासन द्वारा इस तथ्य को स्वीकार किया गया कि निधियों का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाया और विभाग द्वारा उपकरणों एवं वाहनों का क्रय पूर्ण नहीं किया गया। जहां तक क्रय की जटिल प्रक्रिया का संबंध है, नियम स्पष्ट व व्यवहारिक है जिसे शासन द्वारा ही समय से निधियों के उपयोग किये जाने के उद्देश्य से बनाया गया है।

2.3.3 एम.पी.एफ. निधि का अवरोधन

एम.पी.एफ. योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार गृह मन्त्रालय द्वारा निर्गत धनराशि का उपयोग वांछित उद्देश्यों पर ही किया जायेगा और निधियों के अवरोधन से बचा जायेगा।

वर्ष 2011–16 की अवधि में एम.पी.एफ. योजना से संबंधित ₹ 174.34 करोड़ की धनराशि पुलिस आवास निगम के वैयक्तिक खाते (पी.एल.ए.) में जमा किया गया क्योंकि विभाग द्वारा इनका उपयोग संबंधित वित्तीय वर्षों में नहीं किया जा सका। मार्च 2016 तक अभी भी ₹ 153.01 करोड़ की धनराशि उक्त पी.एल.ए. में पड़ी थी। वित्तीय हस्त पुस्तिका (खण्ड 5) भाग 1 में निहित प्रावधानों के अनुसार निधियों को लैप्स होने से बचाने के उद्देश्य से अनुदानों को पी.एल.ए. में जमा किया जाना वित्तीय अनियमितता है तथा इसका सहारा नहीं लिया जाना चाहिये। इस प्रकार, पी.एल.ए. में दीर्घ अवधि तक धन के भण्डारण की उक्त प्रक्रिया अनियमित थी और निगम के पी.एल.ए. का उपयोग निधियों के व्यपगत होने से बचाने के लिये किया गया था।

उत्तर में शासन द्वारा बताया गया (फरवरी 2017) कि वित्त विभाग की अनुमति से स्वीकृत धनराशि को भविष्य में उपयोग करने हेतु पी.एल.ए. में जमा किया गया। ऐसा करने से आगामी वर्षों में इनके उपयोग हेतु अनावश्यक पत्र व्यवहार एवं समय की बचत होती है। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि अनुदान को व्यपगत होने से बचाने के उद्देश्य से पी.एल.ए. में जमा किया जाना वित्तीय हस्त पुस्तिका (खण्ड 5) भाग 1 के प्रावधानों के अनुसार वित्तीय अनियमितता थी।

2.3.4 एम.पी.एफ निधियों के देर से निर्गमन का प्रभाव

वार्षिक कार्ययोजना के अनुमोदन के पश्चात आधुनिकीकरण योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश शासन द्वारा शीघ्र धनावंटन किया जाना चाहिये। धनावंटन में देरी न केवल आधुनिकीकरण के कार्यक्रमों को विपरीत तरीके से प्रभावित करता है बल्कि इससे उपकरणों/वाहनों की लागत में भी वृद्धि हो सकती है।

अभिलेखों की जांच में पाया गया कि ₹ 8.65 करोड़ लागत के 79 वाहनों के क्रय का अनुमोदन वर्ष 2010–11 के वार्षिक कार्ययोजना में किया गया लेकिन वित्तीय वर्ष की समाप्ति से कुछ ही दिन पूर्व प्रदेश सरकार द्वारा मात्र ₹ 1.48 करोड़ निर्गत किया गया जिससे इस वर्ष में वाहनों का क्रय नहीं किया जा सका। प्रदेश सरकार द्वारा अनुमोदित वाहनों के क्रय हेतु बची हुई धनराशि ₹ 7.17 करोड़ को अक्टूबर 2011 में निर्गत की गयी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि शासन द्वारा अनुमोदित 79 वाहनों के सापेक्ष मात्र 62 वाहनों का क्रय स्वीकृत धनराशि ₹ 8.62 करोड़ से किया जा सका जैसा कि नीचे दिया गया है।

सारणी 2.1: विलंब से धनावंटन के कारण कम वाहनों का क्रय

(धनराशि लाख ₹ में)

वाहन का नाम	अनुमोदित संख्या	अनुमोदित दर	अनुमोदित लागत	संशोधित संख्या	बढ़ी हुई दर	वास्तविक लागत
बस ³	20	12.00	240.00	6	18.65	111.90
				8	18.51	148.08
वज्र	21	11.00	231.00	20	11.45	229.00
ट्रक	10	11.30	113.00	8	12.50	100.00
टाटा 207	18	4.50	81.00	13	5.05	65.65
इंटरसेप्टर	10	20.00	200.00	7	30.05	210.35
योग	79		865.00	62		864.98

(स्रोत: पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद)

इस प्रकार, समय से धनावंटन न करने के कारण मूल अनुमोदित मात्रा से लगभग 25 प्रतिशत वाहनों का कम क्रय किया गया। लेखापरीक्षा में आगे यह पाया गया कि अनुमोदित संख्या से कम वाहनों के क्रय का कारण इनके मूल्य में वृद्धि होना बताया गया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि क्रय में देरी हुई और सरकार की स्वीकृति के सापेक्ष कम वाहनों का क्रय यद्यपि किया गया लेकिन उक्त प्रकार से क्रय में कमी करने का पुनरीक्षित अनुमोदन भारत सरकार से प्राप्त नहीं किया गया था।

उत्तर में शासन द्वारा बताया गया (फरवरी 2017) कि इस संबंध में किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार लेखापरीक्षा की टिप्पणी सही थी जिसका शासन द्वारा खंडन नहीं किया गया था।

2.3.5 उपयोगिता प्रमाण–पत्र का बढ़ाकर प्रस्तुत किया जाना

एम.पी.एफ. योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार जब आवंटित धन का पूर्ण उपयोग वांछित उद्देश्यों पर हो जाये तो प्रदेश सरकार द्वारा प्रपत्र जी.एफ.आर. 19–ए में उपयोगिता प्रमाण–पत्र भेजा जायेगा। वर्ष 2015–16 तक भारत सरकार द्वारा निर्गत धनराशि के सापेक्ष प्रदेश सरकार द्वारा प्रेषित किये गये उपयोगिता प्रमाण–पत्रों का विवरण निम्नानुसार था:

सारणी 2.2: प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत उपयोगिता प्रमाण–पत्र

(धनराशि करोड़ ₹ में)

वर्ष	भारत सरकार द्वारा निर्गत धनराशि	प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत उपयोगिता प्रमाणपत्र
2011-12	60.85	60.85
2012-13	32.10	32.10
2013-14	176.08	176.08
2014-15	169.23	127.58
2015-16	58.58	0.00
योग	496.84	396.61

(स्रोत: पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद)

³ वर्ष 2010–11 में निर्गत धनराशि ₹ 1.48 करोड़ से 8 बसों का क्रय किया गया।


प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2014–15 से संबंधित ₹ 41.65 करोड़ तथा वर्ष 2015–16 से संबंधित ₹ 58.58 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण–पत्र सितम्बर 2016 तक प्रेषित नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि भारत सरकार द्वारा निर्माण कार्यों हेतु निर्गत धनराशि ₹ 124.74 करोड़ (₹ 7.36 करोड़ एवं ₹ 117.38 करोड़) क्रमशः 2011–12 एवं 2013–14 में पुलिस आवास निगम के बचत खाते में क्रमशः दिनांक 22 मार्च 2012 एवं 26 सितम्बर 2013 को जमा किया गया। अभिलेखों की जांच में पाया गया कि मई 2015 तक मात्र ₹ 73.46 करोड़ लागत के निर्माण कार्यों की स्वीकृति प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की गई और शेष ₹ 51.28 करोड़ के निर्माण कार्यों की स्वीकृति लम्बित थी। तथापि, पुलिस मुख्यालय द्वारा अनियमित तरीके से संपूर्ण धनराशि ₹ 124.74 करोड़ की उपयोगिता प्रमाणपत्र (₹ 7.36 करोड़ का उपयोगिता प्रमाणपत्र जून 2014 में और ₹ 117.38 करोड़ का उपयोगिता प्रमाणपत्र मई 2015 में) भारत सरकार के गृह मंत्रालय को प्रेषित कर दिया गया यद्यपि ₹ 51.28 करोड़ पुलिस आवास निगम के बैंक खाते में अभी भी पड़ा था और इसका वास्तविक उपयोग नहीं हुआ था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 51.28 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण–पत्र बढ़ाकर प्रेषित किया गया।

उत्तर में शासन द्वारा बताया गया (फरवरी 2017) कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय को वर्ष 2014–15 तक का उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रेषित किया गया है। वर्ष 2015–16 के उपयोगिता प्रमाण–पत्र लम्बित थे। शासन द्वारा ₹ 51.28 करोड़ का अनियमित उपयोगिता प्रमाण–पत्र, जो कि पुलिस आवास निगम के खाते में उस समय तक पड़ा था, भेजे जाने के संबंध में कोई उत्तर नहीं दिया गया।

2.4 राज्य बजट से आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण

एम.पी.एफ. योजना को छोड़कर पुलिस बल के बुनियादी ढांचे के विकास के लिये राज्य के बजट से किये गये परिव्यय की स्थिति निम्नानुसार थी:



(स्रोत: बजट अभिलेख एवं समर्पण पत्र)

लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

- वर्ष 2011–16 की अवधि में राज्य सरकार द्वारा आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु पूँजीगत लेखाशीर्ष में ₹ 3,152.26 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गई लेकिन

विभाग इसमें से मात्र 2276.31 करोड़ (72 प्रतिशत) का उपयोग ही मार्च 2016 तक कर पाया और शेष धनराशि ₹ 875.95 करोड़ (28 प्रतिशत) को समर्पित कर दिया। समर्पण का सर्वाधिक प्रतिशत वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 में क्रमशः 51 एवं 43 तक था।

- वित्तीय नियमों⁴ के विपरीत बचत की धनराशि ₹ 875.95 करोड़ का समर्पण संबंधित वित्तीय वर्षों के अंतिम दिन को किया गया। समर्पण का मुख्य कारण निर्माण कार्यों की स्वीकृति निर्गत न किया जाना (48 प्रतिशत: ₹ 420.30 करोड़) वाहनों/हथियारों के क्रय में विलम्ब (9 प्रतिशत: ₹ 76.83 करोड़) और चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण (34 प्रतिशत: ₹ 298.16 करोड़) इत्यादि था।

उत्तर में शासन द्वारा बताया गया (फरवरी 2017) कि इस संबंध में किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार लेखापरीक्षा की टिप्पणी सही थी जिसे शासन द्वारा खंडन नहीं किया गया।

- विभिन्न घटकों से संबंधित वित्तीय प्रबन्धन के विशिष्ट प्रकरणों को संबंधित अध्याय में चर्चा किया गया है।

अनुशंसायें:

- प्रदेश सरकार द्वारा एम.पी.एफ. योजना और राज्य बजट से परिव्यय के संबंध में परिप्रेक्ष्य एवं वार्षिक कार्ययोजना तैयार किया जाना चाहिये तथा निधियों के निर्गमन में विलम्ब से बचने हेतु वार्षिक कार्ययोजना समय से प्रेषित किया जाना चाहिये।
- अनुदान को व्यपगत होने से बचाने के उद्देश्य से निधियों को पी.एल.ए. में जमा नहीं किया जाना चाहिये और उपयोगिता प्रमाण-पत्रों को तभी प्रेषित किया जाना चाहिये जब निधियों का पूर्ण उपयोग हो जाये।

⁴ उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल 2010 का प्रस्तर 141।

अध्याय ३

अस्त्र—शस्त्रों का आधुनिकीकरण

अध्याय 3

अस्त्र—शस्त्रों का आधुनिकीकरण

3.1 प्रस्तावना

वर्तमान वर्षों में अपराधियों, नक्सलियों एवं आतंकवादी तत्वों द्वारा परिष्कृत हथियारों के प्रयोग में लगातार वृद्धि को देखते हुए ऐसे तत्वों से मुकाबला करने हेतु पुलिस बल की क्षमता तथा प्रभाव को बढ़ाने के लिए उसे अत्याधुनिक हथियारों से सुसज्जित/लैस करने की आवश्यकता है। हिंसक प्रदर्शन, दंगे, आतंकवादी/नक्सली हमलों आदि से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए राज्य पुलिस बल के आधुनिकीकरण तथा अत्याधुनिक हथियारों से सुसज्जित/लैस करने हेतु अप्रचलित हथियारों को परिष्कृत आधुनिक हथियारों एवं अन्य उपकरणों से बदलने के लिए पुलिस बल आधुनिकीकरण की योजना तथा राज्य बजट से परिव्यय संस्थीकृत किया गया था। इसके लिए न केवल पुलिस बल को सुसज्जित/लैस करने हेतु नियत किये मानदंडों की प्राथमिकता के आधार पर समय—समय पर समीक्षा की आवश्यकता थी अपितु धन की पर्याप्तता भी सुनिश्चित की जानी थी तथा पुलिस बल को आवश्यक मात्रा एवं क्षमता के अस्त्र—शस्त्र व गोलाबारूद उपलब्ध कराने हेतु एक समयबद्ध प्रक्रिया के माध्यम से अधिग्रहण का प्रबंधन प्रभावी ढंग से पूर्ण किया जाना था।

3.2 वित्तीय प्रावधान

3.2.1 पुलिस बल के आधुनिकीकरण की योजना अन्तर्गत अस्त्र—शस्त्रों का क्रय

एम०पी०एफ० योजना के अन्तर्गत वर्ष 2011–16 में ₹ 38.31 करोड़ की धनराशि (केन्द्रांश एवं राज्यांश को मिलाकर) हथियारों तथा गोलाबारूद के क्रय हेतु आवंटित की गयी थी परन्तु विभाग द्वारा निम्नानुसार मात्र ₹ 32.99 करोड़ (86 प्रतिशत) की धनराशि ही व्यय की जा सकी।

**सारणी 3.1 अस्त्र—शस्त्रों के क्रय हेतु एमपीएफ योजना के तहत बजट आवंटन एवं व्यय
(₹ करोड़ में)**

वर्ष	धनराशि की मांग (वार्षिक कार्य योजना)	धनराशि का आवंटन	व्यय धनराशि	समर्पण
2011–12	12.28	3.53	3.53	00
2012–13	20.48	12.10	12.10	00
2013–14	10.70	5.40	3.24	2.16
2014–15	12.78	9.39	9.39	00
2015–16	13.13	7.89	4.73	3.16
योग	69.37	38.31	32.99	5.32

(स्रोत: पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद)

भारत सरकार द्वारा एम०पी०एफ० के अन्तर्गत हाल के वर्षों में बजट आवंटन में गिरावट आयी है जिसका प्रभाव आधुनिकीकरण योजना के लगभग सभी घटकों के वित्तपोषण पर पड़ा है। जैसा कि उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि 2011–16 में एम०पी०एफ० की वार्षिक कार्ययोजनाओं के अन्तर्गत ₹ 69.37 करोड़ की मांग के सापेक्ष ₹ 38.31 करोड़ (55 प्रतिशत) का ही आवंटन किया गया था तथा उसके सापेक्ष राज्य पुलिस बल हेतु

अस्त्र—शस्त्रों एवं गोलाबारूद के क्रय पर मात्र ₹ 32.99 करोड़ (48 प्रतिशत) की धनराशि ही व्यय की गयी।

उ0प्र0 शासन द्वारा तथ्यों को स्वीकार किया गया (फरवरी 2017) एवं बताया गया कि गृह मंत्रालय भारत सरकार को भेजे गये प्रस्तावों के सापेक्ष 2011–12 से 2015–16 में ₹ 32.99 करोड़ के अस्त्र—शस्त्रों का क्रय किया गया और विगत वर्षों के लम्बित प्रस्तावों को वर्ष 2016–17 की वार्षिक कार्ययोजना में सम्मिलित करते हुए गृह मंत्रालय भारत सरकार को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया।

इससे स्पष्ट है कि पुलिस बल को अस्त्र—शस्त्रों की आवश्यकता का एक बड़ा हिस्सा उपलब्ध नहीं कराया जा सका।

3.2.2 राज्य बजट से अस्त्र—शस्त्रों का क्रय

एमपीएफ के साथ—साथ, राज्य सरकार द्वारा अस्त्र—शस्त्रों तथा गोलाबारूद के क्रय हेतु राज्य बजट से 2011–16 में ₹ 439.04 करोड़ का आवंटन किया गया था जिसके सापेक्ष ₹ 430.92 करोड़ का उपयोग किया गया। राज्य बजट के अन्तर्गत आवंटन एवं व्यय का वर्षवार विवरण निम्न सारणी में दिया गया है।

सारणी: 3.2 राज्य बजट से अस्त्र—शस्त्रों का क्रय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	धनराशि का आवंटन	व्यय धनराशि	समर्पण
2011–12	20.00	20.00	00
2012–13	39.20	39.20	00
2013–14	44.00	44.00	00
2014–15	26.75	26.75	00
2015–16	309.09	309.97	8.12
योग	439.04	430.92	8.12

(स्रोत: पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद)

राज्य बजट द्वारा अवधि 2011–14 में अस्त्र—शस्त्रों तथा गोलाबारूद के क्रय हेतु ₹ 20 करोड़ से 44 करोड़ का बजट आवंटन 52,575 रायफल तथा गोलाबारूद की आवश्यकता के सापेक्ष अपर्याप्त था। परिणामस्वरूप अस्त्र—शस्त्रों तथा गोलाबारूद के क्रय के विभिन्न प्रस्ताव (47 मदों के प्रस्ताव) कई वर्षों से लंबित थे। अस्त्र—शस्त्रों की कमी को पूरा करने के लिए शासन द्वारा जिला पुलिस के महंगाई भत्ते के मद में बचत की धनराशि में से अनियमित रूप से ₹ 265.09 करोड़ का पुनर्विनियोजन वर्ष 2015–16 में अस्त्र—शस्त्रों तथा गोलाबारूद के क्रय हेतु किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि आवंटन में उक्त वृद्धि के पश्चात् भी बहुत अधिक संख्या में प्रस्ताव अद्यतन लम्बित थे।

उत्तर प्रदेश शासन ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (फरवरी 2017) और कहा कि वर्ष 2015–16 में अस्त्र—शस्त्रों एवं गोलाबारूद क्रय करने हेतु ₹ 265.09 करोड़ के बजट का पुनर्विनियोजन किया गया था।

पुनः लेखापरीक्षा में देखा गया कि वर्ष 2015–16 में अस्त्र—शस्त्रों एवं गोलाबारूद के क्रय हेतु व्यय धनराशि ₹ 300.97 करोड़ के सापेक्ष एक बड़े भाग (₹ 204.83 करोड़) की आपूर्ति आयुध कारखानों से अप्राप्त थी।

3.3 शस्त्र नीति के संशोधन में विलम्ब

राज्य पुलिस बल के लिए विभिन्न प्रकार के अस्त्र-शस्त्रों तथा गोलाबारूद का नियतन गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 1953 में प्रावधानित किया गया था जो वर्ष 1995 तक लागू था। वर्ष 1995 में गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सूचित किया गया कि 1953 में प्रावधानित अस्त्र/शस्त्र, विभिन्न कारणों से वर्तमान में अप्रासंगिक तथा अप्रचलित हो गये थे। गृह मंत्रालय द्वारा राज्य पुलिस बल के लिए अस्त्र/शस्त्रों के प्रकार तथा नियतन में संशोधन का प्रस्ताव दिया गया तथा प्रत्येक राज्य के पुलिस महानिदेशकों से उनके विचार/सुझाव मांगे गये (फरवरी 1995)।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि प्रकरण सुरक्षा कारणों तथा कानून और व्यवस्था के प्रबंधन की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण होने के बावजूद, राज्य पुलिस ने गृह मंत्रालय के प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया प्रदर्शित करने तथा राज्य पुलिस बल हेतु अस्त्र/शस्त्रों के प्रकार तथा नियतन के संशोधन का प्रस्ताव तैयार करने में 17 वर्ष (फरवरी 1995 से फरवरी 2012) का समय लिया। आतंकवादी, नक्सली तथा अन्य विघटनकारी तत्वों की गूढ़ रणनीति तथा उनके द्वारा प्रयोग किये जा रहे अस्त्र/शस्त्रों की प्रकृति के दृष्टिगत, जैसा कि विगत दो दशकों में भारत सहित विश्व के विशिष्ट तथा सार्वजनिक स्थलों पर हुए हमलों से दृष्टिगत था, राज्य पुलिस द्वारा पुलिस बल को ऐसी किसी आक्रिमिकता के उत्पन्न होने पर तत्काल प्रभावी रूप से निपटने के लिए आधुनिक हथियार प्रणाली तथा क्षमताओं से लैस करने हेतु नयी आयुध नीति तैयार के लिए सक्रियता नहीं प्रदर्शित की गयी। फरवरी 2012 में पुलिस मुख्यालय द्वारा राज्य पुलिस बल के लिए “मानक शस्त्र नीति” तैयार की गयी तथा उत्तर प्रदेश शासन के गृह विभाग को संस्तुति एवं गृह मंत्रालय भारत सरकार को, उनके वर्ष 1995 के प्रस्ताव के संदर्भ में, अग्रसारित करने हेतु प्रस्तुत की गयी।

अभिलेखों की अग्रेतर जाँच में देखा गया कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रस्ताव पर अपनी संस्तुति प्रदान करने तथा गृह मंत्रालय भारत सरकार को प्रस्ताव अग्रसारित करने में चार वर्ष का समय लिया गया। इस प्रकार गृह मंत्रालय भारत सरकार को राज्य पुलिस बल के लिए मानक शस्त्र नीति 21 वर्षों पश्चात् जनवरी 2016 में प्रेषित की गयी।

उ0प्र0 शासन ने स्वीकार किया (फरवरी 2017) एवं अवगत कराया कि शस्त्र नीति का अनुमोदन गृह मंत्रालय भारत सरकार से प्राप्त होना प्रतीक्षित है।

यह पुलिस विभाग तथा राज्य सरकार का नागरिकों की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा का उचित प्रबंधन तथा कानून और व्यवस्था से संबंधित मामलों में उसके अत्यधिक उदासीन रवैये को दर्शाता है। गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शस्त्र नीति का अनुमोदन 2016 तक प्रतीक्षित था।

3.4 हथियारों की उपलब्धता

पुलिस मुख्यालय द्वारा उत्तर प्रदेश शासन को प्रेषित प्रस्ताव (अप्रैल 2016) में अवगत कराया गया कि पुलिस विभाग में पिस्टल/रिवाल्वर श्रेणी में 17,6,110 तथा रायफल श्रेणी में 9,445 हथियारों की कमी थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि उपलब्ध जनशक्ति के सापेक्ष रिवाल्वर/पिस्टल



ग्लाक पिस्टल

श्रेणी में 45,047 हथियारों की कमी थी (**परिशिष्ट 3.1**) तथा रायफल श्रेणी में 56,928 (**परिशिष्ट 3.2**) हथियारों की अधिकता थी।

उत्तर प्रदेश शासन ने बताया (फरवरी 2017) कि अस्त्र-शस्त्रों का क्रय पुलिस कर्मियों की स्वीकृत जनशक्ति के आधार पर किया गया था। पुलिस कर्मियों की भर्ती एक नियमित प्रक्रिया है और शस्त्रों का क्रय नये भर्ती हुए पुलिस कर्मियों को शस्त्र उपलब्ध कराने हेतु किया गया था।

उत्तर प्रदेश शासन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि हथियारों की उपलब्धता एवं आवश्यकता में बहुत अन्तर था। इस प्रकार वास्तविक आवश्यकता के अनुसार क्रय नहीं किया गया था।

3.5 अप्रचलित हथियारों से सुसज्जित

वर्ष 1995 में गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार प्वाइंट-303 रायफल को अप्रचलित घोषित कर दिया गया था तथा इसे आधुनिक हथियारों से प्रतिस्थापित किया जाना था।



प्वाइंट-303 राइफल

यद्यपि, लेखापरीक्षा में देखा गया कि पुलिस बल के पास 2015-16 में उपलब्ध 1.22 लाख रायफलों में से 58853 रायफल .303 श्रेणी की थी। पुलिस बल के लिए रायफल एक बहुत महत्वपूर्ण हथियार होने के बावजूद लगभग 48 प्रतिशत पुलिस बल द्वारा .303 श्रेणी की रायफल का उपयोग अभी भी किया जा रहा था जिसे 20 वर्ष पूर्व अप्रचलित घोषित किया जा चुका था।

उत्तर प्रदेश शासन ने स्वीकार किया (फरवरी 2017) और अवगत कराया कि .303 राइफलों को इन्सास राइफल से बदला जा रहा है और इसे बदलने की प्रक्रिया पाँच वर्षों में पूर्ण होगी।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि प्वाइंट .303 राइफल को बीस वर्ष पूर्व (फरवरी 1995) में अप्रचलित घोषित कर दिया गया था तथा 48 प्रतिशत पुलिस बल द्वारा प्वाइंट .303 राइफल का प्रयोग अभी तक किया जा रहा है।

पुनः लेखापरीक्षा में पाया गया कि 15 नमूना जांच जनपदों में से 14 जनपदों में जनपदीय पुलिस द्वारा प्वाइंट .303 श्रेणी की 16700 रायफलों का उपयोग किया जा रहा था (**परिशिष्ट 3.3**)।

3.6 अप्रयुक्त पड़ी अमोघ रायफल



आधुनिकीकरण योजना के तहत पुलिस मुख्यालय द्वारा सितम्बर 2008 में 148 अमोघ कार्बाइन की आपूर्ति हेतु आयुध कारखाना कोलकाता को ₹ 26.64 लाख का अग्रिम भुगतान किया गया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि आयुध कारखाना खड़की, पुणे द्वारा गोलाबारूद की आपूर्ति न होने के कारण अक्टूबर 2009 में आपूर्ति 80 अमोघ रायफल का प्रयोग राज्य पुलिस द्वारा नहीं किया जा रहा था तथा यह रायफल केन्द्रीय भण्डार सीतापुर में विगत आठ वर्षों से अप्रयुक्त पड़ी हुई थी। पुनः लेखापरीक्षा में देखा

गया कि अवशेष 68 अमोघ रायफलों की आपूर्ति सितम्बर 2016 तक नहीं प्राप्त हुई थी। उ0प्र0 शासन ने बताया (फरवरी 2017) कि 80 अमोघ राइफल मांग के सापेक्ष प्राप्त हुई थी जिसको जनपद इकाईयों को वितरित नहीं किया जा सका था, क्योंकि उनका कारतूस प्राप्त नहीं हुआ था। वर्तमान में उनके कारतूस प्राप्त हो गये हैं और राइफलों को वितरित कर दिया गया है।

शासन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कारतूसों के प्राप्त होने और राइफलों के वितरण का कोई साक्ष्य शासन के उत्तर के साथ संलग्न नहीं था तथा अवशेष 68 राइफलों की आपूर्ति अब तक आयुध भण्डार द्वारा नहीं की गई थी।

3.7 गोला बारूद की कमी

हेड कांस्टेबल तथा उसके उपर के पुलिस कर्मियों तथा समस्त पुलिस अधिकारियों को पिस्तौल प्रदान की जाती है। इसके साथ-साथ 30 प्रतिशत कान्स्टेबल को भी पिस्तौल/रिवाल्वर से लैस किया जाता है। पुनः विशेष पुलिस बल/जिला सशस्त्र पुलिस/पीएसी/वीआईपी सुरक्षा में तैनात पुलिस बल द्वारा कार्बाइन का प्रयोग किया जाता है।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि आटोमेटिक पिस्तौल तथा कार्बाइन में 9 एमएम कारतूस गोलाबारूद का प्रयोग किया जाता है। यह देखा गया कि इस श्रेणी की कारतूस गोलाबारूद की आपूर्ति में उल्लेखनीय कमी थी। वर्ष 2014–15 तथा 2015–16 में आयुध कारखानों द्वारा पुलिस विभाग को आपरित 9एमएम बाल गोलाबारूद का विवरण निम्नवत था:

सारणी: 3.3 आयुध कारखानों द्वारा आपूर्तित 9एमएम कारतूस की स्थिति

वर्ष	मांग	आयुध कारखानों द्वारा आपूर्ति	कमी
2014–15	5,39,000	शून्य	5,39,000
2015–16	6,57,651	1,30,622	5,27,029

उत्तर प्रदेश शासन ने अपने उत्तर में स्वीकार किया (फरवरी 2017) तथा बताया गया कि 9 एमएम कारतूस की प्रत्येक मांग गृह मंत्रालय भारत सरकार को प्रेषित की जाती है किन्तु मांग के अनुरूप 9एमएम कारतूस की आपूर्ति की स्वीकृति प्रदान नहीं की जाती है, परिणामतः कमी बनी रहती है।

9 एमएम कारतूस की आपूर्ति में उल्लेखनीय कमी का प्रभाव वीआईपी सुरक्षा तथा प्रशिक्षण पर पड़ना स्वाभाविक था।

3.8 केन्द्रीय भण्डार

केन्द्रीय भण्डार सीतापुर, जिसकी स्थापना वर्ष 1910 में हुई थी, प्रदेश पुलिस बल हेतु अस्त्र-शस्त्र, गोलाबारूद तथा युद्ध सामग्री का एकमात्र भण्डार तथ वितरण केन्द्र था। केन्द्रीय भण्डार के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में भण्डार की मरम्मत तथा रख-रखाव में प्रकाश में आयी कमियों का उल्लेख निम्नवत किया गया है।

3.8.1 हथियारों तथा गोलाबारूद का अनियमित भण्डारण

केन्द्रीय भण्डार सीतापुर पुलिस मुख्यालय द्वारा क्रय किये जाने वाले (राज्य बजट तथा एमपीएफ योजना के तहत) समस्त अस्त्र-शस्त्र तथा गोलाबारूद को एकत्र कर भण्डारण करने तथा उन्हें संबंधित पुलिस इकाई/पीएसी को पुलिस मुख्यालय द्वारा

अधिकृत आदेश के आधार पर निर्गत करने वाला एकमात्र भण्डारण केन्द्र है। केन्द्रीय भण्डार विभिन्न पुलिस इकाईयों/पीएसी से अपनी निर्धारित आयु पूरी करने के पश्चात बेकार घोषित अस्त्र-शस्त्र तथा गोलाबारूद की वापस प्राप्ति, भण्डारण तथा नष्ट करने के लिए भी जिम्मेदार था।

इन वर्षों में क्रय किये गये अस्त्र-शस्त्र, गोलाबारूद की प्रकृति तथा जटिलता एवं पुलिस बल के आधुनिकीकरण पर व्यय की जा रही धनराशि में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अवधि 2011–16 में अस्त्र-शस्त्र तथा गोलाबारूद की खरीद पर ₹ 463.91 करोड़ की धनराशि व्यय की गयी थी, इसलिए यह आवश्यक था कि केन्द्रीय भण्डार में अस्त्र-शस्त्रों एवं गोलाबारूद के भण्डारण हेतु पर्याप्त व सुरक्षित स्थान उपलब्ध हो।

लेखापरीक्षा अन्तर्गत भौतिक निरीक्षण में देखा गया कि (मई 2016) केन्द्रीय भण्डार की इमारत लगभग 100 वर्ष पुरानी तथा जीर्ण-शीर्ण अवस्था में थी। बैरकें जहाँ हथियार तथा गोलाबारूद भण्डारित थे, की छतों से मानसून के दौरान बरसात के पानी के रिसाव की गंभीर समस्या थी। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि भण्डार गृह में स्थान उपलब्ध न होने के कारण बहुत बड़ी संख्या में नये क्रय किये गये हथियार गलियारे में रखे गये थे। इन बिन्दुओं को अपर पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद द्वारा भी अप्रैल 2016 में केन्द्रीय भण्डार के भौतिक निरीक्षण में उठाया गया था। यह प्रदर्शित करता है कि केन्द्रीय भण्डार की वर्तमान इमारत की खराब दशा एवं क्रय किये जा रहे हथियारों तथा गोलाबारूद की मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि के बाद भी केन्द्रीय भण्डार के आधुनिकीकरण को पूरी तरह नजरंदाज किया गया, क्योंकि पूर्व में भवन की मरम्मत/उच्चीकरण अथवा केन्द्रीय भण्डार हेतु नेय भवन निर्माण का कोई भी प्रस्ताव नहीं भेजा गया था।

		
केन्द्रीय भण्डार, सीतापुर में अपर्याप्त स्थान के कारण अनियोजित ढंग से राईफल का भण्डारण		केन्द्रीय भण्डार, सीतापुर स्थान की कमी के कारण खुले बरामदे में रखे अस्त्र-शस्त्र

लेखापरीक्षा में अग्रेतर पाया गया कि केन्द्रीय रिजर्व में भण्डारण स्थल की कमी की समस्या इसलिए विकट हो गयी थी क्योंकि विभिन्न पुलिस इकाईयों से विगत वर्षों में निपटान/नष्ट करने के लिए वापस प्राप्त निष्प्रयोज्य हथियारों का निपटारा/नष्ट करने में केन्द्रीय भण्डार प्रशासन विफल रहा था, जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है:

लेखापरीक्षा में पाया गया कि केन्द्रीय भण्डार सीतापुर में 2011–15 में निष्प्रयोज्य घोषित 8728 अस्त्र-शस्त्र जमा रखे गये थे तथा इनका निपटारा/नष्ट किया जाना मई 2016 तक प्रतीक्षित था। इनके निपटारा/नष्ट किये जाने का प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय स्तर पर लंबित था। वर्ष 2011 से पूर्व के निष्प्रयोज्य भण्डार का विवरण केन्द्रीय भण्डार

सीतापुर द्वारा उपलब्ध नहीं करया गया था। यह प्रदर्शित करता है कि भण्डार हेतु स्थान की विकट समस्या होने के बाद भी केन्द्रीय भण्डार सीतापुर तथा पुलिस मुख्यालय द्वारा निष्प्रयोज्य अस्त्र-शस्त्रों को नष्ट/निपटारा करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। परिणामतः, निष्प्रयोज्य अस्त्र-शस्त्र कई वर्षों से केन्द्रीय भण्डार सीतापुर में जमा रखे गये थे तथा महंगे नये अस्त्र-शस्त्र का भण्डारण सुरक्षित ढंग से नहीं किया गया था। अस्त्र-शस्त्रों को गलियारे में रखे जाने से उनके क्षतिग्रस्त होने, चोरी आदि के खतरे की संभावना विद्यमान थी।

इस प्रकार, केन्द्रीय भण्डार सीतापुर उचित भण्डारण स्थान की गंभीर समस्या से ग्रसित था परन्तु न तो पुलिस मुख्यालय द्वारा अस्त्र-शस्त्रों तथा गोलाबारूद के भण्डारण हेतु सुरक्षित भण्डारगृह के निर्माण हेतु कोई प्रयास किये गये और न ही केन्द्रीय भण्डार प्रशासन द्वारा निष्प्रयोज्य भण्डार को समय से नष्ट किये जाने का कोई प्रयास किया गया, जिससे नये क्रय हथियारों को उचित प्रकार से रखा जा सकता था।

उत्तर प्रदेश शासन ने स्वीकार किया (फरवरी 2017) और अवगत कराया कि अस्त्र-शस्त्रों का भण्डारण 11वीं वाहिनी पीएसी एवं केन्द्रीय भण्डार सीतापुर में किया जाता है। अस्त्र एवं शस्त्रों के भण्डारण हेतु अतिरिक्त स्थान की मांग की गई थी और खुले स्थान पर रखे गये अस्त्र-शस्त्रों को स्थानान्तरित किया जा रहा है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि केन्द्रीय भण्डार के भौतिक सत्यापन में लेखापरीक्षा द्वारा देखा गया कि केन्द्रीय भण्डार सीतापुर द्वारा पर्याप्त भण्डारण की गंभीर समस्या का सामना किया जा रहा था और न तो पुलिस मुख्यालय द्वारा अस्त्र एवं शस्त्रों के पर्याप्त और सुरक्षित भण्डारण हेतु भवन के निर्माण हेतु अत्याधुनिक कदम उठाये गये थे न ही केन्द्रीय भण्डार के अधिकारियों द्वारा निष्प्रयोज्य पड़े अस्त्र-शस्त्रों का समयबद्ध निस्तारण किया गया था जिससे नये क्रय किये गये शास्त्रों को चिन्हित भवनों में रखा जा सके।

संस्तुतियाँ

- चूँकि वर्तमान बैरकें, जहाँ हथियार तथा गोलाबारूद भण्डारित है, जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है, विभाग द्वारा इसका प्राथमिकता के आधार पर सक्षम प्राधिकारी से सर्वेक्षण कराया जाना चाहिए कि बैरकें आधुनिक हथियार तथा गोला बारूद के भण्डार हेतु अभी भी ठीक एवं उपयुक्त है अथवा नहीं और तदनुसार ऐसे अस्त्र-शस्त्रों तथा गोला बारूद के पर्याप्त एवं सुरक्षित भण्डारण हेतु सुधारात्मक उपाय करने चाहिए।
- अप्रचलित हथियारों को नष्ट करने की प्रक्रिया को इस प्रकार सुव्यवस्थित किया जाना चाहिए कि अप्रचलित हथियार वर्षों तक भण्डार में रखे न रहें तथा इनको समयबद्ध तरीके से नष्ट किया जाना चाहिए जिससे नये क्रय हथियारों के भण्डारण हेतु पर्याप्त स्थान उपलब्ध हो सके।

3.8.2 अपर्याप्त सुरक्षा तथा निगरानी

चूँकि केन्द्रीय भण्डार सीतापुर बड़ी मात्रा में अस्त्र-शस्त्रों तथा गोलाबारूद का भण्डारण करता है अतः इसकी अभेद्य सुरक्षा के उपाय, जिसमें भौतिक सुरक्षा जैसे चहारदीवारी आदि के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक निगरानी यथा सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से, हथियारों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक थे।

चहारदीवारी का निर्माण

केन्द्रीय भण्डार सीतापुर में वर्ष 2013–14 तक कोई चहारदीवारी नहीं थी अक्टूबर 2011 में केन्द्रीय भण्डार सीतापुर के परिसर के चारों ओर ₹ 1.25 करोड़ की लागत से 575 मी0 लंबी चहारदीवारी (बाड़ के साथ) के निर्माण का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि चहारदीवारी के निर्माण के आगणन में निगरानी टावर का प्रावधान नहीं किया गया था, जो कि ऐसे संवेदन शील प्रतिष्ठान की उचित सुरक्षा एवं निगरानी हेतु आवश्यक था। शासन द्वारा केन्द्रीय भण्डार सीतापुर के परिसर की पूर्ण चहारदीवारी के संस्वीकृति प्रदान करने के स्थान पर केन्द्रीय भण्डार सीतापुर के परिसर हेतु ₹ 0.73 करोड़ की लागत से मात्र 320.70 मीटर लंबी चहारदीवारी के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी। फलतः निर्माण हेतु नामित कार्यदायी संस्था पुलिस आवास निगम द्वारा ₹ 0.73 करोड़ की लागत से केन्द्रीय भण्डार सीतापुर के परिसर के दो तरफ पूर्ण तथा तीसरी तरफ आधी 320.70 मीटर लंबी चहारदीवारी का निर्माण कराया गया। केन्द्रीय भण्डार, सीतापुर परिसर अब तक बिना पूर्ण चहारदीवारी के असुरक्षित था।

यह प्रदर्शित करता है कि विभाग द्वारा प्रारम्भ में प्रस्तुत प्रस्ताव अपूर्ण था क्योंकि इसमें निगरानी टावर का प्रावधान नहीं किया गया था। शासन द्वारा प्रदान की गयी स्वीकृति भी अपर्याप्त थी क्योंकि इसमें केन्द्रीय भण्डार सीतापुर के परिसर की उपयुक्त सुरक्षा की व्यवस्था का प्रावधान नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि अवशेष चहारदीवारी, अस्त्र-शस्त्रों तथा गोलाबारूद की सुरक्षा हेतु निगरानी टावर, ढका हुआ मोर्चा संरचना (कवर्ड मोर्चा) और केन्द्रीय भण्डार की आंतरिक पेट्रोलिंग हेतु सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु ₹ 9.29 करोड़ की आगणित लागत का एक प्रस्ताव पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय) द्वारा मई 2016 में शासन को प्रेषित किया गया था। शासन स्तर से प्रस्ताव पर आवश्यक संस्वीकृति सितम्बर 2016 तक प्रतीक्षित थी।

अद्यतन, केन्द्रीय भण्डार सीतापुर में निगरानी टावर के साथ एक पूर्ण चहारदीवारी न होने के कारण उपयुक्त भौतिक सुरक्षा का अभाव था।

सीसीटीवी निगरानी

केन्द्रीय भण्डार सीतापुर में अत्यधिक मात्रा में अस्त्र-शस्त्रों, गोला बारूद तथा विस्फोटकों का भण्डारण होने के कारण इसके परिसर की भौतिक एवं मानवीय सुरक्षा के साथ-साथ सीसीटीवी कैमरों के बड़े नेटवर्क के माध्यम से अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था की जानी आवश्यक थी। लेखापरीक्षा में देखा गया कि केन्द्रीय भण्डार सीतापुर में सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से सुरक्षा निगरानी का कोई प्रावधान नहीं किया गया था, यद्यपि पुलिस बल द्वारा शहरों में निगरानी के साथ-साथ संवेदनशील धार्मिक स्थलों एवं अन्य भवनों की निगरानी हेतु सीसीटीवी कैमरों का वृहद मात्रा में प्रयोग किया जा रहा है। सीसीटीएनएस परियोजना के अन्तर्गत पुलिस स्टेशनों में भी सीसीटीवी कैमरे लगाये गये थे। यह सुनिश्चित किया गया कि मध्यप्रदेश तथा महाराष्ट्र के पुलिस विभाग के केन्द्रीय भण्डार में सीसीटीवी कैमरे स्थापित थे यद्यपि पुलिस मुख्यालय द्वारा आधुनिकीकरण योजना अन्तर्गत केन्द्रीय भण्डार सीतापुर में सीसीटीवी कैमरे लगाने का ऐसा कोई प्रस्ताव 2011–16 में नहीं किया गया था।

उत्तर प्रदेश शासन ने स्वीकार किया (फरवरी 2017) और अवगत कराया कि पुलिस मुख्यालय द्वारा मई 2016 के प्रस्ताव के अनुमोदन का प्रयास किया जा रहा है एवं

प्रस्ताव के अनुमोदन के उपरान्त केन्द्रीय भण्डार सीतापुर की सुरक्षा, मानक के अनुरूप हो जायेगी एवं सी०सी०टी०वी० कैमरे द्वारा 24 घंटे निगरानी की जायेगी।

तथ्यों से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय भण्डार सीतापुर की सुरक्षा व्यवस्था का आधुनिकीकरण नहीं किया गया था और यह ऐसे संवेदनशील स्थल की सुरक्षा व्यवस्था के प्रति विभाग के अत्यंत उदासीन रवैये को दर्शाता है, जबकि सैन्य बल, केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बल तथा राज्य पुलिस बल के महत्वपूर्ण स्थलों पर आतंकवादियों तथा नक्सली तत्वों के आक्रमणों की अनेक घटनायें देश में घट चुकी हैं।

संस्तुतियाँ

सरकार को केन्द्रीय भण्डार सीतापुर में अन्य आवश्यक कदमों के अतिरिक्त चहारदीवारी के अवशेष भाग, बाड़ तथा निगरानी टावरों का तत्काल निर्माण कराकर और उचित स्थलों पर चौबीसों घण्टे निगरानी हेतु सीसीटीवी कैमरों की स्थापना कराकर, सुरक्षा व्यवस्था को पर्याप्त रूप से मजबूत एवं आधुनिक करना चाहिए।

3.8.3 अपर्याप्त अग्नि सुरक्षा व्यवस्था

भण्डार गृह, जहौं बड़ी मात्रा में अस्त्र-शस्त्र, गोला बारूद एवं विस्फोटक पदार्थ रखे गये हों, हेतु पर्याप्त अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के प्रावधान अत्यन्त आवश्यक है।

अग्निशमन यन्त्र



लेखापरीक्षा में पाया गया कि अग्नि शमन अधिकारी, सीतापुर द्वारा केन्द्रीय भण्डार सीतापुर में अग्नि सुरक्षा संबंधी व्यवस्था की जाँच हेतु जून 2016 में स्थलीय निरीक्षण किया गया और तत्काल आवश्यक कदम जैसे प्रत्येक भण्डार गृह में फायर एक्सटिंगुशर की स्थापना, विस्फोटकों का भण्डारण तहखाने की बजाय भूतल पर करना, वेट राइजर तथा फायर हाइड्रेंट की स्थापना, 50,000 लीटर क्षमता के भूमिगत पानी के टैंक का निर्माण एवं 450 एलपीएम क्षमता के पम्प के साथ 10,000 लीटर क्षमता के टैंक का

निर्माण भवन की छत पर कराया जाना और परिसर के गेट पर धूमपान निषेध का बोर्ड लगाये जाने का सुझाव दिया गया।

उ0प्र0 शासन ने स्वीकार किया (फरवरी 2017) और अवगत कराया कि मुख्य अग्नि शमन अधिकारी के सुझाव पर एक प्रस्ताव केन्द्रीय भण्डार की वर्तमान अग्निसुरक्षा प्रणाली में कमियों का निस्तारण करने हेतु बनाया जा रहा है।

यह दर्शाता है कि केन्द्रीय भण्डार सीतापुर मार्च 2017 तक अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की बुनियादी सुविधाओं के बिना ही कार्य कर रहा था और विभाग द्वारा केन्द्रीय भण्डार सीतापुर में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के आधुनिकीकरण अथवा उच्चीकरण का कोई कार्य नहीं किया गया था यद्यपि देश में हथियारों तथा गोलाबारूद गोदामों के साथ-साथ अन्य नागरिक भवनों में आग लगने की बड़ी घटनाएँ प्रकाश में आयी थीं।

संस्तुति

अग्नि शमन अधिकारी, सीतापुर द्वारा सुझाए गये अग्नि शमन सुरक्षा संबंधी उपायों को प्राथमिकता के आधार पर केन्द्रीय भण्डार सीतापुर में लागू किया जाना चाहिए।

3.8.4 केन्द्रीय भण्डार में जनशक्ति की कमी

लेखापरीक्षा में पाया गया कि मार्च 2016 में केन्द्रीय भण्डार सीतापुर में विभिन्न पदों पर स्वीकृत नियतन 40 के सापेक्ष मात्र 16 अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत थे (**परिशिष्ट 3.4**) जनशक्ति में कमी उपनिरीक्षक एवं लिपिकीय/कार्यालयीय संवर्ग में थी जो अस्त्र-शस्त्र व गोला बारूद की सुरक्षा एवं अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी थे। इस प्रकार पर्याप्त जनशक्ति का अभाव केन्द्रीय भण्डार सीतापुर में भण्डारित अस्त्र-शस्त्र एवं गोलाबारूद की देखरेख, मरम्मत एवं सुरक्षा प्रभावित कर सकता था।

अध्याय 4


संचार व्यवस्था का आधुनिकीकरण

अध्याय 4

संचार व्यवस्था का आधुनिकीकरण

4.1 प्रस्तावना

कानून व्यवस्था की स्थापना के लिए पुलिस एवं प्रशासन को त्वरित एवं सुरक्षित संचार उपलब्ध कराने के लिए रेडियो मुख्यालय जिम्मेदार है। एक दक्ष अन्तर जनपद एवं अन्तरा जनपद संचार व्यवस्था की उपलब्धता इसे सुनिश्चित करना है। अन्तरा जनपद संचार थाने, चौकियों, मोबाइल इकाई, जिला पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों को जोड़ता है जिसके लिए जिला मुख्यालयों पर पुलिस रेडियो नियंत्रण कक्ष स्थापित होते हैं जो 24 घन्टे सक्रिय रहते हैं। अन्तर जनपदीय संचार के लिए प्रत्येक जनपद एवं राज्य रेडियो मुख्यालय पर रेडियो केन्द्र स्थापित हैं। राज्य मुख्यालय जोनल एवं रेंज मुख्यालयों से जुड़ा होता है जो एक दूसरे से एवं जिला मुख्यालयों से जुड़े होते हैं। पुलिस एवं प्रशासन में उपयोग के किए अति गोपनीय संचार भी रेडियो विभाग द्वारा भेजे जाते हैं।



अंतर जनपद संचार प्रणाली



अंतरा जनपद संचार प्रणाली

4.2 विभाग द्वारा उपयोग में लाये जाने वाली संचार प्रणालियाँ

रेडियो टेलीफोन एवं रेडियो टेलीग्राफी का एक नियंत्रित नेटवर्क विभाग द्वारा विकसित किया गया है। विभाग उपयोग में लाता है :

उच्च तीव्रता (एच एफ) प्रसार तंत्र- यह एक अन्तरा जनपद संचार प्रसार तंत्र है। सभी जिले एवं परिक्षेत्रीय मुख्यालय बेतार टेलीग्राफी द्वारा एचएफ रेडियो का उपयोग करते हुए राज्य मुख्यालय से जुड़े हैं।



<p>अति उच्च तीव्रता प्रसार तंत्र (वी एच एफ)— यह एक अन्तर जनपदीय प्रसार तन्त्र है जिसके द्वारा जिला मुख्यालयों पर स्थित नियंत्रण कक्षों से बेतार टेलीफोन द्वारा थाना, चौकियां, जिला पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी जुड़े होते हैं।</p>	
<p>परिक्षेत्रीय रिपीटर— परिक्षेत्रीय रिपीटर वी एच एफ रेडियो टेलीफोन संचार के दायरे को बढ़ाते हैं एवं परिक्षेत्रीय पुलिस अधीक्षक से बात करने के लिए उपमहानिरीक्षक को सक्षम बनाते हैं।</p>	
<p>बेतार आधारित सार्वजनिक संबोधन प्रणाली— धार्मिक एवं अन्य महत्पूर्ण स्थानों पर भीड़ नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था की स्थापना के लिए जिला पुलिस द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली यह सार्वजनिक सम्बोधन प्रणाली है।</p>	
<p>पुलिस संवाद प्रसार तंत्र (पोलनेट)—यह सेट लाइट आधारित अंतर एवं अन्तरा जनपद प्रसार तंत्र है। पोलनेट संचार प्रणाली मात्र संचार अभिव्यक्ति का साधन ही नहीं है बल्कि यह कम्प्यूटर अनुयोजकता, आंकड़ा संवाद एवं फैक्स भी प्रदान करता है।</p>	
<p>बन्द परिपथ टेलीवीजन (सी सी टी वी)— यह धार्मिक एवं अन्य संवेदशील स्थलों पर सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था की देखरेख के लिए वीडियो निगरानी हेतु उपयोग में आते हैं।</p>	
<p>कम्प्यूटर सहायतित डिस्प्यूच प्रणाली (सी ए डी एस)— यह एक आवाहन केन्द्र की तरह कार्य करता है जिसमें प्रभावित व्यक्ति आवाज आवाहन, एस एस, ईमेल द्वारा केन्द्र से पुलिस सहायता हेतु सम्पर्क करता है। जी पी एस सुसज्जित पुलिस गाड़िया ढूँढ़कर पीड़ित व्यक्ति तक पहुंचने के लिए निर्देशित की जाती है।</p>	

4.3 संचार उपकरण की प्राप्ति

रेडियो मुख्यालय ने भारत सरकार की पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत संचार प्रणाली के सुदृढ़ीकारण के लिए ₹ 198.21 करोड़ की आवश्यकता आधारित

योजना विचारार्थ प्रस्तुत किया (जनवरी 2010) जो 2011–16 की अवधि में कार्यान्वित की जानी थी। योजना के अनुसार संचार प्रणालियाँ वार्षिक रूप से सुदृढ़ की जानी थी एवं कमियाँ वित्तीय वर्ष 2015–16 के अन्त तक दूर की जानी थी। 2011–16 की अवधि में बजट की आवश्यकता, प्रस्तावित आबंटन एवं किया गया व्यय नीचे की सारणी में दिये गये हैं:


सारणी 4.1: पुलिस बल आधुनिकीकरण के अंतर्गत आबंटन एवं व्यय विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट आवश्यकता	आबंटन	व्यय	समर्पण प्रतिशत
2011-12	44.54	31.76	6.69	25.07 (79)
2012-13	53.76	28.00	5.94	22.06 (79)
2013-14	40.72	29.89	13.86	16.03 (54)
2014-15	25.28	33.86	17.32	16.54 (49)
2015-16	33.91	13.00	11.82	1.18 (9)
योग	198.21	136.51	55.63	80.88 (59)

(स्रोत: रेडियो मुख्यालय, लखनऊ)

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि ₹ 198.21 करोड़ की आवश्यकता के विरुद्ध रेडियो मुख्यालय ने ₹ 136.51 करोड़ संचार उपकरणों की खरीद के लिए प्राप्त किया परन्तु विभाग आबंटन का मात्र 41 प्रतिशत उपयोग कर सका। विभाग द्वारा क्रय आदेश का अंतिमीकरण न कर पाने के कारण निधि का उपयोग नहीं किया जा सका एवं इस प्रकार निधियों का उपयोग करने में असफल रहने के कारण पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत उपकरणों के क्रय की योजना बुरी तरह प्रभावित हुई एवं लक्ष्य के विरुद्ध उपकरणों की प्राप्ति की उपलब्धियाँ बहुत कम रहीं। संचार यंत्रों जैसे कि वी एच एफ सेट, एच एफ सेट, वी एच एफ हैण्ड हैण्ड सेट, वी एच एफ रिपोर्टर, कार्यक्रम इकाईयाँ इत्यादि की कमी लक्ष्य (2011–16) के विरुद्ध 50 से 100 प्रतिशत रहीं। महत्वपूर्ण संचार उपकरणों के लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धियाँ नीचे दिये गये चार्ट में दर्शायी गयी हैं तथा इनका विवरण **परिशिष्ट 4.1** में दिया गया है।



उत्तर में शासन द्वारा बताया गया (फरवरी 2017) कि क्रय नहीं किये जा सके क्योंकि विभिन्न वर्षों की पूर्ण आधुनिकीकरण योजनायें स्वीकृत नहीं थीं एवं सभी मदें राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति एवं भारत सरकार की उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित नहीं थीं। शासन ने यह भी बताया कि क्रय आधुनिकीकरण योजना के

अंतर्गत वार्षिक कार्ययोजना के अनुरूप प्राप्त स्वीकृतियों के अनुसार किये जाते हैं। पुनः शासन ने बताया कि मानदण्डों के अनुसार निविदायें बार-बार आमंत्रित की गई थीं। क्रय वित्तीय वर्ष 2011–12 में नहीं किये जा सके क्योंकि विधायी चुनाव 2012 की आचार संहिता लागू हो गई थीं।

शासन का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि अन्य वर्षों जैसे कि वर्ष 2011–12 से 2014–15 में भी बड़ा समर्पण था। आवश्यकता के अनुसार प्रस्ताव भेजना एवं इसके अनुमोदन की जिम्मेदारी विभाग एवं शासन की है। वित्तीय नियमों के अनुसार खुली निविदा की हमेशा अनुमति रहती है चाहे डी.जी.एस.एंड डी. दर अनुबंध उपलब्ध हो अथवा नहीं।

4.4. हैण्ड हेल्ड सेटों की कमी

प्रभावी संचार के लिए पुलिस अनुसंधान एवं विकास व्यूरो ने क्षेत्र इकाइयों के लिए प्रति तीन पुलिस जन के लिए एक वी एच एफ हैण्ड हेल्ड का मानदण्ड अनुसंशित किया था। जनवरी 2015 को 1,36,577 आरक्षी एवं मुख्य आरक्षी उपलब्ध थे। अतः मानदण्ड के अनुरूप स्वीकृत पदों के विरुद्ध 1,01,341 हैण्ड हेल्ड सेट एवं उपलब्ध आरक्षी एवं मुख्य आरक्षी के जनशक्ति के विरुद्ध 45,525 हैण्ड हेल्ड सेट उपलब्ध होने चाहिए थे।



हैण्डहेल्ड सेट

जबकि, जुलाई 2016 तक केवल 23,814 हैण्ड हेल्ड सेट (52 प्रतिशत) उपलब्ध थे एवं कमी उपलब्ध जनशक्ति के सापेक्ष 21,711 सेट (48 प्रतिशत) की एवं स्वीकृत जनशक्ति के सापेक्ष देखा जाय तो 76 प्रतिशत थी। पुनः उपलब्ध 23,814 हैण्ड हेल्ड सेट में से मात्र 16,119 सेट क्षेत्रीय इकाइयों में बांटे गये थे एवं 7,695 सेट भण्डार में रिजर्व के रूप में रखे गये थे। इस प्रकार हैण्ड हेल्ड सेट की क्षेत्र इकाइयों में वास्तविक उपलब्धता उपलब्ध जनशक्ति के विरुद्ध मात्र 16,119 (39 प्रतिशत) एवं स्वीकृत जन शक्ति के विरुद्ध 16 प्रतिशत थी।

पुनः बी0पी0आर0 एण्ड डी0 ऑकडे से उपलब्ध सूचना के अनुसार जनवरी 2016 तक 51 थानों के पास टेलीफोन नहीं थे एवं 17 थाने बिना बेतार सुविधा के चल रहे थे।

शासन ने अपने उत्तर में बताया (फरवरी 2017) कि पुलिस बल की भरे हुए पद की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मानदण्डों के अनुसार प्रस्ताव तैयार किये गये थे। 13,970 हैण्ड हेल्ड की प्राप्ति की प्रक्रिया प्रगति में थी एवं 14,445 हैण्ड हेल्ड सेट की प्राप्ति वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्रस्तावित थी। 7,695 सेटों को भण्डार में रखने के सम्बन्ध में कोई उत्तर नहीं दिया गया था। 51 थानों में टेलीफोन एवं 17 थानों में बेतार सुविधा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में कोई प्रयास नहीं किये गये थे।

4.5 आयु पूरी कर चुके संचार सेटों की सूची

संचार सेट की उपलब्ध संख्या 50,216 थी जिसमें से 33,089 सेट क्षेत्र इकाइयों में लगाये गये थे एवं अवशेष 17,127 सेट सुरक्षित रखे गये थे जैसाकि नीचे की सारणी में दिया गया है:

सारणी 4.2: संचार उपकरणों की उपलब्धता

उपकरण	उपलब्धता	तैनात	रेडियो मुख्यालय लखनऊ भण्डार में उपलब्ध					आयु पूर्ण	शुद्ध सक्रिय
			क्रियाशील	खराब	अव्यवहार्य	निष्प्रयोज्य	योग		
वीएचएफ सेट	21,645	14,785	2,612	24	1,683	2,541	6,860	15,124	6,521
वीएचएफपीए सेट	1,375	1,370	0	0	5	0	5	202	1,173
वीएचएफ बैकपैक सेट	948	948	0	0	0	0	0	269	679
वीएचएफ रिपोर्टर	214	134	2	0	47	31	80	147	67
आरओआइपी	9	9	0	0	0	0	0	0	9
यू एवं एफ सेट	12	0	0	0	9	3	12	12	0
हैण्ड हेल्ड सेट	25,327	15,412	2,582	30	4,217	3,086	9,915	17,518	7,809
एचएफ सेट	644	431	17	0	64	132	213	546	98
एचएफ बैकपैक सेट	42	0	0	0	42	0	42	42	0
योग	50,216	33,089	5,213	54	6,067	5,793	17,127	33,860	16,356

(स्रोत: रेडियो मुख्यालय, लखनऊ)

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि कुल 50,216 सेटों के स्वामित्व के विरुद्ध 33,089 सेट क्षेत्रीय इकाइयों में तैनात थे एवं 17,127 सेट भण्डार में जमा थे, 33,860 सेट जीवन अवधि पूरी कर चुके थे एवं केवल 16,356 सेट सक्रिय थे जिसमें से 5,213 सेट भण्डार में रखे गये थे। जीवन पूरी कर चुके सेटों को बदलने की आवश्यकता थी परन्तु ये क्षेत्रीय इकाइयों में अभी भी उपयोग में लाये जा रहे थे क्योंकि नये सेट क्रय नहीं किये गये थे। 2009 के बाद सेटों को बदला नहीं गया था। पुनः सुरक्षित रखे गये 17,127 सेटों में से केवल 5,213 सेट सक्रिय थे एवं 6,067 सेट उपयोगी नहीं थे। अनुपयोगी सेटों का मूल्य ₹ 7.62 करोड़ था। इस प्रकार 50,216 संचार उपकरणों में से केवल 16,356 सेट (33 प्रतिशत) सक्रिय थे एवं शेष 67 प्रतिशत अनुपयोगी, निष्प्रयोज्य अथवा अपनी आयु पूरी कर चुके थे।

शासन ने अपने उत्तर में बताया (फरवरी 2017) कि कानून व्यवस्था के विचार से वे सक्रिय सेट जो अपनी आयु पूरी कर चुके हैं, भण्डार में क्षेत्रीय इकाइयों/जनपदों से वापस नहीं किये जाते हैं जब तक कि उन्हें इन सेटों के स्थानापन्न नहीं मिल जाते हैं।

इस प्रकार शासन ने अपने उत्तर में स्वीकार किया कि अपनी आयु पूरी कर चुके सेटों का उपयोग विभाग में किया जा रहा था।

4.6 स्पेक्ट्रम (तरंग)प्रभार पर ₹ 57.66 करोड़ का परिहार्य व्यय।

संचार उद्देश्यों के लिए प्रयोग किये जा रहे बेतार सेटों पर तरंग प्रभार की उगाही से सम्बन्धित एक ज्ञापन, भारत सरकार के संचार मंत्रालय की बेतार योजना एवं समन्वय (डब्ल्यूपीसी) शाखा ने जारी किया (अप्रैल 2004)। ज्ञापन के अनुसार सभी सरकारी मंत्रालयों/विभागों/संगठनों को डब्ल्यू पीसी शाखा को वार्षिक तरंग प्रभार (लाइसेंस फीस एवं रायलटी) का भुगतान करना था। तरंग प्रभार के तय तिथि तक भुगतान की असफलता के मामलों में दो प्रतिशत प्रति माह की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि के साथ विलम्ब शुल्क का भुगतान किया जाना था।

अभिलेखों की जांच से प्रकाश में आया कि भारत सरकार के संचार मंत्रालय की डब्ल्यू पी सी शाखा की मांग एवं संचार मुख्यालय के लगातार अनुरोध के बावजूद तरंग प्रभार के भुगतान के लिए बजट का प्रावधान 2011–12 से 2014–15 तक नहीं किया गया। समय से तरंग प्रभार के भुगतान में असफलता के कारण डब्ल्यू पी सी द्वारा 2004–05 से 2016–17 तक ₹ 104.47 करोड़ का विलम्ब शुल्क लगाया गया जिसमें से ₹ 57.66 करोड़ का भुगतान विभाग द्वारा भारत सरकार को सितम्बर 2015 में किया गया। यदि विभाग ने समय से कार्यवाही किया होता एवं वार्षिक रूप से बजट में निधियां दी होती, ₹ 57.66 करोड़ के विलम्ब शुल्क के भुगतान से बचा जा सकता था।

शासन ने अपने उत्तर में बताया (फरवरी 2017) कि भारत सरकार को अगस्त 2016 में ₹ 0.89 करोड़ एवं अक्टूबर 2016 में ₹ 30.48 करोड़ का भुगतान सम्पूर्ण तरंग प्रभार के रूप में किया गया था। परन्तु शासन ने विलम्ब से भुगतान के सम्बन्ध में कोई उत्तर नहीं दिया जिसके कारण 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से विलम्ब शुल्क, वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि के साथ, ₹ 104.47 करोड़ की धनराशि डब्ल्यू पी सी द्वारा अधिरोपित की गई एवं विभाग द्वारा इसका भुगतान किया गया। यदि विभाग ने तरंग प्रभार का भुगतान समय से कर दिया होता तो यह टाला जा सकता था।

4.7 बिना अनुज्ञापत्र बेतार सेटों का उपयोग

भारत सरकार की दूरसंचार नीति के अनुसार, राज्य पुलिस बलों को समिलित करते हुए सभी बेतार उपयोग—कर्ताओं के द्वारा, बेतार उपकरणों के उपयोग के लिए अनुज्ञापत्र लिया जाना था। बेतार उपकरणों के लिए नये अनुज्ञापत्र जारी करने के लिए उपयोग कर्ता विभाग संचार मंत्रालय को निवेदन प्रस्तुत करते हैं। निवेदन की जांच के पश्चात्, संचार मंत्रालय निष्ठापत्र (लेटर ऑफ इन्टेन्ट) जारी करता है एवं विशेष दरों पर तरंग प्रभार की मांग करता है। उपयोग कर्ता विभाग को एक माह के अन्दर इन प्रभारों का भुगतान करना रहता है अन्यथा निष्ठा—पत्र (लेटर ऑफ इन्टेन्ट) रद्द हो जाता है एवं उपयोग कर्ता विभाग से नये निवेदन करना अपेक्षित रहता है। विशेष प्रभार का भुगतान करने के पश्चात्, मंत्रालय द्वारा सिद्धान्त सहमति (एग्रीमेंट इन प्रिंसिपिल) जारी किया जाता है जिसके पश्चात् उपयोग कर्ता बेतार उपकरणों के क्रय एवं उपयोग के लिए अधिकृत हो जाता है।

अभिलेखों की जांच से प्रकाश में आया कि उत्तर प्रदेश पुलिस की संचार शाखा ने विभिन्न प्रकार के 1,486 सेट के लिए नवम्बर 2013 में एवं 1,189 सेटों के लिए अक्टूबर 2014 में निष्ठापत्र (लेटर ऑफ इन्टेन्ट) जारी करने के लिए आवेदन किया। संचार मंत्रालय ने इन विधियों के लिए निष्ठापत्र (लेटर ऑफ इन्टेन्ट) जारी किया एवं लाइसेंस शुल्क के रूप में क्रमशः ₹ 0.52 करोड़ एवं ₹ 0.39 करोड़ की मांग की। विभाग, इस धनराशि का भुगतान अनुसूचित अवधि में करने में असफल रहा जिससे निष्ठापत्र (लेटर ऑफ इन्टेन्ट) कालातीत हो गये। उत्तर प्रदेश पुलिस की संचार शाखा ने 4,374 अतिरिक्त सेटों के लाइसेंस के लिए पुनः 2014–16 में आवेदन किया परन्तु लाइसेंस निर्गत नहीं किये गये थे। परन्तु सम्प्रेक्षा ने पाया कि पुलिस विभाग ने बेतार विधियों का क्रय किया एवं वांछित लाइसेंस प्राप्त किये बिना इनका उपयोग कर रहा था।

शासन ने अपने उत्तर में बताया (फरवरी 2017) कि भारत सरकार के संचार मंत्रालय से रेडियो केन्द्रों के लिए लाइसेंस देने की प्रक्रिया जटिल एवं समयबद्ध है जिसके अंतर्गत तरंग प्रभार के भुगतान के लिए अनुज्ञेय समय केवल 30 दिन है। इस सीमित

समय में तरंग प्रभार के रूप में प्राककलित बड़ी धनराशि की स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है जिसके परिणाम स्वरूप विभाग बार-बार प्रक्रिया को दोहराता है।

उत्तर स्वीकार करने योग्य नहीं था क्योंकि नियमतः राज्य पुलिस बेतार उपकरणों के उपयोग के लिए लाइसेंस लेने के लिए अपेक्षित है जो नहीं किया गया था।

4.8 उपयोगी जीवन काल पूरा कर चुके उपकरणों की प्रतिस्थापना

अपना उपयोगी जीवनकाल पूरा कर चुके उपकरणों⁵ का क्रय करने के लिए ₹ 45.04 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति मार्च 2014 में प्रदान की गई। फिर भी क्रय नहीं किये गये क्योंकि क्रय आदेशों का अन्तिमीकरण नहीं किया गया था अतः धनराशियाँ समर्पित कर दी गई। पुनः सितम्बर 2014 में इन उपकरणों की प्राप्ति के लिए ₹ 43.54 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई परन्तु नयी स्वीकृति के अनुसार मात्रा घटा दी गयी इस मध्य ₹ 2.07 करोड़ के प्रशासनिक शुल्क के साथ अनुबन्ध प्रक्रिया एवं आपूर्ति आदेश के अन्तिमीकरण के लिए वाहय ठेका हेतु उत्तर प्रदेश सरकार के उपक्रम “श्रीटान इण्डिया लि०” को नियुक्त किया गया एवं सलाहकार फर्म द्वारा निविदा प्रक्रिया पूरी कर दी गई। फिर भी फर्म को अभी तक भुगतान निर्गत किया जाना है। तथ्य यह था कि वांछित विधियाँ 2015–16 तक प्राप्त नहीं की जा सकी थी। एच०एफ० एवं वी०एच०एफ० सेटों का न होना विभाग में सन्देशों के प्रेषण को प्रभावित कर सकता था। सम्प्रेक्षा ने आगे पाया कि अप्रयुक्त ₹ 43.54 करोड़ की धनराशि पुलिस आवास निगम के पी०एल०ए० में जमा की गई थी जिसमें से ₹ 4.07 करोड़ डी०जी०एस० एण्ड डी० दर अनुबन्ध पर एस०एम०एफ० हैवी ड्यूटी बैटरी के क्रय के लिए 2016–17 में उपयोग किया गया। वित्तीय वर्ष के बन्दी के बाद पी०एल०ए० में धनराशि रखना नियमों के अंतर्गत अनुमन्य नहीं था एवं इस प्रकार निधियों को रोके रखने का विभाग का कृत्य अनियमित था।

शासन ने अपने उत्तर में बताया (फरवरी 2017) कि शान्ति व्यवस्था के विचार से वे क्रिया शील सेट यद्यपि कि इन्होंने अपनी आयु पूरी कर ली है इकाइयों/जिलों से भण्डार में वापस नहीं किये जाते हैं जब तक कि इन सेटों के स्थानापन्न पाप्त नहीं हो जाते हैं।

इस प्रकार शासन ने अपने उत्तर में स्वीकार किया कि संचार सेट जो अपनी उपयोगी आयु पूरी कर चुके थे विभाग में उपयोग किये जा रहे थे।

4.9 पुलिस दूरसंचार संजाल (पोलनेट)

पोलनेट एक उपग्रह आधारित संचार प्रणाली है जो गृह मंत्रालय द्वारा राज्य के 56 जिलों में स्थापित की गई थी (2003–04) यह सुविधा भारत सरकार द्वारा सभी राज्य बलों एवं केन्द्रीय बलों को उपलब्ध कराई गई थी एवं नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय हब (केन्द्र) स्थापित किया गया था। वर्ष 2003–04 में स्थापित पोलनेट वी सेट के 56 सेटों के लिए लागत ₹ 3.10 करोड़ थी।



⁵ वीएचएफ सेट-8192, हैण्ड हैल्ड सेट-10574, एफ सेट-438, बैट्री-10578।

आपदा प्रबन्धन के लिए यह प्रणाली अधिक विश्वसनीय एवं प्रभावी थी। संचार सेवाएं राज्य एवं केन्द्रीय पुलिस बलों के मध्य, सामान्य संचालन के साथ-साथ विशेष घटनाओं यथा चुनाव, अति महत्वपूर्ण लोगों के आवागमन, न्यायालयी मामलों, विदेशी नागरिकों एवं अन्य संवेदनशील मामलों के लिए शान्ति व्यवस्था से सम्बन्धित संदेशों के आदान प्रदान के लिए उपयोग में लाये जा रहे थे। पोलनेट 2006 से कार्य करना प्रारम्भ किया था।

सम्प्रेक्षा ने पाया कि स्थापित 56 पोलनेट के विरुद्ध केवल 38 (67 प्रतिशत) क्रियाशील थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि विभाग द्वारा वार्षिक अनुरक्षण अनुबन्ध (ए०ए०सी०) का अंतिमीकरण नहीं किया गया था। ए०ए०सी० के अभाव में 18 जिलों में पोलनेट कार्य करना बन्द कर दिया था।

शासन ने अपने उत्तर में बताया (फरवरी 2017) कि पोलनेट मेसर्स भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड के साथ ए०ए०सी० के अन्तर्गत मरम्मत किये जा रहे थे। यद्यपि मेसर्स भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड ने ए०ए०सी० इन्कार कर दिया क्योंकि अनुरक्षण के लिए अतिरिक्त कल पुर्जे बाजार में उपलब्ध नहीं थे। अब पोलनेट प्रणाली का उच्चीकरण भारत सरकार के स्तर पर प्रक्रिया में था जिसके अन्तर्गत 56 जिलों में पूर्व में स्थापित की गयी पोलनेट प्रणाली का उच्चीकरण एवं 19 जिलों में नये पोलनेट केन्द्रों की स्थापना, पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 में रेडियो मुख्यालय द्वारा प्रस्तावित की गई थी।

4.10 आधुनिक तकनीक अपनाने में विलम्ब

विभाग ने राज्य में विस्तृत वी०एच०एफ० ग्रिड की स्थापना की थी जिसमें एनालाग स्थिर/मोबाइल रेडियो सेट, हैण्डहेल्ड रेडियो सेट एवं आई०पी० आधारित नियंत्रक/रिपीटर सेट वर्ष 2014–15 तक प्रति वर्ष क्रय किये जा रहे थे। पुलिस महानिदेशक ने नवम्बर 2015 में निर्णय लिया कि एनालाग सेट किसी भी स्थिति में क्रय नहीं किये जायेंगे। इस प्रकार भविष्य में केवल डिजिटल रेडियो सेट खरीदे जाने थे। इसके अंतर्गत ₹ 1.96 करोड़ की लागत से खरीद के लिए प्रस्तावित 1,204 एनालाग सेट, डिजिटल सेटों से बदल दिये गये। विभाग ने वी०एच०एफ० रेडियो ग्रिड में कार्य करने वाले सभी एनालाग सेटों को आयु पूरी करने (8 वर्ष) पर 2016–17 से प्रारम्भ करके 2023–24 तक वार्षिक रूप से चरणबद्ध रूप में बदलने का निर्णय किया। एनालाग सेटों के बदलने की प्रस्तावित आगणित लागत 12,046 अदद स्टेटिक/मोबाइल सेटों, 6418 हैण्ड हेल्ड रेडियो सेटों एवं 67 रिपीटर सेट के लिए क्रमशः ₹ 36.13 करोड़, ₹ 19.25 करोड़ एवं ₹ 1.00 करोड़ थी। ये एनालाग सेट 2007–08 से 2014–15 तक क्रय किये गये थे। विभाग का 2014–15 तक लगातार एनालाग सेट खरीदना बहुत अविवेक पूर्ण था एवं संचार में आधुनिक उन्नत तकनीक को अपनाने के लिए दक्ष नियोजन की कमी को दर्शाता था।

4.11 आधे से अधिक जिलों में जी०पी०एस० प्रणाली का कार्य न करना

जनपद झाँसी में जी०पी०एस० प्रणाली से सुसज्जित 49 वाहन नगर नियंत्रण कक्ष से वाहनों की खोज के लिए जोड़े गये थे जिससे किसी अप्रिय घटना की स्थिति में नजदीकी वाहन को बिना विलम्ब स्थल तक पहुंचने के लिए निर्देशित किया जा सके। यद्यपि सम्प्रेक्षा ने पाया कि जी०पी०एस० प्रणाली से सुसज्जित 49 वाहनों में से 28 वाहनों के जी०पी०एस० तकनीकी कारणों से अगस्त 2015 से कार्य नहीं कर रहे थे। मुरादाबाद में मार्च 2014 एवं नवम्बर 2015 के अन्तर्गत 56 जी०पी०एस० प्रणाली क्रय किए गये थे। परन्तु ये प्रणालियां कार्यशील नहीं थीं क्योंकि पोस्टपेड सिम के किराया

प्रभार का भुगतान नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप पुलिस वाहनों में आधारभूत तकनीकी क्षमता का अभाव था जैसे कि वाहनों की खोज के लिए नकशों का उपयोग जोकि उबेर, ओला जैसी टैक्सी में भी उपलब्ध थे।

लेखापरीक्षा आपत्तियों पर शासन द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया।

4.12 एक तिहाई से अधिक सी०सी०टी०वी० कैमरों का अक्रियाशील रहना

सी०सी०टी०वी० कैमरा भीड़ नियंत्रण, यातायात प्रबन्धन, महत्वपूर्ण घटना स्थलों का अनुश्रवण, शान्ति एवं सुरक्षा सुनिश्चित करना एवं कानून व्यवस्था के प्रबन्धन हेतु पुलिस द्वारा उपयोग में लाये जाते हैं। महत्वपूर्ण नगरों में नगर निगरानी प्रणाली में भी सी०सी०टी०वी० कैमरा उपयोग में लाये जाते हैं। जहाँ पर सी०सी०टी०वी० कैमरा लगाये गये हैं उन स्थानों पर घट रही क्रियाओं के अनुश्रवण के लिए ये कैमरे नियंत्रण कक्ष से जुड़े होते हैं।



सी०सी०टी०वी० द्वारा नगर निगरानी

सम्प्रेक्षा ने पाया कि 15 नमूना जॉच जिलों में स्थापित 691 सी०सी०टी०वी० कैमरों में से 269 (39 प्रतिशत) तकनीकी कमियों अथवा ए०एम०सी० का अंतिमी करण न होने के कारण कार्य नहीं कर रहे थे। पुनः एक धार्मिक स्थल पर स्थापित 40 सी०सी०टी०वी० कैमरों में से 13, वरिष्ठ पुलिस अधिक्षक फैजाबाद द्वारा किये गये ए०एम०सी० के लिए लगाई गई फर्म द्वारा असंतोषजनक सेवा के कारण कार्य नहीं कर रहे थे (**परिशिष्ट 4.2**) सी०सी०टी०वी० कैमरों की असफलता ने कैमरा अधिष्ठापन के उद्देश्य को विफल किया एवं सामान्य लोगों के साथ-साथ अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों के जीवन को खतरे में डाला। इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल की सुरक्षा को जोखिम में डाला।

लेखापरीक्षा आपत्तियों पर शासन द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया।

4.13 अक्रियाशील आधुनिक नियंत्रण कक्ष कानपुर

डायल 100 पर आवाहन करने पर आवाहन कर्ता को तुरन्त पुलिस सहायता उपलब्ध कराने के लिए रेडियो मुख्यालय, लखनऊ द्वारा भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम, टेल कम्प्यूनिकेशन्स कन्सलटेन्ट इन्डिया लिमिटेड के माध्यम से ₹ 6.60 करोड़ की लागत से कानपुर में आधुनिक नियंत्रण कक्ष (एम०सी०आर०) स्थापित किया गया था (फरवरी 2014)। एम०सी०आर० ने फरवरी 2014 में कार्य प्रारम्भ किया। अनुबन्ध के अनुसार आपूर्ति कर्ता टी०सी०आइ०एल० ने दो वर्ष की अवधि के लिए फरवरी 2016 तक उपकरणों का अनुरक्षण किया। सम्प्रेक्षा ने पाया कि दो वर्ष की वारण्टी अवधि समाप्त होने एवं विभाग की असफल ए०एम०सी० के लिए अनुबन्ध करने के अनिश्चय के

कारण टी0सी0आइ0एल0 ने उपकरण चालू रखने के लिए सेवाएं देना बन्द कर दिया। परिणामस्वरूप एम0सी0आर0 ने कार्य करना बन्द कर दिया (फरवरी 2016) एवं इस प्रकार जनपद कानपुर में एम0सी0आर0 के माध्यम से संचालित होने वाली डायल 100 योजना ने कार्य करना विगत 6 माह से बन्द कर दिया। प्रणाली अब भी 31 अगस्त 2016 तक कार्य नहीं कर रही थी जिससे योजना पर किया गया व्यय ₹ 6.60 करोड़ अलाभकारी हो गया एवं परिणामस्वरूप राज्य पुलिस आकस्मिकता की स्थिति में आवाहक को सहायता उपलब्ध कराने में समर्थ नहीं हो पायी।

शासन ने उत्तर में बताया (फरवरी 2017) कि आधुनिक नियन्त्रण कक्ष कानपुर की ए0एम0सी0 के लिए ₹ 1.55 करोड़ का प्रस्ताव महानिरीक्षक कानपुर जोन द्वारा पुलिस मुख्यालय को (मई 2016 में) भेजा गया था जो अभी तक लम्बित था।

4.14 मानव शक्ति की कमी

पुलिस संचार प्रणाली के संचालन एवं रखरखाव के लिए विभिन्न संवर्ग में रेडियो स्टाफ उत्तरदायी था। उपकरणों के संचालन एवं रखरखाव के लिए अराजपत्रित तकनीकी कर्मचारी मुख्य रूप से उत्तरदायी थे। सम्प्रेक्षा ने पाया कि जुलाई 2016 तक अराजपत्रित रेडियो संवर्ग में 1431 (25 प्रतिशत) की कमी थी जिसमें निरीक्षक, उपनिरीक्षक, आपरेटर शामिल थे जो जिला रेडियो केन्द्र, जिला नियंत्रण कक्ष एवं रेडियो कार्यशाला के संचालन के लिए जिम्मेदार थे। आगे सम्प्रेक्षा ने पाया कि 18 नव स्थापित जिलों में अराजपत्रित श्रेणी में 612 पद स्वीकृत नहीं हुए थे।

स्वीकृति के विरुद्ध कर्मचारियों की कमी एवं नवसृजित जनपदों के लिए पद स्वीकृति में विफलता पुलिस संचार के संचालन एवं रख—रखाव को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती थी। संचार शाखा में 2006 के बाद कोई नियुक्ति नहीं हुई थी।

सारणी 4.3: संचार शाखा में मानव शक्ति की स्थिति

पद नाम	स्वीकृत पद	उपलब्धता	कमी
राजपत्रित अधिकारी	63	41	22 (35 प्रतिशत)
अराजपत्रित अधिकारी	5,710	4,279	1,431 (25 प्रतिशत)
परिवहन शाखा	73	53	20 (27 प्रतिशत)
ग्रुप डी कर्मचारी	664	525	139 (21 प्रतिशत)
योग	6,510	4,898	1,612 (25 प्रतिशत)

(स्रोत: रेडियो मुख्यालय लखनऊ)

शासन ने अपने उत्तर (फरवरी 2017)में बताया कि राज्य के 18 जनपदों के मुख्यालय पर रेडियो प्रणाली के संचालन के लिए अराजपत्रित पद अभी तक स्वीकृत नहीं किए गए थे जबकि उपकरणों का प्रबन्धन आधुनिक योजना के अन्तर्गत किया जा रहा था।

क्राइम एण्ड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एण्ड सिस्टम

क्राइम एण्ड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एण्ड सिस्टम की निष्पादन लेखापरीक्षा वर्ष 2015–16 में सम्पादित की गयी तथा निष्कर्षों को भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (जनरल एवं सोशल सेक्टर) 31 मार्च 2015 को समाप्त हुये वर्ष के लिए प्रतिवेदन के अध्याय-2 में सम्मिलित किया गया था। उल्लिखित प्रतिवेदन में अपर्याप्त परियोजना क्रियान्वयन तथा क्राइम एण्ड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एण्ड सिस्टम को पूर्णतया परिचालन में गम्भीर विलम्ब पर समीक्षा/टिप्पणी की गयी थी।



4.15 नेटवर्क बुनियादी ढांचा एवं निष्पादन

अनुबन्ध के अनुसार (अप्रैल 2012) भारत संचार निगम लिमिटेड को विभिन्न तकनीकों यथा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क ओवर ब्राडबैण्ड (वी०पी०ए०ओ०बी०बी०), वर्न्ड वाइड इन्टर आपरेबिलिटी फार माइक्रोवेव एक्सेस (वाई मेक्स) एवं वेरी स्माल एपर्चर टर्मिनल (वी सेट) का उपयोग करते हुये पुलिस स्टेशनों/उच्चतर कार्यालयों से राज्य डेटा केन्द्र एवं राज्य डेटा केन्द्र से राष्ट्रीय डेटा केन्द्र तथा आपदा बहाली केन्द्र के मध्य नेटवर्क कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना था। भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा उपलब्ध करायी गयी कनेक्टिविटी की स्थिति, नीचे सारणी में दर्शायी गयी है:

सारणी 4.4 मार्च 2016 तक कनेक्टिविटी की स्थिति

कनेक्टिविटी	कनेक्टिविटी की स्थिति			कनेक्टिविटी प्रतिशतता (उपलब्ध)
	अपेक्षित कनेक्टिविटी	उपलब्ध कनेक्टिविटी	अनुपलब्ध कनेक्टिविटी	
वी.पी.एन.ओ.बी.बी.	2171	1916	255	88
वी.पी.एन.ओ.वाई मेक्स	193	175	18	91
वी सेट	123	00	123	00
योग	2487	2091	396	84

(स्रोत: उत्तर प्रदेश पुलिस तकनीकी सेवायें कनेक्टिविटी प्रगति रिपोर्ट मार्च 2016)

उपर्युक्त सारणी से यह स्पष्ट है कि केवल 84 प्रतिशत कनेक्टिविटी उपलब्ध करायी गयी थी।

भारत संचार निगम लिमिटेड के साथ किये गये सेवा स्तरीय अनुबन्ध के अनुसार 97 प्रतिशत से अधिक अपटाइम उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना था। प्रणाली की अपटाइम प्रतिशत उपलब्धता की स्थिति नीचे सारणी में अंकित है:

सारणी 4.5: सिस्टम में अपटाइम प्रतिशत उपलब्धता की स्थिति

प्रतिशत उपलब्धता	100–80 प्रतिशत	79–60 प्रतिशत	59–40 प्रतिशत	39–20 प्रतिशत	19–01 प्रतिशत	शून्य प्रतिशत
लिंक्स की संख्या	951	723	183	81	153	396
						2,487

(स्रोत: उत्तर प्रदेश पुलिस तकनीकी सेवायें नेटवर्क अनुश्रवण प्रणाली रिपोर्ट (01 मार्च 2016 से 31 मार्च 2016)

यह परिचायक था कि 16 प्रतिशत स्थानों (396) पर अप लिंक कनेक्शन एक बार भी नहीं हुआ, जबकि केवल 38 प्रतिशत स्थानों (951) पर अपटाइम कनेक्टिविटी 80 प्रतिशत से अधिक थी, जो यह दर्शाता है कि नेटवर्क निष्पादन कमज़ोर था। भारत संचार निगम लिमिटेड/प्रणाली समाकलक/उत्तरप्रदेश पुलिस तकनीकी सेवायें के साथ इन मामलों (कमज़ोर नेटवर्क) को हल करने में विफल रहा यथा लाइन की

कमियों को समाप्त करने में असफलता मोडम की अनुपलब्धता, पर्याप्त बैण्ड विडथ की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा अति विलम्ब से कमियों को हल करना इसके कारक रहे।

4.16 मूल सेवाओं के लिये कोर एप्लीकेशन साफ्टवेयर का परिचालन एवं उपयोग

लेखापरीक्षा में पाया गया कि क्राइम एण्ड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एण्ड सिस्टम अद्यतन पूर्ण रूप से परिचालित नहीं है। कोर एप्लीकेशन साफ्टवेयर के मूल मॉड्यूलों में चार मॉड्यूल सम्मिलित थे यथा प्रस्तुत शिकायतों को दर्ज करने एवं उस पर अनुक्रिया जनित करने के लिये पंजीकरण मॉड्यूल, अपराध एवं जॉच विवरणों, गिरफ्तारी कार्ड, सम्पत्ति जब्ती आदि को दर्ज करने के लिये विवेचना मॉड्यूल, किसी पंजीकृत अभियोजन से सम्बन्धित विस्तृत विवरणों को दर्ज करने के लिये अभियोजन मॉड्यूल, नागरिकों द्वारा आन लाइन शिकायत दर्ज करने एवं शिकायतों की स्थिति देखने के लिये जन केन्द्रित पोर्टल एवं विशिष्ट मापदण्ड पर खोज से सम्बन्धित खोज आख्या मॉड्यूल।

चयनित जनपदों में कोर एप्लीकेशन साफ्टवेयर क्रियान्वयन के अध्ययन से ज्ञात हुआ कि:

- चार मॉड्यूलों में से केवल पंजीकरण मॉड्यूल का उपयोग प्रथम सूचना रिपोर्ट के पंजीकरण हेतु, किया जा रहा है। शेष मॉड्यूल यथा विवेचना, अभियोजन एवं खोज मॉड्यूलों का उपयोग अद्यतन पुलिस प्राधिकारियों द्वारा नहीं किया जा रहा है, यद्यपि सूचना तन्त्र विकसित हो चुके हैं।
- 1,504 पुलिस स्टेशनों में से केवल 1,461 पुलिस स्टेशन कोर एप्लीकेशन साफ्टवेयर के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट का पंजीकरण कर रहे थे (मार्च 2016)। इस प्रकार कोर एप्लीकेशन के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट का पंजीकरण भी राज्य के सभी पुलिस स्टेशनों में क्रियान्वित नहीं हुआ था।
- जन केन्द्रित पोर्टल सेवायें, जिन्हे पुलिस पोर्टल एवं एस.एम.एस. के द्वारा उपलब्ध कराया जाना था, को पूरी तरह से क्रियाशील किया जाना शेष था तथा 31 मार्च 2016 तक आरम्भ नहीं किया गया था।
- चयनित जनपदों से सम्बन्धित जनवरी 2013 से मार्च 2016 तक की कोर एप्लीकेशन साफ्टवेयर से प्राप्त रिपोर्ट से ज्ञात हुआ कि एप्लीकेशन साफ्टवेयर डेटाबेस के सम्पत्ति जब्ती मॉड्यूल (एकीकृत सूचना प्रपत्र-iv) में बहुत कम सूचना उपलब्ध थी (**परिशिष्ट 4.3**)

संस्कृतियाँ

- राज्य पुलिस में संचार संजाल के बेहतर संचालन एवं अनुरक्षण के लिए मानव शक्ति की उपलब्धता, विशेषकर तकनीकी क्षेत्र में, उन्नत की जानी चाहिए।
- आवश्यक उपकरणों की प्राप्ति में शीघ्रता लाकर एवं अप्रचलित उपकरण/तकनीक प्रतिस्थापित करके बजट उपभोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- प्राप्त उपकरणों का एएमसी नियोजित एवं यथा समय कार्यान्वित होना चाहिए।

अध्याय 5

पुलिस मोबिलिटी में सुधार

अध्याय 5

पुलिस मोबिलिटी में सुधार

5.1 प्रस्तावना

मोबिलिटी को घटनास्थल पर किसी पुलिस बल की इकाई के पहुंचने की क्षमता के रूप में मापा जाता है। पुलिस की शीघ्र प्रतिक्रिया, पुलिस की कार्यक्षमता का विश्वसनीय संकेतक होने के अलावा बहुमूल्य जीवन को बचाने में मदद, कानून एवं व्यवस्था को लागू करने एवं सार्वजनिक एवं निजी सम्पत्ति की सुरक्षा करती है। बीपीआरएण्डडी ने पुलिस स्टेशन, जिला सशस्त्र रिजर्व एवं सशस्त्र पुलिस वाहिनी के लिये आवश्यक विभिन्न प्रकार के क्रियाशील वाहनों जैसे भारी/मध्यम/हल्के वाहनों एवं मोटर साइकिल के विभिन्न स्तर निर्धारित किये हैं।



सर्विलांस वाहन

5.2 वाहनों की उपलब्धता

सिविल पुलिस: बीपीआरएण्डडी की संस्तुति के अनुसार, राज्य के 75 जनपदों के लिये सिविल पुलिस को चार प्रकार के 11,426 वाहनों (भारी वाहन, मध्यम वाहन, हल्के वाहन एवं मोटर साइकिल) की आवश्यकता थी। आवश्यक वाहनों की संख्या जनपदों में पुलिस स्टेशनों की संख्या पर निर्भर होती है। अभिलेखों की जांच में पाया गया कि बीपीआरएण्डडी की संस्तुति (*परिशिष्ट 5.1*) की तुलना में नागरिक पुलिस के पास केवल 8,288 (73 प्रतिशत) वाहन उपलब्ध थे। इस प्रकार, सिविल पुलिस के लिये 27 प्रतिशत वाहनों की कमी थी एवं मध्यम वाहन जो गश्त के लिये उपयोग में लाये जाते हैं, में अत्याधिक 68 प्रतिशत की कमी थी। वाहनों की कमी सिविल पुलिस की मोबिलिटी विशेषकर उनके गश्त कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है जो राज्य में कानून एवं व्यवस्था को प्रभावित कर सकती है।



पेट्रोलिंग वाहन

प्रान्तीय सशस्त्र दल (पीएसी): बीपीआरएण्डडी के मानकों के अनुसार, राज्य में अपनी भूमिका एवं कार्यों के प्रभावी निर्वहन के लिये पीएसी को चार प्रकार के 2,112 वाहनों (भारी वाहन, मध्यम वाहन, हल्के वाहन एवं मोटर साइकिल) की आवश्यकता थी। अभिलेखों की जांच में पाया गया कि पीएसी के पास वर्ष 2015–16 में केवल 1,502 (71 प्रतिशत) वाहन (*परिशिष्ट 5.2*) उपलब्ध थे। इस प्रकार, पीएसी में कुल मिलाकर 29 प्रतिशत वाहनों की कमी थी एवं मध्यम वाहन की कमी अत्याधिक 75 प्रतिशत की थी। पीएसी के पास इतने अधिक वाहनों की कमी किसी आकस्मिकता में उनकी मोबिलिटी को निश्चित ही प्रतिकूल प्रभावित करेगी।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार (फरवरी 2017) किया गया एवं बताया गया कि बीपीआरएण्डडी के मानकों के अनुसार जिला पुलिस/पीएसी के लिये वाहनों का क्रय किया गया है तथा भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश शासन की प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति के बाद एमपीएफ योजना के लिये बजट का प्रावधान किया गया है।

5.3 जनपदों में वाहनों की अतार्किक तैनाती

जिला पुलिस को, पुलिस मुख्यालय द्वारा स्वीकृत संख्या के अनुसार वाहनों का आवंटन किया जाना चाहिये। लेखापरीक्षा ने देखा कि जनपदों में वाहनों की तैनाती जनपदों में कमी के तर्कसंगत विश्लेषण पर आधारित नहीं थी जैसे कि 43 जनपदों में 11 से 46 प्रतिशत वाहनों की कमी थी जबकि 32 जनपदों में अधिकता अथवा कमी का अन्तर अत्यन्त कम था जैसा कि **परिशिष्ट 5.3** में विवरण दिया गया है।

5.4 पुलिस स्टेशनों पर वाहनों की कम तैनाती

क्षेत्रीय इकाईयों में वाहनों का प्राधिकरण बीपीआरएण्डडी द्वारा मानकीकृत था जैसे शहरी पुलिस स्टेशन में तीन हल्के वाहन एवं ग्रामीण पुलिस स्टेशन में दो हल्के वाहन। नमूना—जांच जनपदों के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि वाहनों की तैनाती बीपीआरएण्डडी की संस्तुतियों के अनुसार नहीं की गयी थी। 15 नमूना—जांच जनपदों में से 10 जनपदों के ग्रामीण पुलिस स्टेशनों में हल्के वाहनों की कम तैनाती थी जिसमें

से चार जनपदों में विकट कमी थी जैसे ग्रामीण पुलिस स्टेशनों में झांसी और सीतापुर (50 प्रतिशत), मथुरा (55 प्रतिशत) और कुशीनगर (63 प्रतिशत), 12 जनपदों के शहरी पुलिस स्टेशनों में हल्के वाहनों की कम तैनाती थी। इन जनपदों में से 8 जनपदों में हल्के वाहनों की कम तैनाती 50 प्रतिशत से अधिक (कुशीनगर, देवरिया, प्रतापगढ़ 50 प्रतिशत, शाहजहांपुर 55 प्रतिशत,



मेरठ 57 प्रतिशत, मथुरा 64 प्रतिशत, सीतापुर 66 प्रतिशत से अधिक एवं झांसी 67 प्रतिशत) थी जैसा कि **परिशिष्ट 5.4** में विवरण दिया गया है। वाहनों की खरीद के लिये बजट उपलब्ध होने के बावजूद, विभाग द्वारा एमपीएफ योजना का ₹ 4.24 करोड़ एवं राज्य बजट का ₹ 16.81 करोड़ समर्पित कर दिया गया जिसकी चर्चा अगले प्रस्तर में की गयी है।

राज्य में कुल मिलाकर 27 प्रतिशत वाहनों की कमी थी एवं इस प्रकार जनपदों में अत्यन्त कमी इस बात का संकेत थी कि जनपदों में बिना किसी तर्कसंगत विश्लेषण एवं राज्य के कुछ जनपदों से अन्य जनपदों में विचलन कर वाहनों की तैनाती की गयी थी। यह मोबिलिटी को और इस प्रकार इन जनपदों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगी।

5.5 वाहनों का क्रय न करना तथा बजट का समर्पण

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2011–16 की अवधि में एमपीएफ योजना के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के वाहनों के क्रय के लिये ₹ 72.34 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गयी थी।

राज्य सरकार द्वारा भी इस अवधि में वाहनों के क्रय के लिये ₹ 216.79 करोड़ की धनराशि स्वीकृत एवं अवमुक्त की गयी थी। यद्यपि, विभाग बजट का पूर्ण उपयोग नहीं कर सका एवं ₹ 21.05 करोड़ (एमपीएफ योजना का ₹ 4.24 करोड़ एवं राज्य बजट का ₹ 16.81 करोड़) व्यय नहीं किया गया (परिशिष्ट 5.5)। बजट का पूर्ण उपयोग करने में विफलता के कारण विभाग स्वीकृत 6,539 वाहनों के सापेक्ष केवल 6,367 वाहनों का क्रय कर सका (परिशिष्ट 5.6)।

5.6 निष्प्रयोज्य वाहनों के प्रतिस्थापन के सापेक्ष वाहनों का अनियमित क्रय

सरकारी लेखा नियमों एवं उत्तर प्रदेश बजट मैन्युअल के अनुसार, “प्रतिस्थापन व्यय शासकीय लेखा के राजस्व व्यय शीर्ष के नामे डाले जाने योग्य हैं”। लेखापरीक्षा जांच से प्रकाश में आया कि 2011–16 की अवधि में पूंजीगत शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 153.89 करोड़ का व्यय निष्प्रयोज्य वाहनों के प्रतिस्थापन के लिये किये गये थे और विधान मण्डल को व्यय की गलत रिपोर्टिंग का कारण बने (परिशिष्ट 5.7)।

उप्र शासन द्वारा लेखापरीक्षा निष्कर्ष को स्वीकार (फरवरी 2017) किया गया और कहा गया कि असाधारण परिस्थितियों में राज्य में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को बनाये रखने के लिये पुर्णविनियोग के द्वारा बजट में प्रावधान किया जा रहा है तथा वाहनों की कमी पर नियन्त्रण पाने के लिये वाहनों का क्रय किया गया था।

5.7 निष्प्रयोज्य वाहनों के सापेक्ष वाहनों का क्रय न करना

शासनादेश (2009) द्वारा कहा गया कि जनपद/इकाई/पीएसी कार्पस, के निष्प्रयोज्य वाहनों के सापेक्ष जब एक नया वाहन क्रय किया जाय तो उसे उसी इकाई को आवंटित करना चाहिये।

पुलिस मुख्यालय द्वारा 2015–16 की अवधि में जिला/इकाईयों पर निष्प्रयोज्य वाहनों के सापेक्ष 1,792 वाहनों की खरीद के लिये राज्य सरकार को एक प्रस्ताव (जनवरी 2016) दिया गया। यद्यपि शासन द्वारा मात्र 190 वाहनों के क्रय के लिये स्वीकृति दी गयी। इस प्रकार, वर्ष 2015–16 की अवधि में कुल निष्प्रयोज्य वाहनों का मात्र 10 प्रतिशत प्रतिस्थापित किये गये थे।

अतः कुल निष्प्रयोज्य वाहनों का केवल 10 प्रतिशत 2015–16 के दौरान प्रतिस्थापित किये गये थे एवं 2015–16 के अन्त में 1,847 निष्प्रयोज्य वाहन (मार्च 2016 के 245 निष्प्रयोज्य वाहनों सहित) अभी भी प्रतिस्थापन की प्रतीक्षा कर रहे थे।

5.7.1 अति विशिष्ट महानुभावों के लिये वाहनों का क्रय

पुलिस मुख्यालय के प्रस्ताव पर (सितम्बर 2013) शासन द्वारा मुख्यमन्त्री की सुरक्षा के लिये 11 जनपदों के 18 निष्प्रयोज्य वाहनों के सापेक्ष 10 बुलेटप्रुफ तथा 08 सामान्य टाटा सफारी वाहनों के क्रय के लिये ₹ 5.84 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (13 सितम्बर 2013) प्रदान की गयी थी। शासन द्वारा 31 जनवरी 2014 को मुख्यमन्त्री की सुरक्षा के लिये ₹ 1.62 करोड़ प्रति वाहन की लागत से दो लैण्ड क्रूजर बुलेटप्रुफ वाहनों के क्रय के लिये ₹ 3.24 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। पुनः 5 मार्च 2014 को दो लैण्ड क्रूजर के लिये पूर्व स्वीकृत ₹ 3.24 करोड़ को समायोजित करते हुऐ प्रति वाहन ₹ 3.45 करोड़ की लागत की दो मर्सिडीज मॉडल एम–गार्ड बुलेटप्रुफ वाहनों के क्रय के लिये ₹ 6.90 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। तदनुसार मार्च 2015 तक भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार, शासन द्वारा अति विशिष्ट महानुभावों के लिये पूर्व स्वीकृत लैण्ड क्रुजर के स्थान पर अधिक मंहगी एवं विलासितापूर्ण वाहनों के क्रय का निर्णय किये जाने से अतिरिक्त परिहार्य व्यय ₹ 3.66 करोड़ किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमन्त्री के द्वारा बुलेटप्रूफ टाटा सफारी एवं बुलेटप्रूफ महिन्द्रा स्कार्पियों का प्रयोग किया जा रहा है एवं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमन्त्री द्वारा एम्बेसडर कार प्रयोग की जा रही है तथा आन्ध्र प्रदेश के माननीय मुख्यमन्त्री को बुलेटप्रूफ स्कार्पियों एवं बुलेटप्रूफ एम्बेसडर/टाटा सुमो वाहन प्रदत्त हैं।

उप्र शासन द्वारा उत्तर (फरवरी 2017) में कहा गया कि कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को बनाये रखने के लिये वाहनों की आवश्कता के अनुसार वाहन क्रय किये गये थे तथा वाहनों के रखरखाव के लिये सभी सम्बन्धितों को निर्देश जारी कर दिये गये थे। वाहनों को सम्बन्धित पुलिस इकाईयों/जनपद/पीएसी को आवंटित कर दिया गया जिसके लिये क्रय किये गये थे। वाहनों को कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को बनाये रखने के लिये अस्थायी आधार पर अन्य इकाइयों से सम्बद्ध किया गया था।

उप्र शासन का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि शासन द्वारा 11 जनपदों के 18 निष्प्रयोज्य वाहनों के सापेक्ष 10 बुलेटप्रूफ टाटा सफारी एवं 08 सामान्य टाटा सफारी वाहन का क्रय मुख्यमन्त्री की सुरक्षा के लिये किया था।

5.8 विभाग द्वारा वाहनों की आयु पूरी होने के बाद उनका उपयोग किया जाना

शासन द्वारा पुलिस विभाग में वाहनों के उपयोग के लिये अक्टुबर 1986 में निम्नानुसार मानक निर्धारित किये गये थे:

सारणी 5.1: मानकों के अनुसार वाहन की सेवा आयु

क्र० सं०	वाहन का विवरण	वाहन की आयु
1.	भारी वाहन	4.5 लाख किलोमीटर या 15 वर्ष
2.	मध्यम वाहन	2.25 लाख किलोमीटर या 12 वर्ष
3.	हल्के वाहन	1.75 लाख किलोमीटर या 10 वर्ष
4.	मोटर साईकिल 3.5 एचपी एवं अधिक	1.0 लाख किलोमीटर या 5 वर्ष
5.	मोटर साईकिल 3.5 एचपी तक	60,000 किलोमीटर या 5 वर्ष

(स्रोत: पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद)

नमूना-जांच के 15 जनपदों के अभिलेखों की जांच में प्रकाश में आया कि जिला प्राधिकारियों द्वारा उपयोग किये गये 13 प्रतिशत से 70 प्रतिशत वाहन (देवरिया: 41 प्रतिशत, कुशीनगर: 47 प्रतिशत, झांसी: 49 प्रतिशत एवं सीतापुर: 70 प्रतिशत) ऐसे थे जो शासन द्वारा निर्धारित सेवा आयु पूरी कर चुके थे। 3,113 वाहनों में से 955 वाहनों ने निर्धारित आयु पूर्ण कर ली थी लेकिन विभाग द्वारा अभी भी उन्हें उपयोग में लाया जा रहा था क्योंकि ये वाहन बदले नहीं गये थे। इससे पुलिस सेवा का प्रतिपादन एवं मोबिलिटी प्रभावित हुई थी। जनपद-वार उपलब्ध वाहन एवं वे वाहन जो अपनी निर्धारित आयु पूर्ण कर चुके हैं को **परिशिष्ट 5.8** में दिखाया गया है।

5.9 वाहनों का विशिष्ट महानुभावों को उपलब्ध कराना एवं पीओएल पर व्यय किया जाना

पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रमुख सचिव, गृह, उप्र शासन को सूचित (26 अगस्त 2014) किया गया कि पुलिस बल में वाहनों की कमी थी एवं पुलिस विभाग के प्रयोग के लिये वाहनों का क्रय करके, उन्हें माननीय मन्त्रियों को आवंटित करने से विभाग में वाहनों

की स्थायी कमी हो जायेगी एवं सम्बन्धित जनपदों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति भी प्रभावित होगी। पुलिस मुख्यालय द्वारा व्यक्त किये गये उक्त तथ्यों के होते हुए भी पुलिस मुख्यालय द्वारा स्टाफ कार के रूप में प्रयोग हेतु ₹ 3.08 करोड़ की लागत से 56 वाहनों (मारुती जिप्सी) का क्रय आदेश (दिसम्बर 2016) निर्गत किया गया था तथा इन्हें विभिन्न विभागों के माननीय मन्त्रियों को सम्बन्धित पुलिस कार्यालयों के माध्यम से आवंटित किया गया था। अग्रेतर यह पाया गया कि वाहनों, जो कि पुलिस विभाग से भिन्न माननीय मन्त्रियों के लिये चल रहे थे, के पीओएल के व्यय को, वहन किये जाने के लिये एक आदेश निर्गत (जून 2015) किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा पाया गया कि 15 नमूना/जांच के जनपदों में से 12 जनपदों⁶, में एक से 316 वाहन अति विशिष्ट महानुभावों से सम्बद्ध थे तथा विशिष्ट महानुभावों की ड्यूटी के लिये लगाये गये इन वाहनों के पीओएल पर ₹ 0.25 करोड़ से ₹ 3.21 करोड़ व्यय किये गये थे (परिशिष्ट 5.9)।

माननीय मन्त्रियों को जनपदों के भ्रमण के दौरान एस्कार्ट वाहनों को उपलब्ध कराना जनपद पुलिस का उत्तरदायित्व था। यद्यपि, शासन स्तर पर जिला पुलिस के वाहनों को स्थायी रूप से माननीय मन्त्रियों के साथ सम्बद्ध किया जाना अनियमित था विशेषकर तब जब अधिकांश जनपदों में वाहनों की अत्यन्त कमी थी। यह कानून व्यवस्था से सम्बन्धित कार्यवाहियों/कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।

5.10 मोटर वाहन कार्यशाला पर अलाभकारी व्यय

उप्र पुलिस मोटर वाहन कार्यशाला (पीएमटी) की स्थापना सीतापुर जनपद में 1947 में, आरक्षित चालकों को प्रशिक्षण प्रदान करने, चालन की उनकी योग्यता का परीक्षण करने, उनके चालन अनुज्ञाप्ति का नवीनीकरण करने के साथ ही साथ पुलिस वाहनों की प्रथम स्तर की मरम्मत एवं अनुरक्षण करने के लिये, की गयी थी। सीतापुर की मुख्य कार्यशाला के साथ ही लखनऊ, मुरादाबाद, आगरा एवं वाराणसी में क्षेत्रीय कार्यशालाएं स्थापित की गयी थीं। वर्ष 2011–16 की अवधि में पुलिस मोटर वाहन कार्यशाला पर रखरखाव/मरम्मत किये गये वाहनों की संख्या एवं कार्यशालाओं पर किया गया व्यय निम्नानुसार है:

सारणी 5.2: पीएमटी में पर वाहनों की मरम्मत लागत

वर्ष	कुल मरम्मत किये गये वाहन	कार्यशालाओं पर किया गया कुल व्यय (₹ में)	प्रति वाहन व्यय (₹ में)
2009–10	990	509,84,291	51,499.20
2010–11	772	562,60,739	74,392.04
2011–12	703	674,27,843	95,914.32
2012–13	361	715,27,393	198,136.73
2013–14	355	731,47,737	206,052.67
2014–15	116	662,58,013	571,189.77
2015–16	244	999,95,963	409,819.52

(स्रोत: उप्र पुलिस मोटर कार्यशाला, सीतापुर)

यह पाया गया कि अपर पुलिस महानिदेशक (तकनीकी सेवायें) द्वारा पुलिस मुख्यालय से अनुरोध (नवम्बर 2014) किया गया था कि कर्मचारियों के वेतन लागत में वृद्धि एवं कार्यशाला (नये वाहनों के साथ पुराने मॉडल प्रतिस्थापित किये जाने से) में मरम्मत किये गये वाहनों की संख्या में कमी होने के कारण अन्तिम सात वर्षों में प्रति इकाई

⁶ इलाहाबाद, देवरिया, झांसी, कानपुर नगर, कुशीनगर, मुरादाबाद, मथुरा, मेरठ, प्रतापगढ़, शाहजहांपुर, सीतापुर, सोनभद्र।

मरम्मत की लागत में वृद्धि हो गयी है। मरम्मत की लागत बढ़ रही थी क्योंकि कार्यशाला को उच्चीकृत नहीं किया गया था तथा नये मॉडलों/पीढ़ी के वाहनों की मरम्मत में कर्मचारियों की विशेषज्ञता में कमी थी।

उप्र शासन ने अपने उत्तर (फरवरी 2017) में कहा कि उच्च स्तरीय समिति की संस्तुति पर विभागाध्यक्ष के अनुमोदन के उपरान्त वर्तमान कार्यशाला की आवश्कता का परीक्षण एवं उनकी गुणवत्ता में सुधार के लिये निर्णय लिये गये थे।

उप्र शासन का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि कार्यशाला पर मरम्मत किये गये वाहनों की संख्या में कमी के कारण अन्तिम सात वर्षों में मरम्मत की प्रति इकाई लागत आठ गुना बढ़ गयी थी। पतन मुख्यतः कार्यशाला को उच्चीकृत किये जाने में विफलता एवं नये मॉडलों/पीढ़ी के वाहनों की मरम्मत में कर्मचारियों की विशेषज्ञता के अभाव के कारण है।

संस्तुतियाँ

- बीपीआरएण्डजी के मानकों के अनुसार वाहनों का क्रय एवं सिविल पुलिस/पीएसी को उपलब्ध कराया जाना चाहिये तथा राज्य पुलिस की मोबिलिटी एवं कार्यवाहियों की कार्यक्षमता में सुधार के लिये प्राथमिकता के आधार पर वाहनों की कमी को न्यूनतम किया जाना चाहिये।
- पुलिस वाहनों का अन्य उपयोग हेतु विचलन नहीं किया जाना चाहिये।
- पुलिस मोटर वाहन कार्यशाला को बनाये रखने की आवश्यकता की समीक्षा की जानी चाहिये।

अध्याय 6

विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं का
आधुनिकीकरण

अध्याय 6

विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण

6.1 प्रस्तावना

“विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण” पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना का एक महत्वपूर्ण घटक है। साक्षों की गुणवत्ता एवं आपराधिक न्याय परिदान प्रक्रिया में सुधार हेतु भारत सरकार ने पूरे देश में विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं (विधि०वि�०प्रयो०) को स्थापित करने हेतु 1958 में एक मॉडल रूपरेखा तैयार किया। तदनुसार, आपराधिक अन्वेषण के विभिन्न प्रकृति के नमूनों के विश्लेषण कार्य में सहायता प्रदान करने हेतु राज्य स्तर की विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं का गठन किया जाना था, जो साक्षों के संग्रहण एवं मामलों के त्वरित निस्तारण में सहायक हो सके।

वर्तमान में चार विधि विज्ञान प्रयोगशालायें (लखनऊ, आगरा, वाराणसी एवं गाजियाबाद पर स्थापित) कार्यरत हैं। लखनऊ, आगरा एवं वाराणसी के विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं में क्रमशः तेरह, नौ एवं पाँच अनुभाग स्थापित हैं, जैसा कि **परिशिष्ट 6.1** में वर्णित है।

विधि विज्ञान प्रयोगशाला गाजियाबाद में विष विज्ञान अनुभाग खोला गया है (जुलाई 2015) एवं इसका भवन मार्च 2017 तक निर्माणाधीन (37 प्रतिशत पूर्ण) था। पाँच⁷ जनपदों में से चार⁸ में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (क्षे०वि�०प्रयो०) अभी स्थापित की जानी थी। उपर्युक्त पांच क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्वीकृत ही। क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला मुरादाबाद, का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है (जून 2016) एवं जुलाई 2016 से क्रियाशील है, जबकि शेष चार क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं का निर्माण कार्य मार्च 2017 तक प्रगति पर था (छ: से 44 प्रतिशत)। नयी क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालायें, उपर्युक्त चार क्रियाशील विधि० वि�० प्रयोगशालाओं (**परिशिष्ट 6.1** में वर्णित) के कार्यभार को कम करने हेतु एवं राज्य में नमूनों के विश्लेषण की क्षमता को बढ़ाने हेतु प्रस्तावित की गयी है। इसके अतिरिक्त जिला क्षेत्रीय इकाईयां सभी 75 जिलों में साक्षों/नमूनों के आपराधिक घटनास्थल से संग्रह करने एवं प्राथमिक परीक्षण के उपरान्त संबंधित विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं को भेजने हेतु अवस्थापित की गयी है।

6.2 नियोजन

निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला ने विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण हेतु 2011–16 के लिए 18.11.2010 को एक भावी/परिप्रेक्ष्य योजना तैयार किया था। योजना 2011–16 के दौरान तीन चरणों में क्रियान्वित किया जाना था। प्रथम चरण में सभी जिला क्षेत्रीय इकाइयों को “मोबाइल फोरेंसिक वैन” (चलित क्षेत्रीय इकाइयाँ) के साथ अपराध सुरक्षा प्रबंधन, विस्फोटक, डी०एन०ए०, जैव विज्ञान, कम्प्यूटर अपराध को रोकने हेतु अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाना था एवं दूसरे



⁷ इलाहाबाद, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी एवं मुरादाबाद।

⁸ इलाहाबाद, गाजियाबाद, गोरखपुर एवं झांसी।

चरण में यह सुविधा उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के 500 वृत्तों में विस्तारित की जानी थी।

इसके अतिरिक्त 5 क्षेत्रीय विधि0 विज्ञान प्रयोगशालायें मुरादाबाद, झांसी, गोरखपुर, इलाहाबाद एवं गाजियाबाद में आधारभूत अनुभागों जैसे भौतिकी, रासायनिक एवं जैव विज्ञान के साथ खोली जानी थी। तृतीय चरण में अभियांत्रिकी, गणितीय, चिकित्सकीय एवं व्यवहारिक विज्ञान के अनुभाग पुराने विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं में खोले जाने (पूर्व में ही स्थापित विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं में) थे। आधुनिकीकरण योजना में, निधियां इन क्रियाकलापों हेतु आवंटित की जानी थीं।

निदेशक विधि विज्ञान प्रयोगशाला के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि भावी/परिप्रेक्ष्य योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित नहीं किया गया था जैसा कि नीचे वर्णित है:

- 75 जनपदों में से 33 जनपद स्तरीय क्षेत्रीय इकाइयों (44 प्रतिशत) अपराध के मामलों को जांचने हेतु आधुनिक सुविधाओं वाले मोबाइल फोरेन्सिक वैन से सुसज्जित थी। शेष 42 क्षेत्रीय इकाइयों को आधुनिक सुविधाओं से सुदृढ़ीकरण करने हेतु निधियों के अभाव में मोबाइल फोरेन्सिक वैन की प्राप्ति/खरीद नहीं की गयी थी (मार्च 2017), तथापि उपर्युक्त 42 मोबाइल फोरेन्सिक वैन हेतु किट्स का क्रय किया गया था, जो कि निदेशालय में निष्क्रिय पड़ी (मार्च 2017) थी।
- दूसरे चरण में उपर्युक्त सुविधाओं को सभी जनपदों के 500 वृत्तों में विस्तारित किया जाना था, लेकिन ऐसी कोई सुविधा मार्च 2017 तक उपलब्ध नहीं थी।
- पांच क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं को क्रियाशील करने हेतु आधारभूत संरचना, भवन की सुविधा सुनिश्चित की जानी थी। क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं के भवन निर्माण की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का विवरण **परिशिष्ट 6.2** में प्रदत्त है।

क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं के आधारभूत संरचना, निर्माण कार्य की स्वीकृति एवं कार्यान्वयन में अत्यधिक विलम्ब हुआ एवं पांच में से चार क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालायें क्रियान्वित नहीं की जा सकी थीं। क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं झांसी एवं गोरखपुर के निर्माण कार्य की प्रगति क्रमशः प्लिंथ एवं स्टिल्ट स्तर तक थी (अप्रैल 2017)। क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं गाजियाबाद एवं इलाहाबाद के निर्माण कार्य की भौतिक प्रगति क्रमशः 37 एवं 44 प्रतिशत थी (अप्रैल 2017), जबकि परिप्रेक्ष्य/भावी योजना की अवधि समाप्त हो चुकी थी।

उक्त योजना के तृतीय चरण के अनुसार अभियांत्रिकी, गणितीय, चिकित्सकीय एवं व्यावहारिक विज्ञान के अनुभाग, पुराने विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं में खोले जाने थे, (पहले से ही स्थापित विधि0वि0 प्रयोगशालाओं) लेकिन ये अनुभाग किसी भी विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं में अवस्थापित नहीं किया जा सके थे (अप्रैल 2017), सिवाय एक मेडिको लीगल अनुभाग के, जो लखनऊ विधि0 वि0 प्रयोगशाला में चल रहा था।

उत्तर में शासन ने बताया कि (फरवरी 2017) प्रथम चरण में दस एवं द्वितीय चरण में 25 मोबाइल फोरेन्सिक वैन (किट्स के साथ), जिला फोरेन्सिक क्षेत्रीय इकाइयों में भेजे जा चुके हैं एवं शेष 40 मोबाइल वैन की खरीद/प्राप्ति प्रक्रिया के अन्तर्गत है एवं 700 वृत्तों के लिए मोबाइल फोरेन्सिक वैन का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाएगा।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विभाग परिप्रेक्ष्य/भावी योजना 2011–16 के अनुरूप विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं को आधुनिक एवं सुदृढ़ीकरण करने में असफल रहा। केवल राज्य

के 47 प्रतिशत जनपद ही मोबाइल फोरेन्सिक वैन से सुसज्जित किए जा सके एवं 500 वृत्तों में से कोई भी वृत को यह सुविधा प्रदान नहीं की गयी। अतः पांच क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं में से चार पूरी तरह से क्रियान्वित नहीं थी। पूर्व में स्थापित विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं में योजना के अनुसार नये अनुभाग भी खोले नहीं जा सके थे।

6.3 उपकरणों की खरीद / प्राप्ति

उपकरणों की खरीद हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं को अवमुक्त एवं व्यय की गयी धनराशि की स्थिति नीचे सारणी में प्रदत्त है:

सारणी 6.1: विधि विज्ञान प्रयोगशाला के उपकरणों की खरीद हेतु आवंटन/अवमुक्त एवं व्यय (₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	वर्ष	अवमुक्त धनराशि	व्यय	बचत/समर्पण
1	2011–12	00.00	00.00	00.00
2	2012–13	00.00	00.00	00.00
3	2013–14	10.92	1.03	9.89
4	2014–15	17.75	4.07	13.68
5	2015–16	24.88	19.00	5.88
कुल		53.55	24.10	29.45⁹

(स्रोत: एफ.एस.एल. निदेशालय)

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि यद्यपि परिप्रेक्ष्य/भावी योजना 2011–12 में तैयार की गयी थी लेकिन कोई भी धनराशि 2011–13 के दौरान अवमुक्त नहीं की गयी थी। धनराशि शासन/पुलिस मुख्यालय द्वारा विलम्ब से वर्ष 2013–16 के दौरान अवमुक्त की गयी थी। इसके अतिरिक्त कुल ₹ 53.55 करोड़ की धनराशि उपकरणों की खरीद के लिए अवमुक्त की गयी थी, जिसके विरुद्ध केवल ₹ 24.10 करोड़ (45 प्रतिशत) की धनराशि व्यय की गयी थी। पुनः वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 के दौरान कुल अवमुक्त धनराशि ₹ 28.67 करोड़ के विरुद्ध केवल ₹ 5.10 करोड़ (17.78 प्रतिशत) की धनराशि व्यय की गयी थी। अधिकांश व्यय 2015–16 में किया गया था। शेष 55 प्रतिशत बजट खर्च नहीं किया गया था, जिसमें से ₹ 6.20 करोड़ की धनराशि उ0प्र0 पुलिस आवास निगम के पी0एल0ए0 में जुलाई 2016 तक पड़ी थी।

विभाग ने उत्तर में बताया कि (फरवरी 2017) अधिकांश उपकरण विदेशों से आयात/क्रय किए जाने हैं। विस्तृत एवं विलम्बित निविदा प्रक्रिया के कारण कभी कभी उपकरणों की खरीद वित्तीय वर्ष के भीतर करना मुश्किल हो जाता है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला निदेशालय द्वारा उत्तर में बताया गया कि निर्धारित वर्षों में निविदा को अन्तिम रूप न दिए जाने के कारण धनराशि समर्पित की गयी। निविदा अधिकांश उपकरणों के लिए दो या तीन बार आमंत्रित की गयी, क्योंकि उपयुक्त/सही तकनीकी/वित्तीय निविदा प्राप्त नहीं हुयी थी।

अतः इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता था कि विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं में आधुनिक उपकरणों की कमी थी। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि विभाग, प्रयोगशाला उपकरणों के लिए आवंटित बजट के 55 प्रतिशत भाग को उपभोग करने एवं विधि विज्ञान प्रयोगशाला को आधुनिक बनाने में विफल रहा।

⁹ ऑकड़ों में पी0एल0ए0 की ₹ 6.20 करोड़ की धनराशि सम्मिलित है।

6.4 उपकरणों का अभाव

निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला के अभिलेखों की जांच में उद्घाटित हुआ कि आवश्यकतानुसार, निर्धारित संख्या में उपकरण विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं एवं जनपदीय क्षेत्रीय इकाइयों में परिप्रेक्ष्य/भावी योजना के अनुरूप कर अवस्थापित नहीं किए गये थे। सोलर पावर आधारित बैंक अप सिस्टम एवं टयूनेबल प्रकाश स्रोत क्रमशः 51 एवं 20 क्षेत्रीय इकाइयों में उपलब्ध कराये जाने थे लेकिन उन्हें उपलब्ध नहीं कराया जा सका था। आठ वाहन चेचिस आइडेन्टीफीकेशन मशीन एवं उपर्युक्त मशीनों की आधारभूत संरचना संबंधी उपकरण, सभी आठ जोन में उपलब्ध कराये जाने थे, लेकिन केवल एक मशीन ही क्रय की गयी थी। एक केंद्रीय ताप माड्यूलेटर सिस्टम भी क्रय करके विधि विज्ञान प्रयोगशाला में अवस्थापित नहीं किया गया था (*परिशिष्ट 6.3*)। इसके अतिरिक्त 11 प्रमुख उपकरण, निविदा को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण खरीदे नहीं गये थे एवं न ही चालू किए जा सके थे। धनराशियां पी0एल0ए0 में पड़ी थीं, जैसा कि अनुच्छेद 6.3 में विवेचित हैं (*परिशिष्ट 6.4*)।

- नमूने के रूप में चयनित विधि विज्ञान प्रयोगशाला आगरा के भौतिक सत्यापन के दौरान यह पाया गया कि भौतिकी एवं विष विज्ञान अनुभागों में मूलभूत उपकरणों जैसे फ्यूमिंग हुडस, हैंगिंग लोड सिस्टम एवं विद्युत भट्ठी इत्यादि का अभाव था। फ्यूमिंग हुडस की अनुपस्थिति में धुआँ, वायु संचार द्वारा बाहर नहीं जा पा रहा था, जिसके परिणामस्वरूप प्रयोगशाला में वातावरण प्रदूषित हो रहा था। विसरा परीक्षण के दौरान फारसीन, हाइड्रोजन सायनाइड, नाइट्रोजन डाइ आक्साइड, कार्बन डाइ आक्साइड, हाइड्रोजन डाई सल्फाइड एवं सल्फर डाई आक्साइड इत्यादि गैसें, विष विज्ञान प्रयोगशाला में फ्यूमिंग हुडस के अभाव में प्रवाहित हो रही थी। ये गैसें प्रयोगशाला में कार्यरत कर्मचारियों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक एवं हानिकारक थीं।
- विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ के अभिलेखों की जांच में प्रकट हुआ कि प्रयोगशाला में केवल एक जैनेटिक एनालाइजर 3,130 (पैतृकता सुनिश्चितीकरण मशीन) उपलब्ध थी। यह एनलाइजर डी0एन0ए0 परीक्षण के अंतिम चरण में पैतृक सुनिश्चितता को निर्धारित करता है। चूंकि प्रयोगशाला में केवल एक एनलाइजर था, जिसके परिणामस्वरूप डी0एन0ए0 एवं सीरोलाजी प्रयोगशाला में 4,113 नमूने परीक्षण हेतु लम्बित थे (मार्च 2016 तक)।

शासन ने उत्तर में बताया (फरवरी 2017) कि वाहन चेसिस आइडेन्टीफीकेशन सिस्टम को क्रय करने हेतु विशिष्टि का विवरण शासन को प्रेषित कर दिया गया है एवं सोलर सिस्टम को क्रय करने हेतु प्रारम्भिक आगणन बनाये जाने एवं तकनीकी विशिष्टि का निर्धारण प्रक्रिया में है। आगरा, गाजियाबाद एवं वाराणसी विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं में, डी0एन0ए0 इकाई अवस्थापना हेतु प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है जबकि आगरा विधि विज्ञान प्रयोगशाला में उपकरण के क्रय हेतु प्रस्ताव भेजा जाएगा।

तथापि तथ्यों के अनुसार विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं एवं क्षेत्रीय इकाइयों में उपकरणों की कमी इंगित कर रही थी कि विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण का कार्य चिंताजनक रूप से पीछे था एवं आपराधिक छानबीन के समयबद्ध तरीके से पूर्ण होने में प्रमुख रूप से बाधक था।

6.5 तकनीकी मानवशक्ति की कमी

वैज्ञानिक सहायक (वै0 सहायक), वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (वरिःवै0स0), वैज्ञानिक अधिकारी (वै0अधिः0), कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक (क0प्र0स0), प्रयोगशाला सहायक

(प्रयोग्योगशाला), किसी भी विधि विज्ञान प्रयोगशाला में तकनीकि कर्मचारी के रूप में तैनात होते हैं। 75 प्रतिशत वैज्ञानिक सहायकों के पद सीधी भर्ती एवं 25 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा भरे जाने थे जबकि 50 प्रतिशत वैज्ञानिक अधिकारी एवं प्रयोगशाला सहायक के पद सीधी भर्ती एवं 50 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा भरे जाने थे।

चार विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं (लखनऊ, आगरा, वाराणसी एवं गाजियाबाद) के अभिलेखों की जांच में उद्घाटित हुआ कि उपर्युक्त चार क्रियाशील विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं में तकनीकी कर्मचारियों की कुल कमी 47 प्रतिशत से 67 प्रतिशत तक 2012–13 से 2015–16 (**परिशिष्ट 6.5**) के मध्य पहुंच गयी थी।

शासन ने उत्तर में बताया कि वैज्ञानिक अधिकारी एवं प्रयोगशाला सहायक हेतु विभाग द्वारा उम्प्र० लोक सेवा आयोग एवं उम्प्र० अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अधियाचन भेज दिया गया है। निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा उत्तर में बताया गया कि रिक्तियाँ शासन द्वारा भरी जानी थी एवं यह भी स्वीकार किया गया कि मानवशक्ति की कमी फोरेन्सिक मामलों के निपटारे को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रही थी।

जनपदीय क्षेत्रीय फोरेन्सिक इकाई में अपर्याप्त तकनीकी कर्मचारियों की तैनाती

जनपदीय क्षेत्रीय इकाई, सभी 75 जिलों में साक्ष्यों/नमूनों को आपराधिक घटनास्थल से एकत्र कर प्रारम्भिक परीक्षण करने के उपरान्त सम्बन्धित विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं को भेजने हेतु गठित की गयी थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि सभी 75 प्रतिशत जनपदों में स्वीकृत पद के सापेक्ष केवल 31 प्रतिशत तकनीकी कर्मचारी एवं 15 नमूना जांच हेतु चयनित जनपदों में स्वीकृत पद के सापेक्ष 37 प्रतिशत तकनीकी कर्मचारी ही तैनात थे।

15 नमूना जांच हेतु चयनित जनपदीय फोरेन्सिक इकाइयों के अभिलेखों की जांच में पुनः पाया गया कि:

- देवरिया, कुशीनगर एवं सोनभद्र जनपदों में कोई तकनीकी कर्मचारी तैनात नहीं था। सीतापुर, मथुरा एवं प्रतापगढ़ जिलों में केवल कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक ही तैनात किए गये थे।
- सोनभद्र में जनपदीय क्षेत्रीय इकाई द्वारा आपराधिक घटनास्थल से कोई नमूने अक्टूबर 2015 के बाद तकनीकी कर्मचारी की अनुपलब्धता के कारण, एकत्र नहीं किए गये थे, क्योंकि जो वैज्ञानिक सहायक वहाँ तैनात थे, उनकी मृत्यु हो चुकी थी एवं उनकी जगह कोई पुनः पद स्थापना नहीं हुयी थी।

6.6 परीक्षण में विलम्ब के कारण विशाल मात्रा में नमूनों का लम्बित होना

मानदण्डों के अनुसार नमूनों का परीक्षण उनकी प्राप्ति के सात दिनों के भीतर पूर्ण कर लिया जाना चाहिए एवं 14 दिनों के भीतर इसका प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु तैयार कर लिया जाना चाहिए। अभिलेखों की जांच में पाया गया कि वर्ष 2011–15 की अवधि में अत्यधिक मामले लम्बित थे।

लेखापरीक्षा ने देखा कि लखनऊ, आगरा एवं वाराणसी विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं में लम्बित मामलों की संख्या जनवरी 2011 में 6,617 से बढ़कर दिसम्बर 2015 में 15,052 तक हो गयी थी (**परिशिष्ट 6.6**)।

- विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ में लम्बित नमूनों में जनवरी 2011 से दिसम्बर 2015 के मध्य 1,342 से 7,671 तक वृद्धि हुई थी। उपर्युक्त लम्बित नमूनों में से 4,113, 1,336 एवं 1,307 नमूने क्रमशः डी0एन0ए0/सीरोलाजी, जीव विज्ञान एवं आग्नेयास्त्र अनुभागों में मुख्यतः लम्बित थे (दिसम्बर 2015 तक)। अग्रेतर, प्रत्येक अनुभाग के लम्बित प्रकरणों में से 50 लम्बित प्रकरणों की नमूना जांच (दस प्रकरण प्रति अनुभाग) में लेखापरीक्षा द्वारा देखा गया कि डी.एन.ए. एवं सीरोलाजी अनुभाग में कैलेण्डर वर्ष 2011 एवं 2012 के दौरान प्राप्त किये गये नमूने भी अभी तक अनिस्तारित थे। विधि विज्ञान प्रयोगशाला, लखनऊ राज्य में एक मात्र ऐसी प्रयोगशाला थी, जिसमें डी0एन0ए0 नमूनों के परीक्षण की सुविधा थी, इसके बावजूद लम्बित मामलों को न्यूनतम करने के लिए शासन द्वारा कोई ठोस प्रयास नहीं किया गया। जीव विज्ञान अनुभाग में जुलाई 2015 तक प्राप्त किए गये नमूने अनिस्तारित पड़े थे।
- विधि विज्ञान प्रयोगशाला आगरा में लम्बित नमूनों में, जनवरी 2011 से दिसम्बर 2015 तक 4,418 से 6,768 तक (153 प्रतिशत) वृद्धि दर्ज की गयी। ज्यादातर लम्बित नमूने मुख्यतः सीरोलाजी, विष विज्ञान एवं आग्नेयास्त्र अनुभागों में देखे गये।

शासन ने उत्तर में बताया कि यधपि ढेरों प्रयोगशालायें एवं अनुभाग विभिन्न विज्ञान प्रयोगशालाओं में इधर कई वर्षों में खोले गये थे लेकिन नयी भर्तियों के न होने एवं पुराने तकनीकि कर्मचारियों पर निर्भरता बढ़ने से लम्बित नमूनों में वृद्धि हो गयी। निदेशक विधि विज्ञान प्रयोगशाला ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया कि विशाल मात्रा में नमूनों के लम्बित रहने का कारण आवश्यक तकनीकी कर्मचारी एवं अन्य कर्मचारियों की विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं में कमी, लखनऊ विधि विज्ञान प्रयोगशाला में उपकरण/किट तथा सीरोलाजी एवं डी0एन0ए0 अनुभागों में रसायनों की कमी थी।

अतः तथ्यों से यह स्पष्ट है कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला सुविधायें राज्य में अत्यंत अपर्याप्त थीं।

6.7 जनपदीय क्षेत्रीय इकाइयों में मानवशक्ति, प्रयोगशालाओं एवं किट्स की कमी के कारण साक्ष्यों का असंगत एकत्रीकरण

फोरेंसिक साक्ष्यों के एकत्रीकरण हेतु विशेषज्ञ मानवशक्ति, जिसके पास फोरेंसिक विज्ञान का विशेष ज्ञान हो, की आवश्यकता होती है। विशेषज्ञों को दक्ष प्रशिक्षित स्टॉफ का समर्थन अवश्य होना चाहिए। उनको विशेष किट्स के साथ सुसज्जित/तैयार रहना चाहिए, जिससे नमूनों को सही तरह से संग्रहीत किया जा सके एवं सम्बन्धित पुलिस स्टेशन को प्राथमिक परीक्षण के बाद सौंपा जा सके जिससे निकटतम विधि विज्ञान प्रयोगशाला में अन्तिम परीक्षण के लिए भेज दिया जाय।

विधि विज्ञान प्रयोगशाला निदेशालय एवं जनपदीय क्षेत्रीय इकाइयों के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि पर्याप्त विशेषज्ञ/दक्ष मानवशक्ति, जनपदीय क्षेत्रीय इकाइयों में उपलब्ध नहीं थे:

- आपराधिक घटनास्थल से अपराध की प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के नमूने एकत्रित किए जाते हैं। लेखापरीक्षा ने पाया कि प्रत्येक प्रकार के दो या तीन नमूने (जहां तक सम्भव हो) की जगह एक ही नमूना एकत्र किया जा रहा था। ये सूचीबद्ध नमूने स्वतंत्र रूप से विभिन्न प्रयोगशालाओं में स्वतंत्र रूप से परीक्षित नहीं किए जा रहे थे।

- वैज्ञानिक अधिकारी, वैज्ञानिक सहायक, वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक, फोरेंसिक क्षेत्र में विशेषज्ञ कहे जाते हैं। 75 क्षेत्रीय इकाइयों में केवल 18 प्रतिशत विशेषज्ञ तैनात थे (120 स्वीकृत पद के विरुद्ध 22)। 15 नमूना चयनित जनपदों में केवल 32 प्रतिशत विशेषज्ञ तैनात थे (28 स्वीकृत पदों के विरुद्ध नौ)। सीतापुर, देवरिया, कुशीनगर, सोनभद्र जनपदों में जनपदीय क्षेत्रीय इकाइयों में कोई विशेषज्ञ तैनात नहीं था। नमूना जांच में चयनित क्षेत्रीय इकाइयों में, केवल आवश्यक किट्स ही उपलब्ध थे लेकिन मोबाइल फोरेंसिक वैन, कुल किट्स के साथ केवल 33 जनपदों¹⁰ में उपलब्ध थे।
- भौतिक सत्यापन में यह पाया गया कि जनपदीय क्षेत्रीय इकाइयों में एक प्रयोगशाला थी, जो प्राप्त नमूनों को पुलिस स्टेशन एवं विस्तृत जांच हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजने के पूर्व प्रारम्भिक रूप से छानबीन/जांच करती थी। सोनभद्र में नमूनों के प्रारम्भिक रूप से छानबीन जांच करने हेतु कोई प्रयोगशाला नहीं थी, जो प्रतिवेदन रिपोर्ट सम्बन्धित पुलिस स्टेशन को सुपुर्द करने के पूर्व जांच कर सके। आपराधिक घटनास्थल से संग्रहीत किए गये नमूनों के विवरण दर्ज करने हेतु केवल एक पंजिका मौजूद थी, लेकिन पुलिस स्टेशन को सुपुर्द किए गये नमूनों के संबंध में कोई विस्तृत अभिलेख मौजूद नहीं था। इसके अतिरिक्त जनपदीय क्षेत्रीय फोरेंसिक इकाई स्तर पर कोई फोरेंसिक डाटा डिजीटाइज्ड (कम्प्युटरीकृत) नहीं था।

शासन ने उत्तर में बताया कि (फरवरी 2017) सभी जनपदों में वैज्ञानिकों की तैनाती, अपराध स्थल निरीक्षण एवं साक्षों का संग्रहण किया जा रहा है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि पर्याप्त तकनीकी स्टॉफ़/कर्मचारी जनपदीय क्षेत्रीय इकाइयों में तैनात नहीं थे। नये/छोटे जनपदों में कोई वैज्ञानिक तैनात नहीं थे एवं कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक वहाँ पर विशेषज्ञ के रूप में कार्य कर रहे थे। बहुत जनपदों में कोई मोबाइल वैन, किट्स के साथ प्रदान नहीं की गयी थी। अतः जनपदीय क्षेत्रीय इकाइयों में विशेषज्ञों की कमी एवं अपर्याप्त संरचना (मोबाइल फोरेंसिक वैन, किट्स, प्रा0 प्रयोगशाला) साक्षों के संग्रहण की गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव डाल रहा था।

6.8 साइबर अपराध क्षेत्रीय प्रयोगशाला का पूर्णतः अवस्थापित न हो पाना

साइबर अपराध से संबंधित मामलों के परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला आगरा में एक अलग अनुभाग स्थापित किया जाना था। महानिदेशक, तकनीकी सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ (जून 2015 तक) द्वारा आवश्यक उपकरण एवं अन्य यंत्रों को उपलब्ध कराया गया था एवं प्रयोगशाला, उप निदेशक, भौतिकी अनुभाग के अंतर्गत प्रशिक्षित/अस्थायी स्टॉफ़/कर्मचारियों द्वारा चलायी जा रही थी (अप्रैल 2017 तक)। उपर्युक्त प्रयोगशाला हेतु कोई पद स्वीकृत नहीं थे (परिशिष्ट 6.7)।

शासन ने उत्तर में बताया (फरवरी 2017) कि साइबर अपराध प्रयोगशाला वर्तमान में विधि विज्ञान प्रयोगशाला आगरा के अन्तर्गत क्रियाशील है, उपकरण एवं वैज्ञानिक उक्त कार्य हेतु तैनात कर दिए गये हैं।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उक्त कार्य हेतु कोई पद अब तक स्वीकृत नहीं किए गये थे (अप्रैल 2017) एवं उपर्युक्त प्रयोगशाला पूरी तरह से अवस्थापित नहीं थी।

¹⁰ आगरा, इलाहाबाद, बरेली, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, मेरठ एवं वाराणसी, फैजाबाद, झाँसी, हाथरस, बरती, गोणडा, आजमगढ़, मिर्जापुर, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, बांदा, गौतमबुद्धनगर, सोनभद्र, ललितपुर, देवरिया, चन्दौली, मथुरा, इटावा, कन्नौज, गाजीपुर, रामपुर, फतेहपुर, बहराइच, बदायूँ, जौनपुर तथा विशेष क्षेत्रीय इकाई, लखनऊ।

6.9 अनुसंधान समर्थन इकाइयों को उपलब्ध न कराया जाना

अपराध जांच पुलिस का एक महत्वपूर्ण कार्य है एवं ज्येष्ठ आरक्षी से निरीक्षक तक के पदक्रम वाले कर्मचारी को अपराध अनुसंधान का यह कार्य सौंपा गया है। उनके पास फोरेंसिक विज्ञान का विशेष ज्ञान नहीं होता है, इसलिए जांच, विशेषज्ञता के अभाव में प्रभावित होता है। आपराधिक घटनास्थल एवं जांच से फोरेंसिक साक्ष्यों को एकत्र करने में विशेषज्ञ के रूप में सहायता देने के लिए राष्ट्रीय पुलिस मिशन ने प्रत्येक पुलिस स्टेशन पर एक क्राइम सीन अधिकारी को क्राइम इन्वेस्टीगेशन किट¹¹ के साथ तैनात करने के संस्तुति की थी (जुलाई 2013)।



क्राइम सीन इन्वेस्टीगेशन किट

तथापि, राज्य स्तर पर उक्त संस्तुति को क्रियान्वित करने एवं साक्ष्यों को संग्रहीत करने की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु कोई भावी योजना तैयार नहीं की गयी थी। पुलिस स्टेशन स्तर पर कोई किट्स/औजार नमूना जांच के रूप में चयनित जनपदों में नहीं थे एवं इस के संबंध में पुलिस स्टाफ/कर्मचारियों को कोई प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया था।

शासन ने उत्तर में बताया कि पुलिस स्टॉफ/कर्मचारियों के कार्य में गुणवत्तापूर्वक सुधार हेतु उन्हें फोरेंसिक वैज्ञानिकों द्वारा नमूनों के संग्रहण एवं विधि विज्ञान प्रयोगशाला के लिए भेजे जाने हेतु नमूनों के संबंध में उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

अतः शासन ने लेखापरीक्षा द्वारा की गयी टिप्पणी को स्वीकार किया।

6.10 अभिलेखों का रख-रखाव न किया जाना

विधि विज्ञान प्रयोगशाला, आगरा के भौतिक सत्यापन के दौरान यह पाया गया कि अनुभागों में कन्ज्यूमएबल स्टाक पंजिका, डेड स्टाक पंजिका तथा उपकरण स्टाक पंजिका का रख रखाव नहीं किया जा रहा था; इसलिए प्रयोगशाला के अनुभागों द्वारा उपयोग किये गये रसायनों तथा अन्य कन्ज्यूमएबल के वास्तविक खपत को ज्ञात किया जाना कठिन था। विधि विज्ञान प्रयोग शाला, मुरादाबाद में ₹ 83.93 लाख मूल्य के उपकरण क्रय किये गये थे परन्तु कोई उपकरण स्टाक पंजिका नहीं बनायी गयी थी। अतः लेखापरीक्षा में रसायनों व विभिन्न कन्ज्यूमएबल के समुचित उपयोग एवं उनके दुरुपयोग यदि कोई हो, को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता था।

संस्तुतियाँ:

- शेष 42 जिला क्षेत्रीय इकाई व 500 वृत्तों को आधुनिक सुविधा से युक्त चलित फोरेंसिक वाहन, प्राथमिकता के साथ उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
- पॉच चलित क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला के भवन निर्माण एवं अन्य अवस्थापना के कार्यों में तेजी लाया जाना चाहिए।
- इन प्रयोगशाला में बढ़ते हुए लम्बित प्रकरणों/मामलों में नियन्त्रण तथा अपराध अन्वेषण में तेजी लाने हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं में तकनीकी स्टॉफ व उपकरणों की भारी कमी को तत्काल संज्ञान में लेना चाहिए।

¹¹ आइटम इसमें सम्पादित है जैसे: क्राइम सीन प्रीजर्वेशन टूल्स, कल्यू हैंडलिंग टूल्स, कल्यू एनालिसिस टूल्स, स्प्रे मेकिंग पेण्ट, डिजीटल डिस्ट्रेट मेजरिंग डिवाइस, रैटचेट स्क्रू ड्राइवर, वर्नियर कैलीपर्स इत्यादि उपकरण नमूनों के संग्रहीत करने एवं स्पॉट विश्लेषण करने हेतु उपलब्ध कराये जाने थे।

अध्याय 7

प्रशिक्षण स्थापना का आधुनिकीकरण एवं संवर्धन

अध्याय 7

प्रशिक्षण स्थापना का आधुनिकीकरण एवं संवर्धन

7.1 प्रस्तावना

पुलिस बल द्वारा अपने कर्तव्यों का निष्पादन तथा तेजी से बढ़ते हुए चुनौतियों के साथ सामन्जस्य बनाने के उद्देश्य से ज्ञान अर्जित करने तथा व्यवसायिक कौशल विकास की आवश्यकता हेतु प्रशिक्षण अति आवश्यक है। पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण (डी०जी०पी०टी०), राज्य के पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय का प्रमुख है तथा वह पुलिस बल के सभी स्तर के पदों के लिए आन्तरिक एवं वाह्य आधारभूत प्रशिक्षण उपलब्ध कराने, वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करना जन शक्ति प्रबन्धन तथा प्रशिक्षण संस्थानों/केन्द्रों का पर्यवेक्षण तथा निरीक्षण करने के लिए उत्तरदायी है प्रदेश में नौ¹² प्रशिक्षण संस्थानों तथा 33 रंगरुट प्रशिक्षण केन्द्रों (आर०टी०सी) में पुलिस बल को प्रशिक्षण दिया जाता है।

भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षाधीन), पुलिस उपाधीक, सहायक अभियोजन अधिकारी आदि को आधारभूत प्रशिक्षण देने के लिए डा० भीमराव अम्बेडकर पुलिस आकादमी, मुरादाबाद उत्तरदायी है। निरीक्षकों एवं आरक्षियों (नागरिक पुलिस) को क्रमशः दो पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालयों (पी०टी०सी०), तथा चार पुलिस प्रशिक्षण विद्यालयों (पी०टी०एस०) में प्रशिक्षण दिया जाता है। निरीक्षक (सशस्त्र पुलिस) तथा आरक्षियों के



पुलिस शारीरिक प्रशिक्षण

क्रमशः दो सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालयों (ए०पी०टी०सी०) तथा 33 आरटीसी में प्रशिक्षण दिया जाता है। लेखापरीक्षा में प्रदेश में पुलिस बल के प्रशिक्षण के सम्बन्ध में प्रकाश में आयी विभिन्न कमियों की चर्चा आगे की गयी है।

7.2 उपकरणों की खरीद न किया जाना।

2011–16 के दौरान प्रशिक्षण संस्थान के सुदृढीकरण के लिए आवंटन और उसके सापेक्ष व्यय का विवरण निम्न सारणी में दिया गया है।

सारणी 7.1: वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान आवंटन और व्यय

(₹ करोड़ में)

परियोजना का नाम	आवंटन	व्यय	शेष धनराशि (प्रतिशत)
तेरहवाँ वित्त आयोग	4.23	2.28	1.95 (46)
पुलिस बल का आधुनिकीकरण	27.86	4.16	23.70 (85)
	32.09	6.44	25.65 (80)

(स्रोत: प्रशिक्षण निदेशालय और पुलिस मुख्यालय)

¹⁰ डा० भीमराव अम्बेडकर पुलिस आकादमी, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय तथा पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय तथा सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर, सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, गोरखपुर, पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ, तथा पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, उन्नाव।

उपरोक्त सारणी से यह स्पष्ट है कि प्रक्रिया और खरीद को अन्तिम रूप देने में विलम्ब के कारण ₹ 32.09 करोड़ के आवंटन के सापेक्ष वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान केवल ₹ 6.44 करोड़ (20 प्रतिशत) का उपयोग किया गया था और ₹ 25.65 करोड़ (80 प्रतिशत) समर्पित किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि इंटरेक्टिव आग्नेयास्त्र सिम्युलेटर/एडवान्स्ड वैपन सिम्युलेटर, साइबर अपराध प्रयोगशाला (उपकरण तथा साफ्टवेयर), सौर जल ताप प्रणाली इत्यादि को योजनाबद्ध रूप से खरीदा नहीं जा सका था।

इस प्रकार क्रय की प्रक्रियाओं को अन्तिम रूप देने में विलम्ब के कारण प्रशिक्षण संस्थानों के आधुनिकीकरण के अभीष्ट उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सका था।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि शासनादेश (मार्च 2016) के अनुसार शासन द्वारा ₹ 10.87 करोड़¹³ की धनराशि उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम के पी.एल.ए. में इस शर्त के साथ रखी गयी थी कि इसका उपयोग जून 2016 तक कर लिया जाये। लेखापरीक्षा में पाया गया कि पी.एल.ए. में जमा इस धनराशि का उपयोग जुलाई 2016 तक नहीं किया गया था। अग्रेतर वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद अवशेष धनराशि को पी.एल.ए. में रखना अनियमित था और वित्तीय नियमों के तहत अनुमन्य नहीं था।

उत्तर में शासन ने बताया (फरवरी 2017) कि प्रशिक्षण प्रयोगशाला के लिए 2013–14 में साइबर अपराध उपकरण/साफ्टवेयर की खरीद, अतिरिक्त निदेशक/निदेशक पुलिस, डा० भीम राव अम्बेडकर पुलिस अकादमी, मुरादाबाद को सौंपी गयी थी। खरीद में विलम्ब का कारण उपकरणों के मूल्य में ₹ 256.17 लाख की वृद्धि और ₹ 697.53 लाख की स्वीकृत लागत के अधिकांश उपकरणों/साफ्टवेयरों का आयात होना था। वर्तमान में उपरोक्त उपकरणों की खरीद ए.डी.जी.0, पुलिस तकनीकी सेवा निदेशालय द्वारा की गयी है और भुगतान के लिए बिल पुलिस मुख्यालय को भेजा (दिसम्बर 2016) गया है। इस प्रकार, साइबर अपराध प्रशिक्षण प्रयोगशाला (उपकरण तथा साफ्टवेयर) के क्रय में लगा समय, क्रय की निविदा तथा दर अनुबन्ध की प्रक्रिया निहित होने के दृष्टिगत असामान्य नहीं थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यदि ए.डी.जी. पुलिस तकनीकी सेवा निदेशालय को प्रक्रिया सौंपी गयी होती तो खरीद की प्रक्रिया पूरी की जा सकती थी। उपकरणों की खरीद में विलम्ब ये साइबर अपराध से सम्बन्धित मामलों के अनुभव के लाभ से वंचित कर दिया।

7.3 प्रशिक्षण केन्द्रों की अपर्याप्त क्षमता

प्रशिक्षण संस्थान/केन्द्रों में आधारभूत अवस्थापन एवं सुविधा उपलब्ध न कराये जाने में असफलता से प्रशिक्षण की गुणवत्ता प्रभावित होती है तथा प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण संस्थानों/केन्द्रों में ठहरने के दौरान असुविधा भी होती है।

प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये गये सूचना के अनुसार वर्ष के दौरान उपलब्ध पुलिस बल के आठ प्रतिशत भाग को प्रशिक्षण के लिए आरक्षित रखा जाना था। तदनुसार, स्वीकृत संख्या के आधार पर विभाग में वर्ष 2011–15 की अवधि में 28,320 से 29,598 प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण की क्षमता उपलब्ध होना चाहिए थी। प्रशिक्षण निदेशालय के अभिलेखों की जाँच में प्रकाश में आया (जुलाई 2016) कि विभाग के पास

¹³ साइबर विधि विज्ञान प्रयोगशाला उपकरण: ₹ 9.54 करोड़, सौर जल ताप प्रणाली: ₹ 1.33 करोड़।

मात्र 10,440¹⁴ प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण की क्षमता उपलब्ध थी, जो यह दर्शाता था कि विभाग की प्रशिक्षण क्षमता में 63 से 65 प्रतिशत तक कमी थी।

अग्रेतर, गुणवत्तायुक्त प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए कुल 2,400 प्रशिक्षणार्थीयों (800 प्रशिक्षु प्रति पीटीएस) की क्षमता वृद्धि के लिए शासन द्वारा जनपद बरेली, जालौन तथा सुलतानपुर में तीन पुलिस प्रशिक्षण विद्यालयों (पीटीएस) की स्थापना हेतु स्वीकृति (मार्च 2012) दी गयी थी। परन्तु भूमि उपलब्धता की समस्या को ध्यान में रखते हुये यह निर्णय (मई 2013) लिया गया कि जनपद बरेली में स्थापित होने के लिए स्वीकृत (₹ 33 करोड़) पीटीएसो को जनपद कांशीराम नगर में स्थापित किया जाये।

पुलिस मुख्यालय के अभिलेखों की जाँच में स्पष्ट हुआ कि भूमि विवाद के कारण कांशीराम नगर में पीटीएस निर्माण का कार्य पुनः प्रारम्भ नहीं किया गया था तथा जनपद सुलतानपुर व जालौन में अन्य दो पीटीएस का (₹ 63.15 करोड़ की लागत में) निर्माण कार्य ले—आउट योजना तथा डिजाईन/भवनों के नक्शे में परिवर्तन, निर्माण एजेन्सी में परिवर्तन करने तथा निर्माण एजेन्सी द्वारा निर्माण कार्य की धीमी प्रगति के कारण अभी तक (मार्च 2017 तक), अपूर्ण थे। अतः चार वर्ष के पश्चात भी विभाग प्रशिक्षण क्षमता में वृद्धि करने में असफल था एवं पीटीएस भी क्रियाशील नहीं हो सका था। अपर्याप्त प्रशिक्षण क्षमता तथा आन्तरिक प्रशिक्षण के अनुदेशक पदों में कमी से राज्य में पुलिस बल के प्रशिक्षण पर विपरीत प्रभाव पड़ा था जैसा कि प्रस्तर 7.4 तथा 10.2 में चर्चा किया गया है।

उत्तर में शासन ने बताया (फरवरी 2017) कि यद्यपि राज्य में प्रशिक्षण क्षमता में कमी है परन्तु वाह्य व आन्तरिक अनुदेशकों को लगाकर प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। जनपद कांशीरामनगर, जालौन व सुलतानपुर के पुलिस प्रशिक्षण विद्यालयों के निर्माण की धीमी प्रगति के सम्बन्ध में शासन ने बताया कि पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, कांशीराम नगर के निर्माण हेतु ₹ 251.67 करोड़ का प्राक्कलन शासन स्तर पर विचाराधीन है तथा पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, सुलतानपुर तथा जालौन के निर्माण कार्य के लिए सम्बन्धित निर्माण इकाई को निर्माण कार्य निर्धारित समय के अन्दर पूर्ण करने हेतु निर्देश दिया गया है। यद्यपि, राज्य में प्रशिक्षण प्रदान करने की क्षमता अपर्याप्त रही।

7.4 प्रशिक्षण अनुदेशकों की कमी

नवनियुक्त कैडेट जैसे पुलिस उपाधीक्षक, सहायक अभियोजन अधिकारी, उप निरीक्षकों, आरक्षियों आदि को आन्तरिक प्रशिक्षण देने के लिए अभियोजन अधिकारी तथा मनोवैज्ञानिक उत्तरदायी हैं। इसी प्रकार शारीरिक एवं पैदल प्रशिक्षण अनुदेशक (पीटीआई/आईटीआई) उपर बताये गये कैडेटस को बाह्य प्रशिक्षण देने के लिए उत्तरदायी हैं।

वर्ष 2011–16 के दौरान प्रशिक्षण संस्थानों/केन्द्रों में आन्तरिक व बाह्य प्रशिक्षण के अनुदेशक पदों की स्वीकृत पद संख्या, उपलब्ध जनशक्ति तथा उनमें कमियों का विवरण नीचे की सारणी में दिया गया है।

¹⁴ नौ प्रशिक्षण संस्थान: 4090 (डा० भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी, मुरादाबाद: 340; पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद: 600; तथा पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर: 600; सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मिर्जापुर: 600 तथा सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय सीतापुर: 350, पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, गोरखपुर: 600; पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय: मेरठ: 300; पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय: मुरादाबाद: 400. पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, उन्नाव 300 तथा 33 रंगरूट प्रशिक्षण केन्द्र: 6,350।

सारणी 7.2: आन्तरिक व वाहय अनुदेशकों की स्वीकृत संख्या एवं उपलब्धता

वर्ष	आन्तरिक प्रशिक्षण अनुदेशक		वाहय प्रशिक्षण अनुदेशक		
	अभियोजन अधिकरी/मनोवैज्ञानिक	शारीरिक /पैदल प्रशिक्षण अनुदेशक (पीटीआई/आईटी आई)	स्वीकृत संख्या	उपलब्ध जनशक्ति	आधिक्य (+) कमी (-) (प्रतिशत)
2011–12	50	32	(-)18 (36)	514	612
2012–13	50	32	(-)18 (36)	514	612
2013–14	50	32	(-)18 (36)	514	612
2014–15	56	18	(-)38 (68)	518	470
2015–16	55	18	(-)37 (67)	535	208

(स्रोत: बजट खण्ड-6)

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि आन्तरिक प्रशिक्षण के अनुदेशक पदों में 36 से 68 प्रतिशत तक की कमी थी। मनोवैज्ञानिक के पद में कमी शत प्रतिशत थी। वाहय प्रशिक्षण के अनुदेशक पद के सम्बन्ध में वर्ष 2011–14 की अवधि में पीटीआई/आईटीआई के स्वीकृति पद के विरुद्ध उपलब्ध पद 19 प्रतिशत तक अधिक था। लेखापरीक्षा द्वारा पाया गया कि इस अवधि में पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ में पीटीआई/आईटीआई के 16 से 34 पद बिना स्वीकृति के भरे गये थे।

नमूना जॉच के पॉच प्रशिक्षण संस्थानों के अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि वर्ष 2011–14 की अवधि में इन प्रशिक्षण संस्थानों में पीटीआई/आईटीआई के पदों में 14 से 34 प्रतिशत तक की कमी थी (**परिशिष्ट 7.1**)।

उत्तर में शासन ने लेखापरीक्षा के टिप्पणी को स्वीकार (फरवरी 2017) किया तथा बताया कि वाहय प्रशिक्षण के कार्यक्रमों को अस्थायी वाहय प्रशिक्षण अनुदेशकों के माध्यम से सम्पादित किया जा रहा है। आन्तरिक प्रशिक्षण के अनुदेशकों के सम्बन्ध में शासन द्वारा लेखापरीक्षा की टिप्पणी पर उत्तर नहीं दिया गया।

7.5 आन्तरिक प्रशिक्षण

आन्तरिक प्रशिक्षण के आधारभूत कोर्स के पाठ्यक्रम के अनुसार आन्तरिक प्रशिक्षण के कोर्स को सम्पादित करने के लिए प्रशिक्षण संस्थानों/केन्द्रों में पठन कक्ष, सूचना तकनीकी, कम्प्यूटर विधि विज्ञान प्रयोगशाला, साइबर अपराध प्रयोगशाला, छात्रावास तथा पुस्तकालय उपलब्ध होना चाहिए। नमूना जॉच किये गये पॉच प्रशिक्षण संस्थानों¹⁵ के अभिलेखों की जॉच में स्पष्ट हुआ कि पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर में



¹⁵ डा० भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी, मुरादाबाद; पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद; पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद; सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर; तथा पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर।

विधि विज्ञान प्रयोगशाला उपलब्ध नहीं था तथा पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद तथा सीतापुर में साईबर अपराध प्रयोगशाला उपलब्ध नहीं था।

उत्तर में शासन ने बताया (फरवरी 2017) कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला के उपकरणों के क्रय हेतु आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कर लिया गया है तथा विधि विज्ञान प्रयोगशाला के इन उपकरणों को स्थापित करने के लिए स्थल विकास का कार्य प्रगति पर है। साईबर अपराध प्रयोगशाला के सम्बन्ध में शासन ने बताया (फरवरी 2017) कि साईबर अपराध प्रयोगशाला के उपकरणों के क्रय हेतु आवश्यक कार्यवाही अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवायें द्वारा किया जा रहा था। जबकि पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालयों में साईबर अपराध प्रयोगशाला की सुविधा उपलब्ध न होने का तथ्य यथावत था, परिणामस्वरूप पुलिस बल के अधिकारी विधि विज्ञान तथा साईबर अपराध जॉच के तकनीकी प्रशिक्षण से वंचित रहे।

7.6 वाह्य प्रशिक्षण

वाह्य प्रशिक्षण के आधारभूत कोर्स के पाठ्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण संस्थानों/केन्द्रों में माडल पुलिस थाना, फाइरिंग रेंज, घुड़सवारी सैडल, तरण ताल, वाहन चालन ट्रैक, माप व तौल आदि की सुविधा उपलब्ध होना चाहिए। नमूना जॉच किये गये पांच प्रशिक्षण संस्थानों¹⁴ के अभिलेखों की जॉच से प्रकट हुआ कि :



- पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुराबाद में माडल पुलिस थाना उपलब्ध नहीं था; तथा
- पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद में माप व तौल की सुविधा उपलब्ध नहीं था।

उत्तर में शासन ने बताया (फरवरी 2017) कि प्रशिक्षण संस्थानों/केन्द्रों में माडल पुलिस थाना स्थापित करने के लिए प्रशिक्षण संस्थानों/केन्द्रों के कार्यालयाध्यक्षों को आवश्यक निर्देश पूर्व में ही निर्गत कर दिये गये हैं। शासन का उत्तर तथ्यों के अनुरूप नहीं है क्योंकि पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद में विद्यालय के अधिकारियों के साथ सम्पन्न संयुक्त भौतिक सत्यापन में विद्यालय में माडल पुलिस थाना को स्थापित करने का तथ्य नहीं पाया गया था।

7.7 प्रशिक्षण संस्थानों में अत्याधिक बोझ

वर्ष 2011 तथा 2015 के दैरान प्रशिक्षण संस्थानों/केन्द्रों पर क्रमशः 187 तथा 153 प्रतिशत तक का अधिक बोझ था परन्तु अन्य वर्षों में ये प्रशिक्षण संस्थान/केन्द्र क्षमता से कम उपयोग में रहे थे। नमूना जॉच किये गये पांच प्रशिक्षण संस्थानों के अभिलेखों की जांच (42 प्रशिक्षण संस्थान/केन्द्र में से) में इस तथ्य की पुष्टि हुई कि प्रशिक्षण संस्थानों/केन्द्रों पर प्रशिक्षण का अधिक बोझ था (**परिशिष्ट 7.2**) इन नमूना जांच किये गये प्रशिक्षण संस्थानों में वर्ष 2013 को छोड़कर शेष वर्षों में 2464 से 7197 प्रशिक्षु प्रशिक्षित किये गये थे, जो इनकी क्षमता से 104 से 214 प्रतिशत की सीमा तक अधिक था। यह अंतर्निहित था कि नियुक्ति तथा प्रशिक्षण को उचित रूप से नियोजित तथा सम्पन्न नहीं किया गया था।

¹⁴ डा० भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी, मुरादाबाद; पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद; पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद; सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, सीतापुर; तथा पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर।

उत्तर में शासन ने बताया (फरवरी 2017) कि शासन द्वारा पुलिस बल में नये भर्ती तथा पदोन्नति किये जाने के कारण प्रशिक्षण संस्थानों के क्षमता से अधिक, पुलिस बल को प्रशिक्षित किया गया था। शासन का उत्तर स्वतः पुष्टि करता है कि वर्ष 2011 से 2015 की अवधि में प्रशिक्षण संस्थान/केन्द्र 187 तथा 153 प्रतिशत की सीमा तक अधिक बोझ रहा था।

7.8 प्रशिक्षुओं के लिए अपर्याप्त आवासीय सुविधा

आधारभूत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अनुसार सभी प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षण संस्था द्वारा निर्दिष्ट आवास में ही रहना था तथा किसी भी प्रशिक्षु को अन्य स्थानों पर रहने की अनुमति नहीं थी। जबकि लेखापरीक्षा द्वारा पाया गया कि प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षुओं के लिए आवास की अत्यधिक कमी थी।

वर्ष 2011–16 के दौरान 42 प्रशिक्षण संस्थानों/केन्द्रों में उपलब्ध आवासीय क्षमता तथा प्रशिक्षुओं का वर्षवार विवरण नीचे की सारणी में दिया गया है:

सारणी 7.3: आवश्यक एवं उपलब्ध आवासीय सुविधा

वर्ष	आवश्यक आवासीय सुविधा (उपलब्ध पुलिस बल का आठ प्रतिशत)	उपलब्ध आवासीय सुविधा की संख्या	कमी (आवश्यकता का प्रतिशत)
2011–12	28320	21150	7170(25)
2012–13	28320	21150	7170(25)
2013–14	28320	21150	7170(25)
2014–15	28320	21150	7170(25)
2015–16	29598	21150	8448(29)

(स्रोत: बजट खण्ड-6 तथा प्रशिक्षण निदेशालय)

उपर्युक्त सारणी से यह प्रकट होता है कि वर्ष 2011–16 की अवधि में प्रशिक्षुओं के लिए आवासीय सुविधा में 25 से 29 प्रतिशत की कमी थी।

सीतापुर स्थित पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय तथा सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय के संयुक्त भौतिक सत्यापन में भी प्रकाश में आया कि प्रशिक्षुओं के लिए आवासीय सुविधा पर्याप्त नहीं थी। पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर में 16 प्रशिक्षुओं के रहने हेतु बनाये गये बैरक में 26 प्रशिक्षु रह रहे थे। सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर में बैरक में आलमारी की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, फलस्वरूप प्रशिक्षुओं के व्यक्तिगत सामान खुले स्थानों पर पड़े हुए थे।



शासन ने उत्तर में बताया (फरवरी 2017) कि पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर में प्रति छात्रावास 120 प्रशिक्षुओं की क्षमता के दो छात्रावासों (एक पुरुष तथा एक महिला के लिए) का निर्माण कार्य अग्रिम स्तर पर है। इन छात्रावासों का निर्माण पूर्ण होने के पश्चात आवास की समस्या का समाधान हो जायेगा। सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर के बैरक में आलमारी की सुविधा उपलब्ध न होने के विषय में शासन ने बताया (फरवरी 2017) कि पुराने बैरक में आलमारी की सुविधा नहीं थी।

7.9 आग्नेयास्त्र सिम्युलेटर (एफएस)

आग्नेयास्त्र सिम्युलेटर प्रशिक्षण का उपयोग सामान्यतः होने वाले प्रशिक्षण से भिन्न अधिक से अधिक अभ्यास के सम्भावना की अनुमति देता है तथा इस प्रकार का अभ्यास, सामान्य प्रशिक्षण के विपरित विशेष रूप से अपेक्षित प्रशिक्षण की पूर्ति करता है। इस प्रकार का प्रशिक्षण कारतूसों के कम उपयोग को भी सुनिश्चित करता है तथा इसके परिणामतः प्रशिक्षण लागत में कमी व समय का कुशलता से उपयोग होता है। आग्नेयास्त्र सिम्युलेटर से प्रशिक्षण व्यक्तिगत अभ्यास, शस्त्र अभ्यास की व्यापकता एवं संज्ञानात्मक कुशलता का एक प्रभावशाली माध्यम है।

लेखापरीक्षा में प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा प्रस्तुत (अगस्त 2016) अभिलेखों की जांच में पाया गया कि विभाग द्वारा मई 2005 से फरवरी 2013 की अवधी में आठ प्रशिक्षण संस्थानों/केन्द्रों¹⁷ में दस आग्नेयास्त्र सिम्युलेटर स्थापित किये गये थे। इन दस में से छः आग्नेयास्त्र सिम्युलेटर, तकनिकी समस्या तथा वार्षिक मरम्मत हेतु अनुबन्ध (एएमसी) के अभाव में वर्ष 2012¹⁸ से फरवरी 2016 की अवधि से अक्रियाशील थे। प्रशिक्षण निदेशालय ने सूचित किया कि इन आग्नेयास्त्र सिम्युलेटर को क्रियाशील बनाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। आगे पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद में स्थापित आग्नेयास्त्र सिम्युलेटर जो क्रियाशील बताया गया था परन्तु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि यह आग्नेयास्त्र सिम्युलेटर तकनिकी खराबी के कारण अप्रैल 2015 से अक्रियाशील था। इसके अतिरिक्त, एक¹⁹ प्रशिक्षण संस्था तथा 33 रंगरूट प्रशिक्षण केन्द्रों में आग्नेयास्त्र सिम्युलेटर उपलब्ध नहीं थे। इसलिए प्रशिक्षण संस्थानों/केन्द्रों में आग्नेयास्त्र सिम्युलेटर क्रियाशील न होने या उपलब्ध न होने के कारण अधिकांश प्रशिक्षण संस्थानों/केन्द्रों में प्रशिक्षण पा रहे पुलिस बल को विकसित आग्नेयास्त्र सिम्युलेटर का गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण उपलब्ध कराने में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था।

उत्तर में शासन ने बताया (फरवरी 2017) कि मई 2005 से फरवरी 2013 के दौरान स्थापित दस में से सात²⁰ आग्नेयास्त्र सिम्युलेटर क्रियाशील थे। परन्तु इनके क्रियाशील होने के सम्बन्ध में शासन ने कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया। जबकि, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद के संयुक्त भौतिक सत्यापन में क्रियाशील बताया गया आग्नेयास्त्र सिम्युलेटर अप्रैल 2015 से अक्रियाशील पाया गया। आगे शासन ने बताया (फरवरी 2017) कि शेष तीन²¹ आग्नेयास्त्र सिम्युलेटर को क्रियाशील बनाने की कार्यवाही प्रचलित है। एक प्रशिक्षण संस्थान तथा 33 रिक्रूट प्रशिक्षण केन्द्रों में आग्नेयास्त्र सिम्युलेटर उपलब्ध न होने के सम्बन्ध में शासन ने कोई उत्तर नहीं दिया।

¹⁷ डा० भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी (01) तथा पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, (01) मुरादाबाद; पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, (01) तथा सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, (01) सीतापुर; पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय (01), गोरखपुर; पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय (01), मेरठ; पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय (02), उन्नाव; तथा सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय (02), मिर्जापुर।

¹⁸ डा० भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी 01 नग (फरवरी 2016 से), तथा पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद; 01 नग (अप्रैल 2015 से), पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर 01 नग (06 अगस्त 2015 से), तथा सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर 01 नग (16 मार्च 2015 से), पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय मेरठ 01 नग (27 अगस्त 2016 से), तथा सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मिर्जापुर 02 में से 01 नग (2012 से)।

¹⁹ पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद।

²⁰ डा० भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी, मुरादाबाद; 01, तथा पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद; 01; सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मिर्जापुर; 02; पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, गोरखपुर '01; तथा पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, उन्नाव 02।

²¹ पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर: 01, सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर: 01; तथा, पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ: 01।

7.10 साइबर अपराध प्रयोगशाला स्थापित न किया जाना

साइबर अपराध से सम्बंधित प्रकरणों का सामना करने के लिए डा० भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी, मुरादाबाद द्वारा अकादमी में साइबर अपराध प्रशिक्षण प्रयोगशाला (साइबर प्रयोगशाला) स्थापित करने हेतु, पुलिस बल का आधुनिकीकरण योजना 2013–14 के अन्तर्गत रु 16.68 करोड़ की लागत का एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। अकादमी के उक्त प्रस्ताव के विरुद्ध उत्तर प्रदेश शासन द्वारा रु 9.54 करोड़ (सितम्बर 2014: रु 2.56 करोड़, जनवरी 2015: रु 6.98 करोड़) स्वीकृत किया गया। लेखापरीक्षा में पाया गया (मई 2016) कि अकादमी में मई 2016 तक साइबर अपराध प्रशिक्षण प्रयोगशाला स्थापित नहीं किया गया था। अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवायें, उ०प्र० ०८० लखनऊ के अभिलेखों की जाँच (जून 2016) में प्रकट हुआ कि साइबर अपराध प्रशिक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए उपकरणों एवं साफटवेयर की व्यवस्था जून 2016 तक प्रगति में था। परिणामस्वरूप प्रशिक्षण सत्र 2015 तथा 2016 के दौरान प्रशिक्षित 848 प्रशिक्षु उपनिरीक्षक, (नागारिक पुलिस), साइबर अपराध के प्रशिक्षण से वंचित रह गये थे (क्रमशः 524 तथा 324 प्रशिक्षु)।

उत्तर में शासन ने बताया (फरवरी 2017) कि विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में साइबर अपराध प्रशिक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए 15 हार्डवेयर व साफटवेयर उपकरणों की क्रय प्रक्रिया पूर्ण कर (फरवरी 2017) लिया गया है। प्रशिक्षण संस्थानों में इन्हें स्थापित करने के लिए स्थल की तैयारी प्रगति (फरवरी 2017) में है। अपर महानिदेशक, पुलिस अकादमी, मुरादाबाद ने भी पुष्टि किया (अप्रैल 2017) कि साइबर अपराध प्रशिक्षण प्रयोगशाला क्रियाशील नहीं है।

संस्तुतियाँ

- प्रशिक्षण संस्थानों के आधुनिकीकरण के लिए उपकरणों की प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए राज्य पुलिस बल को उच्चतम तकनीकी के साथ गुणवत्तापूर्वक प्रशिक्षण देने, प्रशिक्षण संस्थानों को पर्याप्त रूप से सुसज्जित करने तथा उपकरणों की प्राप्ति में विलम्ब न होने देने का सघन अनुश्रवण करना चाहिए;
- प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दो पुलिस प्रशिक्षण विद्यालयों के भवनों के निर्माण में तेजी लाने तथा राज्य में पुलिस प्रशिक्षण क्षमता की उपलब्ध क्षमता व आवश्यकता के मध्य अन्तर को कम करने के लिए अनुश्रवण किया जाना चाहिए,
- प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा आन्तरिक प्रशिक्षण के अनुदेशक पदों के रिक्तियों को भरने की कार्यवाही प्रारम्भ करना चाहिये। अग्रेतर, उपलब्ध वाह्य प्रशिक्षण के अनुदेशकों को तार्किक ढंग से तैनात करना चाहिए; तथा
- इस तथ्य के दृष्टिगत कि साइबर अपराध तथा उसका परीक्षण एक नया व जटिल विषय है एवं इसके लिए विशिष्ट कुशलता की आवश्यकता होती है। प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि साइबर प्रयोगशाला की स्थापना शीघ्रता से हो तथा पुलिस बल को बिना विलम्ब के साइबर अपराध में प्रशिक्षण दिया जाये।

अध्याय 8

विशेष पुलिस बल का आधुनिकीकरण

अध्याय 8

विशेष पुलिस बल का आधुनिकीकरण

विशेष प्रयोजन एवं आवश्यकता के लिए शासन द्वारा उ0प्र0 पुलिस बल के अन्तर्गत विभिन्न विशेष पुलिस बल/इकाईयों को स्थापित किया गया है। इन विशेष पुलिस बलों / इकाईयों में भ्रष्टाचार विरोधी संगठन (एसीओ), अपराध अनुसंधान विभाग (सीआईडी), आर्थिक अपराध खण्ड (इओडब्लू), आतंकवाद निरोधी दस्ता (एटीएस), प्रादेशिक सशस्त्र रक्षादल (पीएसी), विशेष कार्य बल (एसटीएफ) आदि शामिल हैं। इस निष्पादन लेखापरीक्षा में तीन विशेष पुलिस बल, यथा एटीएस, पीएसी व एसटीएफ को उनके आधुनिकीकरण की स्थिति की विस्तृत जाँच के लिए चयन किया गया था। लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नवत हैं:

8.1 आतंकवाद निरोधी दस्ता

प्रदेश में बढ़ते हुए आतंकवादी गतिविधियों का सामना करने तथा उन पर प्रभावी नियन्त्रण करने के लिए आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) की स्थापना (नवम्बर 2007) की गयी थी। एटीएस का उद्देश्य आतंकवादी व राष्ट्रद्रोही तत्वों के छुपने/रहने के संवेदनशील स्थानों का पता लगाने, उनके सम्बन्ध में गुप्त सूचना प्राप्त करने के लिए सम्पर्क विकास करना, राज्य में किसी आंतकी समूह का अनुमान/गतिविधियों की अभिसूचना पर कार्यवाही करना, केन्द्र तथा राज्य की अभिसूचना इकाईयों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए परवर्ती परिचालनात्मक कार्यवाही करना था।



एटीएस, प्रदेश के किसी भी विभाग व इकाई से सूचना मांग सकता है तथा इसके कार्य क्षेत्र में पूरा राज्य आच्छादित है। एटीएस द्वारा किसी भी पुलिस स्टेशन में पंजीकृत प्रकरणों को एटीएस ही तब तक जाँच करेगा जब तक अपरपुलिस महानिदेशक (कानून व व्यवस्था/अपराध) यह निर्णय न ले लें कि प्रकरण सामान्य प्रक्रिया का है तथा इसकी जाँच सम्बन्धित पुलिस स्टेशन द्वारा किया जा सकता है।


264 की स्वीकृत जन शक्ति के अतिरिक्त, एटीएस के लिए नियत भूमिका/कर्तव्य की पूर्ति हेतु कमाण्डो की एक कम्पनी, एटीएस के सहायतार्थ उपलब्ध कराया जाना था।

8.1.1 कमाण्डों प्रशिक्षण विद्यालय व कमाण्डों केन्द्र की स्थापना

देश में विभिन्न आतंकवादी हमला जैसे मुम्बई बम विस्फोट, हैदराबाद में मक्का मस्जिद विस्फोट तथा मुम्बई में 26/11 हमला (2008) के पश्चात उ0प्र0 पुलिस द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) की तर्ज पर 2000 कमाण्डो से युक्त कमाण्डो इकाई व केन्द्र स्थापित करने का निर्णय (जून 2009) लिया गया था। लखनऊ में ए.टी.एस. कमाण्डो प्रशिक्षण संस्थान के भवन निर्माण हेतु उ0प्र0 शासन द्वारा यू.पी.आर.एन.एन को कार्यदायी संस्था नामित (जुलाई 2009) किया गया था। शासन ने एटीएस, एसटीएफ व सुरक्षा इकाई के कमान्डो प्रशिक्षण हेतु ए.टी.एस. को नोडल अभिकरण के रूप में नामित (अक्टूबर 2009) करते हुए इस सम्बन्ध में विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।

तदनुसार, भवन व अवस्थापन विकास हेतु ₹ 278.09 करोड़ सहित ₹ 420.89 करोड़ का विस्तृत प्रस्ताव एटीएस द्वारा पुलिस मुख्यालय में स्वीकृति के लिए प्रस्तुत (नवम्बर 2009) किया गया था जिसमें:

- दो हजार की क्षमता का एक कमान्डो इकाई की स्थापना, जिसमें एक तिहाई कमान्डो को उनके कौशल/तकनीक को अद्यतन रखने एवं उन्हें दुरुस्त रखने के लिये नियमित प्रशिक्षण दिया जाना था।
- राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की तर्ज पर आगरा, लखनऊ, मेरठ व वाराणसी में चार केन्द्रों की स्थापना किया जाना था जहां पर कमान्डो अपना प्रशिक्षण पूर्ण करने के पश्चात, कमान्डों कार्य के लिए जब व जैसी आवश्यकता हो तैनात किया जा सके तथा;
- लखनऊ में केन्द्रीयकृत कमान्डो, प्रशिक्षण विद्यालय (सीटीएस) तथा नक्सल/जंगल संघर्ष एवं प्रशिक्षण के लिए मिर्जापुर में प्रतिधात विद्रोह व आतंकवाद निरोधी विद्यालय (विशेष प्रशिक्षण केन्द्र) की स्थापना करना था।



उक्त प्रस्ताव के विरुद्ध, 2000 कमान्डो हेतु भवन निर्माण के लिए पुलिस मुख्यालय ने ₹ 278.09 करोड़ की मांग प्रस्तुत (दिसम्बर 2009) किया था। तदोपरान्त, ₹ 0 प्र० पुलिस ने प्रथम चरण में मात्र 200 कमान्डो हेतु भवनों व अन्य प्रकार के अवस्थापना निर्माण का निर्णय (जनवरी 2010) लिया था।

सीटीएसो की स्थापना

राज्य सरकार द्वारा लखनऊ में ₹ 139.21 करोड़ की लागत पर कमान्डो प्रशिक्षण विद्यालय (सीटीएस) की स्थापना हेतु स्वीकृति (जून 2011) प्रदान की गयी थी तथा इसे दो चरणों में सम्पादित करने का निर्णय लिया गया था। प्रथम चरण में ₹ 70 करोड़ मूल्य के कार्य (प्रशिक्षण भवन प्रशासनिक भवन, कार्नर वाच टावर, बाल आकार कक्ष, 200 क्षमता का कमान्डो हास्टल, बीस प्रति क्षमता के चार हास्टल, अस्पताल भवन आदि) का निर्माण यूपी आर एन एन द्वारा सम्पादित किया जाना था। प्रथम चरण पूर्ण होने के बाद, द्वितीय चरण के कार्य किये जाने थे। प्रथम चरण के कार्य सितम्बर 2013 तक पूर्ण होने थे।



विस्तृत प्राक्कलन/परिकल्पना व डिजाइन के अनुसार एटीएस की स्थापना में 44.074 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता थी जिसमें से वास्तव में मात्र 16.466 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध थी। आवश्यकता अनुरूप भूमि उपलब्ध नहीं थी इसलिए विभाग ने जितनी भूमि उपलब्ध थी यथा 16.466 हेक्टेयर, उसी में प्रथम चरण के कार्य को पूर्ण करने का निर्णय लिया। जबकि, प्रथम चरण के निर्माण कार्य हेतु भी उपलब्ध भूमि पर्याप्त नहीं थी।

आगे लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि प्रथम चरण के कार्य को निष्पादित करने के लिए आवश्यक भूमि की मात्रा उपलब्ध न होने के कारण 12 कार्नर वाच टावर का कार्य नहीं कराया गया था तथा उच्च तरंग विद्युत लाइन को भी विस्थापित नहीं किया गया था आवासीय भवनों (टाइप पांच-4 तथा एक टाईप-5) का निर्माण सम्भव नहीं था। चिकित्सा भवन का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया था परन्तु अपूर्ण था, जिसे द्वितीय चरण में पूर्ण करने हेतु पुनः नियत किया गया था। उ0प्र0 शासन ने प्रथम चरण के कार्य को पूर्ण करने के लिए ₹ 98.99 करोड़ की पुनरिक्षीत लागत को स्वीकृत (सितम्बर 2015) किया था। यू पी आर एन एन को धनराशि अवमुक्त (मार्च 2016) की गयी थी। लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि मूल स्वीकृत लागत ₹ 70.00 करोड़ के विरुद्ध ₹ 82.49 करोड़ व्यय किया जा चुका था परन्तु कार्य पूर्ण करने की नियत समय (सितम्बर 2013) के तीन वर्ष व्यतीत होने के पश्चात भी कार्य की भौतिक प्रगति मात्र 88 प्रतिशत (मार्च 2016) थी। सी टी एस निर्माण के प्रथम चरण के कार्य पर ₹ 12.49 करोड़ की लागत वृद्धि के पश्चात भी कार्य निर्माणाधीन (सितम्बर 2016) था।

इसके आगे, द्वितीय चरण के कार्य जैसे सिमुलेशन हाल, अन्तःकक्ष क्रीड़ा हाल, पृथक अपचार संयन्त्र, श्वान कक्ष, ट्राजिट हास्टल, आवासीय भवन, सीसीटीवी प्रणाली, मार्ग नियन्त्रण प्रणाली आदि जो एटीएस को पूर्ण कियाशील करने के लिए आवश्यक थे, इसके निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही अभी लम्बित होने के कारण सम्पादित नहीं किये जा सके थे।

उत्तर में शासन ने बताया कि निर्माण इकाई ने उपलब्ध भूमि 16.466 हेक्टेयर में प्रथम चरण के कार्य पूर्ण कर दिये हैं। द्वितीय चरण के कार्य हेतु आवश्यक 27.576 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण की कार्यवाही प्रचलित है। जबकि यह तथ्य यथावत है कि भूमि की अनुपलब्धता के कारण सीटीएस स्थापना में विचारणीय बिलम्ब हुआ था।

कमान्डो केन्द्र तथा काउन्टर इनसरजेन्सी व आतंकरोधी विद्यालय की स्थापना

कमान्डो, कार्य के लिए प्रशिक्षण पूर्ण करने के बाद, उनकी आवश्यकता के अनुरूप तैनाती के लिए आगरा, लखनऊ, मेरठ व वाराणसी में चार कमान्डो केन्द्र की स्थापना, तथा नक्सल/जंगल संघर्ष प्रशिक्षण के लिए मिर्जापुर में काउन्टर इनसरजेन्सी व आतंकरोधी विद्यालय (सी0आई0ए0टी0) की स्थापना को प्रारम्भ नहीं किया गया था तथा कमान्डो केन्द्र (25–25 हेक्टेयर) व सी0आई0ए0टी0 के लिए 75 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं की गयी थी।

अतः निर्माण इकाई द्वारा समय पर कार्य पूर्ति सुनिश्चित न करने तथा भूमि अधिग्रहण में शासन के विफलता के कारण पाच वर्ष के पश्चात भी लखनऊ में कमान्डो प्रशिक्षण विद्यालय, मिर्जापुर में काउन्टर इनसरजेन्सी व आतंकरोधी विद्यालय एवं आगरा, लखनऊ मेरठ, तथा वाराणसी में चार कमान्डो केन्द्र की स्थापना नहीं हो सकी थी। कार्य सम्पादन/निर्माण में विलम्ब से विचारणीय लागत वृद्धि को बल मिला था। काउन्टर इनसरजेन्सी कार्यवाही तथा आतंकरोधी मापदण्डों को प्रभावी ढंग से करने के लिए क्षमता वृद्धि एवं तैयारी सुनिश्चित करने के प्रकरणों में शासन की उदासीन प्रवृत्ति

से आतंक/नक्सल आक्रमण की परिस्थिति में राज्य की जनता की सुरक्षा एवं बचाव की स्थिति में गम्भीर जोखिम था।

उत्तर में शासन ने बताया (फरवरी 2017) कि पदों की स्वीकृति, भवनों के निर्माण, वाहनों का क्रय, अस्त्र व शस्त्र की प्राप्ति आदि के प्रस्ताव शासन स्तर पर लम्बित है।

8.1.2 अस्थाई कमान्डो प्रशिक्षण विद्यालय

सी0टी0एस0 की स्थापना व क्रियाशील होने तक, नवीन पुलिस लाइन, कल्ली, लखनऊ के एक बैरक में एक अस्थाई कमान्डो प्रशिक्षण विद्यालय, 12 टाइप-1 आवासों का एक ब्लाक तथा पॉच टाइप-2 आवासों का एक ब्लाक प्रारम्भ करने का निर्णय (जनवरी 2010) लिया गया था। कमान्डो प्रशिक्षण में समाहित थे:

- प्रवेश पूर्व पाठ्यक्रम (चार सप्ताह);
- आर्मी अटैचमेन्ट (चार सप्ताह);
- आधारभूत प्रवेश पाठ्यक्रम (चौदह सप्ताह) तथा
- उच्चस्तरीय पाठ्यक्रम (आठ सप्ताह)

जबकि लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि एक भी व्यक्ति ने कमान्डो बनने के लिए आवश्यक पूर्ण कमान्डो प्रशिक्षण नहीं किया था। वर्ष 2009–12 की अवधि में मात्र 228 कमाण्डो को पूर्व-प्रवेश पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण दिया जा सका था, जबकि वर्ष 2012–16 की अवधि में कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया था। अतः आतंकी हमले जैसी कठिन परिस्थितियों में यथा नियोजित रूप से प्रभावी नियंत्रण के लिए पर्याप्त संख्या में कमान्डो को प्रशिक्षित नहीं किया गया था।

शासन ने उत्तर में बताया कि 228 कर्मचारियों को कमान्डो के लिए आवश्यक प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि शासन ने अपने उत्तर के पक्ष में अभिलेखीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराये।

8.1.3 कमान्डो इकाई की स्थापना

एटीएस की स्थापना के समय अपने नियत कर्तव्य को निष्पादित करने के लिए एटीएस की सहायता हेतु पीएसी की एक कम्पनी उपलब्ध कराये जाने का निर्णय (नवम्बर 2009) लिया गया था। उक्त निर्णय को लेते समय (नवम्बर 2009) 508²² कर्मचारी से युक्त पीएसी की चार कम्पनी, कमान्डो कम्पनी के रूप में तदर्थ व अन्तर्रिम आधार पर पहले से कार्य कर रही थी।

जबकि लेखापरीक्षा के प्रकाश में आया कि शासन ने प्रस्तावित 2000 कमान्डो की संख्या को अभी तक स्वीकृति नहीं किया था तथा केवल 79 पीएसी कर्मचारी अस्थाई सी0टी0एस0 में ए0टी0एस0 के साथ कार्य कर रहे (सितम्बर 2016) थे। अग्रेतर, 43 कर्मचारी (42²³ कर्मचारी वर्ष 2009–10 में तथा एक आरक्षी वर्ष 2011–12 में प्रशिक्षित) ए0टी0एस0 के साथ कार्य कर रहे थे परन्तु कोई भी कमान्डो जो अस्थाई सी0टी0एस0 में प्रशिक्षित था, न तो एस0टी0एफ0 अथवा न तो सुरक्षा शाखा में कार्य कर रहे थे।

शासन ने उत्तर में बताया गया कि ए0टी0एस0 में 103 कमाण्डो पदस्थापित हैं। शासकीय उत्तर स्वयं में ही लेखापरीक्षा टिप्पणी की पुष्टि करता है।

²⁰ कम्पनी कमान्डर-1, प्लाटून कमान्डर –10, मुख्य आरक्षी-88, एवं आरक्षी 409।

²¹ मुख्य आरक्षी-14 आरक्षी-28।

8.1.4 जनशक्ति

उत्तर प्रदेश शासन ने नवम्बर 2007 में जब एटीएस स्थापित हुआ था 264 कर्मचारियों/अधिकारियों की जनशक्ति स्वीकृत की थी। तदोपरान्त नवम्बर 2009 में एटीएस, सीटीएस तथा सीआईएटी को उपलब्ध कराने के लिए एटीएस ने 264 की स्वीकृत संख्या को बढ़ाकर 892 (**परिशिष्ट 8.1**) करने की माँग की थी।



झूटी पर ए.टी.एस. कमाण्डो

लेखापरीक्षा में देखा गया कि जनशक्ति में वृद्धि का प्रस्ताव सितम्बर 2016 तक शासन के पास लम्बित था। आगे, एटीएस के लिए स्वीकृत 264 पदों के सापेक्ष मात्र 217 कर्मचारी पदस्थापित थे। रिक्तियाँ, मुख्यतः उपाधीक्षक (67 प्रतिशत), उपनिरीक्षक (47 प्रतिशत), आरक्षी (20 प्रतिशत) तथा स्टेनोग्राफर (93 प्रतिशत) के पदों में थी जबकि कनिष्ठ विज्ञान अधिकारी, मुख्य आरक्षी (कुशल) तथा विस्फोटक विशेषज्ञ (**परिशिष्ट 8.2**) पदों से युक्त क्षेत्रीय इकाई में कोई तैनाती नहीं की गयी थी। ए0टी0एस0 के स्वीकृत जनशक्ति में इस प्रकार की कमी तथा विगत सात वर्षों तक ए0टी0एस0 को सुदृढ़ करने के प्रस्ताव पर निर्णय करने में शासन की विफलता से सुरक्षा परिणामों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

शासन ने लेखापरीक्षा द्वारा की गयी टिप्पणी में दिये गये तथ्यों की पुष्टि की।

8.1.5 अस्त्रों की उपलब्धता एवं शस्त्र सामग्री की आवश्यकता

एटीएस जैसे विशेष बल के क्रिया कलापों के लिए अस्त्र एवं शस्त्र अति महत्वपूर्ण अपेक्षायें हैं। जबकि लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि एटीएस को उनकी आवश्यकता अनुसार शस्त्र सामग्री नहीं मिली थी। वर्ष 2013–15 के दौरान एटीएस को 9 एमएम एमपी 5,12 बोर पीएजी, हैन्ड ग्रेनेड, स्टन ग्रेनेड तथा यूबीजीएल जैसे अस्त्र पहली बार मिले थे परन्तु हैन्ड ग्रेनेड को छोड़कर इन अस्त्रों के लिए शस्त्र सामग्री उपलब्ध नहीं करायी गयी थी। आगे, अस्त्रों की उपलब्धता के बिना वर्ष 2010–11 में 303 सीटीएन एलएमजी के लिए कारतूस निर्गत किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप मार्च 2016 तक भण्डार में कारतूस पड़े हुए थे (**परिशिष्ट 8.3**)।

अतः (i) लखनऊ में सीटीएस की स्थापना न होने; (ii) मिर्जापुर में सी0आई0ए0टी0 प्रारम्भ न होने तथा चार आंतकरोधी केन्द्रों के अभाव में आंतकवाद से सामना करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की तर्ज पर राज्य में एक कमान्डो इकाई स्थापित करने के उद्देश्य की पूर्ति अभी तक अप्राप्त थी। अगेतर, अस्त्रों के लिए शस्त्र सामग्री उपलब्ध न कराने, जनशक्ति स्वीकृति न करना आदि यह स्पष्ट करते थे कि शासन द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की तर्ज पर राज्य में आंतकवाद से सामना करने के लिए कमान्डो इकाई स्थापित करने में उचित प्राथमिकता एवं गम्भीरता नहीं दिखायी गयी, जो सुरक्षा हेतु नकारात्मक परिणाम को दर्शाता है। इस प्रकार, एटीएस के आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु जैसा वांछित था, वह प्राप्त नहीं किया जा सका था तथा राज्य आतंकी गतिविधियों के लिये अति संवेदनशील बना हुआ था।

उत्तर में शासन ने बताया कि कमान्डो प्रशिक्षण विद्यालय में अस्त्रो व शस्त्र सामग्रियों की कमी नहीं है। शासन का उत्तर, विगत तीन वर्षों के दौरान कमान्डो प्रशिक्षण सम्पन्न न कराये जाने के कारण तथ्यों के विपरीत है।


8.2 प्रादेशिक सशस्त्र बल

सैनिक आरक्षी तथा विशेष सशस्त्र बल का एकीकरण करते हुए यूपीपीएसी आधिनियम 1948 के द्वारा प्रादेशिक सशस्त्र बल का सृजन किया गया था जो अत्यधिक हिंसा के प्रकरणों, साम्प्रदायिक दंगों आदि का सामना करने हेतु नियत की गयी थी। वर्ष 1948 के पश्चात कानून व्यवस्था नियंत्रण करने में केन्द्रीय अर्ध सैनिक बल के तर्ज पर पीएसी को कानून एवं व्यवस्था स्थापित करने के लिए समानान्तर बल के रूप में उपयोग में लाया जा रहा है। पीएसी को तीन परिक्षेत्र, सात अनुभाग एवं 273 कम्पनी के साथ 33 वाहनियों में विभाजित किया गया है। परन्तु वर्तमान में केवल 200 कम्पनियां क्रियाशील हैं।

8.2.1 जनशक्ति

समूह 'अ' अधिकारी, समूह 'ब' के राजपत्रित व अराजपत्रित अधिकारियों के 47,147 तथा 36,898 की स्वीकृत संख्या के विरुद्ध वर्ष 2015–16 में जनशक्ति की उपलब्धता क्रमशः 4,257 तथा 30,216 थी। वास्तव में, 2015–16 में समूह 'ब' के राजपत्रित अधिकारी के पदों में 61 प्रतिशत तथा अराजपत्रित अधिकारी के पदों में 18 प्रतिशत कमी थी। वर्ष 2011–12 में उपलब्ध जनशक्ति 32406 से वर्ष 2015–16 में घटकर 30315 हो गई थी। पीएसी में जनशक्ति की कुल कमी 18 प्रतिशत थी। समूह ब में अधिकतम कमी 61 प्रतिशत तथा उपनिरीक्षक स्तर पर 72 प्रतिशत की कमी थी (परिशिष्ट 8.4)।

शासन ने लेखापरीक्षा के टिप्पणी का उत्तर नहीं दिया।



8.2.2 जनशक्ति का प्रतिस्थापन

प्रादेशिक सशस्त्र बल की स्वीकृत 273 कम्पनियों के विरुद्ध वर्तमान में मात्र 200 कम्पनियाँ क्रियाशील हैं तथा 19 कम्पनियों को अभी तक सृजित नहीं किया गया है। लेखापरीक्षा में प्रकाश में आया कि शेष 73 कम्पनियों में से 19 कम्पनियाँ बनायी ही नहीं गयीं तथा 54 कम्पनियाँ बनायी तो गयी परन्तु क्रियाशील नहीं हुईं। यह पाया गया कि पी0ए0सी0 में बड़ी मात्रा में रिक्तियों के बावजूद सुरक्षा मुख्यालय में 246 अतिरिक्त कर्मचारी (591 स्वीकृत पी0ए0सी0 कर्मचारियों के सापेक्ष 782 कर्मचारी तैनात किये गये थे) प्रतिस्थापित थे। अग्रेतर सीबीसीआईडी, प्रशिक्षण संस्थाओं एटीएस तथा एसटीएस के स्वीकृत क्रमशः शून्य, 594, शून्य तथा शून्य संख्या के सापेक्ष क्रमशः 143,797,86 तथा 8 कर्मचारी तैनात थे। 68 पी0ए0सी0 कर्मचारियों (आरक्षी व मुख्य आरक्षी) को उनके पद स्थापन की निरन्तरता स्वीकृत किये बिना मार्च 2010 से उ0प्र0 में लखनऊ की भवन सुरक्षा हेतु विशेष क्षेत्र सुरक्षा वाहिनी के अन्तर्गत सुरक्षा गार्ड के रूप में सामान्य सुरक्षा के लिए तैनात किया गया था। जनशक्ति में कमी के मद्देनजर पी0ए0सी0 मुख्यालय ने इन कर्मचारियों की वापसी की मांग की थी।

स्वीकृत संख्या के सापेक्ष पीएसी की जनशक्ति में अत्यधिक कमी तथा विशेष बल के लिए निर्धारित कार्य से इतर कार्य पर पीएसी बल की तैनाती न केवल उनकी दक्षता तथा नैतिक बल को प्रभावित करता है, बल्कि केन्द्रीय अर्धसैनिक बल पर निर्भरता में भी वृद्धि करता है।

लेखापरीक्षा के टिप्पणी पर शासन ने कोई उत्तर नहीं दिया।

8.2.3 वाहनों की कमी

पुलिस बल का दक्षतापूर्ण व प्रभावी निष्पादन के लिए मोबिलिटी अत्यावश्यक है तथा मोबिलिटी में कमी न्यूनतम होना चाहिए, जिससे कम से कम सम्भवित समय में घटना स्थल पर पुलिस पहुँच सके। अभिलेखों की जॉच में स्पष्ट हुआ कि विभिन्न श्रेणी के वाहनों में 145 वाहनों (12 प्रतिशत) की कमी थी (*परिशिष्ट 8.5*)। एक सौ पैंतालीस वाहनों की कमी में से, 130 वाहनों की अधिकतम कमी, टाटा ट्रक श्रेणी में थी। अग्रेतर, उपलब्ध 819 ट्रक तथा 276 बसों में से 322 ट्रक (39 प्रतिशत) तथा 186 बसें (67 प्रतिशत) अपने 15 वर्ष की निर्धारित आयु पूर्ण कर चुके थे परन्तु वाहन नहीं खरीदे गये थे, तथा पीएसी द्वारा अभी तक उन वाहनों का उपयोग किया जा रहा था, जिन्होंने अपनी निर्धारित आयु पूर्ण कर ली थी। अतः पीएसी के वाहन बेडे के अधिकांश भाग कालातीत थे तथा इनका प्रतिस्थापन/आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता थी।



दृष्ट कैरियर – पी.ए.सी.

शासन ने उत्तर में बताया (फरवरी 2017) कि पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद से 33 वाहन प्राप्ति के पश्चात अब केवल 112 वाहनों की कमी है।

8.2.4 उपकरण क्रय हेतु निधि

वर्ष 2011–16 के दौरान, एमपीएफ योजना के अन्तर्गत ₹ 43.71 करोड़ धनावंटन किया गया था जिसमें से मात्र ₹ 31.55 करोड़ का उपभोग किया गया था। जिसके परिणाम स्वरूप, कई स्वीकृत उपकरण क्रय नहीं किये जा सके थे। आवंटन, उपभोग व समर्पण का विवरण निम्नवत है:

सारणी 8.1: आवंटन तथा व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	मांग	आवंटन	व्यय	समर्पण
2011–12	अनुपलब्ध ²⁴	20.95	8.95	12.00
2012–13	59.80	13.47	13.45	0.02
2013–14	49.30	3.16	3.15	0.01
2014–15	127.34	5.39	5.29	0.10
2015–16	64.50	0.74	0.72	0.02
	300.94	43.71	31.56	12.15

(स्रोत: पीएसी मुख्यालय)

²⁴ वर्ष 2011–12 के मांग के आकड़े उपलब्ध नहीं कराये गये।

उक्त सारणी दर्शाती है कि वर्ष 2011–12 में आवंटित धन का 57 प्रतिशत (₹ 12.00 करोड़) उपभोग नहीं किया गया था तथा एक बड़े भाग का समर्पण किया गया था।

महत्वपूर्ण उपकरण जैसे सीन एलबो गार्ड के साथ शरीर रक्षक, पालीकार्वोनिक ढाल, पालीकार्बोनेट लाठी, बुलेट प्रूफ जाकेट, बुलेट प्रूफ हेलमेट, 06 लेन सिमुलेटर आदि जो कानून व व्यवस्था बनाये रखने के लिए आवश्यक हैं परन्तु, वर्ष 2015–16 में क्रय नहीं किये गये थे, यद्यपि, कि इन उपकरणों के क्रय हेतु ₹ 64.50 करोड़ धन की माँग पुलिस मुख्यालय को प्रस्तुत की गयी थी। वर्ष 2015–16 के अन्त में नीचे सारणी में दिये गये आवश्यकता के विरुद्ध इन महत्वपूर्ण उपकरणों की उपलब्धता बहुत कम थी:

सारणी 8.2: पीएसी उपकरणों में कमी

क्र0 सं0	उपकरण	आवश्यकता	उपलब्धता	कमी (प्रतिशत)
1	सीनगार्ड संहित वाडी रक्षक	30,297	26,916	3,381(11)
2	पाली कार्वोनेट ढाल	29,321	28,815	506(2)
3	पाली कार्वोनेट लाठी	27,488	26,078	1410(5)
4	बुलेट प्रूफ जाकेट	10,080	1,913	8,167(81)
5	बुलेट प्रूफ हेलमेट	10,080	209	9,871(98)
6	लेन सिमुलेटर	32	1	31(97)

(ज्ञोतः पीएसी मुख्यालय)

महत्वपूर्ण सुरक्षा सामाग्री जैसे बुलेट प्रूफ जाकेट, बुलेट प्रूफ हेलमेट, बॉडी सुरक्षा व अन्य उपकरण की अनुपलब्धता, दंगे अथवा अन्य उग्र परिस्थिति में न केवल पीएसी जवानों की क्षमता को कम करता है, बल्कि उनके जीवन को जोखिम में भी डाल सकता है।

लेखापरीक्षा के टिप्पणी पर शासन ने कोई उत्तर नहीं दिया।

8.2.5 अस्त्रों की कमी

पीएसी मुख्यालय द्वारा अस्त्रों की उपलब्धता के सम्बन्ध में प्रस्तुत सूचना से स्पष्ट है कि अस्त्रों की मुख्य श्रेणी में महत्वपूर्ण कमी थी। 5.56 इन्सास एलएमजी, दंगारोधी गन, आश्रु गैस—गन, 51 एमएम मोर्टार व एके 47 राइफल में 33 से 68 प्रतिशत के मध्य कमी थी (परिशिष्ट 8.6)।

लेखापरीक्षा के टिप्पणी पर शासन ने कोई उत्तर नहीं दिया।

8.3 स्पेशल टास्क फोर्स

जिला पुलिस के सहयोग से संगठित अपराधियों एवं मafियाओं पर अंकुश लगाने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स (एस0टी0एफ0) का गठन²⁵ (मई, 1998) किया गया था। समनुदेशित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु एस टी एफ को खोजबीन, बरामदगी, बंदी बनाने, अभिरक्षा एवं अन्य मामलों में वही अधिकार प्राप्त हैं जैसा कि दंड प्रक्रिया संहिता तथा अन्य नियमों के तहत पुलिस अधिकारियों को प्राप्त है।

²⁵ शासनादेश संख्या—1889 / छ.—पु—2—98—1100(35) / 98 दिनांक 04.05.1998।



स्पेशल टास्क फोर्स

8.3.1 मानव शक्ति में कमी

लेखा अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकाश में आया कि एस टी एफ में स्वीकृत पद संख्या के सापेक्ष 50 प्रतिशत से अधिक पद रिक्त थे। माह मार्च 2016 में अधिकारियों/कर्मचारियों के कुल स्वीकृत पद 472 के सापेक्ष मात्र 234 की ही तैनाती थी (परिशिष्ट 8.7)। एसटीएफ में मानव शक्ति की वृहद कमी, राज्य में संगठित अपराधियों एवं मफियाओं पर अंकुश लगाने में एसटीएफ की दक्षता को सीमित करता था।

इंगित किये जाने पर शासन द्वारा उत्तर (फरवरी, 2017) में बताया गया कि एसटीएफ के पत्रांक एसटीएफ—पी 34 / 2016 दिनांक 30.05.2016 द्वारा स्वीकृत पद संख्या में वृद्धि हेतु समेकित प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। उत्तर स्वयं में लेखापरीक्षा आपत्ति की स्वीकारोक्ति है।

अग्रेतर, शासनादेश 1998 की वांछनाओं के अनुरूप संगठित अपराधियों एवं मफियाओं के खिलाफ कार्यवाही किये जाने के क्रियात्मक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु पुर्लिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक, निरीक्षक, उपनिरीक्षक, मुख्य आरक्षी एवं आरक्षी के पद का सृजन किया गया। संगठित अपराधियों एवं मफियाओं के खिलाफ परिचालानात्मक कार्यवाही हेतु एसटीएफ के पास स्वीकृत पद 313 के सापेक्ष 165 (53 प्रतिशत) पदों पर ही तैनाती थी। एसटीएफ मुख्यालय के लेखाभिलेखों की संवीक्षा से प्रकाश में आया कि तैनाती के सापेक्ष, शस्त्रों की उपलब्धता 260 प्रतिशत से अधिक थी तथा एकमात्र पिस्टल/रिवाल्वर मद में तैनाती के सापेक्ष उपलब्धता 170 प्रतिशत थी।

इस प्रकार, संगठित अपराधियों एवं मफियाओं के खिलाफ कार्यवाही हेतु परिचालानात्मक क्रियाशील स्टाफ की भारी कमी के कारण शस्त्र बेकार पड़े थे तथा विशिष्ट बल के गठन के मूल उद्देश्यों के साथ समझौता किया गया था।

उक्त बिन्दुओं पर इंगित किये जाने पर शासन द्वारा उत्तर (फरवरी, 2017) में बताया गया कि उपलब्ध छोटे शस्त्रों एवं हथियारों की उपयोगिता/गुणवत्ता के बारे में विचार करने तथा अत्याधुनिक छोटे शस्त्रों के क्रय के बारे में विचार हेतु एक समिति का गठन किया गया है। शासकीय उत्तर स्वयं में लेखापरीक्षा आपत्ति की स्वीकारोक्ति है।

8.3.2 माफिया एवं संगठित अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही:

वर्ष 1998 के शासनादेश²⁶ में प्रावधानित था कि एस टी एफ द्वारा संगठित अपराध/अपराधियों एवं मफियाओं के खिलाफ कार्यवाही के संचालन हेतु पुलिस महानिदेशक,

²⁶ सं0-1889 / छ:-पु-2-98-1100(35) / 98 दिनांक 04.05.1998

शासनादेश में निहित सामान्य निर्देशों को परिचालित करने हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार करेंगे।

जबकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि शासनादेश के प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु संगठित अपराध/अपराधियों एवं मफियाओं के खिलाफ कार्यवाही के संचालन हेतु पुलिस महानिदेशक द्वारा शासनादेश में निहित सामान्य निर्देशों को परिचालित करने हेतु विस्तृत दिशानिर्देश नहीं तैयार किया गया था। लेखा परीक्षा पृच्छा के उत्तर में एसटी एफ मुख्यालय द्वारा सूचित किया गया कि एस0टी0एफ0 का संचालन शासनादेश (मई 1998) के अनुसार किया जा रहा है तथा पुलिस महानिदेशक द्वारा विस्तृत दिशानिर्देश नहीं बनाया गया है। इस प्रकार, एस0टी0एफ0 के गठन के अद्वारह वर्ष बाद भी शासनादेश की अपेक्षाओं के अनुसार परिचालन हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश का बनाया जाना एवं लागू किया जाना बाकी था।

इंगित किये जाने पर लेखापरीक्षा आपत्ति पर कोई उत्तर (फरवरी, 2017) नहीं दिया गया।

8.3.3 शस्त्र प्रबंधन में कमियाँ

एस0टी0एफ0 मुख्यालय के लेखाभिलेखों की संवीक्षा से प्रकाश में आया कि पी0एच0क्यू0 द्वारा एस0टी0एफ0 को मई 2013 में 20 सब-मशीन गन एवं जून, 2014 में 16 ग्लाक पिस्टल बिना सेवा कारतूस के प्रदान की गयी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसटीएफ द्वारा 2480 कारतूसों की मांग अगस्त, 2014 एवं दिसंबर, 2015 में की गयी, लेकिन पी0एच0क्यू0 द्वारा एस0टी0एफ0 को जनवरी 2016 तक कारतूस प्रदान नहीं किये जा सके क्योंकि ये सीतापुर के केन्द्रीय रिजर्व में उपलब्ध नहीं थे। नए शस्त्रों के साथ कारतूसों की आपूर्ति किये जाने में दो वर्ष से अधिक समय तक की विफलता, विशेष कार्य बलों को शस्त्रों की आपूर्ति एवं क्रय प्रक्रिया की प्रणाली में गंभीर कमियों का द्योतक है।

संस्तुतियाँ:

- लखनऊ में कमान्डो प्रशिक्षण केन्द्र (सीटीएस), मिर्जपुर में काउन्टर इन्सरजेन्सी व आतंकवाद निरोधी विद्यालय तथा केन्द्र के निर्माण कार्यों की प्रगति को गति देकर तथा शीघ्र भूमि अधिग्रहण कर पूर्ण किया जाना चाहिए जैसा कि नियोजित था।
- एटीएस को आवश्यक बल, विकसित अस्त्र व शस्त्र विना बिलम्ब के उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
- पीएसी के पुराने वाहन बदले जाने चाहिए।
- दंगों एवं अन्य उग्र परिस्थितियों में प्रभावी नियन्त्रण के लिए पीएसी को आधुनिकीकृत तथा पर्याप्त रूप से सुसज्जित करने हेतु आवश्यक सुरक्षा सामग्री व अन्य अस्त्र तथा शस्त्र के क्रय के लिए पर्याप्त धन का आवंटन कर सामग्री क्रय की प्रक्रिया को कारगर बनाकर उसमें गति लायी जानी चाहिए।
- वर्ष 1998 में विशेष कार्य बल के उद्भव के समय निर्गत शासनादेश को परिचालित किये जाने हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार किया जाना चाहिए, जिससे इसे प्रभावी बनाया जा सके।
- राज्य में संगठित अपराधियों तथा माफिया गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु एसटीएफ में मानव शक्ति एवं शस्त्रों की कमी की पूर्ति प्राथमिकता के अधार पर करते हुए इसे आधुनिक एवं सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए।

अध्याय ९

यातायात पुलिस आधुनिकीकरण

अध्याय 9

यातायात पुलिस आधुनिकीकरण

9.1 प्रस्तावना

यातायात निदेशालय को सड़क सुरक्षा, प्रशिक्षण एवं विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा जन साधारण में यातायात की समझ विकसित करने हेतु जागरूक करने का दायित्व सौंपा गया था एवं वांछित एवं आवश्यक सुधार हेतु यातायात के क्षेत्रीय कर्मचारियों को जिला पुलिस प्रभारी से समन्वय बनाना था।



9.2 वित्तीय स्रोत तथा उसका उपयोग

उ०प्र० पुलिस यातायात प्रबंधन (यू.पी.पी.टी.एम.एफ.) निधि की स्थापना एवं अधिसूचना जनवरी 2009 में प्रदेश में सड़क सुरक्षा के उपायों को लागू करने तथा यातायात प्रबंध तंत्र को सुदृढ़ करने हेतु की गयी थी। पुलिस द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत मौके पर प्राप्त अर्थदंड या समाधान द्वारा प्राप्त धनराशि को शासकीय खाते में जमा किया जाना था तथा उसके 75 प्रतिशत के बराबर की धनराशि राज्य सरकार द्वारा बजट के माध्यम से उ०प्र० पुलिस यातायात प्रबंधन निधि में अगले वित्तीय वर्ष में स्थानांतरित की जानी थी। निधि में स्थानांतरित धनराशि का उपयोग यातायात का उचित प्रबंधन, सड़क सुरक्षा के उपायों का प्रभावी क्रियान्वयन, यातायात शिक्षा का व्यापक प्रचार-प्रसार तथा आधुनिक उपकरणों के माध्यम से यातायात व्यवस्था हेतु किया जाना था।

विभाग द्वारा अवधि 2011–16 के लिए यातायात उपकरणों के क्रय हेतु ₹ 535.56 करोड़ की भावी योजना (दिसंबर 2010) तैयार की गयी थी परन्तु राजस्व प्राप्ति हेतु पर्याप्त प्रयास नहीं किये गये थे। अवधि 2011–16 में निधि में प्राप्ति एवं व्यय का विवरण निम्नवत था:

सारणी 9.1: उत्तर प्रदेश यातायात प्रबंधन निधि द्वारा भावी योजना, अर्थदण्ड वसूली, आवंटित निधि एवं व्यय की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	भावी योजना के अनुसार प्रस्तावित निधि	विगत वित्तीय वर्ष में प्राप्त अर्थदंड	वर्तमान वित्तीय वर्ष में आवंटित निधि	वर्तमान वित्तीय वर्ष में व्यय	निदेशालय द्वारा समर्पित धनराशि (प्रतिशत में)
2011-12	106.34	16.36	13.66	13.34	0.32
2012-13	89.32	15.17	5.43	3.66	1.77
2013-14	102.31	22.36	39.43	37.81	1.62
2014-15	115.16	33.40	10.82	1.17	9.65
2015-16	122.43	38.19	14.77	13.61	1.16
योग	535.56	125.48	84.11 (69.89 प्रतिशत)	69.59 (82.74 प्रतिशत)	14.52 (17.26 प्रतिशत)

(स्रोत: यातायात निदेशालय लखनऊ)

इस प्रकार यातायात विभाग प्रत्याशित योजना 2011-16 को लागू करने में विफल रहा। उ०प्र० यातायात पुलिस निदेशालय के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि सम्पूर्ण भावी योजना ₹ 535.56 करोड़ के सापेक्ष विभाग ₹ 125.48 करोड़ (23 प्रतिशत) ही अर्थदंड वसूल कर सका, लेकिन, उ०प्र० शासन ने वर्ष 2011-16 में निधि में जमा के लिए मात्र ₹ 84.11 करोड़ (16 प्रतिशत) स्वीकृत किये। स्वीकृत बजट ₹ 84.11 करोड़ के सापेक्ष विभाग द्वारा मात्र ₹ 69.59 करोड़ (13 प्रतिशत) व्य किये गए तथा ₹ 14.52 करोड़ समर्पित कर दिया गया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि समर्पण की धनराशि वर्ष 2014-15 में सर्वाधिक (89 प्रतिशत) थी। यह भी देखा गया कि शासन द्वारा माह मार्च 2015 में ₹ 10.82 करोड़ अवमुक्त किये गए थे, जिसके कारण निदेशालय द्वारा उ०प्र० शासन को सूचित किया गया कि वर्ष 2014-15 में स्वीकृत यातायात उपकरणों के क्रय हेतु निविदा प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु उपलब्ध समय पर्याप्त नहीं था।



ड्यूटी पर यातायात पुलिस

यातायात उपकरणों की अत्यधिक कमी थी जैसा कि **परिशिष्ट 9.1** में दर्शाया गया है। भावी योजना 2011-16 के सापेक्ष कमी मुख्यतः अन्य उपकरण/सामग्री युक्त इंटरसेप्टर वाहन (100 प्रतिशत), मोबाइल फोन एवं प्रिंटर सहित/युक्त चालान व्यवस्था (100 प्रतिशत), क्रेन एवं अन्य उपकरण युक्त आपदा प्रबंधन वाहन व्यवस्था/तंत्र (100 प्रतिशत), केंद्रीय कंप्यूटरीकृत चालान एवं नियंत्रण व्यवस्था/तंत्र (100 प्रतिशत) चित्र प्रदर्शन सुविधा युक्त द्रुत राडार (93 प्रतिशत), प्रिन्टर युक्त हस्त नियंत्रित श्वास विश्लेषक (73 प्रतिशत) आदि में थी।

शासन द्वारा अपने उत्तर में बताया गया (फरवरी 2017) कि प्रदेश में यातायात के सुचारू रूप से संचालन के लिए उच्चाधिकारियों द्वारा समय—समय पर दिये जाने वाले अनुदेशों एवं दिशा—निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्य किये गए हैं। वर्ष 2014-15 के दौरान, यातायात उपकरणों के क्रय के लिए ₹ 14.77 करोड़ आवंटित किया गया था जिसे जनपदों को उनकी आवश्यकता एवं मांग के अनुसार आवंटित किया गया था।


उ०प्र० शासन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि यातायात विभाग भावी योजना 2015-16 को क्रियान्वित नहीं कर सका था तथा वसूला गया अर्थदण्ड भावी योजना के कुल लक्ष्य के सापेक्ष मात्र 22 प्रतिशत रहा। अग्रेतर, उत्तर प्रदेश पुलिस यातायात प्रबन्धन निधि को आवंटित निधि मात्र 16 प्रतिशत थी तथा भावी योजना के अनुसार व्य अत्यल्प 13 प्रतिशत था। फलस्वरूप, भावी योजना के अनुरूप यातायात उपकरणों के अधिग्रहण को पूर्ण करने का उद्देश्य विफल रहा।

इस प्रकार, यातायात नियमों के लगातार उल्लंघन तथा राज्य में सड़क दुर्घटनाओं के कारण बहुत अधिक संख्या में हुई मृत्यु के बावजूद, राज्य पुलिस यातायात विनियमों को लागू करवा पाने में विफल रही क्योंकि उल्लिखित कार्ययोजना के अनुसार वाचित निधि का आवंटन नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, निधि के अभाव में यातायात उपकरणों का अधिग्रहण प्रभावित हुआ।

9.3 कार्यरत कार्मिक

पुलिस शोध एवं विकास ब्यूरों के मानकों के अनुसार, यातायात पुलिस कार्मिकों के कर्तव्यों को तीन वर्गों-परिचालन, नियत एवं विशेष कार्यों में विभाजित किया जा सकता है तथा इन्हें जनपद की जनसंख्या व वाहनों की संख्या वर्ग 'अ' (संख्या 50 लाख से अधिक, 700 वाहन पर एक यातायात कर्मी), वर्ग 'ब' (जनसंख्या 20 लाख से 50 लाख के मध्य, 850 वाहन पर एक यातायात कर्मी) तथा वर्ग 'स' (जनसंख्या 20 लाख से कम, 950 पर एक यातायातकर्मी) के आधार पर विभिन्न परिक्षेत्रों में तैनात किया जा सकता है।

यातायात निदेशालय के अभिलेखों तथा अन्य सामयिक आंकड़ों की जाँच से यह तथ्य उद्धाटित हुआ कि विभाग की स्थापना (1985) के समय राज्य में पंजीकृत वाहनों की संख्या (वर्ष 1985–86 में) 9.04 लाख थी। मार्च 2015 में पंजीकृत वाहनों की संख्या 2.13 करोड़ थी। इस प्रकार वर्ष 1985 से 2015 के मध्य राज्य में वाहनों की संख्या में 2256 प्रतिशत की वृद्धि हुई, इसके विपरीत, यातायात विभाग की स्वीकृत पदों की संख्या वर्ष 1985 से अद्यतन नीचे दिये गये चार्ट के अनुसार अपरिवर्तित रही है जैसा कि निम्न चार्ट में परिलक्षित है:



निदेशक, यातायात ने वर्ष 1985–2016 के दौरान राज्य के यातायात वाल्यूम, सड़कों की लम्बाई तथा शहरी करण में अत्यधिक वृद्धि के कारण विभिन्न संवर्गों के स्वीकृत पदों में वृद्धि के लिए उ0प्र0 शासन को वर्ष 1999, 2009 एवं 2010 में प्रस्ताव भेजे थे, यातायात विभाग के स्वीकृति पदों में संशोधन का प्रस्ताव शासन के पास दिसम्बर 1999 से लम्बित है।

लेखापरीक्षा द्वारा अग्रेतर देखा गया कि निम्नलिखित सारणी के अनुसार वर्ष 2010 में उ0प्र0 शासन को प्रेषित प्रस्ताव में यातायात निरीक्षक, यातायात उप निरीक्षक, हेड कान्स्टेबल तथा कान्स्टेबल यातायात संवर्ग में स्वीकृत पदों में प्रस्तावित वृद्धि के सापेक्ष वर्तमान में 71 प्रतिशत से 93 प्रतिशत के मध्य अत्यधिक कमी थी, जैसा कि निम्न सारणी में दर्शाया गया है:

सारिणी 9.2: वर्ष 2015–16 की अवधि में यातायात विभाग में कार्यरत कर्मचारियों का विवरण

पदनाम	प्रस्तावित स्वीकृत पद	कार्यरत कर्मी	स्वीकृत पद के सापेक्ष अधिकता / कमी
यातायात निरीक्षक	86	06	(-) 80 (93 प्रतिशत)
उप निरीक्षक यातायात	1065	79	(-) 986 (93 प्रतिशत)
मुख्य आरक्षी यातायात	3411	581	(-) 2,830 (83 प्रतिशत)
आरक्षी यातायात	8475	2420	(-) 6,055 (71 प्रतिशत)

(स्रोत: यातायात निदेशालय लखनऊ)

यद्यपि राज्य में कुछ मुख्य शहरों जैसे लखनऊ, वाराणसी, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, मेरठ, गाजियाबाद आदि सहित कुल 75 जनपद हैं, पूरे राज्य में तैनात यातायात निरीक्षकों एवं यातायात उपनिरीक्षकों की संख्या क्रमशः 6 एवं 79 थी। इससे परिलक्षित होता है कि प्रति जनपद में एक यातायात उप निरीक्षक तथा 12 जनपदों में एक यातायात निरीक्षक तैनात था, यह स्वयं में यातायात प्रबन्धन की दुर्दशा, अपर्याप्त राजस्व संग्रह तथा सड़क दुर्घटनाओं एवं आकस्मिकताओं का कारण दर्शाता है।

उत्तर में शासन द्वारा बताया गया (फरवरी 2017) कि राज्य की बढ़ती जनसंख्या एवं शहरी क्षेत्र एवं यातायात की वृद्धि के आलोक में पुलिस महानिदेशक ने परिपत्र संख्या डी.जी.-4-103(29)2014 दिनांक 14-12-2015 द्वारा यातायात पुलिस में पुलिस कार्मिकों की संख्या में वृद्धि की है। प्रथम चरण में, यातायात निरीक्षकों के 27 पदों के सापेक्ष पात्र पाए गए 16 सिविल पुलिस के निरीक्षकों की भर्ती यातायात पुलिस निरीक्षक के पद पर की गयी है। पात्र उम्मीदवार के अभाव में यातायात पुलिस उपनिरीक्षक के पद नहीं भरे जा सके तथा मुख्य आरक्षी एवं आरक्षी यातायात के पदों पर भर्ती के लिए आवश्यक निर्देश निर्गत किये जा चुके हैं।

उ०प्र० शासन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि राज्य में वर्ष 1985–16 के मध्य यातायात वाल्यूम, सड़कों की लम्बाई एवं शहरीकरण में अत्यधिक वृद्धि हुई है एवं यातायात विभाग के स्वीकृत पदों में संशोधन का प्रस्ताव दिसम्बर, 1999 से शासन के पास लंबित है।

9.4 यातायात पुलिस के लिए प्रशिक्षण

नयी शाखा में तैनाती के समय नए एवं वर्तमान अधिकारियों को प्रशिक्षण अवश्य दिया जाना चाहिए। वार्षिक रिफ्रेशर कक्षाएं आयोजित की जानी चाहिए। तथापि, यातायात निदेशालय उत्तर प्रदेश द्वारा यातायात पुलिस कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु कोई मापदंड निर्धारित नहीं किये गए थे। विगत पांच वर्षों के दौरान, यातायात पुलिस के विभिन्न संवर्गों को निम्नलिखित सारिणी के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान किये गये:

सारिणी 9.3: यातायात कार्मिकों को प्रदत्त प्रशिक्षण

संवर्ग का विवरण	कार्यरत कर्मचारी	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16
निरीक्षक यातायात	06	0	14	0	7	0
उपनिरीक्षक यातायात	79	0	17	0	0	0
मुख्य आरक्षी यातायात	581	0	0	0	0	0
आरक्षी यातायात	2420	619	323	295	0	0

(स्रोत: यातायात निदेशालय लखनऊ)

उपरोक्त सारिणी से स्पष्ट है कि 62 उपनिरीक्षक यातायात, 581 मुख्य आरक्षी यातायात तथा 1183 आरक्षी यातायात को वर्ष 2011–16 के मध्य कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया

था। इससे स्पष्ट है कि विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा तथा यातायात नियमों को लागू करने हेतु पर्याप्त प्राथमिकता प्रदान नहीं की गयी थी। यह भी पाया गया कि उत्तर प्रदेश में यातायात पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु कोई भी प्रशिक्षण संस्थान नहीं था।

उ०प्र० शासन द्वारा लेखापरीक्षा परिणामों को स्वीकार किया गया (फरवरी, 2017) तथा बताया गया कि यातायात पुलिस के 17 निरीक्षकों, 51 उपनिरीक्षकों, 1099 मुख्य आरक्षियों तथा 1337 आरक्षियों को वर्ष 2016–17 में प्रशिक्षण दिया गया था।

9.5 सड़क दुर्घटनाएं

राज्य में वर्ष 2011–16 की अवधि में 1,61,968 दुर्घटनाएं घटित हुई, जिसमें 92,522 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। सड़क दुर्घटनाएं एवं सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु का विवरण निम्न सारणी में दर्शाया गया है:

सारणी 9.4: राज्य में सड़क दुर्घटनायें, सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु एवं सड़क दुर्घटनाओं में घायल का विवरण

वर्ष	सड़क दुर्घटनाओं की संख्या	सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु	सड़क दुर्घटनाओं में घायल
2011	29,285	21,512	15,513
2012	29,972	16,149	22,155
2013	30,615	16,004	23,024
2014	31,034	16,287	22,337
2015	32,385	17,666	23,205
2016 (मार्च 2016 तक)	8,677	4,904	6,229
योग	1,61,968	92,522	1,12,463

(स्रोत: यातायात निदेशालय लखनऊ)

अत्यधिक संख्या में मार्ग दुर्घटनाओं के बावजूद विभाग एवं शासन द्वारा यातायात पुलिस कर्मियों की संख्या में बढ़ोत्तरी, आधुनिक यातायात उपकरणों के क्रय तथा सड़क सुरक्षा के उपायों में वृद्धि हेतु यातायात कर्मियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु आवश्यक उपाय नहीं किये गए।

संस्कृतियाँ

- निदेशालय द्वारा वाहन अधिनियम के अंतर्गत अर्थदंड/दंड वसूली का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया जाना चाहिए। मार्ग यातायात अनुशासन में सुधार का सघनता से अनुश्रवण किया जाना चाहिये तथा सड़क सुरक्षा उपकरणों के क्रय हेतु पर्याप्त निधि का सृजन सुनिश्चित करना चाहिए।
- यातायात नियमों को लागू करने तथा सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए पर्याप्त मानव शक्ति उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

अध्याय 10

पुलिस आवास का निर्माण

अध्याय 10

पुलिस आवास का निर्माण

10.1 प्रस्तावना

राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने राज्य में सभी पुलिस कार्मिकों के लिए आवासीय सुविधा प्रदान कराने की अनुशंसा की जिसमें निम्न एवं उच्च अधीनस्थों के आवासों के लिए विशेष बल दिया गया था। राज्य के पुलिस बल को बेहतर जीवन एवं कार्य का वातावरण उपलब्ध कराने के लिए सभी बुनियादी सुविधाओं के साथ सु-सुरक्षित आवासीय, प्रशासनिक एवं अन्य भवनों का निर्माण कराना पुलिस बल के आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत, एक प्रमुख क्षेत्र है।

10.2 कार्यों का निष्पादन

पुलिस कार्मिकों को बेहतर आधारभूत सुविधायें प्रदान कराने के आशय से उत्तर प्रदेश शासन ने ₹ 2920.62 करोड़ की लागत वाले 2068 भवनों के निर्माण की स्वीकृति दी तथा वर्ष 1995–2016 के दौरान 9 कार्यदायी संस्थाओं²⁷ को कार्य प्रदान किये।

उपरोक्त 2068 कार्यों में से मार्च 2014 तक स्वीकृत ₹ 1048.73 करोड़ की लागत वाले 616 कार्यों को मार्च 2016 तक पूर्ण किया जाना था। यद्यपि लेखा परीक्षा जॉच में पाया गया कि ₹ 482.15 करोड़ व्यय कर मात्र 393 कार्यों (64 प्रतिशत) को पूर्ण किया गया था तथा शेष 223 कार्य (34 प्रतिशत) अपूर्ण थे जिनपर मार्च 2016 तक ₹ 390.73 करोड़ का व्यय किया जा चुका था (**परिशिष्ट 10.1**) निर्माण की धीमी प्रगति के कारणों की चर्चा अनुवर्ती प्रस्तरों में की गयी है।

10.2.1 निधियों का उपयोग न किया जाना

पुलिस विभाग द्वारा वर्ष 2011–16 की अवधि में बजट आवंटन के सापेक्ष निर्माण कार्य पर किया गया व्यय निम्नवत् है।

सारणी 10.1: आवंटन, व्यय और समर्पण का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	वर्ष	बजट आवंटन/अवमुक्त धनराशि	व्यय(प्रतिशत)	समर्पण(प्रतिशत)
1	2011–12	539.83	236.64(44)	303.19(56)
2	2012–13	561.75	294.08(52)	267.67(48)
3	2013–14	531.20	476.88(90)	54.32(10)
4	2014–15	559.13	517.41(93)	41.72(07)
5	2015–16	643.75	597.79(93)	45.96(07)
योग		2,835.66	2,122.80(75)	712.86(25)

(जोत: बजट अभिलेख)

विभाग बजट का पूर्ण उपयोग करने में विफल रहा तथा वर्ष 2011–16 के दौरान ₹ 712.76 करोड़ (25 प्रतिशत) समर्पित कर दिया गया। निधियों का उपयोग करने में विफलता कार्य निष्पादन की धीमी गति को इंगित करती है।

²⁷ ए० एण्ड वी०पी०, सी एण्ड डी०एस०, जे०एल०एन०, पैन लिमिटेड, पैकफैड, लौ०नि०वि०, यू०पी० आर एन एन, एस०के०एन, और यू०पी०पी०सी०एल०।

10.2.2 मनोनयन आधार पर कार्य प्रदान करना।

10.2.2.1 प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के बिना कार्य सौंपा जाना।

केन्द्रीय सर्तकता आयोग के दिशा—निर्देश के अनुसार, नामांकन, जिसे एकल निविदा भी कहा जाता है, के आधार पर ठेका सौंपे जाने को अखिरी विकल्प के रूप में सिर्फ प्रयोग में लाया जाना है जब असाधारण परिस्थियों हो जैसे—प्राकृतिक आपदाएँ आपातकाल अथवा बार—बार निविदा आमंत्रित किए जाने के बाद भी कोई बोली नहीं लगी हो अथवा वहाँ, जहाँ क्रय किये जाने के सन्दर्भ में मात्र एक ही आपूर्तिकर्ता को लाइसेंस (प्रोप्राइट्री आइटम) प्राप्त हो।

अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि निविदा की पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धात्मकता सुनिश्चित करने और उचित दरों को प्राप्त करने के लिए, कार्य आवंटन करने के लिए खुली निविदा प्रक्रिया का प्रयोग नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा में देखा गया कि नौ सरकारी कार्यदायी संस्थाओं को ₹ 2920.62 करोड़ की लागत के 2068 कार्य बिना निविदा आमंत्रित किये, मनोनयन के आधार पर सौंपे गये जिनका विवरण निम्न सारणी में है।

सारणी 10.2: संस्थावार कार्य आवंटन की संख्या

क्र0 सं0	निर्माण ईकाई* का नाम	आवंटित कार्यों की संख्या	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि	व्यय	अपूर्ण कार्य		(₹ करोड़ में)
						कार्यों की संख्या (प्रतिशत)	स्वीकृत लागत (प्रतिशत)	
1	ए एण्ड वी पी	81	166.89	104.07	80.01	68(84)	158.57(95)	
2	सी एण्ड डी एस	41	51.43	46.05	40.56	25(61)	36.98(72)	
3	जे एल एन	9	6.47	5067	5.27	05(55)	2.05(32)	
4	पैन लिमिटेड	1,540	748.37	703.37	500.05	1,038(67)	470.99(63)	
5	पैकफैड	18	28.37	22.54	18.44	07(39)	16.09(57)	
6	लो०नि०वि०	24	201.82	101.21	101.21	24(100)	201.82(100)	
7	यू०पी०आर एन एन	69	1215.35	395.30	305.88	54(78)	1,198.92(99)	
8	एस०क०एन०	27	56.77	40.21	33.21	13(48)	25.65(45)	
9	यू०पी०पी०सी०एल०	259	445.14	437.41	394.56	99(38)	223.26(50)	
महायोग		2,068	2,920.62	1,855.82	1479.19	1,344	2,364(81)	

(जोत: पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद)

* ए० एण्ड वी०पी०: आवास एवं विकास परिषद, सी एण्ड डी०एस०: कान्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, जे०एल०एन०: जल निगम, पैन लिमिटेड: पुलिस आवास निगम लिमिटेड, पैकफैड: प्रोसेसिंग एण्ड कान्स्ट्रक्शन कॉम्परेटिव फॉडरेशन लिमिटेड, लो०नि०वि०: लोक निर्माण विभाग, यू०पी० आर एन एन: उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम, एस०क०एन०: समाज कल्याण निगम, यू०पी०पी०सी०एल०: उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

प्रतिस्पर्धात्मक बोली के बिना मनोनयन आधार पर ऐसे उच्च मूल्य की संविदाओं का आवंटन, प्रभावहीनता तथा मनमानेपन को बढ़ावा देता है तथा गुणवत्ता सुधार और लागत नियंत्रण की आवश्यकता को अनदेखा करता है। अतः मनोनयन के आधार पर इतनी बड़ी संख्या में शासकीय निर्माण ईकाईयों को कार्यों का सौंपा जाना अनुचित एवं अतार्किक था।

उत्तर में शासन द्वारा बताया गया कि लेखा परीक्षा द्वारा दिये गये सुझावों के अनुपालन के लिए निर्माण ईकाईयों को निर्देश जारी किये गये हैं।

10.2.2.2 पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्माण इकाईयों को अग्रिम के रूप में भुगतान

ठेकेदारों अथवा निर्माण इकाईयों को दिया गया अग्रिम, उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग मॉडल बिड डाक्यूमेन्ट के अनुसार, निर्धारित वित्तीय सीमाओं से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अग्रिम हमेशा संरक्षित होना चाहिए तथा वसूली समय आधारित होनी चाहिए न कि कार्य की प्रगति से सम्बन्धित होनी चाहिए। अग्रिमों की प्राप्ति तथा उपयोग का अनुश्रवण अग्रिम प्राप्त करने वाली निर्माण इकाई के द्वारा खोले जाने वाले निलम्ब (एस्क्रो) खातों द्वारा किया जाना चाहिए। अग्रिम यदि कार्य स्थल पर लायी गयी सामग्री के सापेक्ष संरक्षित नहीं हैं तो अग्रिम को सब्याज प्रदान किया जाना चाहिए।

अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्माण इकाई को कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व ही स्वीकृत धनराशि की प्रथम किश्त अवमुक्त कर दी गयी। पुलिस मुख्यालय ने कार्य निष्पादन की भौतिक प्रगति तथा शासकीय कार्यदायी संस्थाओं को आवंटित विभिन्न कार्यों के सापेक्ष किये गये वार्ताविक व्यय का अनुश्रवण नहीं किया तथा वित्तीय वर्ष के अन्त में उन(कार्यदायी संस्थाओं) पर उपलब्ध धनराशि का अनुश्रवण किये बिना पुलिस मुख्यालय शासकीय निर्माण इकाईयों को अग्रिम अवमुक्त करता रहा। परिणामस्वरूप मार्च 2016 तक निर्माण इकाईयों के पास ₹ 376.63 करोड़ की धनराशि अवशेष के रूप में एकत्रित हो चुकी थी। निर्माण इकाईयों को उनके पास पहले से उपलब्ध अग्रिमों के उपयोग का अनुश्रवण किये बिना अग्रिम प्रदान करने की ऐसी प्रथा सरकारी खजाने पर परिहार्य बोझ डालती है तथा निर्माण इकाईयों के अनुचित लाभ को बढ़ाती है।

उत्तर में शासन द्वारा बताया गया कि धनराशि जमा किये जाने पर ही निर्माण कार्य निष्पादित किया जाता है, अतः धनराशि बतौर अग्रिम भुगतान की जानी थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निधि का प्रवाह कार्य की प्रगति के अनुसार होना चाहिए।

10.2.3 निर्माण इकाईयों का प्रदर्शन

कार्यदायी संस्थाओं द्वारा बड़ी संख्या में पिछले वर्षों के कार्यों के अपूर्ण होने के बावजूद पुलिस विभाग द्वारा कार्य सौंपने से पूर्व निर्माण इकाईयों के प्रदर्शन की समीक्षा नहीं की गयी थी जो कि निम्न सारणी से परिलक्षित होता है जो पिछले दो वर्षों 2014–16 में सौंपे गये कार्यों का विवरण दर्शाती है।

सारणी 10.3 वर्ष 2014–16 के दौरान इकाई वार अपूर्ण तथा आवंटित कार्य

कार्यदायी संस्था का नाम	मार्च 2012 तक सौंपे गये कुल कार्य		मार्च 2012 तक सौंपे गये कार्यों को अपूर्ण है			वर्ष 2014–16 के दौरान सौंपे गये कार्य	
	संख्या	लागत	संख्या	संख्या (प्रतिशत)	लागत (प्रतिशत)	संख्या (कुल का प्रतिशत)	लागत (कुल का प्रतिशत)
ए एण्ड वी पी	13	11.07	2011–12	0(08)	3.17(29)	66(06)	150.96(08)
सी एण्ड डी एस	38	39.79	2002–12	22(58)	25..34(64)	2(00)	3.00 (00)
जे एल एन	2	1.70	2011–12	1(50)	1.35(79)	2(00)	0.46(00)
पैन लिमिटेड	14.1	104.65	2006–12	15(11)	7.26(07)	986(88)	392.77(22)
पैकफैड	16	18.09	2005–10	5(31)	5.81(32)	2(000)	1028(01)
लेनिविंग	0	0	—	00(00)	0(00)	24(02)	201.82(11)
यूपी0आर एन एन	57	231.84	1995–12	29(51)	207.82(90)	12(01)	983.51(54)
एस0कॉएन0	10	17.54	2004–10	7(70)	16.20(92)	16(01)	35.27(02)
यूपी0पी0सी0एल0	227	359.37	2009–12	72(32)	148.27(41)	11(01)	28.90(02)
योग	504	784.05	1995–2012	165	422.81	1121	1,807.04

(स्रोत: पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद)

उपरोक्त सारणी से यह स्पष्ट है कि सबसे खराब प्रदर्शन वाली संस्था उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड (यू०पी०आर०एन०एन) थी, जिसे वर्ष 1995 से 2012 तक ₹ 231.83 करोड़ (30 प्रतिशत) लागत वाले 57 कार्य सौंपे गये थे लेकिन 207.82 करोड़ (90 प्रतिशत) लागत के 29 कार्य (51 प्रतिशत) मार्च 2017 तक अपूर्ण थे। राज्य सरकार ने संस्था के खराब प्रदर्शन को अनदेखा करते हुए यू०पी०आर०एन०एन० को ₹ 983.51 करोड़ (2014–16 के दौरान प्रदान किये गये कार्यों की कुल लागत का 54 प्रतिशत) की लागत के 12 प्रमुख कार्यों को प्रदान किया। इसी प्रकार की स्थिति आवास एवं विकास परिषद, यू०पी० प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड जैसी कई अन्य संस्थाओं की थी जिन्हें वर्ष 2012 से पहले कार्य निष्पादन में खराब प्रदर्शन के बावजूद बड़े कार्यादेश दिये गये थे। इसने, पुलिस स्टेशनों, बैरकों, आवासीय क्वार्टर्स, फायर स्टेशन आदि जैसे अधिकतर कार्यों के निष्पादन में अत्यधिक विलम्ब होने के कारण पुलिस बल के आधुनिकीकरण पर गम्भीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। सबसे खराब प्रदर्शन वाले जिले कानपुर देहात, अलीगढ़, लखनऊ, गोरखपुर, मिर्जापुर आदि थे।

उत्तर में, शासन ने कहा कि लेखा परीक्षा द्वारा दिये गये सुझावों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

10.2.4 निर्माण इकाइयों की क्षमता का आकलन किये बिना कार्य सौंपना।

राज्य सरकार ने कार्यों को सौंपे जाने के लिए निर्माण ईकाइयों की अधिकतम क्षमता सीमा तय (फरवरी 2013) की थी, जो समाज कल्याण निगम एवं आवास विकास परिषद के लिए ₹ 25.00 करोड़ थी तथा यू०पी०पी०सी०एल० और पी०ए०सी०सी०एफ०ई०डी० के लिए ₹ 10.00 करोड़ थी। शासनादेश (जी०ओ०) के अनुसार विभाग (कार्य प्रदान करने वाला) को इन निर्माण ईकाइयों से उनकी कार्य करने की क्षमता के आलोक में शेष कार्य करने की क्षमता होने का प्रमाण—पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता थी। शासनादेश में यह भी वर्णित था कि प्रशासनिक विभाग के पास कार्य सौंपने हेतु, खुली निविदा के साथ—साथ राज्य और केन्द्र की सरकारी संस्थाओं के मध्य सीमित निविदा प्रक्रिया को अपनाने का विकल्प भी उपलब्ध था।

यद्यपि संवीक्षा में पाया गया कि भवन निर्माण के कार्यों को सौंपने में पुलिस विभाग में न तो संस्थाओं की कार्य करने की क्षमता को सत्यापित किया और न ही खुली/सीमित निविदाये आमंत्रित की। वर्ष 2015–16 में उपरोक्त चार संस्थाओं को दिये गये कार्यों की संख्या के सापेक्ष मार्च 2015 तक अपूर्ण कार्यों की संख्या निम्न सारणी में दी गयी है।

सारणी 10.4 अपूर्ण कार्यों के सापेक्ष कार्यदायी संस्थाओं को अतिरिक्त कार्यभार के साथ सौंपे गये कार्य

संस्था	वर्ष 2014 तक लम्बित कार्य		2015–16 में आवंटित कार्य		2015–16 में कुल कार्यभार	
	संख्या	लागत	संख्या	लागत	संख्या	लागत
ए०एण्ड०वी०पी	30	82.92	38	75.65	68	158.57
पी०एफ०ई०डी०	5	5.81	2	10.28	7	16.09
एस के एन	11	29.79	13	25.65	24	55.44
यू०पी०पी०सी०एल	96	215.60	3	7.67	99	223.27
योग	142	334.12	56	119.25	198	453.37

(स्रोत: पुलिस मुख्यालाय इलाहाबाद)

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि शासनादेश का उल्लंघन कर वर्ष 2015–16 में चार निर्माण ईकाइयों को उनकी क्षमता से अधिक ₹ 119.25 करोड़ लागत के 56 कार्य सौंपे गये थे।

उत्तर में, शासन ने कहा कि उक्त निर्माण ईकाई को उसकी वित्तीय क्षमता का आंकलन करने के बाद ही कार्य करने के लिए नामित किया गया था। उत्तर का सत्यापन नहीं किया जा सका क्योंकि उनके उत्तर के समर्थन में लेखा परीक्षा को कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया था।

10.2.5 निर्माण ईकाई के साथ मैमोरेण्डम ऑफ अण्डर स्टैन्डिंग (एम.ओ.यू) हस्ताक्षर किया जाना।

उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल (पैरा 212.VII 4) में प्राविधानित है कि विभाग द्वारा धनराशि अवमुक्त करने या काम करने से पहले कार्य दायी संस्था के साथ समझौता/एमओयू पर हस्ताक्षर किया जाना था।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि उपरोक्त प्रावधानों का पालन विभाग द्वारा नहीं किया गया क्योंकि निर्माण ईकाइयों के साथ एमओयू हस्ताक्षर करने से पूर्व कार्य प्रारम्भ हो गया था तथा धनराशि अवमुक्त कर दी गयी। ₹ 328.84 करोड़ की स्वीकृत लागत के 27 कार्यों (*परिशिष्ट 10.2*) की जाँच में पाया गया कि:

- सभी कार्यों में एमओयू पर हस्ताक्षर करने से पूर्व धन जारी कर दिया गया था जिनकी लागत ₹ 276.90 करोड़ (84 प्रतिशत) थी, सिवाय एक प्रकरण²⁸ के, जहाँ एमओयू पर हस्ताक्षर करने की तारीख पर धनराशि अवमुक्त की गई थी।
- ₹ 233.13 करोड़ की लागत के 12 कार्यों (मार्च 2005 से फरवरी 2015 के दौरान दिये गये) में एमओयू अभी (मार्च 2016) तक हस्ताक्षर नहीं किये गये थे यद्यपि मार्च 2016 तक ₹ 226.28 करोड़ अवमुक्त किये गये थे। 12 में से 10 मामलों में स्वीकृत धनराशि का 100 प्रतिशत अवमुक्त कर दिया गया था जिनमें एमओयू हस्ताक्षरित नहीं थे।

निष्पादन करने में असफल रहने से कार्य में विलम्ब तथा असंतोषजनक गुणवत्ता की स्थिति के मामले में निर्माण ईकाई का उत्तरदायित्व सिद्ध करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर करना आवश्यक है। अतः कार्यदायी संस्था की जिम्मेदारियों और कार्यों के निष्पादन के नियमों और शर्तों की पुष्टि किये बिना भुगतान किया जाना अत्यधिक अनियमित था तथा विभाग के हित में नहीं था।

अग्रेतर जाँच में पाया गया कि उन प्रकरणों में जहाँ एमओयू पर हस्ताक्षर किये गये थे कार्य के पूरा होने में विलम्ब के लिए एक प्रतिशत क्षतिपूर्ति अधिरोपण का प्रावधान था, यह लोक निर्माण विभाग और ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के प्रावधानों जहाँ क्षतिपूर्ति अधिरोपण, अनुबन्ध मूल्य का एक प्रतिशत प्रति सप्ताह है जो अधिकतम 10 प्रतिशत तक हो सकता है, की तुलना में बहुत कम था।

इसके अलावा, कार्यों के पूरा होने में अत्यधिक विलम्ब के बावजूद किसी भी प्रकरण में एक प्रतिशत की क्षतिपूर्ति भी कार्यदायी संस्थाओं से नहीं ली गयी। इससे निर्माण ईकाइयों को ₹ 55.71 करोड़ का अनुचित लाभ मिला क्योंकि मार्च 2014 तक स्वीकृत

²⁸ फायर स्टेशन बिलग्राम हरदोई ने भवनों का निर्माण।

₹ 557.08 करोड़ की स्वीकृत लागत के 223 कार्य अभी तक निर्माण ईकाइयों द्वारा पूर्ण नहीं किये गये थे।

उत्तर में शासन ने बताया कि स्वीकृत कार्यों का निष्पादन निर्माण ईकाइयों के साथ एम0ओ0य० हस्ताक्षर किये जाने के बाद किया जाता है। लेखापरीक्षा द्वारा चयनित 12 परियोजनाओं में शामिल निर्माण ईकाइयों के साथ एम0ओ0य० पर हस्ताक्षर करने के लिए सम्बन्धित जिलों को पत्र प्रेषित कर दिये गये हैं। अग्रेतर यह भी बताया गया कि एम0ओ0य० के नए प्रारूप (जुलाई 2015) में अर्थदण्ड का विधान शामिल है। निर्माण ईकाइयों, जिन्होंने निर्धारित समय सीमा में कार्य पूरा नहीं किया, से जुर्माने की वसूली प्रक्रिया में है।

10.2.6. भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किये बिना कार्य सौंपा जाना।

वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग—VI (पैराग्राफ 378) में प्राविधानित है कि भूमि की उपलब्धता से पहले कोई भी कार्य शुरू नहीं किया जाना चाहिए।

पुलिस आवास निगम लिमिटेड (पैन लिमिटेड) निर्माण ईकाई के अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि उ0प्र0 शासन ने पैन लिमिटेड को कार्य सौंपने और धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व निर्विवाद भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की। परिणाम स्वरूप पैन लिमिटेड को आवंटित ₹ 49.08 करोड़ (₹ 28.68 करोड़ अवमुक्त) की लागत के 115 कार्य वर्ष 2009–2015 के दौरान आवंटित किये गये लेकिन इन मामलों में कार्य शुरू नहीं हुआ क्योंकि भूमि उपलब्ध नहीं थी।

वित्तीय नियमों का उल्लंघन कर धन की अवमुक्ति के परिणामस्वरूप शासकीय धन की लागत पर अनुचित लाभ दिया गया।

उत्तर में शासन ने कहा कि जल्द ही निर्माण ईकाइयों को भूमि उपलब्ध करा दी जायेगी।

10.3 समय और लागत में वृद्धि

एम0ओ0य० में समय सीमा, भुगतान सीमा, परिनिर्धारित क्षति आदि के बारे में विशिष्ट और स्पष्ट स्थिति होनी चाहिए ताकि निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा के अन्दर पूरा हो जाए तथा लागत की वृद्धि को रोका जा सके।

अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि एम0ओ0य० में लागत मूल्य का विधान परिवर्तनशील था। इस विधान के अनुसार परियोजना की अधिकतम लागत शासन के लोक निर्माण विभाग में मौजूदा प्लिन्थ एरिया रेट जिसका समय—समय पर पुनरीक्षण किया जाता है, के अनुसार निर्धारित की जानी थी। कार्यदायी संस्थाओं द्वारा इस परिवर्तनशील विधान के अधीन लगातार मूल्य संशोधन की मॉग की गयी। जब भी एस0ओ0आर0 में लागत दरों का पुनरीक्षण किया गया, यह पाया गया कि विभाग द्वारा दर पुनरीक्षण को स्वीकृति प्रदान की गयी, जो कि अनियमित था।

इसके परिणाम स्वरूप 241 कार्यों में ₹ 149.54 करोड़ (**परिशिष्ट 10.3 और 10.4**) की लागत वृद्धि आयी जैसा कि निम्न सारणी में वर्णित है:

सारणी 10.5: स्वीकृत लागत वृद्धि दर्शाता विवरण

(₹ करोड़ में)

	कार्यों की संख्या	स्वीकृत लागत	पुनरिक्षित स्वीकृत लागत	लागत में वृद्धि
पूर्ण	119	127.95	164.59	36.64
अपूर्ण	122	253.46	366.36	112.90
योग	241	381.41	530.95	149.54

(स्रोत: पुलिस मुख्यालय)

उत्तर में शासन ने बताया (फरवरी 2017) कि उन मामलों में जहाँ समय तथा लागत में वृद्धि संज्ञान में आयी है निर्माण ईकाइयों से अर्थदण्ड/परिनिर्धारित क्षति की वसूली प्रक्रिया में है। शासन का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि पिछले 5 वर्षों (2011–16) में एक भी मामले में अर्थदण्ड/परिनिर्धारित क्षति आरोपित नहीं की गयी थी।

10.4 पुलिस मुख्यालय द्वारा प्राक्कलनों का परीक्षण

उत्तर प्रदेश शासन, पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के आधार पर कार्य की स्वीकृत प्रदान करता है। निर्माण अभिकरणों द्वारा पुलिस विभाग के निर्माण कार्य के लिए तैयार किये गये सभी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों/प्राक्कलनों को पुलिस मुख्यालय द्वारा पुनरीक्षित एवं संवीक्षित किये जाने के उपरान्त, कार्य की स्वीकृति के लिए उत्तर प्रदेश शासन को संस्तुति प्रेषित की जाती है।

पुलिस मुख्यालय भवन, लखनऊ के निर्माण संबंधी महत्वपूर्ण परियोजना हेतु ₹ 0प्र० राजकीय निर्माण निगम द्वारा प्रस्तुत किये गये ₹ 776.64 करोड़ के प्राक्कलन के आधार पर पुलिस मुख्यालय ने ₹ 696.31 करोड़ की संस्तुति दी तथा उस संस्तुति के आधार पर ₹ 0प्र० शासन द्वारा ₹ 684.45 करोड़ (मार्च 2015) की स्वीकृति प्रदान की गयी एवं कार्य प्रारम्भ किये जाने हेतु ₹ 0प्र० राजकीय निर्माण निगम को धनराशि ₹ 42.50 करोड़ अवमुक्त की गयी।

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम द्वारा लागत ₹ 640.95 करोड़ के कार्य हेतु मार्च 2015 में निविदा आमंत्रित की गयी जिसमें प्राक्कलित लागत पर 19.95 प्रतिशत प्रीमियम की दर से मेसर्स लार्सन एण्ड टुब्रों लिमिटेड, मुम्बई द्वारा सबसे कम बोली लगायी गयी। एल०एण्ड टी० द्वारा उद्धृत दरों का सलाहकार०²⁹ ने परीक्षण किया तथा ₹ 731.60 करोड़ के कार्य की लागत के बोली की स्वीकृति की अनुशंसा की। समझौते के पश्चात एल० एण्ड टी० ने अगस्त 2015 में ₹ 757.29 करोड़ सेवा कर सहित (12.58 प्रतिशत से ऊपर) दर पुनरीक्षित की (अगस्त 2015)। यद्यपि यह जानकारी में आया कि एल० एण्ड टी० द्वारा स्वीकार की गयी लागत ₹ 757.29 करोड़ के सापेक्ष ₹ ०पी०रा०नि० निगम ने पुनरीक्षित अनुमानित लागत उच्च दर से ₹ 761.99 करोड़ प्रेषित किया क्योंकि एल० एण्ड टी० द्वारा उद्धृत दरों को गलत तरीके से अंगीकार किया गया था (बुनियादी लागत एवं सेवाकर)।

यह भी जानकारी में आया कि परियोजना में अनेक कारकों को ध्यान में रखते हुए परियोजना की कुल लागत ₹ 826.32 करोड़ सरकार को प्रस्तुत की।

²⁹ मै० स्टुप कन्सलटेन्ट्स, न्यू मुम्बई तथा डाटा टेक्नोसिस (इंजीनियर्स) प्रा०लि० लखनऊ।

सारणी 10.6: परियोजना के पुनरीक्षित लागत की संगणना शीट

उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 लखनऊ

लागत का सारांश

क्र0 स0	विवरण	पी.एफ.ए.डी.के अनुसार धनराशि (₹लाख में)	डी.पी.आर. के अनुसार पुनरीक्षित लागत (₹ लाख में)	एल.एण्ड टी की निवादा के अनुसार पुनरीक्षित परियोजना लागत	लेखापरीक्षा द्वारा संगणित पुनरीक्षित परियोजना लागत
1	निर्माण कार्यों की अनुमानित लागत	64,094.60	73,160.35	72,157.70	72,157.70
2	क्रम सं0 1 में अंकित राशि पर सेवाकर 5.6 प्रतिशत जोड़ने पर	—	4,096.98	4040.83	4,040.83
	योग	64,094.60	77,257.33	76,198.53	76,198.53
3	क्रम सं0 1 में अंकित राशि पर सेवाकर 2 प्रतिशत की दर से आकस्मिक व्यय जोड़ने पर	1,281.89	1,463.21	1443.15	1,443.15
4	क्रम सं0 1 में अंकित राशि पर गुणवत्ता नियन्त्रण सलाहकार के लिए 1.5 प्रतिशत शुल्क	980.65	980.65	980.65	980.65
	क्रम सं0 1 में अंकित राशि पर वास्तुकला सलाहकार के लिए 1.5 प्रतिशत शुल्क	980.65	980.65	980.65	980.65
5	कार्यदायी संस्था उ.प्र.रा.नि. निगम की फीस 1 प्रतिशत	653.76	653.76	653.76	653. 76
	लेबर सेस 1 प्रतिशत	653.76	731.60	721.58	721.58
6	वैट 0.56 प्रतिशत	—	365.80	360.79	360.79
7	वाह्य विद्युत संयोजन	300.00	300.00	300.00	300.00
8	महायोग	68,945.31	82,733.00	82,631.95	81,639.11
9	शुद्ध बढ़ी लागत जिसे स्वीकृत किया जाना है	—	14,261.46	13,686.64	

उपर्युक्त संगणना शीट से यह देखा जा सकता है कि ₹ 816.39 करोड़ के सापेक्ष उ0प्र0 रा0नि0 निगम ने लागत ₹ 826.32 करोड़ पुनरीक्षित किया जो कि त्रुटिपूर्ण था। सलाहकार उ0प्र0 रा0नि0 निगम, पुलिस मुख्यालय तथा शासन प्रस्ताव की त्रुटि का संज्ञान में लेने में विफल रहे।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि प्राक्कलन में ₹ 14.43 करोड़ की धनराशि 2 प्रतिशत की दर से आकस्मिक व्यय के लिए प्रदान की गयी थी जिसे रा0नि0नि0 को उपयोग में लाना था। यह उस शासनादेश के विपरीत था जिसमें कार्यदायी संस्था, सेवा कर सहित आकलन करने, निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण गुणवत्ता नियन्त्रण इत्यादि के भुगतान के लिए केवल 1 प्रतिशत की हकदार थी।

जो यह संकेत करता है कि पुलिस मुख्यालय में अधिशासी अभियन्ता के नियंत्रणाधीन अभियन्त्रण शाखा स्थापित होने के बावजूद भी प्राककलनों का पर्याप्त रूप से जांच / परीक्षण नहीं किया गया था।

शासन ने उत्तर में बताया कि स्वीकृति आदेश में संशोधन कर त्रुटियों का निवारण किया जायेगा और संस्था को भुगतान नहीं किया जायेगा। लेखापरीक्षा द्वारा दिये गये सुझावों / आपत्तियों पर कार्यवाही की जायेगी।

10.5 पुलिस थाना तथा पुलिस चौकियों के लिए प्रशासनिक भवन

कानून एवं व्यवस्था को बनाये रखने के लिए पुलिस थानों एवं पुलिस चौकियों का निर्माण अत्यधिक महत्वपूर्ण है और इसलिए इस आधारभूत संरचना का विकास, पुलिस आधुनिकीकरण के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है।

10.5.1 कार्यरत पुलिस थानों की संख्या एवं उसमें कमी

पुलिस आयोग (1960–61) ने शहरी क्षेत्रों में प्रति 50,000 जनसंख्या तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 75,000 से 90,000 की जनसंख्या हेतु एक पुलिस थाना होने की अनुशंसा की थी। इस मानक के अनुसार अपेक्षित पुलिस थानों की संख्या एवं कार्यरत पुलिस थानों की वास्तविक संख्या निम्न सारणी में दी गयी है।

सारणी 10.7: पुलिस थानों की संख्या में कमी


जनसंख्या कोटि	जनसंख्या करोड़ में	पुलिस थाना का मानक (1 पुलिस थाना की दर से)	मानक के अनुसार अपेक्षित थानों की संख्या	वास्तविक रूप से कार्यरत	पुलिस थानों की संख्या में कमी (प्रतिशत)
ग्रामीण	15.53	90,000	1,725	1,023	702(41)
शहरी	4.45	50,000	890	437	453(51)
योग	19.98	—	2,615	1,460	1,155(44)

(स्रोत: पुलिस मुख्यालय, जनगणना ऑँकड़े 2011)

इस प्रकार राज्य में 1,460 पुलिस थाने थे और उसमें 1,155 पुलिस थाना (44 प्रतिशत) की कमी थी जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों में 41 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों में 51 प्रतिशत पुलिस थानों की कमी थी।

अन्य प्रमुख राज्यों की स्थिति निम्न ग्राफ में दर्शायी गयी है।

आवश्यकता के सापेक्ष पुलिस थानों की उपलब्धता



उपरोक्त चार्ट से यह स्पष्ट है कि तमिलनाडु, मध्यप्रदेश और कर्नाटक ने 1960–61 में स्थापित मानदण्डों को हासिल कर लिया था। भारत के प्रमुख राज्यों में उत्तर प्रदेश की स्थिति इन मानकों को प्राप्त करने में सबसे खराब है।

लेखापरीक्षा आपत्ति के उत्तर में शासन द्वारा कोई टिप्पणी नहीं की गई।

10.5.2 पुलिस थानों तथा पुलिस चौकियों के भवनों का निर्माण

अभिलेखों की जांच में पाया गया कि 1,460 कार्यरत पुलिस थानों में 190 पुलिस थानों/पुलिस चौकियां किराये के भवनों में संचालित किये जा रहे थे जिसके लिए उनके निजी भवन के निर्माण की आवश्यकता है।

- उ0प्र0 शासन ने 2013–16 की अवधि में ₹ 168.26 करोड़ की लागत से 11 महिला पुलिस थाना तथा 27 पुलिस चौकियां को सम्मिलित करते हुए पुलिस थाना के मात्र 107 प्रशासनिक भवनों की स्वीकृति दी, जिसमें से वर्ष 2003–15 तक की अवधि में स्वीकृत 99 भवनों को मार्च 2016 तक पूरा किया जाना था, जिसमें से मार्च 2016 तक ₹ 57.71 करोड़ व्यय कर आठ महिला पुलिस थानों एवं 17 पुलिस चौकियों को मिलाकर मात्र 50 भवन (51 प्रतिशत) पूर्ण किये गये थे।
- मार्च 2015 तक लागत ₹ 65.47 करोड़ में अनुमोदित 33 भवन जिसमें दो महिला पुलिस थाना एवं छः पुलिस चौकियां सम्मिलित थे, ₹ 31.85 करोड़ व्यय करने के उपरान्त भी अभी तक निर्माणधीन हैं, तथा
- 2007–15 की अवधि में स्वीकृत 16 भवनों (तीन पुलिस चौकी सम्मिलित) लागत ₹ 30.87 करोड़ का निर्माण कार्य मार्च 2016 तक प्रारम्भ नहीं हुआ था (परिशिष्ट 10.5)।

इस प्रकार पुलिस थाना भवनों के निर्माण में अत्यधिक विलम्ब हुआ।

लेखापरीक्षा आपत्ति के उत्तर में शासन ने कोई टिप्पणी नहीं की।

10.6 बैरकों का निर्माण

उत्तर प्रदेश शासन ने वर्ष 2003–16 की अवधि में ₹ 233.74 करोड़ की लागत से 315 बैरकों जिसमें महिला आरक्षियों के लिए ₹ 45.17 करोड़ के बैरक सम्मिलित थे, के निर्माण की स्वीकृति दी जिसका विवरण नीचे सारणी में दिया गया है:

सारणी 10.8 बैरकों की स्वीकृत संख्या तथा प्रगति

वर्ष	स्वीकृत बैरक		पूर्ण		अर्धनिर्मित		शून्य प्रगति	
	योग	महिला	योग	महिला	योग	महिला	योग	महिला
2003–04	1	0	1	0	0	0	0	0
2005–06	2	0	0	0	2	0	0	0
2009–10	2	0	1	0	1	0	0	0
2010–11	5	0	4	0	1	0	0	0
2011–12	132	0	108	0	24	0	0	0
2012–13	10	0	8	0	2	0	0	0
2013–14	6	0	4	0	1	0	1	0
2014–15	91	87	4	4	3	0	84	83
2015–16	66	61	0	0	0	0	66	61
योग	315	148	130	4	34	0	151	144

(स्रोत: पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद)

लेखापरीक्षा ने पाया कि

- वर्ष 2013–14 तक महिला आरक्षियों के लिए कोई बैरक स्वीकृत नहीं किया गया था तथा
- वर्ष 2014–15 तक स्वीकृत 249 बैरकों में से 130 बैरक (52 प्रतिशत) जिसमें चार महिला बैरक भी शामिल थे, ₹ 118.00 करोड़ व्यय करके पूर्ण किये गये थे जबकि कुल स्वीकृत लागत ₹ 233.74 करोड़ के सापेक्ष निर्माण अभिकरणों को ₹ 226.29 करोड़ (97 प्रतिशत) की धनराशि अवमुक्त की गयी थी (परिशिष्ट 10.6)।
- 151 बैरकों की प्रगति शून्य थी जिसमें से 144 महिला बैरक थे जिनके लिए कुल स्वीकृत लागत ₹ 45.17 करोड़, निर्माण अभिकरणों को अवमुक्त की गयी थी तथा अभिकरणों के बैंक खाते में पड़ी रही जैसा कि प्रस्तर 10.2.2.2 में चर्चा की गयी है।

लेखापरीक्षा आपत्ति के उत्तर में सरकार ने कोई टिप्पणी नहीं की।



Barracks under Construction

सुलतानपुर में निर्माणाधीन बैरक



Old Barrack

लखनऊ में पुराना बैरक

10.7 आवासीय अवसंरचना

पुलिस कार्मिकों के लिए आवासीय भवनों की उपलब्धता उनके कर्तव्यों के निर्वहन हेतु सबसे आवश्यक एवं महत्वपूर्ण क्षेत्र था। बी0पी0आर0 एण्ड डी0 ने पुलिस अवसंरचना के आधुनिकीकरण एवं उन्नयन से संबंधित अपने पांच वर्ष के प्रोजेक्शन में देखा (मार्च 2000) कि पुलिस का प्रदर्शन उन राज्यों में बेहतर था जहाँ आवास अधिक संख्या में उपलब्ध थे। राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने भी सभी पुलिस कार्मिकों के लिए 100 प्रतिशत आवास की सिफारिश की थी।

10.7.1 आवासीय व्यवस्था में कमी

सभी श्रेणी के आवासों की अत्यधिक कमी थी यद्यपि अपेक्षित आवासों के मूल्यांकन का आधार स्वीकृत मानव शक्ति न होकर वर्तमान में राज्य में कार्यरत मानव शक्ति (स्वीकृत मानव शक्ति का 49 प्रतिशत) थी।



Residential Building under Construction

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 31.03.2015 तक आवश्यक 1,25,998 के सापेक्ष 59,453 (48 प्रतिशत) भवनों की कमी थी तथा अपेक्षित 68874 कार्मिकों हेतु बैरकों के सापेक्ष 18,259 (26 प्रतिशत) कार्मिकों हेतु बैरकों की कमी थी (**परिशिष्ट 10.7**)।

अग्रेतर जाँच में पाया गया कि पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रस्तुत विवरण में कुल उपलब्ध आवासीय भवन (मार्च 2015 तक) 66,545 थे, इनमें 2,176 निर्माणाधीन तथा 842 भवनों जिनका निर्माण कार्य अभी प्रारम्भ नहीं किया गया था भी सम्मिलित थे। यद्यपि कि संवीक्षा में पाया गया कि इन आंकड़ों में स्वीकृत भवन सम्मिलित थे।

लेखापरीक्षा आपत्ति के उत्तर में शासन ने कोई टिप्पणी नहीं की।

10.7.2 निर्मित इकाइयों की संख्या

राज्य सरकार ने 1998–2016 की अवधि में टाइप 1,2 एवं 3 के कुल अपेक्षित 59,453 आवासीय भवनों के सापेक्ष मात्र 5,156 आवासीय भवनों (अपेक्षित भवनों का 09 प्रतिशत) की स्वीकृति प्रदान की थी जैसा कि नीचे की सारणी में विवरण दिया गया है:

सारणी 10.9 स्वीकृत हुई आवासीय इकाइयाँ जो पूर्ण हुई तथा जिनका कार्य प्रगति पर है

वर्ष	दिनांक 31.3.15 के अनुसार टाइप 1,2,3 की आवश्यकता	वर्ष के दौरान स्वीकृत	31.03.16 तक पूर्ण	प्रगति के	अभी आरम्भ होना है
2010–11 तक	59453	1792	460	1325	07
2011–12		796	637	159	0
2012–13		852	655	197	0
2013–14		451	156	233	62
2014–15		1234	230	262	742
2015–'16		31	0	0	31
योग		5156	2138	2176	842

(स्रोत: पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद)

वर्ष 1998–2011 की अवधि में कुल स्वीकृत 1,792 आवासीय इकाइयों के सापेक्ष मात्र 460 आवासीय इकाइयाँ (26 प्रतिशत) मार्च 2016 तक पूर्ण की गयी थी तथा 1,332 आवासीय इकाइयाँ पाँच से 18 वर्ष के व्यतीत होने के उपरान्त भी मार्च 2016 तक अपूर्ण थीं।

नमूना जाँच किये गये जनपदों में, उपलब्ध मानव शक्ति 42,007 के सापेक्ष मात्र 5,729 (14 प्रतिशत) आवासीय भवन उपलब्ध थे। अग्रेतर, नमूना जाँच किये गये पुलिस थानों में भी इसी प्रकार आवासीय भवनों की उपलब्धता मात्र 22 प्रतिशत (817 के सापेक्ष 3,604 मानव शक्ति) थी। नमूना जाँच जनपदों एवं पुलिस थानों में आवासों की उपलब्धता का विवरण **परिशिष्ट 10.8** एवं **10.9** में दिया गया है। आवासों की स्थिति भी संतोषजनक नहीं थी जैसा कि निम्नवत चित्र में दिया गया है:



पुलिस थाना बिंदुर कानपुर में आवासों के जीर्ण होने की स्थिति



पुलिस थाना कांठ शाहजहापुर में आवासों के जीर्ण होने की स्थिति

उत्तर में शासन ने लेखापरीक्षा आपत्ति पर कोई टिप्पणी नहीं की।

संस्कृतियाँ

- आवासों की कमी को आवासीय भवनों एवं बैरकों के शीघ्र निर्माण द्वारा कम किया जाना चाहिए।
- शासन को कार्यों के निष्पादन के लिए उसके द्वारा सभी स्वीकृतियों में परियोजनाओं को पूरा करने हेतु स्पष्ट रूप से समय सीमा इंगित की जानी चाहिए जिससे कि कार्यों का अनुश्रवण किया जा सके तथा समय एवं लागत वृद्धि को रोका जा सके।
- बिना विलम्ब किये निर्माण अभिकरणों के साथ समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) हस्ताक्षर किया जाना चाहिए जिसमें सभी शर्तें जैसे समय से कार्य निष्पादन, गुणवत्ता मानकों का अनुपालन एवं विलम्ब की स्थिति में दस प्रतिशत की दर से परिनिर्धारित क्षति का आरोपण तथा निर्माण की अधेनानक गुणवत्ता की स्थिति में अर्थदण्ड अधिरोपण का विधान, सम्मिलित हो।
- निर्माण कार्य की गति का बारीकी से अनुश्रवण किया जाना चाहिए तथा समय लंबन को कम करने के लिए समझौता ज्ञापन की शर्तों के अनुसार परिनिर्धारित क्षति अधिरोपित कर दोषी निर्माण अभिकरण के विरुद्ध कार्यवाही करनी चाहिए।
- चूँकि समय से कार्य को पूरा किये जाने को उच्च प्राथमिकता दिया जाना आवश्यक है, अतः राज्य सरकार को ऐसी एजेंसियों का कार्य जो प्रतिस्पर्धात्मक एवं पारदर्शी नहीं है उन्हें नामांकन के आधार पर कार्य सौंपना तत्काल बन्द करना चाहिए।
- ठेकेदारों/निर्माण अभिकरणों को दिये गये अग्रिम को निर्माण कार्य की प्रगति के साथ संयुक्त किया जाना चाहिए एवं अग्रिम उ०प्र०० लोक निर्माण विभाग के मॉडल बिड डाक्यूमेंट में निर्धारित वित्तीय सीमा से अधिक नहीं होने चाहिए। अग्रिमों को सर्वदा सुरक्षित रखना चाहिए तथा उसकी वसूली समय आधारित होनी चाहिए न कि वह कार्य की प्रगति से संबंधित होनी चाहिए। अग्रिमों की प्राप्ति एवं उनकी उपयोगिता का अनुश्रवण अग्रिम प्राप्त करने वाले निर्माण अभिकरण द्वारा खोले गये एस्क्रो लेखे के माध्यम से किया जाना चाहिए। कार्यस्थल पर लायी गयी सामग्री के सापेक्ष अग्रिम, यदि, सुरक्षित नहीं है तो अग्रिम का भुगतान ब्याज सहित किया जाना चाहिए।

अध्याय 11

अपराध के मामले और पुलिस की तैनाती

अध्याय 11


अपराध के मामले और पुलिस की तैनाती

11.1 प्रस्तावना

पुलिस के मुख्य कार्यों में अपराध को रोकना, जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति, मानवाधिकारों की सुरक्षा और नागरिकों की गरिमा सम्मिलित है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एन.सी.आर.बी.) द्वारा किये गये वर्गीकरण के अनुसार राज्य पुलिस द्वारा दो वर्गों अर्थात् भारतीय दण्ड संहिता (आई.पी.सी.) एवं विशेष व स्थानीय कानून (एस.एल.एल.) में अपराध दर्ज किये जाते हैं। आई.पी.सी. श्रेणी में हत्या, हत्या का प्रयास, बलात्कार, दंगा, अपहरण, आगजनी, डकैती, लूटपाट आदि आता है जबकि एस.एल.एल. श्रेणी में आम्र ऐकट, एन.डी.पी.एस. ऐकट, गैम्बलिंग ऐकट, आबकारी अधिनियम, निषेध अधिनियम, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, अनैतिक देह व्यापार (रोक) अधिनियम, भारतीय रेलवे अधिनियम, विदेशी व्यक्तियों का पंजीकरण अधिनियम, नागरिक अधिकारों का सुरक्षा अधिनियम, भारतीय पासपोर्ट अधिनियम, आवश्यक वस्तु अधिनियम, आतंकवादी व विघटनकारी गतिविधि अधिनियम, पुरातत्व व कला संग्रह अधिनियम, दहेज निषेध अधिनियम, बाल विवाह निषेध अधिनियम, महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व (रोक) अधिनियम आदि सम्मिलित हैं।


वर्ष 2011 की तुलना में वर्ष 2015 में आई.पी.सी. श्रेणी में दर्ज अपराधों में 24 प्रतिशत तथा एस.एल.एल. श्रेणी में दर्ज अपराधों में 2011–15 अवधि में 35 प्रतिशत की वृद्धि हुई जैसा कि नीचे दिये गये चार्ट से स्पष्ट है।

**चार्ट 11.1: वर्ष 2011–15 की अवधि में
आई.पी.सी. श्रेणी में दर्ज अपराध**




लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि आई.पी.सी. के विभिन्न श्रेणियों में दर्ज अपराधों के प्रतिशत में वर्ष 2011 की तुलना में 2015 में भारी वृद्धि हुई जैसे कि डकैती की तैयारी और गिरोह में 44 प्रतिशत, अपहरण व अगवा करने में 41 प्रतिशत, बलात्कार में 48 प्रतिशत एवं दंगा में 36 प्रतिशत जैसा कि नीचे दिये गये चार्ट में दर्शाया गया है:

चार्ट 11.2: आई.पी.सी. के विभिन्न श्रेणियों में दर्ज अपराध




चार्ट 11.3: वर्ष 2011–15 के दौरान एस.एल.एल. श्रेणी में दर्ज अपराध



इसी प्रकार, एस.एल.एल. के विभिन्न श्रेणियों में दर्ज अपराधों के प्रतिशत में वर्ष 2011 की तुलना में 2015 में भारी वृद्धि हुई जैसे कि दहेज निषेध अधिनियम में 95 प्रतिशत, भारतीय रेलवे अधिनियम में 90 प्रतिशत, आबकारी अधिनियम में 18 प्रतिशत इत्यादि की वृद्धि हुई जैसा कि नीचे दिये गये चार्ट में दर्शाया गया है:

चार्ट 11.4: एस.एल.एल. के विभिन्न श्रेणियों में पंजीकृत अपराध



उत्तर में शासन द्वारा बताया गया (फरवरी 2017) कि जनसंख्या के आधार पर राज्य भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है अतः यह संभावित है कि एस.एल.एल. कानूनों का उल्लंघन अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक होगा इसलिये इन श्रेणियों में वृद्धि हो सकती है। इसके अतिरिक्त, इन श्रेणियों के अपराधों में वृद्धि राज्य पुलिस की तत्परता को भी दर्शाती है जो कि एक सकारात्मक संकेत है।

शासन का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि पुलिस बल के आधुनिकीकरण का एक उद्देश्य अपराधों की संख्या में कमी लाना भी था जबकि आई.पी.सी. व एस.एल.एल. की विभिन्न श्रेणियों में इसकी वृद्धि हुई।

वर्ष 2010–15 की अवधि में समाज के विभिन्न वर्गों के विरुद्ध दर्ज कुल अपराधों में भी अच्छी–खासी वृद्धि हुई जैसा कि निम्न सारणी में दिया गया है।

सारणी 11.1: श्रेणी–वार अपराधों का विवरण


क्रो सं०	विवरण	वर्ष 2011	वर्ष 2015	प्रतिशत वृद्धि
1.	अपराध घटनाओं की कुल संख्या	20,85,968	27,91,341	34
2.	आई.पी.सी. में पंजीकृत केस	1,95,135	2,41,920	24
3.	एस.एल.एल श्रेणी में पंजीकृत केस	18,90,833	25,49,421	35
4.	महिलाओं के विरुद्ध पंजीकृत अपराध	22,639	35,527	57
5.	बच्चों के विरुद्ध पंजीकृत अपराध	5,500	11,420	108
6.	अनु.जाति / जनजाति के विरुद्ध पंजीकृत अपराध	7,702	8,358	9

(स्रोत: एन.सी.आर.बी. के आंकड़े)

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि सभी श्रेणियों में अपराध में अच्छी–खासी वृद्धि हुई है जो कि 9 से 108 प्रतिशत के मध्य थी। वर्ष 2011–15 की अवधि में बच्चों के विरुद्ध अपराध की संख्या में 108 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि:

- आई.पी.सी. एवं एस.एल.एल. श्रेणियों में पंजीकृत अपराधों की कुल संख्या की तुलना यदि सर्वाधिक जनसंख्या वाले छ: प्रदेशों – उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान में से किया जाये तो उत्तर प्रदेश में एस.एल.एल. श्रेणी में सर्वाधिक अपराध पंजीकृत हुये और आई.पी.सी. श्रेणी में पूरे भारत में तृतीय स्थान था जैसा कि निम्नलिखित चार्ट में दर्शाया गया है।

चार्ट 11.5: छ: सर्वाधिक जनसंख्या वाले प्रदेशों में पंजीकृत कुल अपराध



(स्रोत: एन.सी.आर.बी. के आंकड़े)

- वर्ष 2015 में उत्तर प्रदेश में एस.एल.एल. अपराधों की संख्या सबसे अधिक थी जो कि पूरे देश में पंजीकृत एस.एल.एल. अपराधों का 58 प्रतिशत था। उत्तर प्रदेश में हिंसक अपराधों के मामले सबसे अधिक (40,613) पंजीकृत हुये थे जो कि पूरे देश में पंजीकृत मामलों का 12 प्रतिशत था। वर्ष 2015 के दौरान बिहार एवं पश्चिम बंगाल में पंजीकृत एस.एल.एल. अपराधों की संख्या क्रमशः 18,439 एवं 26,777 थी।
- वर्ष 2015 की अवधि में उत्तर प्रदेश में हत्या के मामले सबसे अधिक 15 प्रतिशत (32,127 मामलों में से 4,732) थे तथा गैर इरादतन हमला के मामले देश में पंजीकृत मामलों में सर्वाधिक 42 प्रतिशत (3,176 मामलों में से 1,338) था।
- उत्तर प्रदेश में महिलाओं के विरुद्ध पंजीकृत अपराध 11 प्रतिशत (3,27,394 मामलों में से 35,527) तथा अनुसूचित जाति के विरुद्ध दर्ज मामले 19 प्रतिशत (45,003 मामलों में से 8,358) था जो कि देश में सबसे अधिक था।
- उत्तर में शासन द्वारा बताया गया (फरवरी 2017) कि अपराध दर यानि प्रति लाख जनसंख्या पर पंजीकृत अपराध के आलोक में पूरे देश में उत्तर प्रदेश का स्थान वर्ष 2011 में 26वां तथा वर्ष 2015 में 28वां था। इस प्रकार, वर्ष 2011–15 की अवधि में अन्य राज्यों की अपेक्षा अपराधों की स्थिति में सुधार आया है। लेकिन वस्तुस्थिति यह थी कि प्रदेश में वर्ष 2011–15 की अवधि में आई.पी.सी. श्रेणी के अपराधों में 24 प्रतिशत एवं एस.एल.एल. श्रेणी के अपराधों में 35 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह भी पाया गया कि संदर्भित अवधि के दौरान जनसंख्या में 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि अपराधों के आई.पी.सी. श्रेणी में 24 प्रतिशत एवं एस.एल.एल. श्रेणी में 35 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

11.2 साइबर अपराध

साइबर अपराध को उन अपराधों में परिभाषित किया जाता है जिसमें कम्प्यूटर द्वारा (हैकिंग, फिशिंग, स्पैमिंग) अपराध किया जाता है अथवा इसे अपराध का माध्यम (चाइल्ड पोर्नोग्राफी, घृणित अपराध) बनाया जाता है। साइबर अपराधी कम्प्यूटर तकनीक के उपयोग से व्यक्तिगत व व्यावसायिक जानकारी चुराने अथवा इंटरनेट का उपयोग शोषण करने या दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यों हेतु किया जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अनुसार इस प्रकार के कृत्य दण्डनीय हैं। इलेक्ट्रानिक अभिलेखों की पहचान करते हुये साइबर क्राइम से संबंधित विविध अपराधों को आई.पी.सी. के सुसंगत अनुच्छेदों में भी पंजीकृत किया जाता है तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के आधार पर आई.पी.सी. के कई अनुच्छेदों में संशोधन किया गया है।

विभाग द्वारा सितम्बर 2011 में आगरा³⁰ एवं लखनऊ³¹ में साइबर अपराधों के अनुसंधान हेतु दो साइबर इकाईयों स्थापित किये गये हैं।

- लेखापरीक्षा में पाया गया कि प्रत्येक जनपद में एक साइबर क्राइम थाना की स्थापना के प्रस्ताव (सितम्बर 2012) के सापेक्ष साइबर अपराधों के अनुसंधान हेतु लखनऊ³² एवं गौतम बुध नगर (नोएडा)³³ में मात्र दो साइबर क्राइम थाना स्थापित (मार्च 2016) किये गये।
- वर्ष 2011–15 की अवधि में साइबर क्राइम (आई.टी. एक्ट एवं आई.पी.सी.) के अंतर्गत पंजीकृत मामले एवं गिरफ्तार व्यक्तियों का विवरण निम्नानुसार था:

³⁰ मेरठ, सहारनपुर, बरेली, मुरादाबाद, अलीगढ़ एवं आगरा मण्डल से संबंधित अपराध।

³¹ इलाहाबाद, मिर्जापुर, वाराणसी, आजमगढ़, वित्रकूट, देवीपाटन, बसरी, गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद एवं झाँसी मण्डल से संबंधित अपराध।

³² पुलिस जोन लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, कानपुर एवं गोरखपुर से संबंधित अपराध।

³³ पुलिस जोन मेरठ, बरेली एवं आगरा से संबंधित अपराध।

सारणी 11.2: साइबर क्राइम के अंतर्गत दर्ज मामले और गिरफ्तारियां

वर्ष	कुल साइबर अपराधों (आई.टी. ऐक्ट एवं आई.पी.सी.) के अंतर्गत दर्ज मामले	कुल साइबर अपराधों (आई.टी. ऐक्ट एवं आई.पी.सी.) के अंतर्गत गिरफ्तारियां
2011	114	उपलब्ध नहीं
2012	249	185
2013	682	602
2014	1737	1223
2015	2208	1699
योग	4990	3709

(स्रोत: एन.सी.आर.बी. के आंकड़े)

उपरोक्त आंकड़ों से यह पता चलता है कि वर्ष 2011 में 114 मामले के सापेक्ष वर्ष 2015 में 2208 मामले साइबर क्राइम के अंतर्गत पंजीकृत हुये (आई.टी.ऐक्ट, 2000 एवं आई.पी.सी. के विविध अनुच्छेदों के अंतर्गत दर्ज मामले) और इस प्रकार वर्ष 2011 की तुलना में वर्ष 2015 में 1837 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस प्रकार के अपराधों को करने वाले 1699 व्यक्तियों की गिरफ्तारी वर्ष 2015 के दौरान हुई। अग्रेतर यह भी पाया गया कि वर्ष 2011–15 के दौरान साइबर क्राइम के पंजीकृत 4,990 प्रकरणों में 3,709 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई।

अभिलेखों की जांच में पाया गया कि जनवरी 2015 से मार्च 2016 की अवधि में नमूना जांच हेतु चयनित 15 जनपदों में आई.टी. एवं आई.पी.सी. ऐक्ट के अंतर्गत 1990 प्रकरण पंजीकृत हुये। नमूना जांच जनपदों में से कानपुर में सबसे अधिक प्रकरण (1990 प्रकरणों में से 616 मामले) पंजीकृत हुये एवं इसके बाद लखनऊ में 361 प्रकरण और इलाहाबाद में 343 प्रकरण पंजीकृत हुये।

11.3 पुलिस बल में जनशक्ति प्रबन्धन

पुलिस संगठन के लिये जनशक्ति का कुशल प्रबन्धन महत्वपूर्ण है क्योंकि पर्याप्त जनशक्ति और इनकी उचित तैनाती पुलिस बल के क्रियाकलाप एवं राज्य में कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये आवश्यक है। इसके लिये रिक्तियों को भरने हेतु समय से भर्ती किया जाना और जनशक्ति को विभिन्न भूमिकाओं एवं कार्यों हेतु विवेकपूर्ण तैनाती किया जाना चाहिये जिससे सभी क्षेत्रों/भौगोलिक स्थानों पर पुलिस बल को तैनात किया जा सके और अपराध को नियंत्रित किया जा सके।

पुलिस बल में कमी

सिविल एवं सशस्त्र पुलिस बल के आरक्षी से लेकर निरीक्षक तक का पद कानून व्यवस्था बनाये रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इसलिये इन संघर्षों में कानून व्यवस्था बनाये एवं अपराध की घटनाओं को नियंत्रण में रखने हेतु पर्याप्त संख्या होनी चाहिये। नागरिक एवं सशस्त्र पुलिस बल में स्वीकृत जन शक्ति के सापेक्ष कार्यरत जनशक्ति की स्थिति नीचे सारणी में दी गयी है:

सारणी 11.3: उत्तर प्रदेश पुलिस में उपलब्ध जनशक्ति

वर्ष	निरीक्षक		उपनिरीक्षक		मुख्य आरक्षी		आरक्षी		अन्य		योग	
	स्वीकृत संख्या	कार्यरत										
2011	1996	668	17914	7657	62156	16487	263161	144243	15036	15267	360263	184322 (51)
2015	3052	2607	22038	10492	66583	31826	270674	121747	15127	13977	377474	180649 (48)

(स्रोत: बजट 2015–16, खण्ड 6)

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि 1 अप्रैल 2015 तक राज्य में पुलिस कर्मियों की स्वीकृत संख्या 3,77,474 के सापेक्ष मात्र 1,80,649 (48 प्रतिशत) पुलिसकर्मी ही कार्यरत थे। सिविल एवं सशस्त्र पुलिस कर्मियों की संख्या वर्ष 2011 में 184322 से कम होकर वर्ष 2015 में 1,80,649 हो गई।

नमूना जांच हेतु चयनित 15 जनपदों की लेखापरीखा में पाया गया कि कई जनपदों में निरीक्षक, उपनिरीक्षक, मुख्य आरक्षी एवं आरक्षी के स्वीकृत संख्या का 30 से 40 प्रतिशत पुलिसकर्मी ही तैनात थे जैसा कि अद्योलिखित सारणी से स्पष्ट है।

सारणी 11.4: नमूना जांच जनपदों में जनशक्ति की कमी

जनपद	स्वीकृत संख्या	कार्यरत	स्वीकृत संख्या के सापेक्ष कमी	कमी (प्रतिशत में)
आगरा	6,865	4,059	2,806	41
इलाहाबाद	9,615	4,082	5,533	58
देवरिया	3,758	1,010	2,748	73
गाजियाबाद	6,214	3,943	2,271	37
झांसी	4,220	1,640	2,580	61
कानपुर	8,964	4,813	4,151	46
कुशीनगर	3,258	983	2,275	70
लखनऊ	8,368	7,110	1,258	15
मथुरा	4,828	2,688	2,140	44
मेरठ	5,052	2,452	2,600	51
मुरादाबाद	8,270	2,792	5,478	66
प्रतापगढ़	3,664	1,476	2,188	60
शाहजहांपुर	3,836	1,726	2,110	55
सीतापुर	5,769	1,580	4,189	73
सोनभद्र	3,452	1,653	1,799	52

(स्रोत: पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद)

कुशीनगर, देवरिया एवं सीतापुर की जनशक्ति में 70 से 73 प्रतिशत कमी थी जबकि झांसी, मुरादाबाद एवं प्रतापगढ़ की जनशक्ति में 60 से 66 प्रतिशत कमी थी।

पुलिस बल में 48 प्रतिशत की वृहद कमी के कारण राज्य में कानून व्यवस्था के रख—रखाव पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता था।

11.4 पुलिस विभाग में भर्तियाँ

पुलिस बल में अत्यधिक कमी का मुख्य कारण रिक्त पदों को समय से और नियमित रूप से भर्ती न किया जाना था।

अप्रैल 2009 के शासनादेश के अनुसार पुलिस मुख्यालय को विभिन्न पदों की स्वीकृत संख्या के सापेक्ष रिक्तियों का केन्द्रीकृत आकलन करते हुये विविध पदों की रिक्तियों की संख्या का प्रस्ताव (अधियाचन) पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड (बोर्ड), लखनऊ को भर्ती करने हेतु भेजा जाना था। भर्ती वर्ष में दो बार की जानी थी। अग्रेतर, बोर्ड द्वारा रिक्तियों का अधिसूचना जारी करते हुये लिखित एवं शारिरिक परीक्षा हेतु आवेदन मांगे जाने थे। अभ्यर्थियों की शारिरिक एवं लिखित परीक्षा के बाद बोर्ड अभ्यर्थियों का चयन करता है और चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण एवं तैनाती हेतु सूची पुलिस मुख्यालय को भेजा जाता है। पुलिस मुख्यालय द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त हो जाने के बाद इनको प्रशिक्षण हेतु भेजा जाता है। प्रशिक्षण पूर्ण हो जाने के बाद, प्रशिक्षित पुलिसकर्मियों की तैनाती जनपदों/पी.ए.सी. में की जानी थी।

उत्तर में शासन द्वारा बताया गया (फरवरी 2017) कि बोर्ड में संसाधनों की अत्यधिक कमी थी। वर्तमान में बोर्ड नागरिक पुलिस एवं पी.ए.सी. के आरक्षी, उपनिरीक्षक, प्लाटून कमांडर, कम्प्यूटर आपरेटर, अग्निशमन एवं कारागार सेवाओं में भर्ती हेतु उत्तरदायी है।

इसप्रकार शासन द्वारा बोर्ड के संसाधनों एवं जनशक्ति को बढ़ाने की आवश्यकता है जिससे शासन की अधिसूचना के अनुसार पुलिसकर्मियों की भर्ती प्रक्रिया नियमित एवं समय पर वर्ष में दो बार किया जा सके।

11.4.1 भर्तियों में विलम्ब

उपनिरीक्षकों एवं प्लाटून कमाण्डरों की भर्ती

लेखापरीक्षा में पाया गया कि पुलिस मुख्यालय द्वारा भर्ती करने के लिये वर्ष 2009–16 की अवधि में नीचे दिये गये पदों के विवरण के अनुसार अधियाचन भेजा गया:

सारणी 11.5: उपनिरीक्षक एवं प्लाटून कमाण्डर की भर्ती प्रक्रिया

वर्ष	उपनिरीक्षक एवं प्लाटून कमाण्डर के पदों की संख्या जिसके लिये अधियाचन भेजा गया	अधियाचन के सापेक्ष भर्ती हेतु प्रकाशित अधिसूचना	अधिसूचना के सापेक्ष चयनित अभ्यर्थी	पुलिस मुख्यालय को प्रेषित चयनित अभ्यर्थियों की सूची
2009-10	3698+312	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
2010-11	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
2011-12	शून्य	3698+312 (2009 के अधियाचन के सापेक्ष)	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
2012-13	शून्य	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
2013-14	शून्य	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
2014-15	शून्य	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
2015-16	3000	प्रक्रिया अन्तर्गत (2009 के अधियाचन के सापेक्ष)	3493+291=3784 (जून 2015 में 3784)	जून 2015 में 3784

(स्रोत: पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद एवं भर्ती बोर्ड, लखनऊ)

पुलिस मुख्यालय तथा पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि:

- पुलिस मुख्यालय द्वारा बड़ी संख्या में रिक्तियां होने के बाद भी उपनिरीक्षक/प्लाटून कमाण्डर के पदों पर भर्ती हेतु वर्ष 2011–12 से 2014–15 की अवधि में कोई अधियाचन (प्रस्ताव) नहीं भेजा गया। केवल वर्ष 2015–16 में उपनिरीक्षक/प्लाटून कमाण्डर के 3000 पदों की भर्ती हेतु अधियाचन पुलिस मुख्यालय द्वारा भेजा गया।
- नागरिक पुलिस में 3698 निरीक्षकों एवं पी.ए.सी. में 312 प्लाटून कमाण्डरों की भर्ती हेतु वर्ष 2009 में पुलिस मुख्यालय से प्राप्त अधियाचन के सापेक्ष बोर्ड द्वारा उक्त पदों हेतु आवेदन पत्र मांगे जाने (मई 2011) में दो वर्ष का समय लिया गया। अर्ह अभ्यर्थियों के पांच चरणों के परीक्षा में चार वर्ष का समय लगा और परीक्षाफल की घोषणा जून 2015 में की गयी जैसा कि नीचे सारणी में दिया गया है:

सारणी 11.6: उपनिरीक्षक के पदों के लिए परीक्षा का कार्यक्रम

परीक्षा का नाम	परीक्षा की तिथि	परिणाम की तिथि
शारिरिक दक्षता जांच	05.09.2011 से 01.11.2011	
लिखित परीक्षा (प्रारम्भिक)	11.12.2011	01.01.2013
शारिरिक दक्षता परीक्षा	05.02.2013 से 01.09.2014	
लिखित परीक्षा (मुख्य)	14.09.2014	18.11.2014
समूह चर्चा	11.12.2014 से 10.01.2015	
अंतिम परिणाम		16.03.2015
माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार घोषित परीक्षाफल		25.06.2015

(स्रोत: पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड, लखनऊ)

पुलिस मुख्यालय से वर्ष 2015–16 में प्राप्त अधियाचन के सापेक्ष उपनिरीक्षक के पदों पर भर्ती हेतु बोर्ड द्वारा अभी तक आवेदन पत्र नहीं मंगाये गये थे।

इस प्रकार, जनशक्ति में भारी कमी होने एवं बढ़ते अपराध एवं बिगड़ती कानून व्यवस्था के बाद भी नागरिक पुलिस एवं पी.ए.सी. में उपनिरीक्षकों की समय से भर्ती सुनिश्चित करने हेतु न तो विभाग और न ही बोर्ड द्वारा तत्परता दिखाई गयी।

लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि वर्ष 2009 के अधियाचन के सापेक्ष 3,784 चयनित अभ्यर्थियों में पुलिस मुख्यालय द्वारा मात्र 3,153 अभ्यर्थियों को वर्ष 2016–17 में प्रशिक्षण हेतु भेजा गया और 631 अभ्यर्थी अपने प्रशिक्षण का अभी भी प्रतीक्षा कर रहे हैं।

आरक्षियों की भर्ती

सारणी 11.7: आरक्षी की भर्ती प्रक्रिया

वर्ष	आरक्षी के पद हेतु बोर्ड को प्रेषित अधियाचन	अधियाचन के सापेक्ष भर्ती हेतु प्रकाशित अधिसूचना	अधिसूचना के सापेक्ष चयनित अभ्यर्थी	पुलिस मुख्यालय को प्रेषित चयनित अभ्यर्थियों की सूची
2011-12	शून्य	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
2012-13	शून्य	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
2013-14	41,610	41,610 (जून 2013)	प्रक्रिया में	उपलब्ध नहीं
2014-15	शून्य	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
2015-16	34,716	दिसंबर 2015 (प्रक्रिया अन्तर्गत)	38,315+4,438 (2013 के अधियाचन के सापेक्ष)	42,753 (जनवरी 2016) 2013 के अधियाचन के सापेक्ष

(स्रोत: पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद एवं भर्ती बोर्ड, लखनऊ)

- आरक्षी के 41,610 पदों के लिये वर्ष 2013–14 में एवं 34,716 पदों के लिये वर्ष 2015–16 में पुलिस मुख्यालय द्वारा बोर्ड को अधियाचन (प्रस्ताव) प्रेषित किया गया। पुलिस मुख्यालय द्वारा वर्ष 2011-12, 2012-13 एवं 2014-15 में आरक्षी के पदों का कोई अधियाचन नहीं भेजा गया जबकि इस संवर्ग में 45 से 55 प्रतिशत तक की अत्यधिक रिक्तियां थीं।
- वर्ष 2013–14 के अधियाचन के सापेक्ष आरक्षी के 41,610 पदों हेतु बोर्ड द्वारा माह मई/जून 2013 में आवेदन माँगें गये थे। चार चरणों की परीक्षा आयोजित करने के बाद अंतिम परिणाम की घोषणा जुलाई 2015 में की गई जिसे निम्न सारणी में दर्शाया गया है:

सारणी 11.8: आरक्षी के पदों हेतु परीक्षा का कार्यक्रम

परीक्षा का नाम	परीक्षा की तिथि	परिणाम घोषणा की तिथि
लिखित परीक्षा (प्रारम्भिक)	15.12.2013	28.07.2014
शारिरिक दक्षता परीक्षा	07.10.2014 से 19.11.2014	
लिखित परीक्षा (मुख्य)	14.12.2014	22.03.2015
चिकित्सीय जांच परीक्षा	27.03.2015 से 06.2015	
अंतिम परिणाम		16-07-2015

(स्रोत: पुलिस भर्ती एवं पदोन्नती बोर्ड, लखनऊ)

इस प्रकार, अभ्यर्थियों के चयन की प्रक्रिया को पूर्ण करने में बोर्ड द्वारा दो वर्ष और आठ माह का समय लिया गया।

लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि 42,753 चयनित अभ्यर्थियों में से मात्र 16,075 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण पर भेजा गया और बचे हुये 17,425 अभ्यर्थी अभी भी प्रशिक्षण हेतु प्रतीक्षा कर रहे थे। सभी चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण पर इसलिये नहीं भेजा जा सका क्योंकि प्रशिक्षण संस्थान/विद्यालय/केन्द्र की क्षमता सीमित थी जैसा कि प्रस्तर 7.3 में उल्लेख किया गया है। 3,966 अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन का कार्य

प्रक्रिया में था तथा अवशेष 5,287 अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में कोई भी सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी थी। वर्ष 2015–16 में अधिसूचित रिक्तियों की भर्ती अभी भी प्रक्रिया में हैं।

उत्तर में शासन द्वारा बताया गया (फरवरी 2017) कि भर्ती प्रक्रिया में विलम्ब का मुख्य कारण विविध पदों पर भर्ती हेतु अत्यधिक संख्या में अभ्यर्थियों के होने के साथ साथ इलाहाबाद एवं लखनऊ रिथ्त माननीय उच्च न्यायालय में कानूनी मामले लम्बित होना था।

शासन का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि उपनिरीक्षक (52 प्रतिशत) एवं आरक्षी (55 प्रतिशत) पदों पर भारी संख्या में रिक्तियां होने के बाद भी पुलिस मुख्यालय द्वारा वर्ष में दो बार अधियाचन नहीं भेजा गया जो कि राज्य पुलिस बल में लगातार रिक्तियों के बने रहने का एक महत्वपूर्ण कारण था। पुनः पुलिस मुख्यालय से अधियाचन प्राप्त करने के बाद बोर्ड द्वारा तत्कालिक कार्यवाही नहीं की गई और भर्ती प्रक्रिया में असामान्य रूप से अधिक समय लगभग तीन से चार वर्ष तक लगाया। इन सबके परिणामस्वरूप राज्य पुलिस की जनशक्ति में कमी हुई तथा उपनिरीक्षक/प्लाटून कमाण्डर संवर्ग में 52 प्रतिशत और आरक्षी संवर्ग में 55 प्रतिशत पद रिक्त पड़े रहे जिससे राज्य में कानून व्यवस्था पर असर पड़ा।

अनुशंसा:

विभाग के साथ-साथ पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड को अपनी चयन प्रक्रिया को सुचारू बनाया जाना चाहिये और पुलिस कर्मियों की भर्ती निर्धारित अवधि में समय से और नियमित रूप से किये जाने हेतु उचित अनुश्रवण प्रणाली बनायी जानी चाहिये।

पी. ए. मिश्र

(पी० क० कटारिया)

प्रधान महालेखाकार (जी० एण्ड एस०एस०ए०)

उत्तर प्रदेश

इलाहाबाद
दिनांक 19 जून 2017

प्रतिहस्ताक्षरित


शशि कान्त शर्मा
(शशि कान्त शर्मा)

भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक 20 जून 2017

परिशिष्टियाँ

परिशिष्ट 1.1
उत्तर प्रदेश पुलिस का संगठनात्मक ढांचा
(संदर्भ: प्रस्तर सं. 1.2; पृष्ठ)



परिशिष्ट 2.1
वार्षिक योजना को प्रस्तुत करने की नियत एवं वास्तविक तिथि
(संदर्भ: प्रस्तर सं. 2.2.2; पृष्ठ)

वर्ष	एचपीसी को योजना प्रस्तुत करने की नियत तिथि	एचपीसी को योजना प्रस्तुत करने की वास्तविक तिथि	एचपीसी द्वारा अनुमोदन की नियत तिथि	एचपीसी द्वारा अनुमोदन की वास्तविक तिथि	योजना के अनुमोदन में विलम्ब
2011–12	15 जनवरी 2011	उपलब्ध नहीं	फरवरी/मार्च 2011	21 जुलाई 2011	4 माह
2012–13	15 जनवरी 2012	23 जुलाई 2012	फरवरी/मार्च 2012	11 सितम्बर 2012	5 माह
2013–14	15 जनवरी 2013	21 जून 2013	फरवरी/मार्च 2013	5 अगस्त 2013	4 माह
2014–15	15 जनवरी 2014	24 जुलाई 2014	फरवरी/मार्च 2014	1 अगस्त 2014	4 माह
2015–16	15 जनवरी 2015	30 अप्रैल 2015	फरवरी/मार्च 2015	22 जून 2015	3 माह

(स्रोत: पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद)

परिशिष्ट 2.2

वित्तपोषण प्रक्रिया

(संदर्भ: प्रस्तर सं. 2.3; पृष्ठ)

वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 में एमपीएफो योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य हेतु भारत सरकार द्वारा सीधे पुलिस आवास निगम को अवमुक्त धनराशि रु0 7.36 करोड़ एवं रु0 117.36 करोड़ को छोड़कर सम्पूर्ण धनराशि अनुदान संख्या 26 के तहत राज्य बजट के माध्यम से अवमुक्त किया गया। एमपीएफ योजना के तहत भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को इलेक्ट्रानिक अन्तरण के माध्यम से धन अवमुक्त किया गया। राज्य सरकार द्वारा वांछित राज्यांश को शामिल करते हुए विभाग को धनराशि अवमुक्त किया गया। इस प्रकार एमपीएफ बजट राज्य के सामान्य बजट में समाहित/सामान्य बजट एवं एमपीएफ योजना की अवमुक्त पीएचक्यू को अलग से किया जा रहा था। पीएचक्यू को पूँजीगत मानक मद 14 वाहनों का क्य, 24 भवन निर्माण कार्य, 26 यन्त्र –संयन्त्र क्य हेतु बजट अवमुक्त किया गया जिसके सापेक्ष पीएचक्यू द्वारा निदेशालय स्तरीय कार्यालयों, जिला इकाइयों एवं निर्माण अभिकरणों को धनराशि अवमुक्त की गयी। भारत सरकार द्वारा एमपीएफ योजना के तहत, अस्त्र–शस्त्रों के क्य हेतु केन्द्रीय बजट आवंटन सीधे आयुध कम्पनियों को किया जाता रहा तथा पीएचक्यू द्वारा राज्यांश तथा राज्य के सामान्य राज्य बजट के अन्तर्गत धनराशि आयुध कम्पनियों को निर्गत की गयी।

एमपीएफ योजना के तहत भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रानिक अन्तरण माध्यम से राज्य सरकार को निधि का अन्तरण किया जाता है, राज्य सरकार द्वारा राज्यांश को शामिल करते हुए विभाग को धनराशि आवंटित/अवमुक्त किया गया है। एमपीएफ योजना के तहत निधि प्रवाह का चार्ट निम्नांकित है:

भारत सरकार अपना अंश राज्य सरकार को अवमुक्त करती है



राज्य सरकार अपना अंश भारत सरकार के अंश के साथ अवमुक्त करती है



पुलिस मुख्यालय



अवमुक्त धनराशि को विभिन्न शाखायें एवं जनपद व्यय करते हैं

परिशिष्ट 2.3

2011–16 की अवधि में अनुमोदित उपकरण जो क्य क्य नहीं किये गये

(संदर्भ: प्रस्तर सं. 2.3.2; पृष्ठ)

(₹ लाख में)

उपकरण का नाम	संख्या	दर	धनराशि	योजना वर्ष
बीपी हेलमेट	275	0.10	27.50	2014–15
होलोग्राफिक शील्ड	30	1.50	45.00	2013–14
सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम	18	9.50	171.00	2014–15
साइबर फोरेसिंक प्रशिक्षण प्रयोगशाला उपकरण (31 मद)	1	953.70	953.70	2013–14
तुलनात्मक सूक्ष्मदर्शी	2	70.00	140.00	2013–14
जीसीएमएस गैस कोमेटोग्राफ मास	1	80.00	80.00	2013–14
प्रोजेक्टना डोपोबाक्स ड्रैगन	1	40.00	40.00	2013–14
सेलकाम साफ्टवेयर (पासवर्ड रिकवरी टूल)	1	3.50	3.50	2013–14
डेस्क टॉप कम्प्यूटराईज्ड माड्यूलर मॉडल	1	11.00	11.00	2013–14
शोकिंग वाटर बाथ	1	3.00	3.00	2013–14
फर्मिंग चैम्बर	2	4.00	8.00	2014–15
गैस लिकिवड कोमेटोग्राफ	1	25.00	25.00	2014–15
सेमी आटोमेटिक फ्लैश प्वाइन्च	1	7.00	7.00	2014–15
एक्सरे फ्लोरेन्स स्पेक्ट्रोमीटर	1	65.00	65.00	2014–15
रमन स्पेक्ट्रोमीटर	1	85.00	85.00	2014–15
नयी विधि विज्ञान प्रयोगशाला के लिये उपकरण	3	100.00	300.00	2014–15
इलेक्ट्रोनिक बैलेंस	2	2.50	5.00	2014–15
एनालाइजर	1	1.50	1.50	2013–14
मफल फ्यूरेन्स एसेसरीज	2	0.80	1.60	2014–15
एक्स-रे बैगेज स्कैनर	1	18.00	18.00	2014–15
एक्सप्लोसिब डिटेक्टर	7	14.00	98.00	2013–14
डी एफ एम डी	20	0.30	6.00	एनए
केन्द्रीय अनुश्रवण प्रणाली	1	60.00	60.00	एनए
सी.सी. टी.वी. प्रणाली	22	3.00	66.00	2014–15
बहुउद्देश्यीय फैक्स मशीन	581	0.15	87.15	2013–14
बस	1	25.00	25.00	2015–16
पैतीस सिटर बस	4	15.00	60.00	2015–16
मिनी ट्रक	2	10.00	20.00	2015–16
ट्रक	2	20.00	40.00	2015–16
यूटिलिटी वाहन	6	10.00	60.00	2015–16
बत्तीस सिटर एसी बस	5	22.00	110.00	2015–16
तीस सिटर बस	1	15.00	15.00	2015–16
इंटरसेप्टर वाहन	5	30.00	150.00	2015–16
प्रिजन वैन	2	14.00	28.00	2015–16
हाइवे पेट्रोल बैन	8	5.50	44.00	2015–16
मोटर साइकिल	19	0.70	13.30	2015–16
हलके वाहन	61	7.00	427.00	2015–16
भारी वाहन	13	20.00	260.00	2015–16
यू.बी.जी.एल	95	0.92	87.40	2015–16
टीयर गैस गन	1000	0.18	180.00	2015–16

स्निफर राइफल	11	4.54	49.94	2015–16
बारह बोर पम्प एक्सन गन	505	0.63	318.15	2015–16
एम पी 5 सब मशीन गन	115	1.82	209.30	2015–16
चेसिस आइडिन्टेफिकेशन मशीन	5	55.00	275.00	2015–16
चेसिक आइडिन्टेफिकेशन मशीन इनफ्रास्ट्रक्चर	5	12.50	62.50	2015–16
कम्प्यूटर	12	0.37	4.44	2015–16
प्रिटर	22	0.42	9.13	2015–16
वी एच एफ एनालाग सेट विद एसेसरीज	46	0.65	29.90	2015–16
वी एच एफ एनालाग / मोबाइल सेट	500	0.30	150.00	2015–16
वी एच एफ डिजिटल सेट	300	0.45	135.00	2015–16
वी एच एफ एनालाग मोबाइल सेट	148	0.15	22.20	2015–16
डेस्कटाप कम्प्यूटर	20	0.70	14.00	2015–16
फोटोकापीयर	1	3.75	3.75	2015–16
डिजिटल विजुअलाइजर	5	0.45	2.25	2015–16
फायरिंग सिमुलेटर	1	90.50	90.50	2015–16
हाई गैस मास	25	0.03	0.75	2015–16
सोलर सिस्टम	15	10.00	150.00	2015–16
सोलर लाइटिंग सिस्टम	10	0.33	3.30	2015–16
फैक्स	1	0.25	0.25	2015–16
सी सी टी वी सिस्टम	75	1.25	93.75	2015–16
एल ई डी सर्च लाइट	150	0.06	9.00	2015–16
सोलर लाइट पेनल	100	0.35	35.00	2015–16
बाडी प्रोटेक्टर	1000	0.02	20.00	2015–16
पालीकारबोनेट शील्ड	100	0.01	1.00	2015–16
पालीकारबोनेट लाठी	500	0.01	6.00	2015–16
बी पी जैकेट लेवल 3+	500	0.52	260.00	2015–16
बी पी हैलमेट	500	0.11	55.00	2015–16
नाइट विजन बाइनोकूलर	50	0.35	17.50	2015–16
जनरेटर 15 के वी ए	10	3.20	32.00	2015–16
फोटोकापीयर	10	1.30	13.00	2015–16
फैक्स	10	0.25	2.50	2015–16
फोटोकापीयर	4	1.60	6.40	2015–16
डेस्कटोप कम्प्यूटर	20	0.50	10.00	2015–16
लेजर प्रिटर	30	0.15	4.50	2015–16
लैपटाप	6	0.50	3.00	2015–16
स्केनर	2	2.50	5.00	2015–16
एल सी डी प्रोजेक्टर	1	0.85	0.85	2015–16
फैक्स	4	0.17	0.68	2015–16
वाटर कूलर	5	1.00	5.00	2015–16
स्मार्ट बोर्ड	1	1.50	1.50	2015–16
काइम स्कैन इच्यूस्टीगेशन किट	50	0.20	10.00	2015–16
नाइट विजन बाइनोकूलर	2	0.60	1.20	2015–16
प्रोजेक्टर	1	1.30	1.30	2015–16
फैक्स	1	0.20	0.20	2015–16
डिजिटल वायस रिकॉर्डर	6	0.12	0.72	2015–16
फस्ट ऐड किट	9	0.02	0.18	2015–16

डेस्कटाप कम्प्यूटर विद एसेसरीज	8	0.50	4.00	2015–16
लैपटाप	4	0.60	2.40	2015–16
स्केनर	2	0.50	1.00	2015–16
एल ई डी टोर्च	10	0.01	0.05	2015–16
5 के बी ए जनरेटर	1	1.75	1.75	2015–16
काइम सीन इन्वेस्टीगेशन किट	5	0.20	1.00	2015–16
फायर एक्सटुबीसर	6	0.05	0.30	2015–16
सोलर लेन्ट्रन	10	0.03	0.30	2015–16
ड्रैगन लाइट	10	0.05	0.50	2015–16
रेफिजरेटर	2	0.40	0.80	2015–16
बेक टू बेक वर्क स्टेशन माडूयल	12	0.45	5.40	2015–16
बेक टू बेक वर्क लिनियर स्टेशन माडूयल	6	1.51	9.06	2015–16
4 ड्रोज एल एफ सी	40	0.22	8.80	2015–16
टास्क वियर विद आर्म	56	0.04	2.24	2015–16
सिंगल स्टेटीक वन वे पुशपुल	2	0.14	0.28	2015–16
सिंगल लास्ट वन वे पुशपुल	2	0.16	0.32	2015–16
ट्रिवन मोबाइल वन वे पुशपुल	8	0.24	1.92	2015–16
सिंगल स्टेटिक ड्राइव कवर यूनिट	1	0.29	0.29	2015–16
सिंगल लाइट ड्राइव कवर यूनिट 2 वे	1	0.37	0.37	2015–16
ट्रिवन मोबाइल ड्राइव कवर यूनिट 2 वे	4	0.53	2.12	2015–16
सिंगल स्टेटिक ड्राइव कवर यूनिट 3 वे	1	0.40	0.40	2015–16
सिंगल लाइट ड्राइव कवर यूनिट 3 वे	1	0.48	0.48	2015–16
ट्रिवन मोबाइल ड्राइव कवर यूनिट 3 वे	4	0.72	2.88	2015–16
बुलेटप्रूफ वेस्ट	35	0.13	4.55	2015–16
बुलेटप्रूफ हेलमेट	35	0.11	3.68	2015–16
पोर्टबल लेडर	10	0.40	4.00	2015–16
एक्सआरवाई मोबाइल डाटा एक्ट्रैक्शन डिवाइस	2	8.00	16.00	2015–16
मोबाइल के लिये सेलब्राइट यूएफईडी	2	9.00	18.00	2015–16
पीसी के लिये सेलब्राइट यूएफईडी	1	7.50	7.50	2015–16
डिजिटल डे एण्ड नाइट विजन बाइनाकुलर विद रिकार्डिंग	6	1.50	9.00	2015–16
इन्टेला प्रो	1	6.00	6.00	2015–16
पोर्न डिटेक्शन स्टिक	4	0.20	0.80	2015–16
चैट स्टिक	4	0.20	0.80	2015–16
वेब्रा सेन्टर (आरएमसी)	1	35.00	35.00	2015–16
ब्लड क्लारिंग पैच किट	50	0.06	3.00	2015–16
स्पाटर स्कूपी	4	0.20	0.80	2015–16
सेल साइट रिकार्डिंग	100	0.18	18.00	2015–16
सी थो ऑल रिकार्डर	2	90.50	181.00	2015–16
मोबाइल डाटा रिकवरी सिस्टम हार्डवेयर	1	12.00	12.00	2015–16
मोबाइल डाटा रिकवरी सिस्टम हार्डवेयर	1	12.00	12.00	2015–16
वाइस रिकोग्निशन साफ्टवेयर	1	38.40	38.40	2015–16
सेन्टराइज्ड शूटिंग रेंज	4	50.00	200.00	2015–16
टेक्निकल इंगेजमेन्ट रेग्यूलेटर	1	180.00	180.00	2015–16
पासवर्ड रिकवरी के लिये जीपीयू पावरस्टेशन	1	12.00	12.00	2015–16
विधि विज्ञान के लिये पासवर्ड रिकवरी	2	1.50	3.00	2015–16
डैजलर	16	1.00	16.00	2015–16

ग्लाक पिस्टल के लिये लेजर ग्रिप	40	0.35	14.00	2015–16
डोर बस्टर	2	37.50	75.00	2015–16
बुलेटप्रूफ वेस्ट	125	1.20	150.00	2015–16
लैपटाप	25	0.50	12.50	2015–16
सोशल मीडिया एनालिसिस साफ्टवेयर	1	25.00	25.00	2015–16
सीडीआर एनालिसिस टूल	1	12.00	12.00	2015–16
साइबर सिक्योरिटी आडिट	1	8.00	8.00	2015–16
टीजर एक्स2	15	1.50	22.50	2015–16
कॉम्ब बाइन्डिंग मशीन	1	0.19	0.19	2015–16
मल्टी टास्किंग मशीन	2	0.20	0.40	2015–16
लाउड हैलर	425	0.05	21.25	2015–16
सर्चलाइट	150	0.02	3.40	2015–16
बॉडी प्रोटेक्टर	1000	0.02	16.60	2015–16
पालीकार्बोनेट लाठी	1000	0.00	2.24	2015–16
शॉक बैटन डिफेन्डर	500	0.05	25.00	2015–16
काइम सीन प्रोटेक्शन किट	500	0.50	250.00	2015–16
बाइनाकूलर विद् नाइट विजन	75	0.40	30.00	2015–16
एक्स-रे बैगेज मशीन	75	2.00	150.00	2015–16
काइम इन्वेस्टीगेशन किट	75	0.10	7.50	2015–16
बीपी जैकेट	275	0.35	96.25	2015–16
डीएसएमडी	26	1.50	39.00	2015–16
आई प्रोटेक्शन गॉगल्स	52	0.07	3.64	2015–16
कमाण्डो टार्च	26	0.25	6.50	2015–16
टैलीस्कापिक मैनीपुलेटर	24	8.00	192.00	2015–16
बाइनाकूलर	26	0.15	3.90	2015–16
एचएचएमडी	66	0.08	5.28	2015–16
ब्लास्टिंग मशीन	33	5.00	165.00	2015–16
बाइनाकूलर	32	0.15	4.80	2015–16
स्नफर डॉग	60	0.50	30.00	2015–16
स्नफर डॉग एसोसिएट्स	66	0.20	13.20	2015–16
हल्के वाहन	90	7.00	630.00	2015–16
बस	10	20.00	200.00	2015–16
12 बोर पम्प एक्शन गन	450	0.63	283.50	2015–16
एमपी5 सब मशीन गन	154	1.82	280.28	2015–16
वाहन चेसिस आडेन्टिफिकेशन मशीन	3	55.00	165.00	2015–16
वाहन चेसिस आडेन्टिफिकेशन मशीन इन्फ्रास्ट्रक्चर	3	12.50	37.50	2015–16
कम्प्यूटर	10	0.37	3.70	2015–16
यूपीएस	22	0.04	0.78	2015–16
विन्डोज 7 एचपी	12	0.08	0.90	2015–16
एपीएबीएक्स2 लाइन	1	0.90	0.90	2015–16
डेस्कटाप	5	0.45	2.25	2015–16
लैपटाप	2	0.37	0.74	2015–16
यूपीएस	3	0.06	0.18	2015–16
रुटर	1	5.00	5.00	2015–16
एप्लीकेशन स्वीच	1	2.00	2.00	2015–16
फायरवाल	1	10.00	10.00	2015–16

पैसिसव कम्पोनेन्ट	1	5.00	5.00	2015–16
वीएचएफ स्टैटिक / मोबाइल सेट	80	0.30	24.00	2015–16
सीसीटीवी सिस्टम	25	6.00	150.00	2015–16
डिजिटल कैमरा	1	1.20	1.20	2015–16
9" गैल्वेनाइज्ड एरियल मास्ट	40	1.00	40.00	2015–16
वीएचएफ स्टैटिक सेट एसेसरिज सहित	5	0.65	3.25	2015–16
वीएचएफ एनालाग / मोबाइल सेट	10	0.15	1.50	2015–16
वीएचएफ हैण्ड हैल्ड सेट	10	0.35	3.50	2015–16
वीएचएफ रिपिटर सेट	4	1.25	5.00	2015–16
डेस्कटाप कम्प्यूटर एसेसरिज सहित	8	0.70	5.60	2015–16
कलर प्रिन्टर प्रेस	1	85.00	85.00	2015–16
डिजिटल फोटोकापियर	1	0.91	0.91	2015–16
कलर डिजिटल फोटोकापी मशीन	1	2.96	2.96	2015–16
सोलर लाइटिंग सिस्टम	10	0.33	3.25	2015–16
इलैक्ट्रो डुप्लो मशीन	1	2.00	2.00	2015–16
केन्द्रीयकृत संचार ध्वनि व्यवस्था	2	6.00	12.00	2015–16
फायर अलार्म सिस्टम	2	2.50	5.00	2015–16
इलेक्ट्रानिक सर्विलांस लैब	1	2.65	2.65	2015–16
पब्लिक एड्रेस सिस्टम	1	35.00	35.00	2015–16
कॉलर माइक	15	0.20	3.00	2015–16
साइबर लैब	1	10.00	10.00	2015–16
25 केजी में साइकिलंग एसपी	4	0.35	1.40	2015–16
ट्रिवस्टर मैन्युली	2	0.06	0.12	2015–16
इलेक्ट्रानिक वाइब्रेटर फुल बॉडी	2	0.35	0.70	2015–16
टमी फिट	2	0.09	0.18	2015–16
फोटोकापियर	1	3.00	3.00	2015–16
डीएसएमडी	66	1.50	99.00	2015–16
टेलीस्कोपिक मिरर	25	0.05	1.25	2015–16
सर्च लाइट	28	0.05	1.40	2015–16
वाहन के नीचे सर्च हेतु मिरर	25	0.06	1.50	2015–16
एक्सप्लोसिव डिटेक्टर	26	15.00	390.00	2015–16
पोर्टबल एक्स-रे व्यू सिस्टम	26	16.00	416.00	2015–16
शाक बैटन डिफेन्डर	500	0.05	25.11	2015–16
काइम सीन प्रोटेक्शन किट	500	0.50	250.00	2015–16
बाइनाकूलर विद् नाइट विजन	75	0.40	30.00	2015–16
एक्स-रे बैगेज मशीन	75	2.00	150.00	2015–16
काइम इन्वेस्टीगेशन किट	75	0.10	7.50	2015–16
बीपी जैकेट	275	0.35	96.25	2015–16
एचएचएमडी	75	0.08	6.00	2015–16
डीएसएमडी	75	1.50	112.50	2015–16
बीपी हेलमेट	150	0.10	15.00	2015–16
बीपी पटका	150	0.02	3.00	2015–16
वीडियो कैमरा	150	0.28	42.00	2015–16
पोर्टबल इन्फलेमैबल इमरजेन्सी लाइट	75	3.00	225.00	2015–16
योग	15,644	2,861.94	12,067.09	

(स्रोतःपुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद)

परिशिष्ट 3.1
रिवाल्वर/पिस्टल/ग्लाक पिस्टल की आवश्यकता
(संदर्भ: प्रस्तर सं. 3.4; पृष्ठ)

नयी नीति के अनुसार					
पद नाम	कार्यरत	अस्त्रों का आवंटन (प्रतिशत में)	अस्त्रों की आवश्कता	अस्त्रों की उपलब्धता	अधिकता/ कमी
राजपत्रित अधिकारी	1,682	100	1,682	7,293	
निरीक्षक	2,411	100	2,411	23,096	
उप निरीक्षक	9,437	100	9,437	506	
मुख्य आरक्षी	26,180	100	26,180	5,256	
आरक्षी	1,00,909	30	30,679	128	
जनपद में आरक्षित	2,01,452	5	10,072	19	
राज्य में आरक्षित			1,000	15	
अतिरिक्त			0	101	
योग			81,461	36,414	45,047

(स्रोत: पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद)

परिशिष्ट 3.2
राईफल की श्रेणी में आवश्यकता
(संदर्भ: प्रस्तर सं. 3.4; पृष्ठ)

नयी नीति के अनुसार					
पद नाम	कार्यरत	अस्त्रों का आवंटन (प्रतिशत में)	अस्त्रों की आवश्कता	अस्त्रों की उपलब्धता	अधिकता/ कमी
आरक्षी नागरिक पुलिस	84,872	20	16,975	58,853	
आरक्षी सशस्त्र पुलिस	16,037	100	16,037	7,343	
आरक्षी पीएसी	20,838	100	20,838	32,229	
मुख्य आरक्षी पीएसी	5,658	100	5,658	23,543	
आरक्षित बटालियन पीएसी	44,157	8	3,532		
राज्य आरक्षित			2,000		
योग			65,040	121,968	(+) 56,928

(स्रोत: पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद)

परिशिष्ट 3.3

जनपदों में प्रयुक्त हो रही अप्रचलित प्वाइंट 303 राईफल की स्थिति (संदर्भ: प्रस्तर सं. 3.5; पृष्ठ)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	प्वाइंट 303 नम्बर 1 राईफल की संख्या	प्वाइंट 303 नम्बर 4 राईफल की संख्या	योग
1	इलाहाबाद	1,620	318	1,938
2	प्रतापगढ़	506	243	749
3	सीतापुर	754	78	832
4	कुशीनगर	223	282	505
5	देवरिया	615	169	784
6	गाजियाबाद	792	0	792
7	मथुरा	848	82	930
8	मुरादाबाद	0	0	0
9	झांसी	811	67	878
10	कानपुर नगर	1,469	178	1,647
11	मेरठ	1,233	115	1,348
12	शाहजहांपुर	733	52	785
13	लखनऊ	2,130	459	2,589
14	सोनभद्र	360	79	439
15	आगरा	2,230	254	2,484
योग		14,324	2,376	16,700

(स्रोत:नमूना जांच जनपद)

परिशिष्ट 3.4

केन्द्रीय भण्डार सीतापुर में जनशक्ति की स्थिति (संदर्भ: प्रस्तर सं. 3.8.4; पृष्ठ)

पद नाम	2011		2012		2013		2014		2015		2016	
	स्वीकृत	कार्यरत										
आरक्षित निरीक्षक	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1 (50)
निरीक्षक आरमोरर	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1 (50)
आरएसआई	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0 (00)
एसआईए	4	1	4	1	4	1	4	1	4	1	4	0 (00)
एचसीएआर	4	3	4	3	4	2	4	1	4	1	4	1 (25)
सीएआर	16	12	16	13	16	14	16	9	16	9	16	9 (56)
एचसीएपी	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0 (00)
सीएपी	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0 (00)
एसआईएम	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0 (00)
सीडीआर	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0 (00)
ओपी	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0 (00)
पीओ	5	4	5	3	5	4	5	4	5	4	5	4 (80)
योग	40	24	40	24	40	25	40	19	40	19	40	16 (40)

(स्रोत:केन्द्रीय भण्डार, सीतापुर)

परिशिष्ट 4.1

2011–16 की अवधि में संचार विंग की लक्ष्य एवं प्राप्ति

(संदर्भः प्रस्तर सं. 4.3; पृष्ठ)

विवरण	2011–12		2012–13		2013–14		2014–15		2015–16		योग		कमी का प्रतिशत
	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति									
वीएचएफ सेट्स	1,332	5	6,377	395	2,819	583	635	3,022	1,319	715	12,482	4,720	62
वीएचएफ एण्ड हैल्ड	11,157	0	4,266	594	4,326	1,013	4,200	3,401	3,808	1,271	27,757	6,279	77
वीएचएफ रीपिटर्स	23	0	81	49	17	3	46	15	12	0	179	67	63
एचएफ सेट्स	130	0	297	68	98	10	0	10	7	10	532	98	82
प्रोग्रामिंग इकाई	27	0	46	0	25	1	31	25	31	23	160	49	69
9'' गैल्वेनाइज्ड मास्ट	91	0	31	0	31	0	31	68	31	15	215	83	61
सीएडी	0	0	1	0	2	1	1	1	2	1	6	3	50
डिजीटल विडियो कैमरा	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2	1	50
विडियो कैचरिंग कार्ड	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	100
विडियो केबिल आरजी-6	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	100
डाटा केबिल	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	100
वीडियो केबिल आरजी-11	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	100
सोलर प्लांट	30	0	10	0	11	0	10	0	11	0	72	0	100
टेस्ट मेजरिंग सेट	33	0	11	0	11	3	10	4	11	15	76	22	71
हाईब्रिड नेटवर्क की स्थापना	0	0	71	0	71	0	71	0	70	0	283	0	100
40 केवीए जेनरेटर	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	100
एसी	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	100
कम्प्यूटर	0	0	2	0	2	0	2	0	2	0	8	0	100
फोटोकापियर	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	100
टावर की एसेसरीज	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	100
सर्च लाइट	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125	0	100
लो लॉस केबिल, एंटिना, कनेक्टर्स आदि	461	0	159	0	158	0	158	0	158	0	1,094	0	100
बैरक फारगुमेंट	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	100
फोटोकापियर (रेडियो प्रशिक्षण)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	100
फर्नीचर (रेडियो प्रशिक्षण)	4	0	2	0	2	0	0	0	0	0	8	0	100
टेस्ट मेजरिंग सेट	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	100

(रेडियो प्रशिक्षण)													
एलएमवी	17	0	5	0	5	0	5	0	5	0	37	0	100
मोटर साइकिल	50	0	18	0	17	0	17	0	17	0	119	0	100
रेडियो अनुरक्षण वाहन	5	0	1	0	0	0	0	0	0	6	0	100	
डेस्कटॉप (आटोमेशन)	12	0	10	0	0	0	0	0	0	22	0	100	
फोटोकापियर (आटोमेशन)	3	0	1	0	1	0	1	0	0	6	0	100	
आवासीय मकान	0	0	0	0	4	0	4	0	4	0	12	0	100
अतिथि गृह	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	100	
चहारदीवारी	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	100	
नलकूप	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	100	
सीवर लाइन	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	100	

(स्रोत: रेडियो मुख्यालय, लखनऊ)

परिशिष्ट 4.2

नमूना जांच जनपदों में सीसीटीवी कैमरे की स्थापना

(संदर्भ: प्रस्तर सं. 4.12; पृष्ठ)

जनपद	स्थापित कैमरों की संख्या	कियाशील	अकियाशील
आगरा	20	15	5
इलाहाबाद	55	42	13
देवरिया	5	0	5
गाजियाबाद	146	0	146
झांसी	29	29	0
कानपुर	8	0	8
कुशीनगर	12	0	12
लखनऊ	242	238	4
मथुरा	33	30	3
मेरठ	11	0	11
मुरादाबाद	10	8	2
प्रतापगढ़	66	38	28
शाहजहांपुर	30	7	23
सीतापुर	4	0	4
सोनभद्र	20	15	5
योग	691	422	269

(स्रोत: पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद एवं नमूना जांच जनपद)

परिशिष्ट 4.3

अवधि 01.01.2013 से 31.03.2016 में आईआईएफ-1 से 7 की सूचना की स्थिति

(संदर्भ: प्रस्तर सं. 4.16; पृष्ठ)

क्र० सं०	जनपद	एफआईआर (आईआईएफ-1)	अपराध का विवरण (आईआईएफ-2)	गिरफतारी मेमो (आईआईएफ-3)	जब्ती मेमो (आईआईएफ-4)	आरोप पत्र एवं अन्तिम रिपोर्ट (आईआईएफ-5)	आईआईएफ-6	आईआईएफ-7
1	आगरा	17,217	8,734	470	48	8,563	0	0
2	मथुरा	12,684	3,420	306	1	3,878	0	0
3	इलाहाबाद	15,098	2,987	978	53	3,206	0	0
4	प्रतापगढ़	5,342	391	150	36	414	0	0
5	झांसी	8,205	4,113	221	95	4,014	0	0
6	कानपुर	18,238	894	70	14	2,925	0	0
7	लखनऊ	28,418	1,163	94	11	325	0	0
8	सीतापुर	6,223	2,062	383	114	1,929	0	0
9	गाजियाबाद	15,841	6,364	1,075	328	7,880	0	0
10	मेरठ	14,163	2,315	198	0	1,263	0	0
11	सोनभद्र	1,794	364	293	181	208	0	0
12	शाहजहांपुर	6,336	2,510	240	57	2,427	0	0
13	मुरादाबाद	20,061	6,956	1,436	151	3,812	0	0
14	देवरिया	4,307	1,349	61	3	624	0	0
15	कुशीनगर	7,351	2,969	612	266	3,095	0	0
	योग	1,81,278	46,591	6,587	1,358	44,563	0	0

(स्रोत: अपर महानिदेशक, तकनीकी सेवायें)

परिशिष्ट 5.1

जनपदों में वाहनों की आवश्यकता एवं उपलब्धता (संदर्भ: प्रस्तर सं. 5.2; पृष्ठ)

क्र0 सं0	वाहन का मेक	बीपीआरएण्डडी के मानकों के अनुसार वाहनों की संख्या	जनपद/थाना /चौकी की संख्या	आवश्यकता	वास्तविक उपलब्धता	कमी (प्रतिशत में)
1	जनपद मुख्यालय के लिये हल्के वाहन	14	75	1,050	758	292(28)
2	थाना स्तर के लिये हल्के वाहन	02	1528	3,056	2,526	530(18)
3	जनपद स्तर के लिये मध्यम वाहन	17	75	1,275	413	862(68)
4	जनपदों के लिये भारी वाहन	07	75	525	417	108(21)
5	जनपद स्तर पर मोटर साइकिल	07	75	525	490	35(7)
6	थाना स्तर पर मोटर साइकिल	03	1463	4,389	3,182	1,207(28)
7	चौकी स्तर पर मोटर साइकिल	02	303	606	502	104(18)
योग				11,426	8,288	3,138(27)

(स्रोत: पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद)

परिशिष्ट 5.2

पीएसी में वाहनों की आवश्यकता एवं उपलब्धता (संदर्भ: प्रस्तर सं. 5.2; पृष्ठ)

क्र0 सं0	वाहन का मेक	बीपीआरएण्डडी के मानकों के अनुसार वाहनों की संख्या	कम्पनी/ बटालियन की संख्या	आवश्यकता	वास्तविक उपलब्धता	कमी (प्रतिशत में)
1	कम्पनी के लिये भारी वाहन (बड़ी बस) (एक बटालियन में नौ कम्पनियाँ)	03	297	891	277	614(70)
2	कम्पनी के लिये भारी वाहन (बड़े ट्रक) (एक बटालियन में नौ कम्पनियाँ)	01	297	297	717	
3	बटालियन के लिये भारी वाहन (पानी के टैंकर)	01	33	33	00	33(100)
4	कम्पनी के लिये मध्यम वाहन (बड़ी बस) (एक बटालियन में नौ कम्पनियाँ)	01	297	297	73	224(75)
5	बटालियन के लिये हल्के वाहन (टाटा 407) (एक बटालियन में नौ कम्पनियाँ)	05	33	165	399	63(14)
6	कम्पनी के लिये हल्के वाहन (बड़ी बस) (एक बटालियन में नौ कम्पनियाँ)	01	297	297		
7	बटालियन के लिये मोटर साइकिल	04	33	132	36	96(73)
योग					1,502	1,030(49)

(स्रोत: पीएसी मुख्यालय, लखनऊ)

परिशिष्ट 5.3
वाहनों की अतार्किक तैनाती
(संदर्भः प्रस्तर सं. 5.3; पृष्ठ)

क्र० सं०	जनपद का नाम	स्वीकृत वाहनों की संख्या	उपलब्धता	कमी (+)/ अधिकता (-)	कमी/अधिकता प्रतिशत में
1.	बलरामपुर	80	43	37	46
2.	जालौन	117	69	48	41
3.	बदायुं	135	84	51	38
4.	चन्दौली	139	87	52	37
5.	सिद्धार्थनगर	113	71	42	37
6.	रामपुर	126	82	44	35
7.	बागपत	79	52	27	34
8.	महाराजगंज	102	68	34	33
9.	बिजनौर	126	89	37	29
10.	सहारनपुर	181	128	53	29
11.	कौशाम्बी	84	60	24	29
12.	रायबरेली	110	79	31	28
13.	बांदा	119	86	33	28
14.	बाराबंकी	139	101	38	27
15.	फरुखाबाद	122	90	32	26
16.	पीलीभीत	96	71	25	26
17.	हमीरपुर	98	73	25	26
18.	फतेहपुर	122	92	30	25
19.	ललितपुर	90	68	22	24
20.	गाजियाबाद	505	384	121	24
21.	कानपुर नगर	567	437	130	23
22.	कुशीनगर	93	72	21	23
23.	औरेया	109	85	24	22
24.	जौनपुर	153	121	32	21
25.	अलीगढ़	225	179	46	20
26.	श्रावस्ती	54	43	11	20
27.	शाहजहांपुर	138	110	28	20
28.	फैजाबाद	148	118	30	20
29.	गाजीपुर	172	139	33	19
30.	एटा	114	93	21	18
31.	आजमगढ़	164	135	29	18
32.	गौतम बुद्ध नगर	293	243	50	17
33.	फिरोजाबाद	155	129	26	17
34.	बहराइच	138	115	23	17
35.	इलाहाबाद	407	345	62	15
36.	मुरादाबाद	192	163	29	15
37.	वाराणसी	378	321	57	15
38.	लखनऊ	739	630	109	15
39.	बरेली	223	191	32	14
40.	सन्त कबीर नगर	73	63	10	14
41.	सन्त रविदास नगर (भदोही)	73	63	10	14
42.	बलिया	132	116	16	12
43.	खीरी	132	117	15	11
44.	आगरा	416	373	43	10
45.	झांसी	167	150	17	10
46.	मथुरा	187	169	18	10

क्र० सं०	जनपद का नाम	स्वीकृत वाहनों की संख्या	उपलब्धता	कमी (+)/ अधिकता (-)	कमी/अधिकता प्रतिशत में
47.	बस्ती	105	95	10	10
48.	उन्नाव	106	96	10	9
49.	देवरिया	121	110	11	9
50.	कानपुर देहात	113	103	10	9
51.	बुलन्दशहर	178	163	15	8
52.	मेरठ	304	279	25	8
53.	सीतापुर	142	131	11	8
54.	अम्बेडकरनगर	101	94	7	7
55.	चित्रकूट	79	74	5	6
56.	कन्नौज	95	90	5	5
57.	सोनभद्र	153	145	8	5
58.	मऊ	79	75	4	5
59.	सम्मल	92	88	4	4
60.	ज्योतिबा फुले नगर	75	72	3	4
61.	हरदोई	139	134	5	4
62.	कासगंज	58	56	2	3
63.	प्रतापगढ़	122	118	4	3
64.	मैनपुरी	111	108	3	3
65.	महामाया नगर (हाथरस)	74	72	2	3
66.	सुल्तानपुर	122	121	1	1
67.	इटावा	185	185	0	0
68.	गोण्डा	106	106	0	0
69.	महोबा	68	68	0	0
70.	मुजफ्फरनगर	194	198	-4	-2
71.	गोरखपुर	186	190	-4	-2
72.	अमेठी	78	80	-2	-3
73.	मिर्जापुर	140	157	-17	-12
74.	शामली	58	70	-12	-21
75.	हापुड़	56	75	-19	-34
योग		11,765	9,950	1,815	

(स्रोत: पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद)

परिशिष्ट 5.4

बीपीआरएण्डडी मानकों के सापेक्ष पुलिस स्टेशनों पर हल्के वाहनों की कमी

(संदर्भ: प्रस्तर सं. 5.4; पृष्ठ)

जनपद का नाम	ग्रामीण				शहरी			
	पुलिस स्टेशनों की संख्या	आवश्यकता	उपलब्धता	कमी	पुलिस स्टेशनों की संख्या	आवश्यकता	उपलब्धता	कमी
झांसी	20	40	20	20 (50%)	6	18	6	12 (67%)
लखनऊ	9	18	16	2 (11%)	34	102	68	34 (33%)
सीतापुर	24	48	24	24 (50%)	2	6	2	4 (66%)
प्रतापगढ़	19	38	30	8 (21%)	2	6	3	3 (50%)
इलाहाबाद	24	48	48	00 (00%)	15	45	25	20 (44%)
कुशीनगर	16	32	12	20 (63%)	2	6	3	3 (50%)
देवरिया	17	34	22	12 (35%)	2	6	3	3 (50%)
गाजियाबाद	11	14	19	(+) 5	10	30	34	(+) 4
मथुरा	10	20	9	11 (55%)	13	39	14	25 (64%)
मेरठ	15	30	21	9 (30%)	17	51	22	29 (57%)
शाहजहांपुर	20	40	23	17 (42%)	3	9	4	5 (55%)
सोनभद्र	22	44	48	(+) 4	0	0	0	0
योग	207	406	292		106	318	184	

(स्रोत: नमूना जांच जनपद)

परिशिष्ट 5.5

वाहनों के लिये वर्ष 2011–16 की अवधि में बजट आवंटन, व्यय एवं समर्पण

(संदर्भ: प्रस्तर सं. 5.5; पृष्ठ)

वर्ष	लेखा शीर्ष	आवंटन	व्यय	समर्पण
2011–12	(आधुनिकीकरण योजना) 4055—आयोजनेत्तर	884.04	631.38	252.66
	(राज्य बजट) 4055— आयोजनेत्तर	4,706.08	4,530.58	175.50
2012–13	(आधुनिकीकरण योजना) 4055— आयोजनेत्तर	1,300.26	1,298.86	1.40
	(राज्य बजट) 4055— आयोजनेत्तर	1,785.39	1,658.58	126.81
2013–14	(आधुनिकीकरण योजना) 4055— आयोजनेत्तर	1,549.93	1,485.17	64.76
	(राज्य बजट) 4055— आयोजनेत्तर	5,749.77	5,397.84	351.93
	राज्य आकस्मिकता निधि	690.00	33.76	656.24
2014–15	(आधुनिकीकरण योजना) 4055— आयोजनेत्तर	3,499.35	3,394.26	105.09
	(राज्य बजट) 4055— आयोजनेत्तर	3,121.22	2,827.11	294.11
	(राज्य बजट) 4055— आयोजनेत्तर	3,657.73	3,581.24	76.49
	राज्य आकस्मिकता निधि	80.00	79.95	0.05
2015–16	(राज्य बजट) 4055— आयोजनेत्तर	1,888.57	1,888.40	0.17
	आधुनिकीकरण योजना (केन्द्रीय अनुदान) योग	7,233.58	6,809.67	423.91
	राज्य बजट (राज्य अनुदान) योग	21,678.76	19,997.46	1681.30
	महायोग	28,912.34	26,807.13	2,105.21

(स्रोत: पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद)

परिशिष्ट 5.6

**एमपीएफ योजना तथा राज्य बजट के अन्तर्गत वर्ष 2011–16 की अवधि में
क्रय किये गये वाहनों की संख्या**
(संदर्भ: प्रस्तर सं. 5.5; पृष्ठ)

वर्ष	लेखाशीर्ष	भारी वाहन		मध्यम		हल्के वाहन		दोपहिया		कुल	
		स्वीकृत	क्रय	स्वीकृत	क्रय	स्वीकृत	क्रय	स्वीकृत	क्रय	स्वीकृत	क्रय
2011–12	(आधुनिकीकरण योजना) 4055—आयोजनेत्तर	14	14	70	53	16	12	141	12	241	91
	(राज्य बजट) 4055—आयोजनेत्तर	108	108	38	38	460	460	170	170	776	776
2012–13	(आधुनिकीकरण योजना) 4055—आयोजनेत्तर	8	8	41	41	93	93	452	452	594	594
	(राज्य बजट) 4055—आयोजनेत्तर	43	42	14	13	152	149	164	164	373	368
2013–14	(आधुनिकीकरण योजना) 4055—आयोजनेत्तर	0	0	59	59	118	118	177	177	354	354
	(राज्य बजट) 4055—आयोजनेत्तर	86	78	31	31	495	495	1004	997	1616	1601
2014–15	(आधुनिकीकरण योजना) 4055—आयोजनेत्तर	4	4	0	0	589	589	416	416	1009	1009
	(राज्य बजट) 4055—आयोजनेत्तर	46	46	2	0	205	205	249	249	502	500
	(राज्य बजट) 2055—आयोजनेत्तर	0	0	0	0	760	760	0	0	760	760
2015–16	(राज्य बजट) 4055—आयोजनेत्तर	41	41	1	1	268	268	4	4	314	314
योग		350	341	256	236	3,156	3149	2,777	2,641	6,539	6,367

(स्रोत: पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद)

परिशिष्ट 5.7

पूंजीगत शीर्ष के अन्तर्गत वाहनों के प्रतिस्थापन पर किये गये व्यय का विवरण

(संदर्भ: प्रस्तर सं. 5.6; पृष्ठ)

वर्ष	पूंजीगत शीर्ष के अन्तर्गत वाहनों के प्रतिस्थापन के लिये स्वीकृत धनराशि	पूंजीगत शीर्ष के अन्तर्गत वाहनों के प्रतिस्थापन के लिये व्यय (₹ करोड़ में)
2011–12	45.91	44.28
2012–13	17.85	16.57
2013–14	57.50	53.98
2014–15	21.55	20.18
2015–16	18.89	18.88
योग	161.70	153.89

(स्रोत: पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद)

परिशिष्ट 5.8

नमूना जांच जनपदों में मार्च 2016 को आयु पूर्ण कर चुके वाहन

(संदर्भ: प्रस्तर सं. 5.8; पृष्ठ)

क्र० सं०	जनपद का नाम	उपलब्ध वाहनों की कुल संख्या			आयु पूर्ण कर चुके वाहनों का विवरण			
		भारी/मध्यम/हल्के	मोटर साइकिल	योग	भारी/मध्यम/हल्के	मोटर साइकिल	योग	प्रतिशत
1.	मथुरा	94	82	176	35	27	62	35
2.	मुरादाबाद	99	74	173	33	28	61	35
3.	झांसी	79	43	122	37	23	60	49
4.	कानपुर नगर	247	198	445	47	12	59	13
5.	मेरठ	131	136	267	51	48	99	37
6.	शाहजहांपुर	72	47	119	18	22	40	34
7.	गाजियाबाद	183	206	389	56	50	106	27
8.	इलाहाबाद	216	142	358	61	34	95	27
9.	देवरिया	55	56	111	8	38	46	41
10.	कुशीनगर	48	24	72	13	21	34	47
11.	प्रतापगढ़	70	48	118	35	2	37	31
12.	सीतापुर	75	58	133	37	56	93	70
13.	लखनऊ	338	292	630	120	43	163	26
14.	सोनभद्र	0	0	0	0	0	0	0
15.	आगरा	0	0	0	0	0	0	0
योग				3,113			955	

(स्रोत: नमूना जांच जनपद एवं पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद)

परिशिष्ट 5.9

नमूना जांच जनपदों में वाहनों की मरम्मत एवं पीओएल पर व्यय

(संदर्भ: प्रस्तर सं. 5.9; पृष्ठ)

जनपद का नाम	वर्ष 2011–16	वीआईपी ड्यूटी के लिये आवंटित वाहनों की संख्या	लागत (₹ लाख में)
इलाहाबाद	2011–16	20 से 28	320.73
देवरिया	2011–16	6 से 12	2.49
झांसी	2011–16	1 से 2	20.32
कानपुर नगर	2011–16	132 से 316	309.94
कुशीनगर	2012–16	2 से 3	30.62
मथुरा	2011–16	6 से 10	191.19
मेरठ	2011–16	2 से 3	44.92
मुरादाबाद	2011–16	1	4.62
प्रतापगढ़	2011–16	8 से 28	3.64
शाहजहांपुर	2011–16	2 से 3	27.45
सीतापुर	2012–16	2 से 3	42.36
सोनभद्र	2011–16	4 से 6	4.98

(स्रोत: नमूना जांच जनपद)

परिशिष्ट 6.1

कियाशील विधि विज्ञान प्रयोगशाला के अनुभाग

(संदर्भ: प्रस्तर सं. 6.1; पृष्ठ)

क्र० सं०	प्रयोगशाला का नाम	प्रयोगशाला में कियाशील अनुभागों की संख्या	स्थापना का वर्ष	अनुभाग का नाम
1	लखनऊ	13	1969	आग्नेयास्त्र, जीवविज्ञान, रसायन विज्ञान, अभिलेख, भौतिकी, सीरोलाजी, विषविज्ञान, इन्सट्रूमेण्टल, डी.एन.ए., लाइ डेटेक्शन, कम्प्यूटर फोरेन्सिक, मेडिकोलीगल तथा नारको विश्लेषण अनुभाग
2	आगरा	9	1979	आग्नेयास्त्र, जीवविज्ञान, रसायन विज्ञान, अभिलेख, भौतिकी, सीरोलाजी, विषविज्ञान, इन्सट्रूमेण्टल, तथा विस्फोटक अनुभाग
3	वाराणसी	5	2005	जीवविज्ञान, रसायन विज्ञान, अभिलेख, भौतिकी, सीरोलाजी
4	गाजियाबाद	1	2015	केवल विषविज्ञान अनुभाग माह अगस्त 2015 से प्रारम्भ है

(स्रोत: विधि विज्ञान निदेशालय)

परिशिष्ट 6.2

माह अप्रैल 2017 के अनुसार क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला की प्रगति

(संदर्भ: प्रस्तर सं. 6.2; पृष्ठ)

(₹ करोड़ में)

क्र० सं०	प्रयोगशाला का नाम	कार्यदायी संख्या का नाम ¹	स्वीकृत लागत	स्वीकृत वर्ष	पूर्ण करने की निर्धारित तिथि	अवमुक्त धनराशि	धन अवमुक्त करने का वर्ष	व्यय	भौतिक प्रगति (प्रतिशत)
1	मुरादाबाद	पी.ए.एन.	3.68	2014-15	31.08.15	3.68	2014-15 & 2015-16	3.61	100
2	गाजियाबाद	यू०पी०आर० एन०एन०	58.64	2015-16	31.03.17	23.46	2015-16	21.35	37
3	इलाहाबाद	यू०पी०आर० एन०एन०	29.13	2016-17	31.12.17	8.00	2016-17	4.33	44
4	झांसी	यू०पी०आर० एन०एन०	29.80	2016-17	31.12.17	8.00	2016-17	4.25	प्लंथ स्तर
5	गोरखपुर	यू०पी०आर० एन०एन०	28.69	2016-17	31.12.17	8.00	2016-17	0.00	स्टॉट स्तर

(स्रोत: पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद)

परिशिष्ट 6.3

प्राप्त न किए गए उपकरणों की सूची

(संदर्भ: प्रस्तर सं. 6.4; पृष्ठ)

(₹ लाख में)

क्र० सं०	योजना वर्ष	उपकरण का नाम	उपकरण की संख्या	अनुमानित लागत
1	2012-13	बीस क्षेत्रीय इकाई में ट्यूनेक्सल प्रकाश स्रोत	20	80.00
2	2012-13	सौर उर्जा आधारित बैंकअप प्रणाली	51	357.00
3	2014-15	केन्द्रीय तापमान माडुलेटर प्रणाली	01	48.00
4	2015-16	वाहन चेसिस पहचान मशीन	07	385.00
5	2015-16	वाहन चेसिस पहचान मशीन के लिए अवस्थापना	07	87.50

(स्रोत: विधि विज्ञान निदेशालय)

¹ पी.ए.एन. पुलिस आवास निगम, यू०पी०आर०एन०एन०-उ०प्र० राज्यकीय निर्माण निगम।

परिशिष्ट 6.4

**निविदा प्रणाली में विलम्ब (दो वर्षों से) तथा पी एल ए में धन रखने के कारण स्थापित न किए गये मुख्य उपलकरण
(संदर्भ: प्रस्तर सं. 6.4; पृष्ठ)**

(₹ लाख में)

क्र० सं०	उपकरण का नाम	स्वीकृत लागत
1	कम्प्यूटर इंटरफ़ेस (2) सहित कम्प्यूरिजन माइक्रोस्कोप	140.00
2	गैस जनरेटर सहित जी सी एम एस गैस कोमेटोग्राफ मास इसपेक्ट्रो मीटर	80.00
3	प्रोजेकटीना डोकोबाक्स डगन	40.00
4	एलकम साफ्टेयर पासवर्ड रिकवरी टूल्स	3.50
5	डेस्कटाप (माड्यूलर माडल)	11.00
6	फ्यूमिंग चैम्बर	8.00
7	गैस जनरेटर सहित गैस लिकिड कोमेटोग्राफ	25.00
8	सेमी आटोमेटिक फ्लैश पाइन्ट अप्रेटर्स	7.00
9	एक्स आर एफ	65.00
10	रमन इसपेक्ट्रो मीटर	85.00
11	इलेक्ट्रोनिक बैलेस	5.00
12	गाजियाबाद, कन्नौज तथा मुरादाबाद के लिए उपकरण	150.00
योग		619.50

(स्रोत: विधि विज्ञान निदेशालय)

परिशिष्ट 6.5

**उत्तर प्रदेश के विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं में कर्मचारियों की स्थिति
(संदर्भ: प्रस्तर सं. 6.5; पृष्ठ)**

वर्ष	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	कमी
2012–13	वैज्ञानिक अधिकारी	40	34	06
	वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक	62	61	01
	वैज्ञानिक सहायक	98	24	74
	प्रयोगशाला सहायक	34	05	29
	कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक	00	00	00
	योग	234	124	110 (47 प्रतिशत कमी)
2014–15	वैज्ञानिक अधिकारी	47	28	19
	वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक	69	06	63
	वैज्ञानिक सहायक	120	68	52
	प्रयोगशाला सहायक	34	18	16
	कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक	117	79	38
	योग	387	199	188 (49 प्रतिशत कमी)
2015–16	वैज्ञानिक अधिकारी	110	06	104
	वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक	143	60	83
	वैज्ञानिक सहायक	220	63	157
	प्रयोगशाला सहायक	61	17	44
	कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक	161	59	102
	योग	622	205	490 (67 प्रतिशत कमी)

(स्रोत: विधि विज्ञान निदेशालय लखनऊ)

परिशिष्ट 6.6
विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं, उत्तर प्रदेश, में लम्बित नमूनों की स्थिति
(संदर्भ: प्रस्तर सं. 6.6; पृष्ठ)

वर्ष	वर्ष के प्रारम्भ से पूर्व लम्बित नमूनों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त नमूने	लम्बित नमूने	वर्ष के दौरान जाँच किये गये नमूने	वर्ष के अन्त में लम्बित नमूने
2011	6,617	23,230	29,847	21,579	8,268
2012	8,268	21,637	29,905	18,379	11,526
2013	11,526	23,188	34,714	19,759	14,955
2014	14,955	22,636	37,591	21,823	15,768
2015	15,768	24,389	40,157	25,105	15,052
2016 (मार्च तक)	15,052	6,173	21,225	6,192	15,033

(स्रोत: निदेशालय विधि विज्ञान निदेशालय लखनऊ)

परिशिष्ट 6.7
विधि विज्ञान प्रयोगशाला आगरा में साइबर अपराध क्षेत्रीय प्रयोगशाला के अकियाशील उपकरण
(संदर्भ: प्रस्तर सं. 6.8; पृष्ठ)

क्र0 सं0	उपकरणों के नाम	संख्या
1	डेस्कटॉप ब्राण्ड डेल (मॉडल नं. 3020 एम ई)	1
2	हार्ड डिस्क 1 टेरा बाइट	1
3	डिजिटल कैमरा सोनी	1
4	मेमोरी कार्ड 16 जीबी	1
5	मल्टी कार्ड रीडर	1
6	पेन ड्राइव 16 जीबी	4
7	डिवाइस फोरेन्सिक सूट	1
8	नेटवर्क फोरेन्सिक सूट	1
9	साइबर चेक सूट	1
10	यू.पी.एस 1 के वि.ए	1

(स्रोत: विधि विज्ञान प्रयोगशाला, आगरा)

परिशिष्ट 7.1

नमूना जांच किये गये पांच प्रशिक्षण संस्थानों में शारीरिक व पैदल प्रशिक्षण के अनुदेशकों (पी0टी0आई0 / आई0टी0आई0) के पदों में कमी
(संदर्भ: प्रस्तर सं. 7.4; पृष्ठ)

वर्ष	स्वीकृत	उपलब्ध जनशक्ति	कमी (प्रतिशत में)
2011–12	168	144	24(14)
2012–13	168	133	35(21)
2013–14	168	128	40(24)
2014–15	168	111	57(34)
2015–16	168	120	48(29)

(स्रोत: प्रशिक्षण निदेशालय)

परिशिष्ट 7.2

वर्ष 2011–15 के दौरान नमूना जांच किये गये प्रशिक्षण संस्थानों में वर्षवार प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं का विवरण
(संदर्भ: प्रस्तर सं. 7.7; पृष्ठ)

क्र0 सं0	प्रशिक्षण संस्था का नाम	प्रशिक्षण क्षमता	वर्षवार प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं की संख्या				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	डायोमिराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी, मुरादाबाद	340	1,275	734	846	1,723	1,204
2	पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद	600	973	1,744	191	1,227	960
3	पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद	400	890	875	205	870	359
4	सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर	350	896	794	1201	639	1,172
5	पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर	600	1,018	1,506	31	1,738	988
योग		2,290	5,052	5,653	2,464	7,197	4,683

(स्रोत: प्रशिक्षण निदेशालय एंव नमूना जांच किये गये प्रशिक्षण संस्थान)

परिशिष्ट 8.1
**आतंकवाद रोधी दस्ता, कमान्डों प्रशिक्षण विद्यालय व
 विशेष प्रशिक्षण केन्द्र (सी0आई0ए0टी0) हेतु आवश्यक जन शक्ति**
 (संदर्भ: प्रस्तर सं 8.1.4; पृष्ठ)

क्र0 सं0	पद नाम	ए.टी.एस./सी.टी.एस./सी.आई.ए.टी हेतु आवश्यक कर्मचारियों की संख्या	पूर्ण स्वीकृत पद	कुल आवश्यकता
1.	महा निरीक्षक	01	01	00
2.	उप महानिरीक्षक	02	01	01
3.	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक	03	01	02
4.	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक	06	04	02
5.	पुलिस उपाधीक्षक	16	09	07
6.	अभियोजन अधिकारी	01	01	00
7.	निरीक्षक (नगरिक पुलिस)	12	12	00
8.	उप निरीक्षक (नागरिक पुलिस)	56	36	20
9.	मुख्य आरक्षी (नागरिक पुलिस)	47	12	35
10.	आरक्षी (नागरिक पुलिस)	163	90	73
11.	निरीक्षक (एम)	00	01	-01
12.	उप निरीक्षक (एम) (मुख्यालय सर्वंग)	12	17	-05
13.	ए.एस.आई. (मुख्यालय सर्वंग)	06	02	04
14.	आर.आई. (क्यू एम)	01	00	01
15.	एस.आई. (एम टी)	01	00	01
16.	एच सी (एम टी)	04	01	03
17.	एच सी (ए पी)	22	04	18
18.	आरक्षी (ए पी)	84	12	72
19.	आरक्षी (चालक)	105	25	80
20.	उर्दू अनुवादक	01	01	00
21.	बंगाली अनुवादक	01	01	00
22.	कनिष्ठ विज्ञान अधिकारी	02	02	00
23.	मुख्य आरक्षी (कुशल)	04	04	00
24.	विस्फोटक विशेषज्ञ	04	04	00
25.	कम्प्यूटर आपरेटर	06	00	06
26.	एस क्यू एम	01	00	01
27.	एच सी (ए पी) मेंगजीन प्रभारी	01	00	01
28.	एच सी (ए पी) कोट प्रभारी	01	00	01
29.	एच सी आरमोर	01	00	01
योग		564	241	323

तकनीकी कर्मचारी					
30.	अर्दली	73	22	51	
31.	ग्राउन्ड मेन	05	00	05	
32.	विद्युत्कार	02	00	02	
33.	बढ़ई	04	00	04	
34.	माली	01	00	01	
35.	दफ्तरी	01	00	01	
36.	दर्जी	01	00	01	
37.	धोबी	36	00	36	
38.	नाई	20	00	20	
39.	मोची	03	00	03	
40.	सफाई कर्मी	44	00	44	
41.	रसोइया	110	00	110	
42.	पलम्बर	01	00	01	
43.	पेटर	01	00	01	
योग		302	22	280	
चिकित्सालय कर्मचारी					
44.	चिकित्सक	02	00	02	
45.	फार्मासिस्ट	03	00	03	
46.	स्टाफ नर्स	03	00	03	
47.	वार्ड बाय	08	00	08	
48.	सफाई कर्मी	03	00	03	
योग		19	0	19	
वायरलेस कर्मचारी					
49.	रेडियो निरीक्षक	01	00	01	
50.	रेडियो केन्द्र अधिकारी	02	01	01	
51.	मुख्य आपरेटर	04	00	04	
योग		7	1	6	
महायोग		892	264	628	

(स्रोत: ए टी एस मुख्यालय, लखनऊ)

परिशिष्ट 8.2
ए०टी०एस० में स्वीकृत संख्या के विरुद्ध उपलब्ध पद
(संदर्भ: प्रस्तर सं. 8.1.4; पृष्ठ)

क्र० सं०	पद	स्वीकृत संख्या	उपलब्ध पद	कमी/अधिक्य
1.	महा निरीक्षक	01	01	00
2.	उप महा निरीक्षक	01	00	01
3.	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक	01	03	-02
4.	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक	04	03	01
5.	उपा पुलिस उपाधीक्षक	09	03	06
6.	अभियोजन अधिकारी	01	01	00
7.	निरीक्षक	12	13	-01
8.	उप निरीक्षक	36	19	17
9.	मुख्य आरक्षी (नागरिक पुलिस)	12	21	-09
10.	मुख्य आरक्षी (परिवहन)	01	01	00
11.	मुख्य आरक्षी (सशस्त्र पुलिस)	04	09	-05
12.	आरक्षी (नागरिक पुलिस)	90	72	18
13.	आरक्षी (सशस्त्र पुलिस)	12	27	-15
14.	आरक्षी (चालक)	25	21	04
15.	वरिष्ठ लिपिक	01	00	01
16.	स्टेनोग्राफर	15	01	14
17.	उप निरीक्षक (गोपन)	02	04	-02
18.	उप निरीक्षक (एम)	01	02	-01
19.	सहायक उप निरीक्षक	01	01	00
20.	उर्दू अनुवादक	01	01	00
21.	बंगाली अनुवादक	01	00	01
22.	रेडियो केन्द्र अधिकारी	01	00	01
23.	कनिष्ठ विज्ञान अधिकारी	02	00	02
24.	मुख्य आरक्षी (कुशल)	04	00	04
25.	विस्फोटक विशेषज्ञ	04	00	04
26.	अर्दली	22	14	08
योग		264	217	47

(स्रोत: ए टी एस मुख्यालय, लखनऊ)

परिशिष्ट 8.3
शस्त्र सामग्री की आवश्यकता
(संदर्भः प्रस्तर सं. 8.1.5; पृष्ठ)

अस्त्र का नाम	वर्ष	उपलब्ध अस्त्रों की संख्या	शस्त्र सामग्री की मांग	निर्गत शस्त्र सामग्री	मांग व निर्गमन में भिन्नता	अस्त्रिक्षण
ए के-47	2010-11	176	68,400	68,400	0	वर्ष 2011-16 के दौरान अधिकांश शस्त्र सामग्री अनुपलब्ध
	2011-12	215	16,985	4,648	12,337	
	2012-13	210	31,523	6,057	25,466	
	2013-14	189	38,346	38,346	0	
	2014-15	165	7,284	7,284	0	
	2015-16	162	19,288	19,288	0	
9 एम एम पिस्तौल	2010-11	92	69,600	69,600	0	वर्ष 2011-16 के दौरान अधिकांश शस्त्र सामग्री अनुपलब्ध
	2011-12	215	7,920	00	7,920	
	2012-13	209	41,678	3,928	37,750	
	2013-14	184	54,664	00	54,664	
	2014-15	155	46,568	00	46,568	
	2015-16	148	39,544	00	39,544	
9 एम एम एम पी 5	2010-11	0	0	0	0	शस्त्र सामग्री अनुपलब्ध
	2011-12	0	0	0	0	
	2012-13	0	0	0	0	
	2013-14	225	00	00	0	
	2014-15	213	14,204	00	14,204	
	2015-16	204	11,448	00	11,448	
.303 सी टी एन एल एम जी	2010-11	0	1,000	1,000	0	अस्त्रों की उपलब्धता के बिना कारतूस निर्गमन
	2011-12	0	00	00	0	
	2012-13	0	00	00	0	
	2013-14	0	00	00	0	
	2014-15	0	00	00	0	
	2015-16	0	00	00	0	
12 बोर पी ए जी	2010-11	0	0	0	0	शस्त्र सामग्री मात्र 2014-15 में उपलब्ध
	2011-12	05	0	0	0	
	2012-13	05	0	0	0	
	2013-14	05	0	0	0	
	2014-15	13	260	260	0	
	2015-16	13	00	00	0	
एच ई 36 हथगोला	2010-11	0	0	0	0	
	2011-12	0	0	0	0	
	2012-13	0	0	0	0	
	2013-14	0	0	0	0	
	2014-15	140	90	17	73	
	2015-16	140	73	73	0	

इस्टन ग्रेनेड गोला	2010-11	0	0	0	0	शस्त्र सामग्री अनुपलब्ध
	2011-12	0	0	0	0	
	2012-13	0	0	0	0	
	2013-14	0	0	0	0	
	2014-15	140	90	00	90	
	2015-16	140	90	00	90	
यू बी जी एल	2010-11	0	0	0	0	शस्त्र सामग्री अनुपलब्ध
	2011-12	0	0	0	0	
	2012-13	0	0	0	0	
	2013-14	09	0	0	0	
	2014-15	09	90	00	90	
	2015-16	09	90	00	90	

(स्रोत: ए0टी0एस0 मुख्यालय, लखनऊ)

परिशिष्ट 8.4

पीएसी में स्वीकृत संख्या व भरे पद की स्थिति (संदर्भ: प्रस्तर सं. 8.2.1; पृष्ठ)

संवर्ग	स्वीकृत संख्या	2011–12 में भरे पद	कमी (प्रतिशत)	2015–16 में भरे पद	कमी (प्रतिशत)
समूह “ए” के अधिकारी	47	35	12 (26)	42	5 (11)
समूह “बी” के अधिकारी (राजपत्रित)	147	76	71 (48)	57	90 (61)
निरीक्षक	315	270	45 (14)	299	16 (05)
उप निरीक्षक	1,688	1,128	560 (33)	480	1,208 (72)
मुख्य आरक्षी	7,809	6,708	1,101 (14)	5,743	2,066 (26)
आरक्षी	26,217	23,355	2,862 (11)	22,904	3,313 (13)
लिपिकय संवर्ग	606	617	-11 (00)	606	0 (0)
अन्य	263	217	46 (17)	184	79 (30)
योग	37,092	32,406	4,686 (13)	30,315	6,777 (18)

(स्रोत: पी0ए0सी0 निदेशालय, लखनऊ)

परिशिष्ट 8.5

पी0ए0सी0 बल में वाहनों की स्वीकृत संख्या व उपलब्धता (संदर्भ: प्रस्तर सं. 8.2.3; पृष्ठ)

वाहन	स्वीकृत संख्या	उपलब्धता	कमी
टाटा ट्रक	819	689	130
टाटा 407	40	37	3
टाटा 207	274	265	9
स्वराज मजदा	24	22	2
जिप्सी एम्बुलेंस	32	31	1
योग	1,189	1,044	145

(स्रोत: पी0ए0सी0 निदेशालय, लखनऊ)

परिशिष्ट 8.6

पी ए सी बल में अस्त्रों की कमी

(संदर्भ: प्रस्तर सं. 8.2.5; पृष्ठ)

क्र० सं०	अस्त्र व शस्त्र	स्वीकृत संख्या	उपलब्धता	कमी	कमी का प्रतिशत
1	5.56 एम इनसास राइफल	20,488	19,606	882	4
2	9 एम एम कार्बाइन	2,118	1,599	519	25
3	एम पी 5 सब मशीन गन	251	143	108	43
4	5.56 एम एम इनसास एल एम जी	474	152	322	68
5	पी एम एफ	1,421	1,140	281	20
6	303 जी एफ राइफल	1,124	798	326	29
7	डिस्चार्जर कप	1,088	820	268	25
8	दंगा रोधी गन	1,487	783	704	47
9	अशु गैस गन	1,482	671	811	55
10	51 एम एम मोर्टार	198	87	111	56
11	2 एम मोर्टार	136	110	26	19
12	7.62 एम एस एल आर डी पी	31	19	12	39
13	ए के-47 राइफल	1,887	1,273	614	33
14	7.62 एम एल एम जी	70	46	24	34
15	एस पी जी एस एल आर	659	587	72	11
16	बेनेट 5.56 एम एम इनसास	19,485	16,346	3,139	16
17	बेनेट 7.62 एम एस एल आर	11,287	2,573	8,714	77
18	बेनेट ए के-47	1,865	1,274	591	32
19	फिलर एस एल आर	8,770	2,981	5,789	66
20	ब्लैक कार्टीजेज नोजल	574	372	202	35
21	मोनो पार्ट 5.56 एम इनसास ब्रेन गन	243	52	191	79
22	कार्बाइन मैगजीन	6,356	5,415	941	15
23	एस एल आर मैगजीन	39,900	37,622	2,278	6
24	इनसास मैगजीन	100,931	97,211	3,720	4
25	ए के-47 मैगजीन	7,056	5,098	1,958	28
26	5.56 एम एस एल एम जी मैगजीन	10,275	3,450	6,825	66
27	7.62 एम एल एम जी मैगजीन	1,900	919	981	52
28	एम पी 5 गन एम एम जी 9 एम एम मैगजीन	430	190	240	56
29	रिफ्लेक्स साइट एम पी	138	111	27	20
30	नाइट विजन	136	91	45	33
31	पेसीव नाइट विजन	141	90	51	36

(स्रोत: पी०ए०सी० निदेशालय, लखनऊ)

परिशिष्ट 8.7

एस टी एफ में जन शक्ति की स्थिति

(संदर्भ: प्रस्तर सं. 8.3.1; पृष्ठ)

वर्ष	स्वीकृत संख्या	उपलब्धता	कमी	उपलब्धता का प्रतिशत
2011-12	471	244	227	48
2012-13	472	254	218	46
2013-14	472	224	248	53
2014-15	472	247	225	48
2015-16	472	234	238	50

(स्रोत: एस०टी०एफ० मुख्यालय, लखनऊ)

परिशिष्ट 9.1
पर्सपेरिटिव प्लान के अनुरूप उपकरणों के क्रम में कमी
(संदर्भः प्रस्तर सं. 9.2; पृष्ठ)

क्र० सं०	उपकरण का नाम/क्रियान्वयन	वार्षिक योजना (2011–16) में प्रस्तावित मात्रा	यातायात निदेशालय द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को उपकरणों के क्रम हेतु प्रेषित वर्षवार प्रस्ताव (मात्रा में)						पर्सपेरिटिव प्लान के अनुरूप कमी (प्रतिशत में)
			11–12	12–13	13–14	14–15	15–16	योग	
1.	स्पीड राडार डिस्प्ले सुविधा एवं वीडियो प्रिन्टर सहित	256	0	12	0	5	00	17	239(93)
2.	हैण्ड हैल्ड ब्रेथ एनालाइजर	1,159	200	33	0	30	0	263	893(77)
3.	आपदा प्रबन्धन वाहन व्यवस्था केन एवं अन्य सुविधाओं के साथ	72	0	0	0	0	0	0	72(100)
4.	इंटरसेप्टर वाहन अन्य सुविधाओं के साथ	94	0	0	0	0	00	0	94(100)
5.	लिफ्टर केन	150	0	0	0	58	0	58	92(61)
6.	एम्बुलेस अन्य सुविधाओं के साथ	200	0	0	0	0	0	0	200(100)
7.	मोबाइल फोन एवं प्रिन्टर के साथ चालान सिस्टम	500	0	0	0	0	0	0	500(100)
8.	केन्द्रीय कम्प्यूटरीकृत चालान एवं नियन्त्रण व्यवस्था हैण्ड हैल्ड डिवाइस कम्प्यूटर मिनी प्रोटेबल प्रिन्टर / चार्जेबल बैटरी के साथ	1,739	0	0	0	0	0	0	1,739(100)
9.	डेस्कटॉप, कम्प्यूटर, माडेम, यूपीएस प्रिन्टर, सीपीयू/ स्कैनर आदि	64	0	0	0	0	0	0	64(100)
10.	वोलार्ड / ट्रैफिक कोन्स	17,384	3,691	3103	0	0	0	6,794	
11.	सौर ऊर्जाकृत ट्रैफिक सिग्नल की स्थापना	72 जनपदों के लिये	0	0	0	0	0	0	(100)
12.	रिफ्लेक्टिव टेप	25,000 रोल	0	0	0	0	0	0	(100)
13.	मोबाइल बैरियर (आयरन)	6440	3,000	1,232+50 0+720	0	3,000+ 1,000	0	9,452	(+)3010
14.	मल्टी परपज सेफ्टी बार टार्च	11,392	3,000	455	0	0	0	3,455	7,937(70)
15.	चलित विज्ञापन वाहन, बड़ा	72	0	0	0	0	0	0	72(100)
16.	ट्रैफिक इन्टेरिजेन्ट सिस्टम (आधुनिक यातायात नियन्त्रण कक्ष एवं सीसीटीवी)	72	0	0	0	0	0	0	72(100)
17.	मिनी बस—35 सीटर	30 जनपदों हेतु	0	0	0	0	0	0	30(100)
18.	टाटा —207	30 जनपदों हेतु	0	0	0	0	0	0	30(100)
19.	मल्टी मीडिया प्रोजेक्टर	72 जनपदों हेतु	100	0	0	0	0	100	(+)28

20.	स्मोक मीटर (डीजल)	53	100	0	0	0	0	100	(+)47
21.	गैस एनालाइजर (पेट्रोल)	46	100	0	0	0	0	100	(+)54
22.	ध्वनि मापक	2,000	0	00	0	0	0	100	1,900(95)
23.	गति अवरोधक (प्लास्टिक / बम्प)	10,000	0	990 नम्बर	0	0	0	990 नम्बर	9,010(90)
24.	सोलर कैट आई	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000(100)
25.	स्प्रिंग पोस्ट	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000(100)
26.	कान्चेक्स मिरर	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000(100)
27.	सोलर पावर नाइट ब्लिंकर	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000(100)

पर्सपेरिटिव प्लान में उल्लिखित नहीं की गयी मद्दें

28.	फ्लोरसेन्ट प्लास्टिक रेनकोट / ट्रैकसूट		3,600	1,509				5,109	
29.	फ्लोरसेन्ट सेफ्टी जैकेट		2,500					2,500	
30.	फ्लोरसेन्ट सेफ्टी बेल्ट		2,500					2,500	
31.	फ्लोरसेन्ट सेफ्टी ग्लव्स		2,500					2,500	
32.	गैस मास्क		3,600					3,600	
33.	व्हील क्लैम्प		1,000	318				1,318	
34.	ट्रैफिक बूथ / आईलैण्ड			30				30	
35.	पब्लिक एड्रेस सिस्टम			44				44	
36.	सोलर डेलिनियेटर			1,025+88				1,113	
37.	सर्चलाइट			68				68	
38.	डिजिटल वीडियो कैमरा			135				135	
39.	लाउडहैलर			153				153	
40.	झोन कैमरा					5	12	17	
41.	प्रशिक्षण हेतु वाहन					2		2	
42.	बॉडीवार्न कैमरा						100	100	

(स्रोत: यातायात निदेशालय, लखनऊ)

परिशिष्ट 10.1

वर्ष 2015–16 के अन्त तक कुल स्वीकृत कार्यों, पूर्ण कार्यों और अपूर्ण कार्यों की संख्या का विवरण

(संदर्भ: प्रस्तर सं. 10.2; पृष्ठ)

(₹ लाख में)

वर्ष	पूर्ण				अपूर्ण				योग			
	कार्यों की संख्या	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि	व्यय	कार्यों की संख्या	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि	व्यय	कार्यों की संख्या	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि	व्यय
1995-96	1	154.21	154.21	154.00	1	17.96	17.96	17.39	2	172.17	172.17	171.39
1998-99	1	22.32	22.32	22.32	5	111.88	111.88	107.32	6	134.20	134.20	129.64
2002-03	1	306.27	306.27	301.58	2	427.74	427.74	424.14	3	734.01	734.01	725.72
2003-04	2	236.11	236.11	236.01	1	5.36	5.36	4.25	3	241.47	241.47	240.26
2004-05	10	280.03	280.03	256.90	21	1165.85	1165.85	1033.14	31	1445.88	1445.88	1290.04
2005-06	3	59.65	59.65	53.54	6	723.06	723.06	659.9	9	782.71	782.71	713.44
2006-07	4	426.41	426.41	414.21	8	497.75	497.75	423.61	12	924.16	924.16	837.82
2007-08	2	21.75	21.75	21.23	1	31.95	31.95	0	3	53.70	53.70	21.23
2008-09	7	775.45	775.45	727.04	1	74.01	74.01	48.27	8	849.46	849.46	775.31
2009-10	55	5628.03	5628.03	5554.97	39	8037.91	8034.13	7041.49	94	13665.94	13662.16	12596.46
2010-11	34	5383.03	5383.03	5332.81	21	5342.22	5342.22	4134.02	55	10725.25	10725.25	9466.83
2011-12	183	20242	20242	19905.57	59	25845.64	25734.72	19238.19	242	46087.64	45976.72	39143.76
2012-13	60	10387.32	10387.32	10232.54	27	6989.67	6314.55	4166.9	87	17376.99	16701.87	14399.44
2013-14	30	5241.9	5241.90	5001.83	31	6437.31	5407.56	1773.89	61	11679.21	10649.46	6775.72
योग	393	49164.48	49164.48	48214.55	223	55708.31	53888.74	39072.51	616	104872.79	103053.22	87287.06
2014-15	331	6484.53	6476.51	3765.25	731	123484.03	45141.93	29198.87	1062	129968.56	51618.45	32964.12
2015-16	0	0.00	0.00	0.00	390.00	57220.45	30910.38	27667.38	390.00	57220.45	30910.38	27667.38
महायोग	724	55649.01	55641.00	51979.8	1344	236412.8	129941.1	95938.76	2068	292061.80	185582.05	147918.56

(स्रोत: पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद)

परिशिष्ट 10.2

सक्षम प्राधिकारी द्वारा एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर दिनांक का विवरण

(संदर्भ: प्रस्तर सं. 10.2.5; पृष्ठ)

(₹ लाख में)

क्रमांक	कार्य का नाम	स्वीकृत दिनांक/कार्य प्रदान करने की तिथि	स्वीकृत लागत	निर्माण इकाई	अवमुक्त धनराशि		एम.ओ.यू. दिनांक	एम.ओ.यू.से पूर्व अवमुक्त धनराशि (प्रतिशत)
					दिनांक	धनराशि		
1.	आर.टी.सी. चुनार, मिर्जापुर के सुदृढीकरण हेतु भवन का निर्माण।	22.09.2014	1225.14	पी.ए.एन.	22.09.2014	480.00	10.11.2015	960.00 (78)
					05.06.2013	480.00		
					15.01.2016	265.14		
					योग	1225.14		
2.	पी.टी.एस. सुल्तानपुर में विभिन्न भवनों का निर्माण।	28.11.2014	1099.28	पी.ए.एन.	11.12.2014	400.00	अहस्ताक्षरित	800.00 (73)
					04.01.2016	400.00		
					योग	800.00		
3.	पी.टी.एस. जालौन में विभिन्न भवनों का निर्माण।	21.10.2014	1082.95	पी.ए.एन.	30.10.2014	400.00	25.01.2016	1082.95 (100)
					07.07.2015	342.00		
					04.12.2015	340.95		
					योग	1082.95		
4.	पी.टी.एस. सुल्तानपुर में विभिन्न भवनों का निर्माण।	25.03.2012	1029.47	यू.पी.पी.सी. एल	01.05.2012	10.00	05.06.2012	10.00 (01)
					11.07.2012	205.88		
					26.03.2013	200.00		
					20.11.2013	250.00		
					04.06.2014	363.59		
					योग	1029.47		
5.	पी.टी.एस. सुल्तानपुर में विभिन्न भवनों का निर्माण।	31.03.2013	915.72	पी.ए.एन.	31.03.2013	200.00	05.08.2015	915.72 (100)
					01.01.2014	200.00		
					10.06.2014	281.80		
					10.02.2015	233.92		
					योग	915.72		
6.	पुलिस अकादमी मुरादाबाद में सरकारी भवनों का निर्माण।	11.11.2014	895.13	पी.ए.एन.	19.11.2014	400.00	अहस्ताक्षरित	895.13 (100)
					04.01.2016	495.13		
					योग	895.13		
7.	पुलिस लाइन सन्त कबीर नगर में आवासीय भवनों का निर्माण।	07.03.2013	856.97	सी.एण्ड डी. एस. जे एल एन	07.03.2013	170.00	अहस्ताक्षरित	470.00 (55)
					08.07.2015	300.00		
					योग	470.00		
8.	पी.टी.एस. जालौन में विभिन्न भवनों का निर्माण।	23.08.2013	673.18	पी.ए.एन.	18.08.2013	224.39	30.07.2015	673.18 (100)
					09.07.2014	200.00		
					31.10.2014	248.79		
					योग	673.18		
9.	फायर स्टेशन, इदगाह आगरा में आवासीय / अनावा सीय भवनों का निर्माण।	25.10.2011	620.99	यू.पी.पी. सी०एल.	28.11.2011	150.42	28.01.2012	150.42 (24)
					11.03.2013	150.42		
					26.11.2013	185.42		
					04.02.2015	134.73		
					योग	620.99		

10.	20 वीं पी.ए.सी. वाहिनी आजमगढ़ में आवासीय भवन को पूर्ण करने का कार्य।	31.03.2005	1666.76	आर.एन.एन	31.03.2005	1666.76	अहस्ताक्षरित	1666.76 (100)
11.	इलाहाबाद में कुम्भ मेला हेतु बैरक का निर्माण	20.11.2012	510.96	पी.ए.एन.	20.11.2012	510.96	अहस्ताक्षरित	510.96 (100)
12.	फायर स्टेशन, सदर, हरदोई में आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण।	01.12.2010	490.41	यू.पी.पी. सी0एल.	05.01.2011 21.08.2011 13.02.2015 योग	111.06 222.13 157.22 490.41	31.01.2011	111.06 (23)
13.	पुलिस लाइन श्रावस्ती में आवासीय भवनों का निर्माण।	22.06.2009	483.36	सी. एण्ड डी.एस. जे. एल.एन.	22.06.2009 19.10.2010 18.08.2011 योग	161.00 160.00 162.36 483.36	31.05.2010	161.00 (33)
14.	पुलिस लाइन श्रावस्ती में अनावासीय भवनों का निर्माण।	17.07.2009	481.09	यू.पी.पी. सी0एल.	17.07.2009 25.11.2010 02.11.2011 31.12.2013 योग	160.00 100.00 150.00 71.09 481.09	26.12.2009	160.00 (33)
15.	पुलिस लाइन कासगंज में आवासीय भवनों का निर्माण।	03.02.2015	474.16	ए. एण्ड वी. पी.	03.02.2015 06.10.2015 17.02.2016 योग	186.00 186.20 102.96 475.16	अहस्ताक्षरित	475.16 (100)
16.	पुलिस रस्टेशन चक्रघट्टा चन्दौली में प्रशासनिक भवन का निर्माण।	05.11.2011	457.10	आर.ए.एन.	11.05.2011 05.06.2013 15.01.2016 योग	100.00 142.87 214.23 457.10	17.08.2011	100.00 (22)
17.	फायर स्टेशन सैफई इटावा में आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण।	31.03.2013	447.99	यू.पी.पी. सी0एल.	20.04.2013 28.12.2013 07.07.2014 11.06.2015 योग	120.67 100.00 141.34 85.98 447.99	18.05.2013	120.67 (27)
18.	पुलिस रस्टेशन महेवाघाट, कौशम्बी में आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण।	09.01.2014	443.96	ए. एण्ड वी. पी.	09.01.2014 05.11.2014 22.07.2015 योग	175.00 135.00 133.96 443.96	अहस्ताक्षरित	443.96 (100)
19.	20 वीं वाहिनी पी.ए.सी. आजमगढ़ में अनावासीय भवनों को पूर्ण करने का कार्य।	31.03.2005	1231.61	आर.एन.एन.	31.03.2005	1231.61	अहस्ताक्षरित	1231.61 (100)
20.	फायर स्टेशन डिबाई बुलन्दशहर में आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण।	23.12.2011	429.51	यू.पी.पी. सी0एल.	24.01.2012 13.04.2012 25.01.2013 20.12.2013	52.55 52.55 105.10 106.61	02.03.2012	52.55 (12)

	सीय भवनों का निर्माण।				13.02.2015	112.70		
					योग	429.51		
21.	नयी पुलिस लाइन कल्ली, मोहनलाल गंज लखनऊ में अनावासीय भवनों का निर्माण।	03.06.2011	412.60	सी. एण्ड डी.एस. जे. एल.एन.	03.06.2011	150.00	04.01.2013	412.60 (100)
					04.01.2012	100.00		
					03.05.2012	162.60		
					योग	412.60		
22.	आर.टी.सी. मेरठ में अनावासीय भवनों का निर्माण।	14.11.2011	411.29	यू.पी.पी. सी0एल.	14.11.2011	376.88	अहस्ताक्षरित	411.29 (100)
					15.01.2016	34.41		
					योग	411.29		
23.	फायर स्टेशन पड़रौना, कुशीनगर में आवासीय / अनावासीय भवनों का निर्माण।	22.03.2010	411.09	ए. एण्ड वी. पी.	20.04.2010	84.37	अहस्ताक्षरित	411.09 (100)
					11.01.2012	84.37		
					09.01.2014	84.38		
					16.05.2015	157.97		
					योग	411.09		
24.	फायर स्टेशन, बिलग्राम हरदोई में आवासीय / अनावासीय भवनों का निर्माण।	01.12.2010	410.63	यू.पी.पी. सी0एल.	18.01.2011	97.53	18.01.2011	00 (00)
					21.08.2011	195.07		
					04.02.2015	118.03		
					योग	410.63		
25.	फायर स्टेशन गोलघर गोरखपुर में आवासीय / अनावासीय भवनों का निर्माण।	31.03.2013	499.78	सी. एण्ड डी.एस. जे. एल.एन.	13.05.2013	151.48	10.07.2013	151.48 (30)
					04.06.2014	258.61		
					15.09.2014	89.69		
					योग	499.78		
26.	लखनऊ में ए.टी.एस. कमान्डो प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण।	28.06.2011	9649.11	आर.एन.एन.	27.08.2011	1242.15	अहस्ताक्षरित	9649.11 (100)
					19.03.2012	1242.15		
					30.03.2013	2000.00		
					22.01.2014	2300.00		
					31.03.2015	2864.81		
					योग	9649.11		
27.	लखनऊ में ए.टी.—एक मुख्यालय भवन का निर्माण।	28.06.2011	5663.08	आर.एन.एन.	14.09.2011	298.97	अहस्ताक्षरित	4986.69 (88)
					19.03.2012	298.97		
					01.03.2013	800.00		
					01.02.2014	300.00		
					21.08.2014	300.00		
					17.01.2015	989.35		
					03.12.2015	2000.00		
					योग	4986.69		
योग			32973.32			31612.28		27013.99 (82)

(स्रोत: एम.ओ.यू. जो कि पुलिस मुख्यालय की सम्बन्धित कार्य की पत्रावली में संलग्न पाया गया)

परिशिष्ट 10.3
लागत में वृद्धि के साथ पूर्ण किये गये कार्यों की संख्या का विवरण
(संदर्भ: प्रस्तर सं 10.3; पृष्ठ)

(₹ लाख में)

वर्ष	कार्यों की संख्या	स्वीकृत लागत	पुनरीक्षित स्वीकृत लागत	लागत में वृद्धि	व्यय
2004-05	10	152.24	280.03	127.79	280.03
2006-07	1	128.90	147.89	18.99	147.89
2008-09	2	80.94	117.99	37.05	117.99
2009-10	35	2,600.04	3,455.94	855.9	3,455.94
2010-11	12	2,172.05	3,114.10	942.05	3,114.10
2011-12	56	6,426.45	7,789.07	1,362.62	7,789.07
2012-13	3	1,234.59	1,554.29	319.70	1,554.29
योग	119	12,795.21	16,459.31	3,664.10	16,459.31

(स्रोत: पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद)

परिशिष्ट 10.4
अपूर्ण कार्यों पर लागत में वृद्धि की स्वीकृति का विवरण
(संदर्भ: प्रस्तर सं 10.3; पृष्ठ)

(₹ लाख में)

वर्ष	कार्यों की संख्या	स्वीकृत लागत	पुनरीक्षित स्वीकृत लागत	लागत में वृद्धि	व्यय
1998-99	3	50.58	66.96	16.38	66.96
2002-03	1	196.68	228.58	31.90	228.58
2004-05	19	372.01	562.28	190.27	562.28
2005-06	4	161.46	221.61	60.15	221.61
2006-07	3	82.01	107.66	25.65	107.66
2009-10	25	4,022.35	6,005.53	1,983.18	6,005.53
2010-11	15	3,005.03	4,112.59	1,107.56	4,112.59
2011-12	41	14,936.59	22,041.14	7,104.55	22,041.14
2012-13	9	1,877.55	2,480.37	602.82	2,480.37
2013-14	1	270.32	335.30	64.98	335.30
2014-15	1	371.20	474.16	102.96	474.16
कुल योग	122	25,345.78	36,636.18	11,290.40	36,636.18

(स्रोत: पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद)

परिशिष्ट 10.5

पुलिस थाना एवं पुलिस चौकियों के प्रशासनिक भवन की प्रगति दर्शाता विवरण

(संदर्भ: प्रस्तर सं. 10.5.2; पृष्ठ)

(₹ लाख में)

वर्ष	कुल कार्य			पूर्ण हो चुके कार्य			कार्य जो प्रगति में है			कार्य जो प्रारम्भ नहीं हुए/ शून्य व्यय		
	संख्या	स्वीकृत लागत	व्यय	संख्या	स्वीकृत लागत	व्यय	संख्या	स्वीकृत लागत	व्यय	संख्या	स्वीकृत लागत	अवमुक्त
2003-04	1	5.36	4.25	0	0	0	1	5.36	4.25	0	0	0
2004-05	8	218.20	177.52	4	108.4	90.09	4	109.80	87.43	0	0	0
2007-08	1	31.95	0.00	0	0	0	0	0	0	1	31.95	0
2009-10	9	521.06	389.55	8	313.7	270.55	1	207.36	119.00	0	0	0
2010-11	9	2,257.57	1,637.92	4	559.21	553.63	5	1,698.36	1,084.29	0	0	0
2011-12	26	3,294.99	2,867.16	16	1,829.25	1,821.72	10	1,465.74	1,045.44	0	0	0
2012-13	16	2,966.46	2,066.22	12	1,925.10	1,874.21	3	784.40	192.01	1	256.96	0.00
2013-14	13	3,027.18	1,222.36	6	1,180.72	1,160.78	3	658.91	61.58	4	1,187.55	0.00
2014-15	16	3,226.86	590.62	0	0	0	6	1,616.55	590.62	10	1,610.31	0.00
योग	99	15,549.63	8,955.60	50	5,916.38	5,770.98	33	6,546.48	3,184.62	16	3,086.77	0.0
2015-16	8	1,275.90	226.95	0	0	0	0	0	0	8	1,275.90	226.95
योग	107	16,825.53	9,182.55	50	5,916.38	5,770.98	33	6,546.48	3,184.62	24	4,362.67	226.95

(स्रोत: पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद)

परिशिष्ट 10.6

बैरकों की प्रगति दर्शाता विवरण

(संदर्भ: प्रस्तर सं. 10.6; पृष्ठ)

(₹ लाख में)

वर्ष	कुल कार्य				पूर्ण हो चुके कार्य				अधूरे कार्य				शून्य प्रगति वाले कार्य			
	सं0	स्वीकृत	अवमुक्त	व्यय	सं0	स्वीकृत	अवमुक्त	व्यय	सं0	स्वीकृत	अवमुक्त	व्यय	सं0	स्वीकृत	अवमुक्त	व्यय
2003-04	1	165.36	165.36	165.36	1	165.36	165.36	165.36	0	0	0	0	0	0	0	0
2005-06	2	191.88	191.88	136.67	0	0	0	0	2	191.88	191.88	136.67	0	0	0	0
2009-10	2	1574.62	1574.62	1485.35	1	133.10	133.10	133.10	1	1441.52	1441.52	1352.25	0	0	0	0
2010-11	5	465.25	465.25	455.18	4	322.15	322.15	321.68	1	143.1	143.1	133.5	0	0	0	0
2011-12	132	11105.37	11105.37	10454.11	108	8345.03	8345.03	8313.84	24	2760.34	2760.34	2140.27	0	0	0	0
2012-13	10	2493.02	2493.02	2138.57	8	1965.53	1965.53	1947.18	2	527.49	527.49	191.39	0	0	0	0
2013-14	6	1341.50	1292.59	1172.16	4	799.73	799.73	781.88	1	443.96	443.96	390.28	1	97.81	48.9	0
2014-15	91	3224.95	3224.95	385.50	4	137.54	137.54	136.77	3	570.65	570.65	248.73	84	2516.76	2516.76	0
2015-16	66	2812.49	2115.67	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	66	2812.487	2115.667	0
महा योग	315	23374.44	22628.71	16392.90	130	11868.44	11868.44	11799.81	34	6078.94	6078.94	4593.09	151	5427.057	4681.327	0

(स्रोत: पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद)

परिशिष्ट 10.7

बैरकों एवं आवासों की आवश्यकता दर्शाता विवरण

(संदर्भः प्रस्तर सं 10.7.1; पृष्ठ)

क्र० सं	पद	स्वीकृत संख्या	पात्रता (प्रतिशत)	आवासों की संख्या			कमी (प्रतिशत)	निर्माण करने हेतु आवश्यक धनराशि (₹ लाख में)
				आवश्यकता	उपलब्ध	कमी		
आवासीय भवनों की आवश्यकता								
1	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	14,187	100	14,187	8,654	5,533		1,327.92
2	आरक्षी	1,31,436	50	65,718	40,885	24,833		5,959.92
	योग	1,45,623		79,905	49,539	30,366	38	7,287.84
3	मुख्य आरक्षी (सी.पी)	15,905	100	15,905	5,393	10,512		2,522.88
4	मुख्य आरक्षी (ए.पी)	12,625	75	9,469	2,746	6,723		1,613.52
5	सहायक उप निरीक्षक (एम.)	2,427	100	2,427	704	1,723		413.52
	योग	30,957		27,801	8,843	18,958	68	4,549.92
6	उप निरीक्षक	14,292	100	14,292	6,443	7,849		2,197.72
7	उप निरीक्षक (एम.)	1,732	100	1,732	745	987		276.36
8	निरीक्षक	2,268	100	2,268	975	1,293		362.04
	योग	18,292		18,292	8,163	10,129	55	2,836.12
	कुल आवास	1,94,872		1,25,998	66,545	59,453	48	14,673.88
बैरकों की आवश्यकता								
9	आरक्षी ए.पी. / सी.पी	1,31,436	50	65,718	48,710	17,008		340.16
10	मुख्य आरक्षी ए.पी.	12,625	25	3,156	1,905	1,251		25.02
	योग	1,44,061		68,874	50,615	18,259	26	365.18
	कुल आवास एवं बैरक	1,94,872		1,94,872	1,17,160	77,712	40	15,039.06

(चोतः पुलिस मुख्यालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

परिशिष्ट 10.8

नमूना जॉच में चयनित जनपदों में आवासों की उपलब्धता

(संदर्भ: प्रस्तर सं. 10.7.2; पृष्ठ)

जनपद	निरीक्षक / उपनिरीक्षक		मुख्य आरक्षी		आरक्षी		योग	
	कार्यरत	आवासों की संख्या	कार्यरत	आवासों की संख्या	कार्यरत	आवासों की संख्या	कार्यरत	आवासों की संख्या
आगरा	309	118	284	97	3,466	559	4,059	774
इलाहाबाद	302	96	420	38	3,360	272	4,082	406
देवरिया	120	27	163	27	727	142	1,010	196
गाजियाबाद	256	31	456	135	3,231	114	3,943	280
झौसी	169	39	202	41	1,269	140	1,640	220
कानपुर	444	89	768	111	3,601	413	4,813	613
कुशीनगर	145	38	202	27	636	115	983	180
लखनऊ	663	200	1,046	193	5,401	776	7,110	1,169
मथुरा	270	68	405	45	2,013	236	2,688	349
मेरठ	228	90	275	85	1,949	213	2,452	388
मुरादाबाद	329	65	287	54	2,176	114	2,792	233
प्रतापगढ़	178	32	240	37	1,058	174	1,476	243
शाहजहाँपुर	198	55	311	27	1,217	129	1,726	211
सीतापुर	206	57	263	33	1,111	206	1,580	296
सोनभद्र	107	48	312	19	1,234	104	1,653	171
योग	3,924	1,053	5,634	969	32,449	3,707	42,007	5,729

(स्रोत: पुलिस मुख्यालय तथा नमूना जॉच हेतु चयनित जनपद)

परिशिष्ट 10.9

नमूना जॉच में चयनित पुलिस थानों में आवासों की उपलब्धता

(संदर्भः प्रस्तर सं. 10.7.2; पृष्ठ)

थाना का नाम	जनपद	निरीक्षक		उप निरीक्षक		मुख्य आरक्षी		आरक्षी		योग	
		कार्यरत	आवासों की संख्या	कार्यरत	आवासों की संख्या	कार्यरत	आवासों की संख्या	कार्यरत	आवासों की संख्या	कार्यरत	आवासों की संख्या
कोतवाली	शाहजहाँपुर	1	1	11	0	8	0	65	0	85	1
जलालाबाद	शाहजहाँपुर	1	1	7	2	4	0	33	6	45	9
सदर	शाहजहाँपुर	1	1	14	0	17	1	70	2	102	4
सरोजिनी नगर	लखनऊ	0	0	10	0	11	0	63	0	84	0
सादाबागंज	लखनऊ	0	0	15	0	10	0	72	0	97	0
गोसाई गंज	लखनऊ	1	0	11	0	11	0	62	4	85	4
मलिहाबाद	लखनऊ	1	1	8	2	0	1	47	0	56	4
रक्शा	झौसी	1	1	3	0	2	1	13	7	19	9
कोतवाली	झौसी	1	1	8	3	7	4	67	18	83	26
बड़ा गाँव	झौसी	1	1	4	1	5	0	19	8	29	10
महिला पी.एस.	झौसी	0	0	1	0	0	0	20	0	21	0
कोतवाली	कानपुर	1	1	9	4	11	5	42	19	63	29
विटूर	कानपुर	1	1	11	3	5	1	49	23	66	28
महाराजपुर	कानपुर	0	0	9	3	8	0	52	0	69	3
कुबेर स्थान	कुशीनगर	0	0	5	1	10	1	33	0	48	2
कोतवाली	कुशीनगर	1	0	11	0	12	0	72	8	96	8
निवुआ नौरगिया	कुशीनगर	0	0	8	1	6	5	40	5	54	11
खड़ा	कुशीनगर	0	0	5	1	4	0	33	0	42	1
बनकटा	देवरिया	0	0	3	2	8	1	28	10	39	13
कोतवाली	देवरिया	1	1	15	4	11	2	65	22	92	29
बरहज	देवरिया	1	1	6	0	8	1	33	4	48	6
रामपुर कारखाना	देवरिया	0	0	6	4	6	1	38	5	50	10
कोहडौर	प्रतापगढ़	0	0	5	0	2	0	18	0	25	0
जेठवारा	प्रतापगढ़	1	1	5	1	3	0	20	4	29	6
बाघराय	प्रतापगढ़	1	0	6	2	5	1	24	7	36	10
कमलापुर	सीतापुर	1	1	7	2	4	1	14	7	26	11
कोतवाली	सीतापुर	1	1	13	4	9	4	43	20	66	29
मछरेहटा	सीतापुर	1	1	3	2	5	1	15	7	24	11
सैदाबाद	सीतापुर	1	1	6	3	11	1	39	9	57	14
झूसी	इलाहाबाद	1	0	5	0	4	0	38	0	48	0
महिला थाना	इलाहाबाद	0	0	1	0	8	0	17	0	26	0

सदर	मेरठ	1	1	8	9	10	3	49	20	68	33
रोहता	मेरठ	0	0	01	0	12	0	20	0	33	0
नौचन्दी	मेरठ	01	01	07	05	13	06	64	12	85	24
जानी	मेरठ	01	01	07	03	16	07	52	0	76	11
घोरावल	सोनभद्र	01	01	03	01	17	0	26	08	47	10
पन्नगंज	सोनभद्र	01	01	02	03	11	02	24	06	38	12
चोपन	सोनभद्र	01	01	06	08	17	12	65	21	89	42
कोतवाली	सोनभद्र	01	01	10	01	12	08	63	28	86	38
खोड़ा	गाजियाबाद	0	0	06	0	07	0	68	0	81	0
निवारी	गाजियाबाद	01	0	05	0	11	0	60	0	77	0
मुरादनगर	गाजियाबाद	01	0	16	03	16	02	106	15	139	20
साहिबाबाद	गाजियाबाद	0	0	18	0	19	02	188	15	225	17
पर्यटन	आगरा	01	0	02	0	04	0	26	0	33	0
सदर बाजार	आगरा	01	01	13	19	16	05	84	62	114	87
मालपुरा	आगरा	01	01	03	0	05	03	42	16	51	20
फतेहपुर सीकरी	आगरा	01	01	04	03	05	0	48	10	58	14
गोविन्द नगर	मथुरा	0	0	09	10	10	10	54	30	73	50
राया	मथुरा	01	01	07	04	10	0	38	14	56	19
फरह	मथुरा	0	0	09	01	08	01	40	08	57	10
यमुनापार	मथुरा	01	01	07	0	08	06	55	35	71	42
कोतवाली	मुरादाबाद	01	01	13	01	09	09	55	04	78	15
बिलारी	मुरादाबाद	01	01	15	0	17	04	69	12	102	17
कुन्द्रकी	मुरादाबाद	01	0	11	0	08	05	48	40	68	45
पाकवाड़ा	मुरादाबाद	01	01	10	01	12	0	65	0	88	2
योग										3,604	817

(स्रोत: नमूना जॉच में चयनित पुलिस थाने)